सामाजिक विज्ञान

कक्षा 7 के लिए पाठ्यपुस्तक

राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

प्रकाशक

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर

संस्करण : 2016

© राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
© राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर

मूल्य :

पेपर उपयोग : आर. एस. टी. बी. चाटरमार्क
80 जी. एस. एम. पेपर पर मुद्रित

प्रकाशक : राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल
2–2 ए, झालाना डूंगरी, जयपुर

मुद्रक :

मुद्रण संख्या :

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को अपना तथा इलैक्ट्रानिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाऐगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।
- किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन केवल प्रकाशक द्वारा ही किया जा सकेगा।

पाठ्यपुस्तक निर्माण
वित्तीय सहयोग:
यूनिसेफ राजस्थान, जयपुर

प्राक्कथन

बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा में परिवर्तन होना जरूरी है, तभी विकास की गति तेज होती है। विकास में सहायक कई तत्त्वों के अलावा शिक्षा भी एक प्रमुख तत्त्व है। विद्यालयी शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्यचर्या को समय–समय पर बदलना एक आवश्यक कदम है। वर्तमान में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा यह स्पष्ट है कि समस्त शिक्षण क्रियाओं में 'बालक' केन्द्र के रूप में हैं। हमारी सिखाने की प्रक्रिया इस प्रकार हो कि बालक स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर समझ कर ज्ञान का निर्माण करें। उसके सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए, इसके लिए शिक्षक एक सहयोगी के रूप में कार्य करे। पाठ्यचर्या को सही रूप में पहुँचाने के लिए पाठ्यपुस्तक महत्त्वपूर्ण साधन है। अतः बदलती पाठ्यचर्या के अनुरूप ही पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन कर राज्य सरकार द्वारा नवीन पाठ्यपुस्तक तैयार कराई गई है।

पाठ्यपुस्तक तैयार करने में यह ध्यान रखा गया है कि पाठ्यपुस्तक सरल, सुगम, सुरुचिपूर्ण, सुग्राह्य एवं आकर्षक हो, जिससे बालक सरल भाषा, चित्रों एवं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इनमें उपलब्ध ज्ञान को आत्मसात् कर सके, साथ ही वह अपने सामाजिक एवं स्थानीय परिवेश से जुड़े तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक गौरव, संवैधानिक मूल्यों के प्रति समझ एवं निष्ठा बनाते हुए एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके।

शिक्षकों से मेरा विशेष आग्रह है कि इस पुस्तक को पूर्ण कराने तक ही सीमित नहीं रखें, अपितु पाठ्यक्रम एवं अपने अनुभव को आधार बना कर इस प्रकार प्रस्तुत करे कि बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर मिले एवं विषय शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एस.आई.ई.आर.टी.) उदयपुर पाठ्यपुस्तक विकास में सहयोग के लिए उन समस्त राजकीय एवं निजी संस्थानों, संगठनों यथा एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, राज्य सरकार, भारतीय जनगणना विभाग, आहड़ संग्रहालय उदयपुर, जनसंपर्क निदेशालय जयपुर, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल जयपुर, विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान जयपुर, विद्याभवन संदर्भ केन्द्र पुस्तकालय, उदयपुर एवं लेखकों, समाचार पत्र–पत्रिकाओं, प्रकाशकों तथा विभिन्न वेबसाइट्स के प्रति आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने पाठ्यपुस्तक निर्माण में सामग्री उपलब्ध कराने एवं चयन में सहयोग दिया है। भूगोल विषय के लेखन कार्य में सहयोग देने के लिए श्री रुपनारायण मालव, प्रधानाचार्य, राउमावि, मादलिया, कोटा एवं श्रीमती हेमलता चौधरी, व्याख्याता, राबाउमावि, धोरीमन्ना, बाड़मेर का भी आभार व्यक्त करता है। हमारे प्रयासों के बावजूद किसी लेखक, प्रकाशक, संस्था, संगठन और वेबसाइट का नाम छूट गया हो तो हम उनके आभारी रहते हुए क्षमा प्रार्थी हैं। उनका नाम पता चलने एवं इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर आगामी संस्करणों में उनका नाम शामिल कर लिया जाएगा।

पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु श्री कुंजीलाल मीणा, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, श्री नरेशपाल गंगवार, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं आयुक्त राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् , श्री बाबूलाल मीणा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं श्री सुवालाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, श्री बी. एल. जाटावत, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर, राजस्थान सरकार से सतत् मार्गदर्शन एवं अमूल्य सुझाव संस्थान को प्राप्त होते रहे हैं। अतः संस्थान हृदय से आभार व्यक्त करता है।

इस पाठ्यपुस्तक का निर्माण यूनीसेफ के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से किया गया है। इसमें सेम्युअल एम., चीफ यूनिसेफ राजस्थान जयपुर, सुलग्ना रॉय शिक्षा विशेषज्ञ एवं यूनीसेफ से संबंधित अन्य सभी अधिकारियों के सहयोग के लिए संस्थान आभारी है। संस्थान उन सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों का, जिनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य संपादन में सहयोग रहा है, उनकी प्रशंसा करता है।

मुझे इस पुस्तक को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, साथ ही यह विश्वास है कि यह पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और अध्ययन–अध्यापन एवं विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास की एक प्रभावशाली कड़ी के रूप में कार्य करेगी।

विचारों एवं सुझावों को महत्त्व देना लोकतंत्र का गुण है। अतः राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर सदैव इस पुस्तक को और श्रेष्ठ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आपके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत करेगा।

निदेशक
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

संरक्षक – विनीता बोहरा, निदेशक राराशैअप्रस, उदयपुर

मुख्य समन्वयक – नारायण लाल प्रजापत, उपनिदेशक तथा विभागाध्यक्ष, शिक्षाक्रम एवं मूल्यांकन विभाग, राराशैअप्रस उदयपुर

समन्वयक –

1. डॉ. देवेन्द्र सिंह चौहान, व्याख्याता, राउमावि, पीलादर, उदयपुर (भूगोल)
2. डॉ. योगेश कुमार शर्मा, व्याख्याता, राराशैअप्रस, उदयपुर (सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन)
3. सूर्यकान्ता पंचाल, वरिष्ठ व्याख्याता, राराशैअप्रस, उदयपुर (इतिहास)

लेखकगण (भूगोल)

1. पन्नालाल शर्मा, व्याख्याता, आदर्श राउमावि महावीर नगर–III, कोटा (संयोजक)
2. डॉ. देवेन्द्र सिंह चौहान, व्याख्याता, राउमावि, पीलादर, उदयपुर
3. रामपद पारीक, अध्यापक, राउप्रावि, बदनपुरा, सांगानेर, जयपुर

लेखकगण (सामाजिक और राजनीतिक जीवन)

1. देवलाल गोचर, शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, जिशिअ (प्रा.) कोटा (संयोजक)
2. सतीश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य, राउमावि, बूढ़ादीत, कोटा
3. जयदीप कोठारी, व्याख्याता, राउमावि फलासिया, उदयपुर
4. अब्दुल करीम टाक, व्याख्याता, राउमावि, मुण्डारा, पाली
5. रामावतार यादव, व्याख्याता, राउमावि, सोहेला, टोंक
6. राजेश कुमार वशिष्ठ, अध्यापक, राउमावि द्वारिकापुरी, जयपुर

लेखकगण (इतिहास)

1. ब्रजमोहन रामदेव, सेवानिवृत्त जिला साक्षरता एवं सततशिक्षा अधिकारी, जैसलमेर (संयोजक)
2. डॉ. के. एस. गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, मो.ला.सु. विश्वविद्यालय, उदयपुर

निःशुल्क वितरण हेतु

3. मनोहर सिंह राजपूत, प्रधानाचार्य, राउमावि, धार, उदयपुर
4. आदर्श पालीवाल, प्रधानाध्यापक रामावि चैनपुरिया, चित्तौड़गढ़
5. दिनेश चंद्र बंसल, व्याख्याता, राउमावि, नाहरमगरा, उदयपुर
6. डॉ. पुनाराम, व.अ. राउमावि, भीमाना, सिरोही
7. सुखदेव चारण, प्रधानाचार्य, आदर्श वि.म.मा.वि, कालन्द्री, सिरोही
8. शैलेजा पुरावत, अध्यापिका, रामावि लोहागल, अजमेर

आवरण एवं सज्जा – डॉ. जगदीश कुमावत, व्याख्याता, एस. आई.ई.आर.टी., उदयपुर

चित्रांकन – निर्मल कुमार टेलर, उदयपुर

तकनीकी सहयोग – हेमन्त आमेटा, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी, उदयपुर
अभिनव पण्ड्या, क.लि., एस.आई.ई.आर.टी, उदयपुर
गोपाल लोहार, उदयपुर

कम्प्यूटर ग्राफिक्स – अविनाश कुमावत, शब्द संसार प्रकाशन, उदयपुर

शिक्षकों के लिए

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु तैयार की गई पाठ्यपुस्तक में उन सभी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का समावेश किया गया है, जिनकी वर्तमान में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए महती आवश्यकता है। इससे बालक का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन किया जा सकेगा।

पाठ्यपुस्तक को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है। भूगोल, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन तथा इतिहास। साथ ही शिक्षकों से अपेक्षा है कि अध्यायों को इकाई वार विभाजित कर क्रमानुसार सभी भागों को नियमित रूप से सम्मिलित करते हुए अध्ययन कार्य करावें। पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित चित्रों, मानचित्रों, घटनाओं का भरपुर उपयोग करें, ताकि छात्रों की तार्किकता में वृद्धि हो सके। यथा संभव बालकों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जायें और वहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत करावें। भ्रमण के बाद विद्यालय में आकर समूह परिचर्चा करते हुए प्रतिवेदन तैयार करें।

अध्याय में दी गई गतिविधियों को करवाते हुए छात्रों का भरपूर सहयोग लें तथा उन्हें सीखने का अवसर प्रदान करें। बालकों को रटने की प्रवृति की जगह अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आगे बढने के अवसर प्रदान करें। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी वह अपने विवेकानुसार लिखने का प्रयास करें। छात्रों को ध्यान में रखते हुए बहुचयनात्मक, रिक्त स्थान पूर्ति, अतिलघुत्तरात्मक, निबंधात्मक प्रश्नों का समावेश किया गया है।

पाठ्यपुस्तक में वीरपुरुषों एवं वीरांगनाओं की जीवनियों को भी बालक को केंद्र में रखते हुए सम्मिलित किया गया है, साथ ही सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति को भी ध्यान में रखा गया है। अध्याय के अंत में शब्दावली दी गई है जिसमें अध्याय में आए कुछ कठिन शब्दों के सरल भाषा में अर्थ दिए गए हैं। शिक्षकों से आशा है कि विद्यार्थियों को इनसे अवगत करावें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा के कारण पाठ्यपुस्तक में यथा स्थान स्थानीय उदाहरण एवं पर्याप्त गतिविधियाँ दी गई हैं। इससे विद्यार्थी को विषय की कठिन अवधारणाओं को समझने में आसानी रहेगी। अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी की समझ को विकसित करना। इसके लिए अध्याय के दौरान दी गई गतिविधियों एवं उदाहरणों के अतिरिक्त शिक्षक अपने विवेक से अन्य गतिविधियों को भी आयोजित करवा सकते हैं। विषयवस्तु को समझने हेतु अन्य स्थानीय उदाहरण भी दिए जा सकते हैं।

शिक्षकों से अपेक्षा है कि शिक्षण कार्य कराने से पूर्व पाठ्यपुस्तक के साथ अन्य संदर्भ पुस्तकों एवं पत्र–पत्रिकाओं का भी सहयोग लें, जिससे विद्यार्थियों को अद्यतन जानकारी दी जा सके। पाठ्यपुस्तक की विषय–वस्तु से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षण के साथ–साथ छात्रों से प्रोजेक्ट कार्य भी करवाए जावें, यथा–चित्रों का संग्रह करना, मानचित्र बनाना एवं स्थानों को चिह्नित करना, महापुरुषों की जीवनियाँ लिखवाना, घटनाओं को तिथि क्रम के अनुसार लिखना आदि। इससे विद्यार्थियों में 'करके सीखने' की आदत बनेगी। इसी तरह वाद–विवाद प्रतियोगिताएँ, भाषण, एकांकी, परिचर्चा, क्विज, भ्रमण आदि विधाओं का प्रयोग करने से विद्यार्थियों का सीखना सरल, सुबोध एवं रूचिपूर्ण होगा। अध्याय में आई कुछ गतिविधियों में ऐसे कार्य भी हैं, जिन्हें विद्यार्थी अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को मदद करने की अपेक्षा की गई है। विद्यार्थी परिवार एवं परिवेश से ज्यादा सीखता है अतः शिक्षक का दायित्व बनता है कि उसका विद्यार्थी के परिवार से निकट का संबंध रहे। इससे विद्यालय में कराए गए शिक्षण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

निःशुल्क वितरण हेतु

अनुक्रमणिका

अध्याय सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
	भाग–1 भूगोल	
1	जैवमंडल और भू–दृश्य	2–10
2	वायुमंडल और जलवायु	11–20
3	जल	21–30
4	भूमि	31–40
5	वन और वन्य जीवन	41–51
6	विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन (1)	52–57
7	विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन (2)	58–63
	भाग–2 सामाजिक और राजनीतिक जीवन	
8	समाज और हमारे दायित्व	65–71
9	लोकतंत्र और समानता	72–75
10	लैंगिक समझ और संवेदनशीलता	76–83
11	राजस्थान का सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास	84–90
12	राज्य सरकार	91–100
13	सरकार और लोक कल्याण	101–108
14	संचार माध्यम और लोकतंत्र	109–115
	भाग–3 इतिहास	
15	वृहत्तर भारत	117–124
16	हर्षकालीन व बाद का भारत	125–131
17	राजस्थान एवं दिल्ली के सुल्तान	132–138
18	राजस्थान के राजवंश व मुगल	139–148
19	कला एवं स्थापत्य	149–160
20	भक्ति एवं सूफी आंदोलन	161–169
21	लोक संस्कृति	170–180

अध्याय 1

जैवमंडल और भू–दृश्य

जैवमंडल का अर्थ एवं महत्व

हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों से अलग पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में वे तत्व मौजूद हैं, जो जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, जैसे हवा, पानी और स्थल आदि।

ज़रा विचार कीजिए! यदि पृथ्वी पर पेड़–पौधे, जीव–जन्तु न होते तो यह कैसी होती? सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तरह जीवन की शुरुआत से पहले पृथ्वी भी चट्टानी पिंड थी जिस पर जल और गैसें विद्यमान थी। इस प्रकार पृथ्वी पर केवल तीन मंडल–स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल ही थे। यह पृथ्वी की पूर्णतः निर्जीव अवस्था थी। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी पर पहला जीव पानी में विकसित हुआ। उसके बाद धीरे–धीरे अनेक जीवों का विकास हुआ और जो पृथ्वी पहले निर्जीव थी उस पर असंख्य जीव दिखाई देने लगे। इस प्रकार भूमंडल पर वर्तमान में दिखाई देने वाले जैवमंडल का विकास करोड़ों वर्षों में हुआ है।

पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है, वह जैवमंडल कहलाता है। इसमे सूक्ष्म से सूक्ष्म बेक्टीरीया से लेकर विशालकाय जीव शामिल हैं। इसके साथ–साथ विस्तृत और विविध वनस्पति, जीव–जंतु और मनुष्य, इस जैवमंडल के हिस्से हैं। पृथ्वी की ठोस सतह को हम स्थल मंडल कहते हैं। जलीय भाग को जलमंडल और धरातल से ऊपर वाला हिस्सा जहाँ गैसें पाई जाती हैं, वायुमंडल कहलाता है। जब ये तीनों मंडल एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं तो जैवमंडल की रचना होती है।

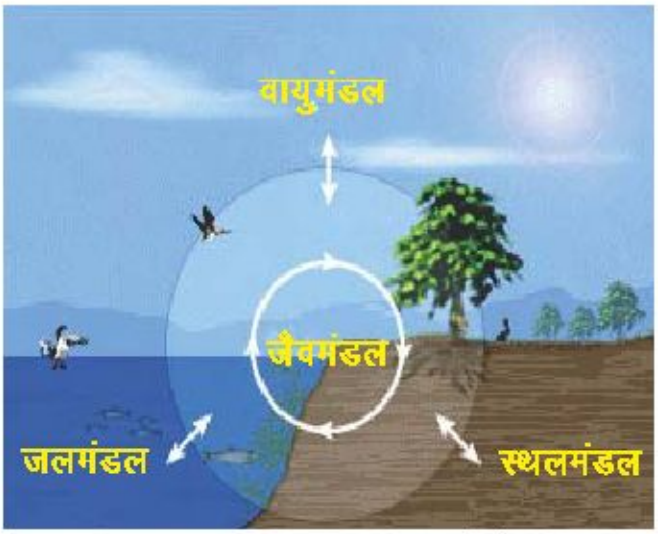

स्थलमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल तीनों के पारस्परिक अंतर्संबंध से ही पृथ्वी पर जैवमंडल का विकास हुआ है।

ध्रुवों के बर्फानी प्रदेशों से भूमध्य रेखीय प्रदेशों की तीक्ष्ण गर्मी तक, आसमान से लेकर सागर की गहराई तक, चाहे जिस रूप में हो, पृथ्वी पर जीवन है। सूक्ष्मतम जीवाणु से लेकर, बड़े–बड़े पौधों और विशालकाय पशुओं तक, न केवल आकार में परन्तु जीव जगत के प्रकार एवं पर्यावरण में भी विभिन्नता पाई जाती है।

क्या समग्र पृथ्वी पर जैवमंडल है? इसका उत्तर होगा, नहीं! हमारी पृथ्वी अत्यंत विशाल है और इसके समग्र भू–भाग पर जीवन नहीं है। हमारी पृथ्वी के विशाल भू–भाग के कुछ हिस्सों को छोडकर शेष पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के जैवमंडल को वस्तुतः तीन बातें खास बनाती हैं, जो अग्रलिखित हैं–

1. सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा प्राप्त होती रहती है।
2. पृथ्वी पर विशाल मात्रा में जल उपलब्ध है।
3. पृथ्वी पर तरल, गैस और ठोस, पदार्थ के तीनों स्वरूपों का एक अच्छा समन्वय है।

जैवमंडल, वायुमंडल के उस छोर तक फैला है जहाँ पक्षी और कीट पाये जाते हैं। वहीं इसका विस्तार स्थल के नीचे गहरी गुफाओं एवं बिलों में और सागर की गहराइयों में भी है। अर्थात् वह हर स्थान जहाँ किसी भी रूप में जीवन के चिह्न हो जैवमंडल का भाग है।

जैवमंडल में पाए जाने वाले जीवों को हम दो वर्गों मे बाँट सकते हैं।

1. वनस्पति जगत, जिसमे सभी प्रकार पेड़–पौधे, झाड़ियाँ और घासें सम्मिलित हैं।
2. जीव जगत, जिसमें मनुष्य सहित स्थल, जल एवं वायु में रहने वाले सभी जीव–जंतु सम्मिलित हैं।

पारितंत्र का अर्थ एवं महत्त्व

आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो कई ऐसी वस्तुएँ भी दिखेगी जो निर्जीव हैं। जल, मिट्टी, पत्थर आदि सभी निर्जीव (अजैव) हैं, इन्हीं निर्जीव चीजों के बीच पृथ्वी पर अनेक जीव पनप रहें हैं, जिन्हें सजीव (जैविक) कहा जाता है। इन जैविक एवं अजैविक चीजों ने हमें चारों ओर से घेर रखा है और यहीं हमारे पर्यावरण के अंश हैं।

जैविक एवं अजैविक घटक

सभी जीव आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके साथ–साथ अपने पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और उसे भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जीवों और पर्यावरण के आपसी संबंधों की जटिल व्यवस्था बन जाती है। इस जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक अन्तर्संबंध को ही पारितंत्र कहते हैं। यह आकार में एक छोटे तालाब या अमेजन के विशाल वर्षा वन के रूप मे हो सकता है। यही नहीं, हमारी यह धरती भी एक विशाल पारितंत्र है। आप पाएंगे कि पृथ्वी पर न केवल एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है बल्कि वह उसके पर्यावरण में मौजूद निर्जीव वस्तुओं से भी जुड़ा है।

सभी जीव–जन्तुओं को जीवित रहने के लिये ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें एक दूसरे पर निर्भर होकर और पर्यावरण से प्राप्त होती है। एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है। पृथ्वी और उसमें निवासित हर जीव की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, जिसकी सहायता से पेड़–पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यही ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक एक खाद्य शृंखला के रूप में हस्तांतरित होती जाती है।

अगर हम एक जंगल को देखें तो पाएंगे कि कैसे पौधे जो सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं। उन्हें हिरण या खरगोश खाते हैं। इन शाकाहारी पशुओं को शेर या भेड़िया खा सकता है। शेर या भेड़िए की मृत्यु के बाद उसके शरीर को अपघटक जीव मिट्टी में मिला देते हैं। यह एक सरल खाद्य शृंखला है।

एक अन्य उदाहरण से भी हम इसे समझ सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा से पेड़–पौधे अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पेड़–पौधों से एक कीट अपना भोजन प्राप्त करता है। उसी कीट को चुहा, चुहे को सांप एवं सांप को बाज खाता है। बाज के मरने के बाद अपघटक जीव उसे मिट्टी में मिला देते हैं। इस प्रकार एक खाद्य शृंखला पूरी हो जाती है। वास्तव में क्षेत्र में कई खाद्य शृंखलाओं का एक जटिल जाल होता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं।

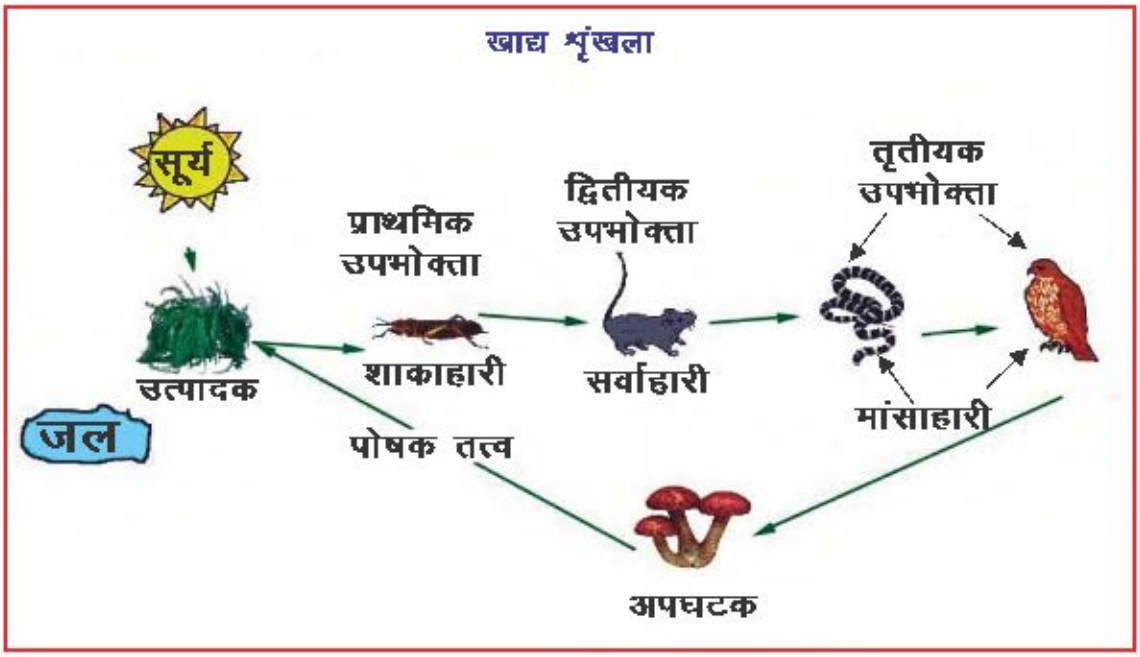

हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी की सतह उबड़–खाबड़ है। साथ ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जलवायु में लगातार परिवर्तन होता है। ये सभी भौगोलिक परिस्थितियाँ, चाहे उच्चावच हो या जलवायु, पर्यावरणीय विभिन्नताएँ व्यक्त करती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण पृथ्वी पर असंख्य जीवों का विकास हुआ है। अलग–अलग पर्यावरणों में अलग–अलग पशु–पक्षी व वनस्पति पाई जाती है। सभी जीव अपने पर्यावरण के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं। पर क्या पर्यावरण ही हम जीवों को प्रभावित करता है? नहीं! केवल भौतिक पर्यावरण ही जीव–जगत पर प्रभाव नहीं डालता अपितु जीव भी अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। मानव ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण में बहुत परिवर्तन किए हैं। ये परिवर्तन सही भी हो सकते हैं और गलत भी। आज हम सिंचाई की सहायता से रेगिस्तान में कृषि कर सकते हैं। वहीं, मनुष्य ने ही कई जंगलों को काट डाला है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रत्येक जीव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उनका संरक्षण करना अत्यावश्यक है।

पारितंत्र का संतुलन

वर्तमान में मानव आर्थिक विकास के नाम पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए पारितंत्र को बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। मानव अपने कार्यों, जैसे–प्राकृतिक वनस्पति एवं जीवों का विनाश करना, मूल

जन्तुओं और वनस्पति के स्थान पर विदेशी जन्तुओं और वनस्पतियों को स्थापित करना, विकास के लिए पारितंत्र के संघटकों में परिवर्तन करना, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करना, वायुमंडल की गैसों के अनुपात का बदलना, पर्यावरण को प्रदूषित करना आदि के द्वारा पारितंत्र का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसके दुष्प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाएगा।

अतः पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखना अति आवश्यक है और यह कार्य केवल मानव ही कर सकता है। हमें विकास के कार्य इस प्रकार करने चाहिए की उससे पारितंत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। मानव को चाहिए की वह प्रकृति का दोहन कर लूट लेने की नीयत ना रखें, बल्कि उसका सहयोग कर उसके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करे एवं सतत् विकास की ओर अग्रसर होने का प्रयास करें।

पृथ्वी के प्रमुख स्थलरूप–साधारणतः पृथ्वी पर निम्नलिखित स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं –

- पर्वत
- पठार
- मैदान
- नदी बेसिन
- समुद्र एवं तटीय मैदान
- द्वीप

हम आगे इन स्थलाकृतियों के बारे मे पढ़ेंगे और इनको चित्रों के माध्यम से पहचानने का प्रयास करेंगे।

1. पर्वत

ऐसे स्थान जो प्राकृतिक रूप से आस–पास के स्थानों से 600 मीटर से अधिक ऊँचे एवं सैकड़ों किलोमीटर लंबे होते हैं, उन्हें पर्वत कहा जाता है। ये नीचे से चौड़े और ऊपर की तरफ संकरे और नुकीले होते जाते हैं। ऊपर के नुकीले भाग को पर्वत की चोटी कहते हैं। आप जानते हैं पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊँची पर्वत चोटी माउण्ट एवरेस्ट है जो धरती की विशालतम पर्वत शृंखला हिमालय में स्थित है। इसकी ऊँचाई 8848 मीटर है। जब पर्वत एक रेखा के क्रम में होते हैं तो इसे पर्वत शृंखला कहते हैं। ये शृंखला सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हो सकती है। क्या आप जानते हैं? माउण्ट एवरेस्ट से भी ऊँची पर्वत चोटी पृथ्वी पर मौजूद है, फर्क इतना है कि वह समुद्र की तली पर स्थित है। समुद्र के नीचे भी पर्वत है। प्रशांत महासागर में मॉनाकी पर्वत समुद्र की तली से 10,205 मीटर ऊँचा है, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र में डूबा हुआ है।

माउंट एवरेस्ट

पर्वतों की एक खासियत यह भी है कि इनकी जलवायु आस–पास के क्षेत्रों से ठण्डी होती है

क्योंकि ऊँचाई के साथ–साथ तापमान गिरता रहता है। पर्वत वर्षा को भी प्रभावित करते हैं। ऊँचे–ऊँचे पर्वतों से टकराकर बादल वर्षा करते हैं। पर्वतों के जिस तरफ बादल वर्षा करते हैं, उसे पवनमुखी भाग कहते हैं क्योंकि उनका मुख पवन के सामने होता है। वहीं, दूसरी तरफ के भाग को पवनविमुखी भाग कहते हैं। यहाँ वर्षा कम ही होती है इसलिए इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है।

पर्वत के पवनमुखी एवं पवनविमुखी ढाल

हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल तेज होने के कारण कृषि भूमि कम ही उपलब्ध होती है। तीव्र ढालों पर लोग भी कम ही रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले अधिकांश लोग पशुपालन करते हैं। हिमालय में गद्दी, बकरवाल एवं भोटीया जनजातियाँ भी रहती है जो वहाँ मौसमी प्रवास करती हैं। ये लोग गर्मियों में अपने पशुओं के साथ ऊँचे चारागाहों में चले जाते हैं। जब ठण्ड बढ़ जाती है, ये घाटियों की तरफ पलायन करते हैं। ये पर्वत प्राकृतिक वन्य जीवों को भी आश्रय प्रदान करते हैं।

जम्मू–कश्मीर में बकरवाल चरवाहे

2. पठार

कम ढाल वाले ऐसे ऊँचे एवं चौड़े भू–भाग, जो ऊपर से समतल होते हैं, पठार कहलाते हैं। इनका उपयोग अधिकांशतः चारागाहों के रूप में किया जाता है। कहीं–कहीं जहाँ संभव हो वहाँ निचले पठारों पर कृषि भी की जाती है। भारत में दक्कन का पठार एवं छोटा नागपुर पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। पठार सैकड़ों मीटर से हजारों मीटर तक ऊँचे हो सकते हैं। पठारों में खनिजों के भण्डार अधिक होते हैं जैसे लोहा, कोयला आदि।

पठार

3. मैदान

सामान्यतः समतल भू–भाग को मैदान कहा जाता है। औसत समुद्र तल से इनकी ऊँचाई 300 मीटर से कम होती है। पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग की सतह के लगभग आधे भाग पर मैदान पाए जाते

मैदान

हैं। ये नदियों द्वारा पोषित होते हैं और नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मृदा के जमने से इनका निर्माण होता है। इसी कारण ये बड़े उपजाऊ होते हैं और कृषि यहाँ अधिक मात्रा में होती है। भारत में गंगा–ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान इसका अच्छा उदाहरण हैं। सपाट भूमि होने के कारण परिवहन आसान होता है और सड़क अथवा रेलमार्ग बनाने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ लोग अधिक बसते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। (क) तटीय मैदान, जो समुद्र के किनारे हैं, तथा (ख) आन्तरिक मैदान– जो मुख्य भूमि पर नदियों द्वारा मिट्टी का निक्षेप करने से बनते हैं।

4. नदी बेसिन

धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को नदी कहा जाता हैं, जो हमेशा ढाल के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं। सामान्यतः नदियों की उत्पत्ति पहाड़ी क्षेत्रों से होती है जहाँ से ये मैदानों में आती हैं और अंत में सागर या झील में मिल जाती हैं। कुछ नदियाँ जो ऊँचे पर्वतों से निकलती है और वर्ष भर बहती है। इन नदियों को जल न केवल वर्षा से मिलता है बल्कि पर्वतों पर जमी बर्फ के पिघलने से भी इन नदियों में जल बहता है। इसी कारण ये नदियाँ वर्ष भर बहती हैं। इन्हें सदावाहिनी या नित्यवाहिनी नदियाँ भी कहा जाता हैं। जैसे गंगा, यमुना आदि नदियाँ इसके उदाहरण हैं। कुछ नदियाँ ऐसी भी होती हैं जो केवल वर्षा ऋतु में ही बहती हैं, इन्हें मौसमी नदियाँ कहा जाता हैं।

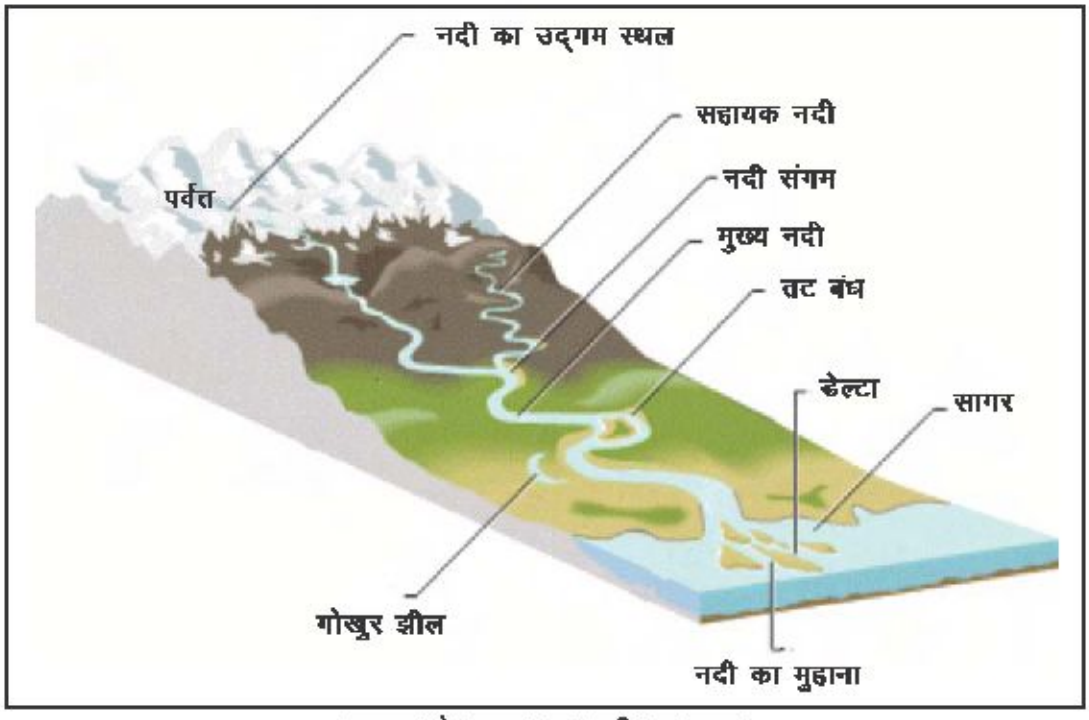

उद्गम से सागर तक नदी का सफ़र

पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी इसका उदाहरण है।

जिस प्रकार पेड़ में एक तना एवं उसकी कई शाखाएँ होती हैं, जो तने से जुड़ी हुई होती है। ठीक उसी प्रकार नदियों की भी कई शाखाएँ होती हैं, जो आसपास के क्षेत्रों से आकर मुख्य नदी में मिल जाती हैं। इन्हें सहायक नदियाँ कहा जाता है। इन सहायक नदियों में बहने वाला जल मुख्य नदी में आकर मिल जाता है। स्थल का वह भू–भाग जहाँ मुख्य नदी और उसकी सहायक नदीयाँ बहती है, वह क्षेत्र नदी का बेसिन कहलाता है। जैसे भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली गंगा नदी में उसकी कई सहायक नदियाँ जैसे यमुना, चम्बल, सोन आदि बहकर आती हैं। वह समस्त स्थान जहाँ से गंगा में पानी बहकर आता है, गंगा बेसिन कहलाता है।

5. समुद्र और तटीय मैदान

समुद्र में अथाह जल है, लेकिन यह जल खारा होता है। कई छोटे–छोटे सागरों से मिलकर महासागरों का निर्माण होता है जो अत्यंत विस्तृत एवं विशाल होते हैं। प्रमुख रूप से पृथ्वी पर चार महासागर हैं–प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिन्द महासागर एवं आर्कटिक महासागर। इन सागरों एवं महासागरों में जीवन का एक अथाह संसार है। इनमें अनगिनत जीव पाए जाते हैं। जल के नीचे महासागरों में भी धरातल की भांति कई स्थल रूप पाए जाते हैं जैसे–पर्वत, पठार, मैदान, खाईयाँ आदि। ये हमारे लिए भोजन एवं खनिजों के भी महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। सदियों से ही मानव इन सागरों का उपयोग परिवहन के सस्ते साधन के रूप में करता आ रहा है। यदि दो स्थान समुद्र से एक दूसरे से जुड़े हुए हो तो नावों तथा बड़े जहाजों की सहायता से बिना कोई सड़क या रेलमार्ग का निर्माण किये, सामान को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। समुद्रों के किनारे पर स्थित स्थल को तट कहा जाता है। इन तटों पर लोग मनोरंजन के लिये भी आते हैं। समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोग मछली पालन भी करते हैं वहीं तट से थोड़ा दूर कृषि भी होती है।

समुद्र और तटीय मैदान

6. द्वीप

एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। यह महाद्वीपों से छोटा होता है तथा नदी, तालाब, समुद्र या महासागर में कहीं भी स्थित हो सकता है। जैसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि। क्या आप जानते हैं? असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है।

द्वीप

आपने जाना कि चारों ओर पानी से घिरे स्थलीय भाग को द्वीप कहते हैं। पर क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे स्थान को क्या कहेंगे जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। ऐसे स्थानों को प्रायद्वीप कहते हैं। दक्षिणी भारत भी एक प्रायद्वीप है।

आओ करके देखें :

1. अपने गाँव या शहर का भ्रमण कर पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में कौन–कौन से धरातलीय स्वरूप हैं? अपने आस–पास के किसी स्थलरूप का चित्र बनाइए।
2. अपने आस–पास के पर्यावरण को देखकर जैवमडंल में पाये जाने वाले वृक्षों एवं जीवों की सूची बनाइए।
3. आप नीचे दिए गए चित्रो को देखिए, विभिन्न स्थलाकृतियों को पहचानकर उनके नाम लिखिए और ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, इसकी चर्चा कक्षा में अपने साथियों से कीजिए।

(चित्र.....)

(चित्र.....)

(चित्र.....)

(चित्र.....)

(चित्र.....)

(चित्र.....)

शब्दावली (Glossary)

जैवमंडल	–	पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन है।
पारितंत्र	–	जैविक तथा अजैविक पर्यावरण का पारस्परिक अंतर्संबंध।
खाद्य जाल	–	पारितंत्र की विभिन्न खाद्य शृंखलाओं का आपसी जुड़ाव।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

   (i) निम्न में से कौनसी एक प्रमुख प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है?

   (क) पर्वत (ख) पठार (ग) अधिवास (द) मैदान ( )

   (ii) स्थलीय भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे कहते हैं?

   (क) द्वीप (ख) प्रायद्वीप (ग) सागर (द) महासागर ( )

2. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए –

   (i) पृथ्वी पर चार महासागर हैं–1.....महासागर, 2.....महासागर, 3.....महासागर, 4.....महासागर।

   (ii) हिमालय में गद्दी, बकरवाल एवं भोटिया जनजातियाँ रहती हैं जो वहाँ.....ऋतु प्रवास करती हैं।

   (iii) स्थल का वह भू भाग जहाँ नदी और सहायक नदी बहती है, उस नदी का ..... कहलाता है।

   (iv) स्थल पर एक प्राकृतिक धारा के रूप में बहने वाले जल को..... कहते हैं।

3. जैवमंडल किसे कहतें हैं? यह केवल पृथ्वी पर ही क्यों पाया जाता है?
4. पारितंत्र और पर्यावरण की परिभाषा देकर उनमें अंतर बताइए।
5. खाद्य शृंखला क्या है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
6. हमें पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या–क्या करना चाहिए।
7. द्वीप किसे कहते हैं? क्या यह केवल समुद्र में ही मिलते हैं?
8. मैदान के दो प्रकार कौन–कौन से हैं? उदाहरण देकर उनकी प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

अध्याय 2

वायुमंडल और जलवायु

वायुमंडल

हमारी पृथ्वी के चारों और कई प्रकार की गैसों का आवरण पाया जाता है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसकी मोटाई कई सौ किलोमीटर तक है। पृथ्वी की गुरूत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। पृथ्वी के सभी जीव श्वसन के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं, जो हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु प्रदान करता है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली दैनिक गर्मी तथा रात में पड़ने वाली ठंड से हमारी रक्षा करता है। अतः वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी के धरातल का तापमान रहने योग्य बना है।

वायुमंडल का संगठन

वायुमडंल अनके गैसों, जलवाष्प एवं धूलकणों के मिश्रण से बना है। वायुमडंल की प्रमुख गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन–डाई ऑक्साइड हैं। इनके अतिरिक्त वायुमडंल में हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टोन और मीथेन गैसें भी विद्यमान हैं। जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन–डाइ ऑक्साइड का उपयोग पेड़–पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, जिससे वायुमडंल में गैसों का सन्तुलन बना रहता है। वर्तमान समय में अधिक जैविक ईंधनों के उपयोग के कारण वायुमडंल में कार्बन–डाइ ऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। इसे 'भूमंडलीय तपन' अथवा 'ग्लोबल वार्मिंग' कहा जाता है।

क्या आप जानते हैं?

वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन हैं, जो समस्त गैसों का लगभग 99 प्रतिशत भाग है।

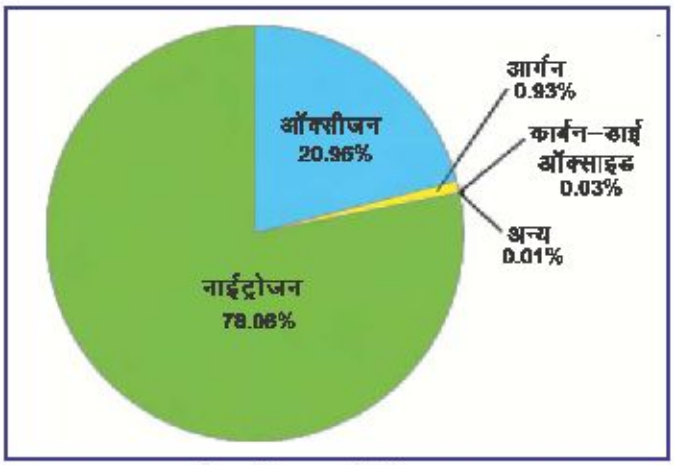

वायुमंडल में प्रमुख गैसों का अनुपात

गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प पाई जाती है। अधिक ताप के कारण जब जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है तो वायुमंडल में विद्यमान इसी गैसीय जल को जलवाष्प कहा जाता है। यह केवल क्षोभमंडल में ही पाई जाती है। इसे आर्द्रता भी कहते हैं। धरातल से ऊँचाई बढ़ने पर इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। यह हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्षा इसी से होती है।

आओ करके देखें :

1. वायुमंडल में प्रमुख गैसों के अनुपात के चित्र को देखकर प्रमुख गैसों एवं उनके प्रतिशत की सूची बनाइए।
2. वायुमंडल में विद्यमान गैसों के हमारे जीवन में महत्व पर एक लघु निबंध लिखिए।

वायुमंडल का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व धूलकण हैं जो वायुमंडल में इधर–उधर उड़ते रहते हैं। इन धूलकणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा भी धूलकणों के कारण ही दिखाई देती है। संघनन में इनकी भूमिका सबसे अहम् होती है क्योंकि इन्हीं पर जल की छोटी–छोटी बूंदें जमकर बादलों का निर्माण करती हैं। इनके अभाव में संघनन संभव नहीं है।

वायुमंडल की संरचना

हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले वायुमंडल को ऊँचाई की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर पाँच परतों में विभाजित किया जाता है। यह पृथ्वी की सतह से प्रारम्भ होकर हजारों किलोमीटर की ऊँचाई तक माना जाता है। आइए वायुमंडल की सरंचना को एक चित्र की सहायता से समझते हैं।

क्षोममंडल

यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। सभी मौसमी घटनाएँ (वर्षा, कोहरा, आंधी–तुफान, तड़ित चालन, ओला वृष्टि, पाला आदि) इसी परत में घटित होती हैं। इस परत की औसत ऊँचाई 13 किलोमीटर है। ऑक्सीजन का अधिकांश भाग इसी परत में पाया जाता है, जो वनस्पति सहित सभी जीवों की श्वसन क्रिया के लिए उपयोगी है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोम सीमा कहा जाता है, जहाँ किसी भी प्रकार की मौसमी घटना घटित नही होती है। इसलिए इसे 'शांतमंडल' भी कहा जाता है।

समतापमंडल

क्षोम सीमा के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर की ऊँचाई तक समतापमंडल स्थित है। इसमें मौसमी घटनाएँ घटित नहीं होती है। इसीलिए वायुयान इसी परत में उडते हैं। ओजोन गैस समतापमंडल में ही पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों (ultra violet rays) का अवशोषण कर धरातल तक नहीं आने देती है। इस प्रकार इन हानिकारक किरणों से ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। समतापमंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहा जाता हैं।

वायुमंडल की संरचना

मध्यमंडल

समताप सीमा के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल नामक तीसरी परत स्थित है। अन्तरिक्ष से आने वाले उल्का पिण्ड इस परत में जल जाते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहा जाता है।

आयनमंडल

मध्यमंडल के बाद 80 से 400 किलोमीटर की ऊँचाई पर स्थित वायुमंडल की चौथी परत को आयनमंडल कहा जाता है। संचार की दृष्टि से यह परत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगें इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती हैं।

बहिर्मंडल

यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। यहाँ गैसें अत्यन्त विरल होती हैं जिसमें मुख्य रूप से हीलियम एवं हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। इस मंडल के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी है।

आओ करके देखें

1. वायुमंडल की परतों का नामांकित चित्र बनाइए।
2. नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

परत का नाम	ऊँचाई	प्रमुख विशेषताएँ
1.....	.....	.....
2.....	.....	.....
3.....	.....	.....
4.....	.....	.....
5.....	.....	.....

मौसम तथा जलवायु

किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। मौसम में कम समय में लगातार बदलाव होते रहते हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता हैं। जलवायु में भी परिवर्तन होता रहता है लेकिन यह इतना धीमी गति से होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से इसे अनुभव नहीं कर पाते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमें दीर्घकाल के बाद दिखाई देता है।

मौसम एवं जलवायु के तत्व

वायुमंडल के मुख्य तत्व तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, पवनें आदि हैं। वायुमंडल के ये सभी तत्व हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। इनके बिना मानव, जीव–जन्तु और पेड़–पौधों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है।

तापमान

तापमान का अर्थ है–वायु कितनी गरम है। हम हमेशा इसे अनुभव करते हैं। हमें कभी गर्मी लगती है तो कभी सर्दी लगती है। यह वायु के तापमान के कारण ही होता है, जिसे हमारी चमड़ी महसूस करती है। दिन–रात एवं ऋतुओं के अनुसार वायु के तापमान में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। रात की अपेक्षा दिन में, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में, गाँवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक होता है। सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर होता है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से जैसे–जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान लगातार कम होता जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी एवं ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है। इसीलिए ध्रुवों पर बर्फ होती है। सूर्य से दिन में पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है जिसका रात में दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण हो जाता है। इससे पृथ्वी पर ताप संतुलन बना हुआ है। तापमान को मापने की इकाई सेंटीग्रेड अथवा फारेन्हाइट है। जबकि तापमान मापने के यंत्र को तापमापी अथवा थर्मामीटर कहते हैं।

क्या आप जानते हैं?

धरातल से क्षोममण्डल में ऊपर की ओर जाने पर औसतन प्रति 165 मीटर की ऊँचाई पर 1° सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है।

आओ करके देखें –

अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य की निगरानी में एक प्रयोग कीजिए। लोहे की एक छड़ लीजिए और उसके एक छोर को मोटे कपड़े से पकड़िए, दूसरे छोर को आग पर तब तक गर्म कीजिए जब तक लाल न हो जाये। आप देखेंगे कि शुरू में छड़ गर्म होने के बावजूद प्रकाश विकिरित नहीं कर रही है। अधिक गर्म होते ही छड़ से लाल रोशनी विकिरित होने लगती है। अर्थात् अधिक गर्म वस्तु प्रकाश के रूप में अपना ताप विकिरित करती है। सूर्य भी ठीक इसी तरह कार्य करता है। वह अधिक गर्म होने के कारण प्रकाश के रूप में अपना ताप विकिरित करता है जो पृथ्वी तक पहुँचता है।

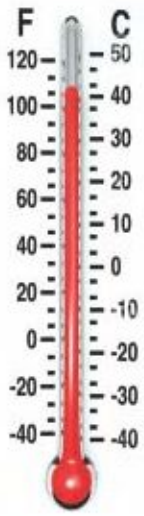

साधारण तापमापी

वायुदाब

यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है, क्योंकि वायु हमारे ऊपर सभी दिशाओं से दबाव डालती है, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर ऊपरी वायुमंडल की परतों में स्थित वायु का जो भार पड़ता है उसे वायुदाब कहा जाता है। धरातल पर एक वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग एक किलोग्राम भार पड़ता है। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है तथा

वायुदाबमापी

वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से कम होता जाता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है जिससे वहाँ निम्न वायुदाब बन जाता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। ठंडी वायु भारी होने के कारण धरातल के पास ही बनी रहती है जिससे वहाँ उच्च वायुदाब बन जाता है। हवाएँ हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार है जबकि वायुदाब मापने के यंत्र को वायुदाबमापी या बेरोमीटर कहते हैं।

वायु दिग्सूचक

एनीमोमीटर

क्या आप जानते हैं?

वायु की दिशा बताने वाले यंत्र को वायु दिग्सूचक यंत्र तथा गति बताने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं। जिस दिशा से पवन आती है उसे उसी नाम से जाना जाता है, जैसे पूर्व से आने वाली पवनों को पूर्वी एवं पश्चिम से आने वाली पवनों को पश्चिमी पवनें कहा जाता है। पर्वतों से आने वाली पवन पर्वत समीर और घाटी से आने वाली घाटी समीर कहलाती है।

पवन

आप पवन को प्रतिदिन महसूस करते हैं। आपने सुखते कपड़ों को अपने आप हिलते हुए देखा होगा। यह पवन के कारण ही होता है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। इसका प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है जब यह सड़क पर पड़ी पत्तियों को उड़ाती है तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। सोचिए! तेज पवन में हमें कौन–कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मुख्य रूप से पवन तीन प्रकार की होती हैं–

1. स्थायी पवनें

ये तीन प्रकार की होती हैं–व्यापारिक, पछुआ एवं ध्रुवीय पवनें। ये वर्षभर लगातार एक ही निश्चित दिशा में चलती है, इसलिए इन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। वायुदाब की पेटियाँ एवं स्थायी पवनों के रेखाचित्र में इनकी दिशा एवं क्षेत्र को देखा जा सकता है।

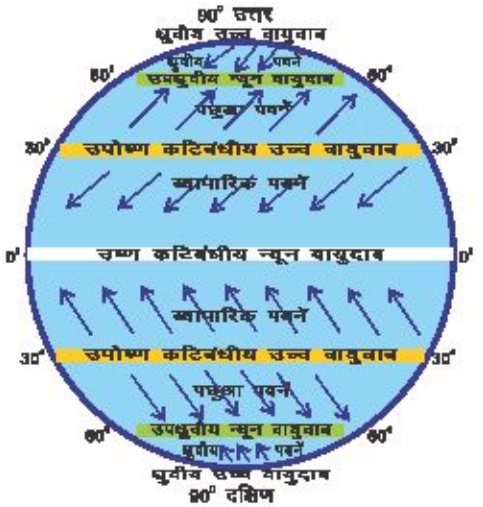

वायुदाब की पेटियाँ एवं स्थायी पवनें

2. सामयिक / मौसमी पवनें

ये पवनें विभिन्न ऋतुओं / मौसम में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है। तटीय प्रदेशों में रात्रि में चलने वाली स्थल समीर तथा दिन में चलने वाली समुद्री समीर इसके अच्छे उदाहरण हैं।

जल समीर

स्थल समीर

3. स्थानीय पवनें

ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। जैसे राजस्थान में गर्मी की ऋतु में चलने वाली गर्म पवन जिसे 'लू' कहा जाता है। चिनुक (रॉकी पर्वत), फोहन एवं मिस्ट्रल (यूरोप) आदि विश्व में अन्य स्थानीय पवनें हैं। आपके क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवनों को आपने भी महसूस किया होगा? उन्हें किस नाम से जाना जाता है?

क्या आप जानते हैं?

आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिह्न छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है।

आर्द्रता

यदि किसी कारणवश जल भाप में बदलकर वायुमंडल में मिल जाता है तो वायुमंडल में मौजुद इस भाप रूपी जल को आर्द्रता कहा जाता है। इसे वायुमंडल में नमी या जलवाष्प भी कहा जाता है। जैसे–जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। वर्षा ऋतु में वायु में आर्द्रता अधिक होने के कारण ही कपड़े देरी से सूखते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठती है, तो यह ठंडी होना शुरू हो जाती है। जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें बड़ी हो जाती हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे खींचता है, तब ये वर्षा के रूप में धरातल पर गिर जाती है।

वर्षा

वर्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो प्रतिवर्ष समुद्रों के खारे जल को मीठे जल में बदलकर हम तक

संवहनीय वर्षा

पर्वतीय वर्षा

चक्रवातीय वर्षा

पहुँचाता है। पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में गिरना वर्षा कहलाता है। अधिकतर भूमिगत जल भी वर्षा से ही प्राप्त होता है। पौधों तथा जीव–जन्तुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्राप्त होता है। वर्षा कम हाने पर जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। अधिक वर्षा होने पर मैदानी भागों में पानी भर जाता है तो उस स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। वर्षा तीन प्रकार की होती है–संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा तथा चक्रवातीय वर्षा।

विश्व में वर्षा का वितरण

विश्व में सभी स्थानों पर वर्षा एक समान नहीं होती है, क्योंकि वर्षा का वितरण कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है जैसे–पर्वतों की दिशा, समुद्र से दूरी, धरातल का स्वरूप, पवन आदि। विषुवत् रेखीय क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र मुख्य रूप से उष्ण–शीतोष्ण कटिबंध के तटीय क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 100–200 सेंटीमीटर रहती है। जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य भाग तथा शीतोष्ण प्रदेशों के पूर्वी भाग में कम वर्षा होती है जिनकी मात्रा 25–100 सेंटीमीटर रहती है। विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहाँ वर्षा न के बराबर होती है। ये निम्न वर्षा के क्षेत्र गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में भी वर्षा कम ही होती है जो हिमपात के रूप में होती है।

क्या आप जानते हैं?

विश्व की औसत वार्षिक वर्षा 117 सेंटीमीटर है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक तापमान एवं आर्द्रता के कारण प्रतिदिन सायंकाल में संवहनीय वर्षा होती है।

विश्व में वर्षा का वितरण

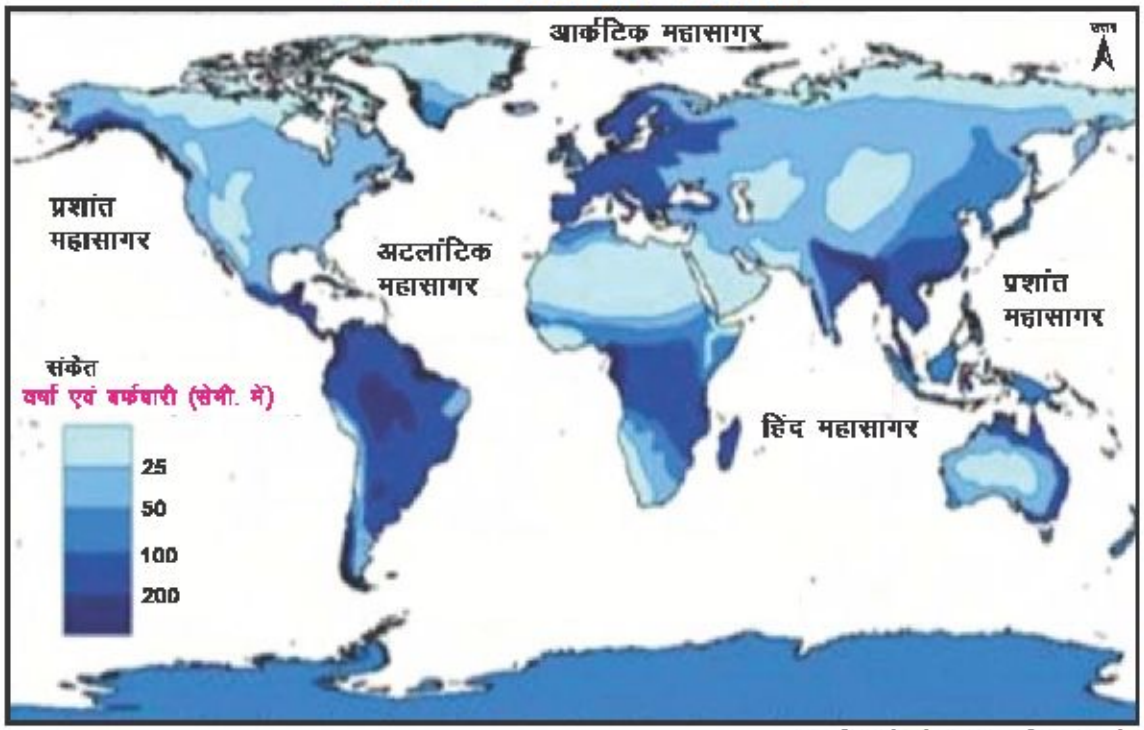

मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है।

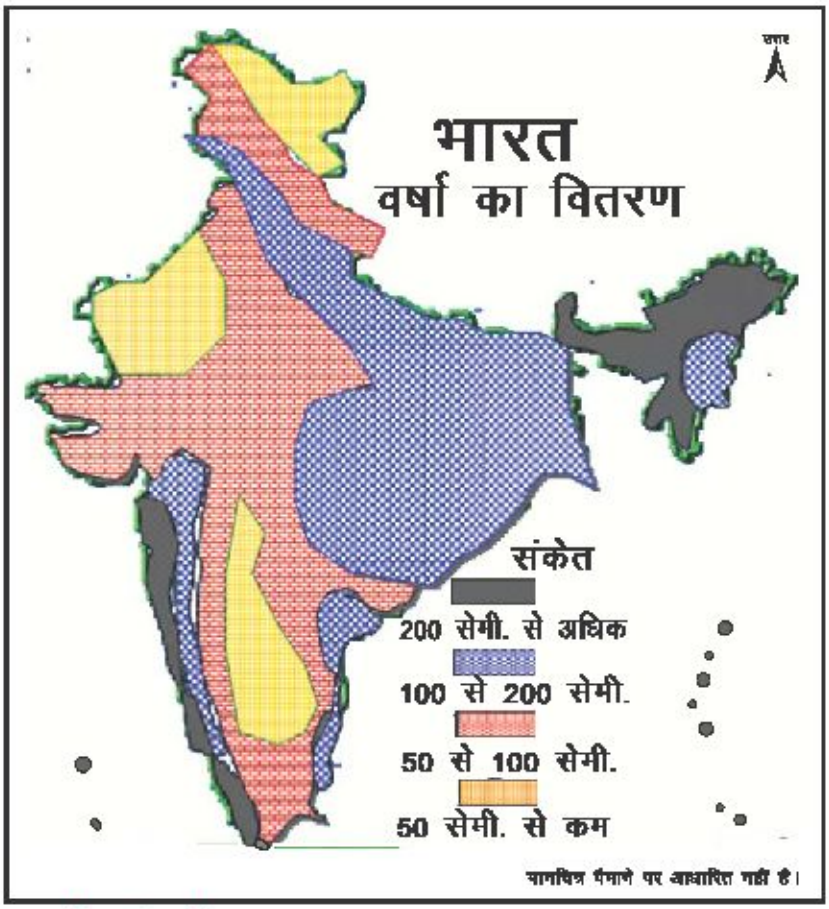

आओ करके देखें

भारत के वर्षा वितरण को देखिए और उन क्षेत्रों की पहचानकर सूची बनाइए जहाँ 200 सेमी. से अधिक एवं 50 सेमी. से कम वर्षा होती है।

क्या आप जानते हैं?

विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान भारत के मेघालय राज्य की खासी पहाड़ियों में स्थित मासिनराम एवं चेरापूंजी हैं।

समुद्रों व जंगलों का जलवायु पर प्रभाव

जल क्षेत्र का अपने निकटवर्ती क्षेत्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समुद्रों के तटवर्ती क्षेत्र की जलवायु वर्ष भर सम बनी रहती है, अर्थात् न तो शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ती है और न ही ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है। समुद्रों से अधिक वाष्पीकरण होता है जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। जिस प्रकार समुद्रों के जल का वाष्पीकरण होता है उसी प्रकार पेड़–पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है, इसीलिए जहाँ पेड़–पौधे अधिक होते हैं, वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। साथ ही अधिक वनस्पति वाले क्षेत्रों की जलवायु भी सम बनी रहती है। इसके विपरीत जहाँ वनस्पति कम होती है वहाँ की जलवायु उष्ण एवं शुष्क होती है।

चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात

सामान्य रूप में चक्रवात निम्न दाब के केन्द्र होते हैं, जिनके चारों तरफ उच्च वायुदाब होता है, अर्थात् केन्द्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है जिससे हवाएँ परिधि से केन्द्र की ओर चलती हैं। सामान्यतः चक्रवात समुद्र पर विकसित होते हैं और तटीय भागों पर वर्षा करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं– उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एवं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात धीमी गति से चलते हैं इसलिए इनसे जानमाल का नुकसान कम होता है लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत तीव्र गति से चलते हैं जिनसे विश्व के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष भारी मात्रा में नुकसान होता है।

क्या आप जानते हैं–

उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में 'हरिकेन', कैरिबियन सागर व मेक्सिको में 'टोरनेडो', चीन व जापान में 'टायफून', ऑस्ट्रेलिया में 'विलीविलीज' तथा बंगाल की खाड़ी में 'चक्रवात' कहते हैं।

बंगाल की खाड़ी में उठा एक चक्रवात

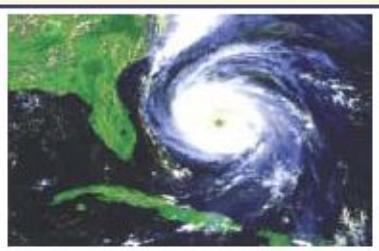

अटलांटिक महासागर में हरीकेन

टोरनेडो का दृश्य

प्रतिचक्रवात

हवाओं के द्वारा निर्मित वृत्ताकार, अण्डाकार आदि लहरनुमा आकार जिसके मध्य में उच्च वायुदाब तथा परिधि की ओर न्यून वायुदाब होता है, प्रतिचक्रवात कहलाता है। प्रतिचक्रवात में हवाएँ केन्द्र से बाहर की ओर चक्राकार वलय में चलती है जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्द्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप (Clock Wise) तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में घड़ी की सुई के विपरीत (Anti clock Wise) होती है। प्रतिचक्रवात में हवाओं के केंद्र से चारों ओर अपसारी होने के कारण प्रायः मौसम साफ रहता है तथा वर्षा नहीं होती है। प्रतिचक्रवात मध्य अक्षांशों में पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्रवातों के पीछे–पीछे चलते हैं।

आओ करके देखें

1. स्थानीय समाचार पत्र से एक सप्ताह के तापमान के आंकड़ों को एकत्रित कर उनमें आने वाले बदलाव का अध्ययन कीजिए। पता लगाइए कि तापमान में लगातार बदलाव क्यों होता है?
2. अपने शिक्षक एवं परिवार के बड़े सदस्यों से पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा किस ऋतु में होती है और वह ऋतु किन महीनों में आती है?

शब्दावली (Glossary)

भूमंडलीय तपन –पृथ्वी के तापमान में वृद्धि।

आर्द्रता –वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा।

वायुदाब –पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल की सभी परतों में स्थित वायु का दबाव।

प्रकीर्णन –धूलकणों से टकराकर सूर्य की किरणों का बिखरना।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

   (i) उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है?

   (क) हरिकेन (ख) टोरनेडो

   (ग) टाइफुन (घ) विली विलीज ( )

   (ii) वायुयान किस परत में उडते हैं?

   (क) समतापमंडल (ख) क्षोममंडल

   (ग) आयनमंडल (घ) बर्हिमंडल ( )

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

   (i) वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा .....गैस की है।

   (ii) पवन की गति मापने का यंत्र.....मीटर कहलाता है।

   (iii) वायुमंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन.....मंडल से होता है।

   (iv) ग्रीष्मकाल में चलने वाली गर्म पवनों को राजस्थान में .....कहा जाता है।

3. मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है?
4. वर्षा कितने प्रकार की होती हैं? नाम बताइए।
5. पवन का अर्थ बताते हुए इसके प्रकार को समझाइए।
6. चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
7. वायुमंडल के संगठन को समझाइए।
8. वायुमंडल की परतों का चित्र बनाकर उनकी मुख्य विशेषताएँ बताइए।

अध्याय 3

जल

भारतीय संस्कृति में जल का महत्त्व

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। उक्त पंक्ति में रहीम जी द्वारा हमारे किस अमूल्य संसाधन की महत्ता बताई गई है? जल का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? जीवन का मुख्य आधार जल है। मानव, जन्तु एवं वनस्पति जगत सभी जल पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी ग्रह पर जल की उपलब्धता के कारण ही जीवन संभव है। अतः जल ही जीवन हैं। मानव सभ्यता के सभी पहलुओं को छूने वाला एक मात्र तथ्य जल ही है। समाज में कृषि विकास से लेकर औद्योगिक विकास तक जल का महत्वपूर्ण योगदान है।

भारतीय संस्कृति में जल को देवता माना गया है। यदि जीव मंडल से जल को अलग कर दिया जाए तो जीवमण्डल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 'जल ही जीवन है।' जल है तो वनस्पति है, जल है तो वन्य–जीव हैं। जल है तो समुद्र, नदियाँ, झरनें ,तालाब, कुएँ और वायुमण्डल हैं।

क्या आपने कभी किसी को हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा करते हुए देखा है? क्या आपने किसी को प्रातः सूर्य, तुलसी, पीपल आदि पर जल चढ़ाते हुए देखा है? पता लगाइए हम ऐसा क्यों करते हैं? जल हमारे जीवन का आधार है इसलिए जल को प्रदूषित करना पाप समझा जाता है। पीने, नहाने–धोने, सिंचाई, औद्योगिक विकास और पृथ्वी पर तापमान के सन्तुलन को बनाए रखने आदि में जल की आवश्यकता होती है। वायु के बाद मानव के लिए जल ही महत्त्वपूर्ण संसाधन है। अतः जीव–जगत के लिए जल का संरक्षण करते हुए इसे प्रदूषित होने से बचाना हमारे लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि जल का कोई विकल्प नहीं है।

विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ जो जल के किनारे विकसित हुई

आओ करके देखें–

विश्व के प्राचीन सभ्यताओं के मानचित्र को देखकर प्रमुख सभ्यताओं की महाद्वीपों के अनुसार सूची बनाइए।

1. एशिया..... 2. अफ्रीका .....
3. उत्तरी अमेरिका ..... 4. दक्षिणी अमेरिका .....

मानचित्र अध्ययन से हम यह जान गए हैं कि विश्व की प्रमुख सभ्यताओं का विकास जल स्त्रोतों के निकट हुआ है। इन सभ्यताओं ने जल स्त्रोतों से ना केवल पेयजल ही प्राप्त किया है, वरन् कृषि व्यापार, परिवहन और सुरक्षा आदि सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त किया है। विश्व के प्रमुख नगरों एवं कस्बों का विकास नदियों, झीलों एवं सागरों के तटों पर हुआ है। जल हमारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक महत्त्व का केन्द्र रहा है।

क्या आप जानते हैं?

राजस्थान के 'नदी तट पर बसे' कुछ शहर एवं नदी

	शहर	नदी
1.	कोटा	चम्बल
2.	टोंक	बनास
3.	उदयपुर	आयड़

इनके अतिरिक्त आप अपने शिक्षक की सहायता से अपने आस–पास नदियों पर स्थित शहरों अथवा गाँवों के नामों की सूची बनाइए।

नदी के किनारे स्थित नगर			महासागर तट पर स्थित नगर			झील के किनारे स्थित नगर		
नगर	नदी	देश	नगर	महासागर	देश	नगर	झील	देश
दिल्ली	यमुना	भारत	मुंबई	हिन्द	भारत	श्रीनगर	डल	भारत
इलाहाबाद	गंगा–यमुना के संगम पर	भारत	चैन्नई	हिन्द	भारत	पुष्कर	पुष्कर	भारत
लंदन	थेम्स	इंग्लैंड	न्यूयॉर्क	अटलांटिक	यू.एस.ए.	शिकागो	मिशीगन	यू.एस.ए.
रोम	टाइबर	इटली	बीजींग	प्रशान्त	चीन	डुलुथ	सूपीरियर	यू.एस.ए.
पेरिस	सीन	फ्रांस	सिंगापुर	प्रशान्त	सिंगापुर	बफैलो	इरी	यू.एस.ए.

विभिन्न जल स्त्रोतों के निकट बसे विश्व के कुछ प्रमुख नगर

आओ करके देखें–

1. विश्व मानचित्र का अध्ययन कर विश्व में नदियों, झीलों एवं सागरों के तट पर स्थित अन्य नगरों की सूची बनाइए। इस कार्य हेतु आप अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं।
2. पता लगाइए कि आपका गाँव/शहर किस जल स्रोत के निकट स्थित है। अपने गाँव/शहर के आस–पास के अन्य जल स्रोतों की सूची बनाइए।

जल चक्र

हमारे आस–पास नदियाँ, झीलें, तालाब, सागर, भूमिगत जल आदि प्रमुख जल स्रोत हैं। इन्हें जल वर्षा (Rainfall) से प्राप्त होता है। तापमान एवं पवन के कारण इन जल स्त्रोतों से वाष्पीकरण (Evaporation) और वनस्पति से वाष्पोर्त्सजन (Transpiration) होता है। पवन को सागरों से जल वाष्प प्राप्त होती है, जिसे हम आर्द्रता कहते हैं। वाष्प के ऊपर उठने पर तापमान में कमी आती है जिससे वाष्प पुनः छोटी–छोटी जल बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। इन्हीं जल बूंदों के संघनन (Condansation) से बादल बनते हैं, जिन्हें पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। बादलों से वर्षा होती है और वर्षा का जल नदियों के माध्यम से पुनः सागरों में मिल जाता है। इस प्रकार जल स्रोतों से वाष्पीकृत होकर जल विभिन्न स्वरूपों में बदलता हुआ पुनः जल स्रोतों में ही आकर मिल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को "जल चक्र" (Water Cycle) कहा जाता है। हमनें पिछले अध्याय में पढ़ा है कि विश्व में वर्षा का वितरण

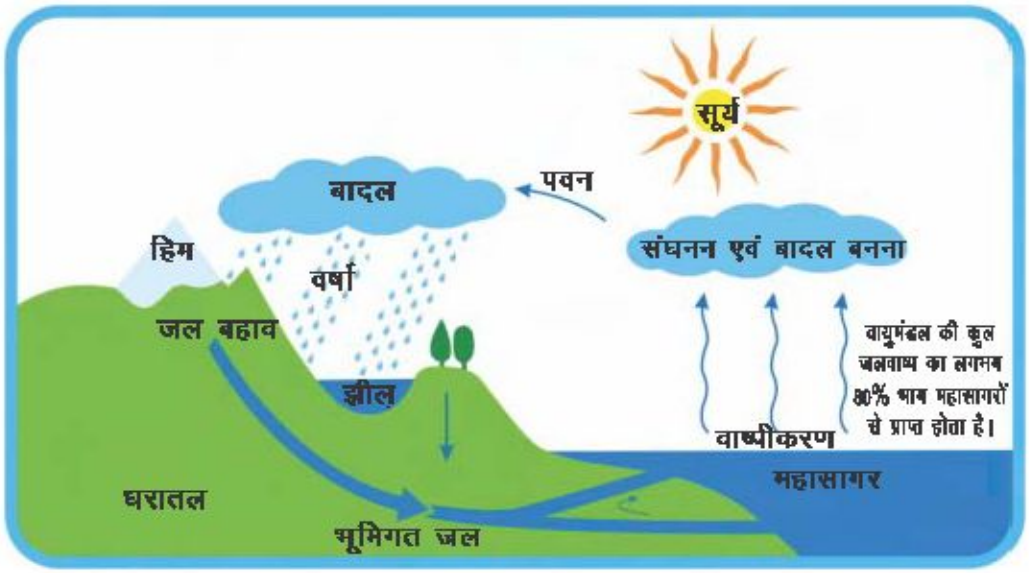

जल चक्र

असमान है। विश्व के किन भागों में अधिक व किन भागों में कम वर्षा होती है? विश्व के विभिन्न प्रदेशों के जल स्त्रोत वर्षा के वितरण से प्रभावित होते हैं। भारत के मेघालय राज्य में स्थित मासिनराम व चेरापुंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है जबकि थार के मरुस्थल में भारत की सबसे कम वर्षा होती है। वर्षा का यह वितरण भौगोलिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है।

खारा एवं मीठा जल

पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का लगभग 2.5 प्रतिशत जल पीने योग्य है जिसे मीठा या स्वच्छ जल कहते हैं। लेकिन इसका भी अधिकांश भाग ध्रुवों एवं ऊँचें पर्वतों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। स्थल पर मीठे जल के प्रमुख स्त्रोत नदियाँ, झीलें, बाँध, तालाब, कुएँ, एनिकट, भूमिगत जल आदि हैं। महासागरों का जल खारा होता है क्योंकि इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। स्थल पर भी कुछ झीलों का जल खारा होता है, जैसे तुर्की की वॉन झील (विश्व की सबसे खारी झील), जॉर्डन एवं इजराइल के मध्य स्थित मृत सागर, राजस्थान की सांभर झील आदि। खारे जल को कठोर जल भी कहा जाता है। जल का खारापन उसमें मिले सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक का आविष्कार कर लिया है जिससे महासागरों

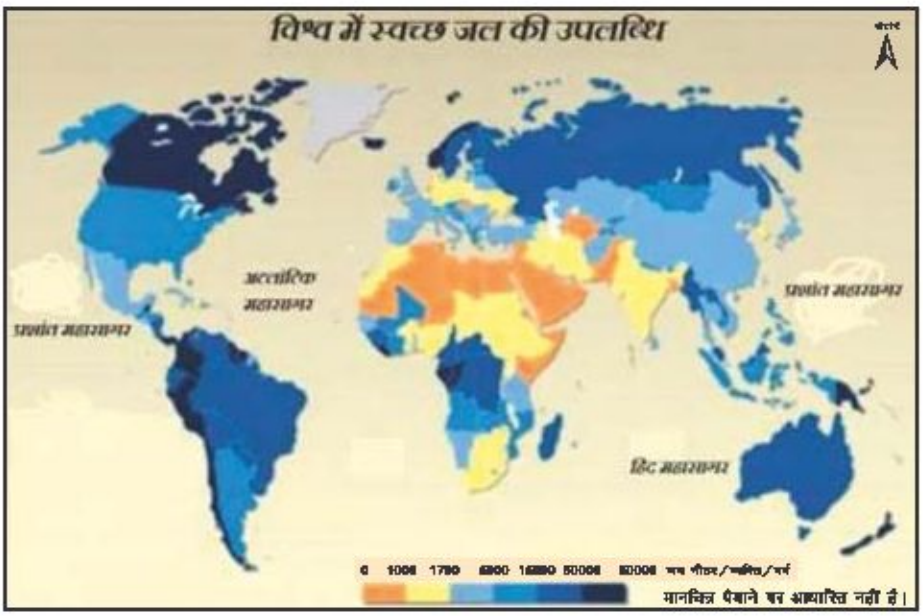

के खारे जल को मीठे जल में बदला जा सकता है। मानचित्र से स्पष्ट है कि अधिक जनसंख्या तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति स्वच्छ जल की उपलब्धि कम है। जैसे भारत, सहारा मरुस्थल। ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस आदि में जनसंख्या की तुलना में जल का अनुपात अधिक है।

आओ करके देखें

1. पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? उनके नाम लिखिए।
2. मानचित्र को देखकर सभी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति स्वच्छ जल की उपलब्धि की स्थिति का पता लगाइए।

प्रत्येक जीव के लिये पेयजल की आवश्यकता होती है और पीने योग्य जल अलग–अलग स्त्रोतों से प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक प्रदेश में जल के वितरण की असमानता के साथ ही जल की गुणवत्ता भी अलग–अलग होती है। कहीं जल पीने योग्य है तो कहीं खारा जल पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में

फ्लोराइड युक्त जल भी पाया जाता है जैसे राजस्थान के शेखावाटी एवं दक्षिणी राजस्थान में। इस जल को पेयजल के रूप में उपयोग करने पर लोगों को हड्डियों सबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश शहरों, कस्बों एवं गाँवों मे जल वितरण पाइप लाइनों और नल से किया जाता है। जबकि छोटे गाँवों एवं ढाणियों में जल अधिक दूरी से कुओं एवं बावड़ियों से लाया जाता है।

भूमिगत जल

आपने देखा होगा कि हम हेण्डपंप, नलकूप, कुओं आदि से जल बाहर निकालते हैं। जरा सोचिए कि यह जल भूमि में कहा से आता है? वर्षा जल जब भूमि के अन्दर प्रवेश कर नीचे की कठोर चट्टानों के ऊपर एकत्रित हो जाता है तो उसे भूमिगत जल कहते हैं। यही भूमिगत जल कुओं और नलकुपों में एकत्रित होता है जिसे हम मशीनों द्वारा पुनः धरातल पर लाकर सिंचाई एवं दैनिक उपयोग में लाते हैं।

विश्व के विभिन्न हिस्सों में भूमिगत जल की गहराई भिन्न–भिन्न है। मरूस्थली क्षेत्रों में भूमिगत जल अधिक गहराई में पाया जाता है जबकि मैदानी एवं समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में भूमिगत जल कम गहराई में पाया जाता है। भूमिगत जल स्तर में ऋतुओं के अनुसार भी परिवर्तन आता है। वर्षा ऋतु में भूमिगत जल कम गहराई पर एवं ग्रीष्म ऋतु में अधिक गहराई पर पाया जाता है। वर्तमान में विश्व में भूमिगत जल में लगातार कमी आ रही है जिसका कारण वर्षा का कम होना, अधिक सिंचाई, उद्योगों में जल की बढ़ती मांग एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण जल का अत्यधिक दोहन है। इस कारण भूमिगत जल का स्तर तेजी से घटता जा रहा है। भूमिगत जल में कमी होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जरा सोचिए।

आओ करके देखें

1. आपके विद्यालय तथा घर में उपयोग में लिए जाने वाले जल स्त्रोत का पता लगाइए।
2. क्षेत्र में भूमिगत जल को धरातल पर लाने के आधुनिक एवं परम्परागत साधनों/उपकरणों की सूची बनाइए।

जल प्रदूषण

प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध जल में यदि कुछ अवांछित तत्व मिल जाते हैं तो वह जल पीने एवं मानवीय उपयोग के लिये अनुपयुक्त हो जाता है। इसे 'जल प्रदूषण' कहते हैं। प्रकृति प्रदत्त जल मानवीय गतिविधियों के कारण प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषित जल द्वारा अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो स्थलीय एवं जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जल में उपलब्ध घुलनशील ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जल प्रदूषण भी जल संकट का कारण है।

जल प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव

शुद्ध जल अनेक कारणों से प्रदूषित होता है। उनमें प्रमुख कारण कल–कारखानों एवं उद्योगों से निकले ठोस अपशिष्ट पदार्थों तथा रासायनिक तत्वों को जल में डालना, घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जल में डालना, कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग, जलाशयों पर कपड़े धोना एवं पशुओं को नहलाना, खुले में शौच, महासागरों में जहाजों से तेल रिसाव आदि हैं। प्रदूषित जल हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। प्रदूषित जल के पीने के कारण अनेक बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जल के

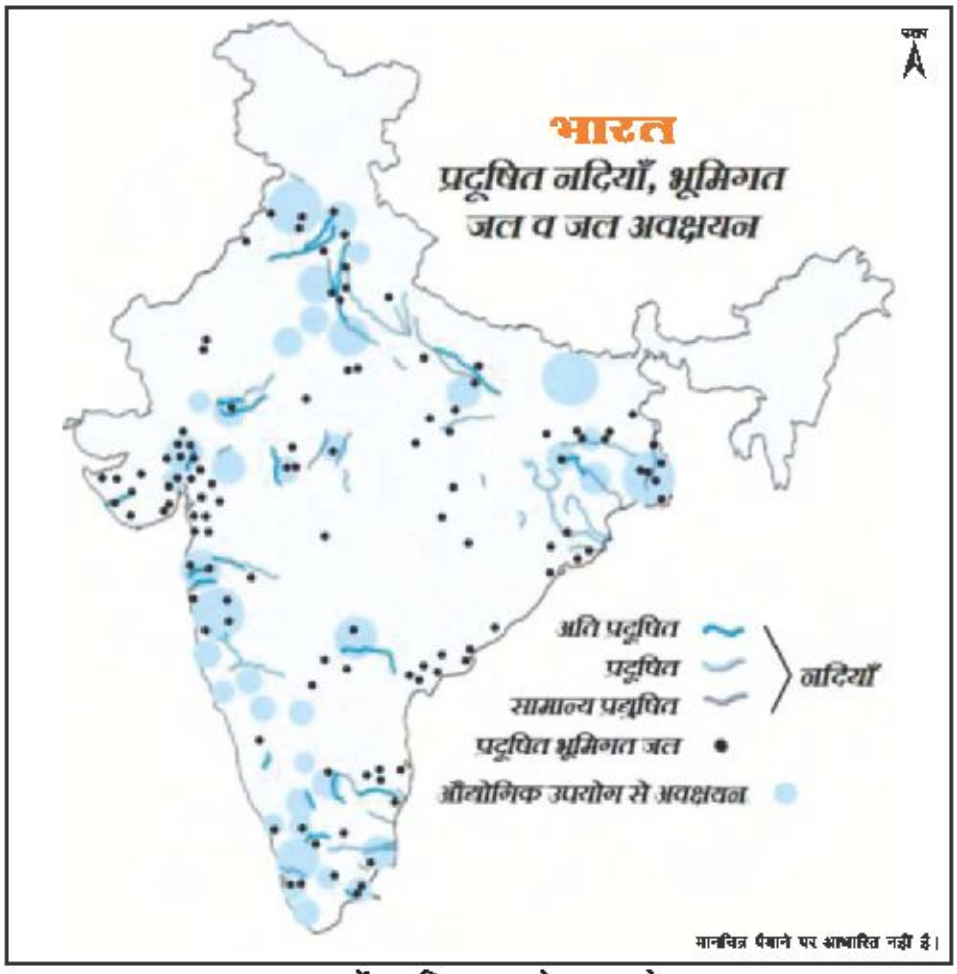

भारत में प्रदूषित जल के प्रमुख क्षेत्र

आओ करके देखें

दिए गए प्रदूषित नदियों के मानचित्र की मदद से भारत में प्रदूषित नदियों और भूमिगत जल संसाधनों की स्थिति की कक्षा में चर्चा कीजिए।

साथ घुले प्रदूषित तत्त्व फसलों एवं जलीय जीवों को भी हानि पहुँचाते हैं। वर्तमान स्थितियाँ विश्व में निकट भविष्य में भारी जल संकट की तरफ संकेत कर रही हैं। आज विश्व में हर 6 में से एक व्यक्ति स्वच्छ जल के लिए जूझ रहा है। सन् 2050 तक जब विश्व की आबादी 9 अरब होने का अनुमान है तब लगभग आधे से अधिक लोग भीषण जल संकट से जूझ रहे होंगे। एक अनुमान के अनुसार सन् 2020 तक दुनिया की आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी। लगातार बढ़ रही शहरी जनसंख्या तक जल पहुँचाना एक कठिन चुनौती होगी। बढ़ती आबादी, भू–जल का अत्यधिक दोहन, ग्लोबल वार्मिंग, वन विनाश, व्यापारिक कृषि, कम वर्षा, बढ़ता औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली आदि के कारण जल तेज गति से कम हो रहा है जबकि मांग तेजी से बढ़ रही है।

आओ करके देखें

आपके आसपास के क्षेत्र में प्रदूषित जलाशयों की पहचान कर उनके प्रदूषित होने के कारणों का पता लगाइए? प्रदूषित जल के उपयोग से जीवों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहें हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए।

जल प्रदूषण को रोकने के उपाय

जल प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? जल प्रदूषण को रोकने के प्रयास व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक दोनों स्तरों पर किए जा सकते हैं। जनता का जागरूक होना एक सशक्त उपाय है जो जल प्रदूषण को दूर कर सकता है। प्रत्येक नागरिक को जल प्रदूषण नहीं करने एवं उसे रोकने का हर संभव प्रयास करने के प्रति जागरूक होना चाहिए। सार्वजनिक जलाशयों में स्नान, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना आदि नहीं करना चाहिए। रासायनिक खाद के प्रयोग को कम करना चाहिए।

प्रशासनिक स्तर पर भी जल संरक्षण के उपाय किये जा सकते हैं। नगरों के सीवरेज के जल को जलाशयों में मिलने से पहले ही साफ करके पुनः उपयोग योग्य बना दिया जाए। ठोस शहरी कचरे का निस्तारण जल स्रोत में न करके अन्यत्र बंजर एवं अनुपयोगी भूमि पर किया जाए। जल प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों एवं नागरिकों के प्रति सख्त कानून बनाना चाहिए। इस संदर्भ में भारत में जल प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण कानून, 1974 तथा पर्यावरण संरक्षण कानून, 1986 आदि कानून बनाए गये हैं। इनका सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। टी.वी., रेडियो, समाचार–पत्रों के माध्यम से जल प्रदूषण और संरक्षण के प्रति जन चेतना जागृत करना भी आवश्यक है। यदि जल प्रदूषण को नहीं रोका गया तो भविष्य में भारी जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः जल स्त्रोतों में फैलते प्रदूषण में मानवीय योगदान पर नियन्त्रण आवश्यक है। भारत में गंगा एवं यमुना नदियाँ सबसे प्रदुषित मानी जाती हैं। गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा 'गंगा एक्शन प्लान' एवं 'नमामि गंगे' नामक कार्य योजनाएँ चलाई जा रही है।

जल संरक्षण

संरक्षण का अर्थ है जल का उचित उपयोग एवं भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। अतः जल के दुरूपयोग को रोक कर स्वच्छ जल को लंबे समय तक बचा कर रखना जल संरक्षण कहलाता है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगीकरण, सिंचाई, कृषि विकास आदि के कारण जल का उपयोग दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के अधिकांश देश प्रदूषित जल एवं जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं जिसका प्रमुख कारण जल के उपयोग में वृद्धि एवं संरक्षण का अभाव है।

जल संसाधनों की कमी का एक प्रमुख कारण वन विनाश भी है। जनसंख्या वृद्धि और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ा है। अतः अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रकृति से जिस मौसम में जहाँ जितना जल मिले, हम उस को जब तक हर पल सही ढ़ंग से सहेजना शुरू नहीं करेंगे, हमारी समस्याएँ बढ़ती ही रहेगी। जल संरक्षण से

सामाजिक–आर्थिक विकास तेज गति से होता है। बुरे वक्त के लिए जैसे हम धन बचाते हैं वैसे ही जल को भी बचाना होगा।

आओ करके देखें

जल संरक्षण के लिए राजस्थान, भारत एवं विश्व में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी पत्र–पत्रिकाओं अथवा इंटरनेट के माध्यम से एकत्र कीजिए।

परम्परागत जल संरक्षण विधि

प्राचीनकाल से ही जल की कमी की समस्याओं से बचने के लिये राज्य और सार्वजनिक सहयोग से झीलें, तालाब, कुएँ, बावड़ियाँ आदि का निर्माण किया गया है। राजस्थान में राजा–महाराजाओं का प्राचीन काल में जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय–समय पर विभिन्न झीलों का निर्माण करवाना, उनकी मरम्मत करवाना, नदी के मार्ग को मोड़कर तथा झीलों को आपस में जोड़कर जल संरक्षण करना इसका उदाहरण है।

आओ करके देखें

1. आप अपने गाँव / शहर में अथवा आस–पास के ऐसे जल स्रोतों की एक सूची बनाइए जो प्राचीन समय में उपयोगी रहे हैं।
2. क्या आपके जिले में प्राचीन काल में किसी जल स्रोत का निर्माण किया गया है? यदि हाँ, तो उसके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए?

परम्परागत जल स्रोतों की उपयोगिता एवं उन पर संकट

परम्परागत जल स्रोत पारिस्थितिकी और संस्कृति की अनुरूपता के आधार पर बने हैं। जैसे कुएँ, बावड़ियाँ, नाड़ी, तालाब, झीलें आदि। इनका निर्माण जल संरक्षण, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने, सिंचाई एवं जनता की जलपूर्ति के लिए किया जाता था। लेकिन वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण इन पर संकट मंडरा रहा है। कहीं व्यक्तियों ने इन पर कब्जा कर लिया तो कुछ रखरखाव के अभाव में जर्जर हो गए हैं। आज यह स्रोत जल संकट के निराकरण का एक आधार बन सकते थे। अतः परम्परागत जल प्रबंधन प्रणालियाँ हमारी विरासत का अभिन्न अंग है। जनसंख्या में वृद्धि एवं जल में हो रही निरन्तर कमी के संदर्भ में परम्परागत जल संरक्षण की विधियाँ अधिक प्रबल एवं कारगर हैं।

आधुनिक जल संरक्षण विधियाँ

प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक समाज में बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण के लिए अनेक विधियाँ अपनाई जा रही हैं, जैसे बाँध एवं नहर निर्माण, एनिकट निर्माण, बूंद–बूंद एवं फव्वारा सिचांई प्रणाली, दूषित जल को साफ करके पुनः उपयोग में लेना, जन जागरूकता फैलाना आदि। 'रूफ टॉप जल संग्रहण विधि' कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी विधि है। इस विधि में वर्षा के जल को भवन की छत से एक पाइप द्वारा नीचे बनी जल की टंकी / हॉज में एकत्रित कर लिया जाता है। बाद में आवश्यकतानुसार उस जल का उपयोग किया जाता है।

राजसमंद के पिपलान्त्री गाँव के राजकीय विद्यालय में रूफ टॉप जल संग्रहण

क्या आप जानते हैं?

पश्चिमी राजस्थान के लोगों ने जल की बूंद–बूंद सहेजना मधुमक्खियों से सीखा है। यहाँ का एक लोक गीत भी है, 'मौमाख्याँ (मधुमक्खियाँ) फूलां स्यू रस रो एक–एक कण चुग र शहद रो ढ़ेर लगा सके है, तो के म्हे माणस बादला रै बरसतै रस नै नीं सहेज सकां।' अर्थात् मधुमक्खियाँ फूलों से रस का एक–एक कण इकट्ठा कर शहद का ढेर लगा सकती हैं, तो क्या हम इंसान बादलों से बरसते जल को भी नहीं सहेज सकते?

अभी की तस्वीर से स्पष्ट है कि भविष्य में स्वच्छ जल आम आदमी की पहुँच से दूर हो जाएगा। हमारे भविष्य को सुरक्षित रखना है तो हमें जल की हर बूँद को बचाना होगा। अतः साफ जल को 'भविष्य का सोना' या 'नीला सोना' (Gold of Future or Blue Gold) कहा जा सकता है। अर्थात् जल है तो कल है।

शब्दावली (Glossary)

सभ्यता	–	लोगों की स्थायी बसावट और उनकी संस्कृति।
वाष्पीकरण	–	किसी निश्चित तापमान पर जल का वाष्प के रूप में बदलना।
वाष्पोत्सर्जन	–	वनस्पति द्वारा जल का वाष्प रूप में छोड़ना।
आर्द्रता / नमी	–	वायुमंडल में वाष्प के रूप में जल की मात्रा।
संघनन	–	वायुमंडल में जलवाष्प का पुनः जल के विभिन्न रूप (ओस, तुषार, कुहरा, बादल आदि) में बदलना।
अपशिष्ट	–	व्यर्थ और बेकार पदार्थ।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

   (i) जल दिवस कब मनाया जाता है ?

   (क) 25 मार्च (ख) 22 मार्च (ग) 15 मार्च (घ) 10 मार्च ( )

   (ii) वॉन झील किस देश मे स्थित है–

   (क) अमेरिका (ख) ब्राजील (ग) इरान (घ) तुर्की ( )

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

   (i) प्रकृति प्रदत्त जल मानवीय गतिविधियों के कारण ..... हो जाता है।

   (ii) भारत के मेघालय राज्य में स्थित .....में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है।

   (iii) वर्षा का जल जब भूमि के अन्दर प्रवेश कर नीचे की कठोर चट्टानों के ऊपर एकत्रित हो जाता है तो उसे ..... कहते हैं।

   (iv) खारे जल को ..... जल भी कहा जाता है।

3. 'रूफ टॉप जल संरक्षण' किसे कहते हैं?

4. जल के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए।

5. विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएँ जल के किनारे क्यों विकसित हुईं?

6. भूमिगत जल के विवेकहीन उपयोग से हमें किन–किन समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है?

7. खारे व मीठे जल में क्या अंतर है?

8. जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण रोकने के उपाय बताइए।

अध्याय 4

भूमि

भूमि के संदर्भ में भारतीय अवधारणा

'जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी' भारतीय ग्रन्थों में मातृभूमि एवं माँ को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना गया है। भारतीय अवधारणा के अनुसार जो भी हमें देता है या जिसमें मानव जाति के कल्याण के गुण समाहित हैं, उसे देवता कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन भूमि को माता का स्थान प्राप्त है। अन्न, वस्त्र, आवास संबंधी हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति धरती माता से ही होती है। अतः धरती पर जन्म लेने वाले सभी जीवों का पालन–पोषण धरती माता ही करती है।

वर्तमान में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के बावजुद भी धरती माता सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। कृषि करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाइयों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि तो होती है, लेकिन कालान्तर में भूमि की गुणवत्ता में कमी होती जाती है। अतः रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाइयों का कम उपयोग एवं जैविक खाद का अधिकतम उपयोग, मृदा कटाव को रोकना, फसल चक्र एवं परती भूमि छोड़ना, दलहन फसलों का उत्पादन आदि के द्वारा मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। भूमि को वनों से आच्छादित रखते हुए भूमि का हर प्रकार से संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जाना चाहिए।

अनुपम अपनी छोटी बहन लक्ष्मी के साथ गेंद से खेल रहा था। उसने गेंद को जोर से दूर फैंका। लक्ष्मी गेंद के पीछे दौड़ी। अनुपम भी पीछे–पीछे भागा। गेंद शंभू काका के खेत में जाकर गिरी। खेत में सब्जियाँ उग रही थीं। शंभू काका नाराज हो गए। अनुपम, लक्ष्मी को लेकर पास की बंजर भूमि पर जा कर खेलने लगा। जमीन उबड़–खाबड़ थी, खेलने का मज़ा नहीं आ रहा था। अनुपम ने गेंद को फिर जोर से फेंका और दोनों गेंद के पीछे–पीछे भागे। गेंद पेड़ों के झुरमुट में जाकर गिरी। आगे जंगल था। दोनों गेंद ढूंढने लगे। गेंद तो मिल गई पर उन्हें जंगल में जानवरों का डर लगने लगा। वे वहाँ से भागे, आगे एक चरागाह था। वहाँ कांता काकी बकरियाँ चरा रही थी। गेंद इधर–उधर फेंकने से बकरियाँ डर कर बिखरने लगी। कांता काकी ने दोनों को वहाँ से भगा दिया। वे गाँव में आ कर खेलने लगे। गेंद कमली बुआ की छत पर चली गई। अब दोनों वहीं से भी भागे। कोई ठीक जगह नहीं मिल रही थी। दोनों गाँव के स्कूल में बने खेल मैदान में पहुँचे। रविवार छुट्टी का दिन था। यहाँ कोई मना करने वाला नहीं था। उन्हें अच्छा लगा। खूब खेले और खूब मजा आया। कहानी में आपने पढ़ा कि अनुपम खेलने के लिए अलग–अलग जगह गया। ये सभी भू–भाग ही हैं, पर सभी के अलग–अलग उपयोग हैं।

आओ करके देखें–

1. कहानी के आधार पर अनुपम और लक्ष्मी के गाँव की भूमि के छः उपयोग हो रहे हैं। बताओ क्या–क्या उपयोग हो रहे हैं?

   1..... 2..... 3.....

   4..... 5..... 6.....

2. आप जिस गाँव या शहर में रहते हैं, वहाँ भी भूमि के विभिन्न उपयोग देखे जा सकते हैं। अपने या किसी भी एक गाँव/शहर का भ्रमण कीजिए और वहाँ के भूमि उपयोग का अध्ययन कीजिए। मुख्य भूमि उपयोग की सूची बनाइए। कुछ भू–उपयोग अनुपम और लक्ष्मी के गाँव जैसे भी हो सकते हैं और कुछ अलग भी।

यदि आप गाँव में रहते हैं तो वहाँ भूमि का उपयोग अलग तरह का होगा। गाँव के अधिकांश भू–भाग का उपयोग कृषि, चारागाह और तालाब के रूप में होता है। जबकि नगर या शहर में आवासों, कार्यालय, उद्योग, परिवहन एवं बाग–बगीचों आदि में। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का उपयोग खनन, वन, पशुचारण आदि कार्यों में होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग–अलग जगह भूमि का उपयोग अलग–अलग तरह का होता है। भूमि उपयोग के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है–

1. **वन भूमि–** वह विस्तृत भू–भाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हो वन भूमि कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, आखेट निषिद्ध क्षेत्र आदि इसी में सम्मिलित है।
2. **कृषि भूमि–** वह भूमि जिस पर मानव द्वारा फसलें उगाई जाती हैं, उसे कृषि भूमि कहते हैं।
3. **बंजर भूमि–** बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य भूमि में नहीं बदला जा सकता है उसे बंजर भूमि कहते हैं। जैसे–ऊँचे पर्वत, पथरीली भूमि, दलदल आदि।
4. **कृषि योग्य व्यर्थ भूमि–** बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य क्षेत्र में बदला जा सकता है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है।
5. **चारागाह भूमि–** वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को चराया जाता है, उसे चारागाह भूमि कहा जाता है।
6. **उद्यान भूमि–** वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाये जाते हैं, उसे उद्यान भूमि कहते हैं।
7. **वर्तमान परती भूमि–** भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा एक या दो वर्षों के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को वर्तमान परती भूमि कहा जाता है।
8. **पुरानी परती भूमि–** यदि किसी भूमि पर पाँच वर्षों तक कृषि नहीं की जाती है तो उसे पुरानी परती भूमि कहते हैं।
9. **अन्य कार्यों में प्रयुक्त भूमि–** ऊपर वर्णित भूमि उपयोगों को छोड़ कर शेष सभी कार्यों में प्रयुक्त भूमि को इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे–मानव अधिवास, परिवहन, नहरें, उद्योग, दुकानें, खनन आदि में प्रयुक्त भूमि।

कृषि भूमि का हमारे लिए सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि एक अनुमान के अनुसार विश्व के लगभग 97 प्रतिशत लोगों के भोजन का आधार कृषि ही है। कृषि भी दो प्रकार से की जाती है। किसान अपने परिवार के पालन–पोषण के उद्देश्य से कृषि करता है तो उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में परम्परागत कृषि उपकरणों का उपयोग अधिक होता है। भारत एवं राजस्थान के अधिकांश किसान इसी प्रकार की कृषि करते हैं। किसान द्वारा व्यापार के उद्देश्य से की गयी कृषि को व्यापारिक कृषि कहा जाता है। अमेरिका एवं कनाडा जैसे देशों में किसान इसी प्रकार की कृषि करते हैं। यहाँ खेतों का आकार बड़ा होता है जिसमें आधुनिक कृषि उपकरणों की सहायता से भारी मात्रा में उत्पादन कर एक साथ बेच दिया जाता है।

अर्जेन्टीना, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, भारत आदि देशों की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान भी अधिक है। इसलिए यहाँ चारागाहों का भी विशेष महत्व है। कुछ भूमि का उपयोग प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित जल स्त्रोंतों में भी होता है, जैसे नदी, तालाब, झील, बाँध, कुआँ आदि। पीने, अन्य दैनिक उपयोग, सिंचाई आदि के लिए जल भी मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था को सम्बल देने के लिए कुछ भूमि का उपयोग खनन एवं उद्योगों के लिए भी किया जाता है। पर्यटन स्थलों के रूप में हमारे मनोरंजन के लिए तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वन्य जीव उद्यानों एवं अभ्यारण्य में भी कुछ भूमि का उपयोग किया जाता है।

स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी तथा सार्वजनिक भूमि में बाँटा जा सकता है। निजी भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, जबकि सार्वजनिक भूमि पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। बाग–बगीचे, खेल का मैदान, चारागाह, वन, जलीय क्षेत्र आदि सार्वजनिक भूमि के उदाहरण हैं जिस पर समुदाय के सभी लोगों का समान अधिकार होता है। इसे साझा भू–संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। चारागाहों पर पशुपालन तथा वनों से ईंधन की लकड़ी, फल–फूल, इमारती लकड़ी आदि उपलब्ध होने से इनका स्थानीय भूमिहीन लोगों के लिए विशेष महत्व है।

आओ करके देखें–

1. आपके गाँव/शहर में स्थित सार्वजनिक भूमि का पता लगाकर उसके उपयोग पर एक टिप्पणी लिखिए।
2. पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है?
3. क्या आपके आस–पास के क्षेत्र में भूमि का उपयोग खनन, उद्योग, प्राकृतिक या मानव निर्मित जल स्त्रोत, वन्य जीव अभ्यारण्य, चारागाह, पर्यटन आदि में हो रहा है? इनके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए।

ग्रामीण एवं शहरी परिवेश में भूमि उपयोग में अन्तर

(.....)

(.....)

आओ करके देखें–

ऊपर दिये गए चित्र को देखकर बताइए कि कौन–सा गाँव का चित्र है और कौन–सा शहर का। यह आपने कैसे पता लगाया? कारण भी बताइए।

नगर और गाँव के भूमि उपयोग में अन्तर होता है। शहरों में भूमि का मूल्य गाँवों की तुलना में अधिक होता है। नगरों में अधिवासों व जनसंख्या का घनत्व अधिक एवं गाँवों में कम होता है। कभी आपको अन्य गाँव/शहर में जाने का मौका मिले तो वहाँ के भूमि उपयोग पर ध्यान दें और उन स्थानों के भूमि उपयोग के अन्तर को पहचाननें का प्रयास करें।

भू आकृतियाँ और भू–उपयोग

नीचे दिये गये चित्रों को ध्यान से देखिए।

पहला चित्र मैदानी भू–भाग है, दूसरा चित्र पहाड़ी भू–भाग है और तीसरा मरुस्थलीय भू–भाग है। तीनों भू–भाग में भूमि उपयोग मे अन्तर देखा जा सकता है। मैदानी क्षेत्र में भूमि का उपयोग कृषि कार्य में अधिक होता है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्र में वन एवं मरुथलीय क्षेत्र में व्यर्थ भूमि अधिक होती है। इसी प्रकार आप नदी के किनारे, समुद्री किनारे, द्वीप, पठारी भूमि आदि के चित्रों को एकत्र कीजिए और उनमें भू–उपयोग में अन्तर को देखिए और समझिए। एकत्रित किये गये चित्रों को एक चार्ट पर चिपका कर कक्षा में लगाइए।

कृषि, उद्योग, आवास, परिवहन आदि कार्यों का विकास पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में आसानी से हो जाता है। पठारी और पर्वतीय भू–भाग असमतल होते हैं इसलिए यहाँ मानवीय क्रिया–कलाप का कम विकास हो पाता है। इन्हीं प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण पर्वतीय, पठारी एवं मरुस्थलीय भूमि पर कम जनसंख्या पाई जाती है। पर्वतीय भूमि का उपयोग सुरक्षा, पर्यटन, वन, चारागाह विकास हेतु अधिक होता है।

भूमि उपयोग में परिवर्तन

किसी क्षेत्र का भूमि उपयोग मुख्यतः वहाँ किये जाने वाले आर्थिक क्रिया–कलापों पर निर्भर करता है। समय के साथ मानव के आर्थिक क्रिया–कलापों में बदलाव आने से भूमि उपयोग भी बदल जाता है। आर्थिक क्रिया–कलापों के अतिरिक्त क्षेत्र की जलवायु, स्थलाकृति, मृदा, खनिज, जल उपलब्धता और जनसंख्या वृद्धि आदि का भी भूमि उपयोग पर प्रभाव पड़ता है। अनुमान है कि प्राचीन समय में पृथ्वी का अधिकांश भाग वनों से ढका हुआ था लेकिन वर्तमान में पृथ्वी के एक–तिहाई से भी कम भाग पर वन बचे हैं। मानव क्रिया–कलापों और बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व में भूमि उपयोग में परिवर्तन हुए हैं। शहरों के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक भूमि उपयोग परिवर्तन देखा जाता है। कृषि भूमि शहर के विकास के साथ धीरे–धीरे आवास, उद्योग, परिवहन आदि में परिवर्तित होती जा रही है।

क्र.स.	देश	भूमि उपयोग के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत			
		कृषि	चारागाह	वन	अन्य उपयोग
1.	भारत	60	4	23	13
2.	जापान	12	2	67	19
3.	ऑस्ट्रिया	6	56	14	24
4.	कनाडा	5	4	39	52
5.	ब्राजील	9	20	66	5
	विश्व	11	20	31	38

आओ करके देखें–

उपर्युक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

1. उन देशों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित भूमि उपयोग सबसे अधिक हैं?
   1. अन्य उपयोग ..... 2. चारागाह .....
   3. वन भूमि ..... 4. कृषि भूमि .....
2. निम्नलिखित देशों के भूमि उपयोग का अध्ययन कर अनुमान लगाइए कि वहाँ कौन–सी आर्थिक क्रियाएँ अधिक होगी ?
   1. भारत ..... 2. ऑस्ट्रिया .....
   3. ब्राजील ..... 4. कनाड़ा .....

मरुस्थलीय एवं दलदली भूमि की उपयोगिता में भी परिवर्तन हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से मरुस्थलीय भूमि में व्यापक भूमि उपयोग परिवर्तन हुआ है। जो भूमि पहले बेकार पड़ी रहती थी वर्तमान में उसी भूमि का उपयोग कृषि, उद्योग, नहर, परिवहन, खनन, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा संयत्र लगाने आदि में किया जा रहा है। यह भूमि उपयोग परिवर्तन का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी प्रकार विश्व के कुछ भागों में दलदली भूमि को सुखा कर उसे आवास एवं अन्य उपयोगों में लिया जा रहा है। कृषि भूमि का प्रतिशत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 11 प्रतिशत ही है तथा वन व घास के मैदानों का प्रतिशत भी घट कर क्रमशः 31 और 20 प्रतिशत रह गया है। जो भूमि उपयोग परिवर्तन के उदाहरण हैं। अतः समय एवं स्थान के अनुसार भूमि उपयोग लगातार बदलता रहता है। नीचे दिया गया आरेख आपको यह समझने में मदद करेगा।

बदलते समय के साथ विश्व के सभी क्षेत्रों में भूमि उपयोग में परिवर्तन होता रहा है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ आवास, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि की आवश्यकता बढ़ती है, जिससे इनमें भूमि का उपयोग बढ़ता जा रहा है। लेकिन विश्व के कुल क्षेत्रफल को नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए जब भी किसी एक कार्य के लिए भूमि उपयोग बढ़ता है तो किसी दूसरे कार्य का भूमि उपयोग कम हो जाता है, और इसे ही भूमि उपयोग में परिवर्तन कहा जाता है। वनों को काट कर कृषि और चारागाहों का विकास करना, पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाना, दलदलों को सुखा कर कृषि करना, समुद्रों के तटवर्ती उथले क्षेत्रों में भराव करके नगरों का विकास एवं कृषि करना, खनन शुरू करना आदि भूमि उपयोग परिवर्तन के उदाहरण हैं। नीचे दिए गए आरेख से स्पष्ट है कि भारत में पिछले कुछ दशकों में भूमि उपयोग में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। भारत मे वन एवं अन्य भूमि उपयोग में वृद्धि हुई तथा कृषि, चारागाह एवं बंजर भूमि उपयोग में कमी आ रही है।

भारत में भूमि–उपयोग

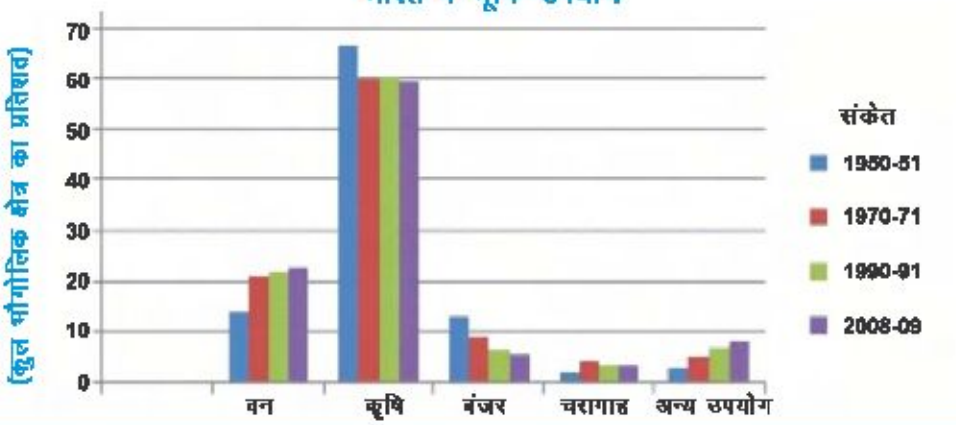

आओ करके देखें–

1. उपर्युक्त आरेख को देखकर भारत में हुए भूमि उपयोग परिवर्तन की कक्षा में चर्चा कीजिए।
2. अपने शिक्षक–शिक्षिकाओं, परिवार के बड़े सदस्यों से बातचीत कर पता लगाइए कि आपके शहर या गाँव में भूमि उपयोग में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है और क्यों?

भूमि अवनयन

उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं उत्पादकता में कमी आना भूमि अवनयन कहलाता है। इसे भू–निम्नीकरण या भूमि की गुणवत्ता में कमी भी कहा जाता है। भूमि अवनयन प्राकृतिक व मानवीय दोनों कारणों से होता है लेकिन मानवीय कारणों से होने वाला भूमि अवनयन वर्तमान में चिन्ता का विषय है। मानचित्र से स्पष्ट है कि विश्व का अधिकांश भाग मानव द्वारा भूमि के अविवेकपूर्ण उपयोग एवं अत्यधिक दोहन के कारण भूमि अवनयन की समस्या से ग्रसित है। ऐसी भूमि का उपयोग लगातार कम हो रहा है। इससे कृषि, वनस्पति एवं मानव विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मानचित्र में भारत की भूमि अवनयन की स्थिति को देखिए। सामान्यत: भारत में भूमि अवनयन की समस्या देखी जाती है। आगे दिये गये मानचित्र को देखकर बताइए कि विश्व के किन भागों में भूमि अवनयन अधिक है तथा किन भागों में कम है?

विश्व में मृदा अवनयन से प्रभावित क्षेत्र

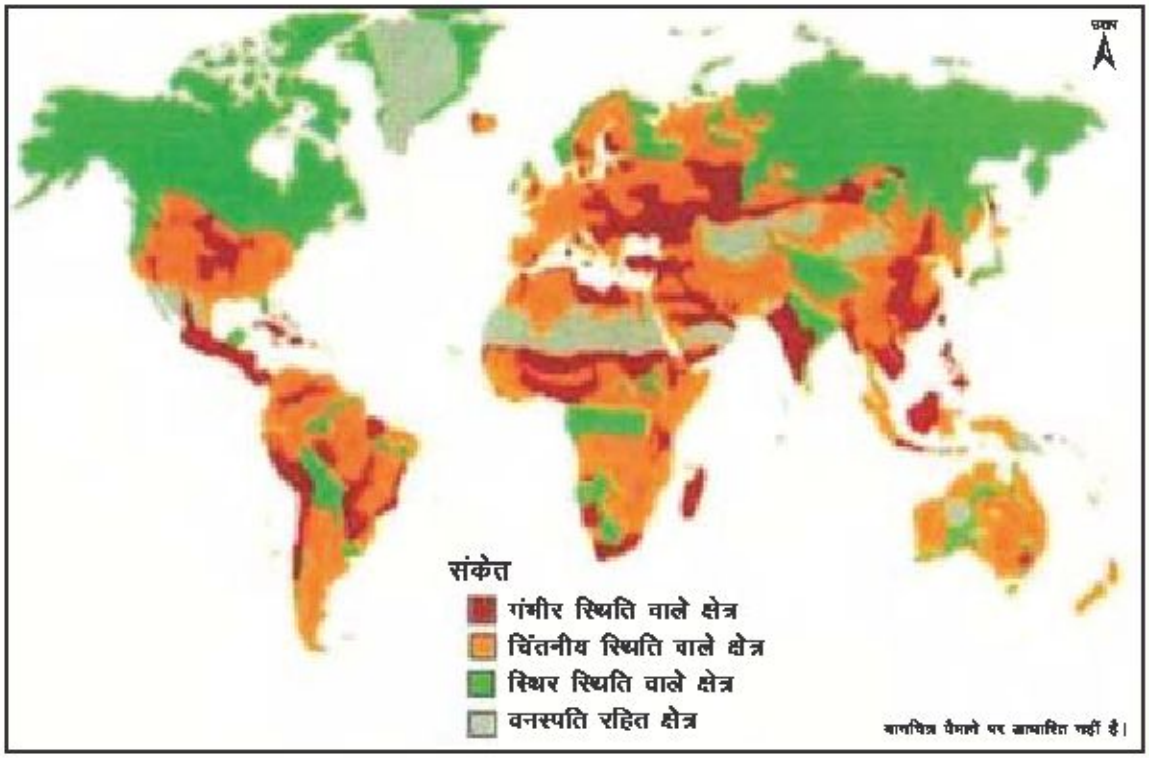

भूमि अवनयन के कारण

1. मृदा अपरदन
2. मृदा में लवणता वृद्धि
3. अत्यधिक खनन
4. वनों की कटाई
5. मरुस्थलीकरण
6. अति पशुचारण
7. विकासात्मक कार्य
8. अधिक सिंचाई
9. नहरी जल का रिसाव
10. शहरी ठोस कचरा एवं औद्योगिक अपशिष्ट
11. रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग आदि।

नीचे दिये गये चित्रों को देखिए और पिछले पृष्ठ पर दिए गये भूमि अवनयन के कारणों की पहचान कीजिए।

सड़क निर्माण हेतु पहाड़ों की कटाई

अत्यधिक खनन

मृदा का कटाव

औद्योगिक अपशिष्ट

जल रिसाव की समस्या

रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग

वनों की कटाई

अत्यधिक भूजल दोहन का प्रभाव

जनसंख्या एवं अधिवासों का बढ़ना

अनियंत्रित पशुचारण

मरूस्थल का विस्तार

क्या आप जानते हैं–

भारत का सबसे बड़ा महानगर मुम्बई प्रारम्भ में सात द्वीपों पर बसा था। बाद में इन द्वीपों के बीच के कम गहरे समुद्री भाग को मलबा डाल कर भर दिया गया जिस पर वर्तमान महानगर का विकास हुआ है।

नीदरलैंड का उत्तरी–पश्चिमी भाग समुद्र तल से लगभग 1 मीटर ऊँचा है, जो ज्वार के समय डुब जाता है। इस समस्या से बचने के लिए समुद्र एवं स्थल के मध्य एक कृत्रिम बाँध बनाया गया है। बाँध द्वारा ऐसी सुरक्षित भूमि को यहाँ पोल्डर कहा जाता हैं।

भूमि संरक्षण

भूमि संरक्षण से तात्पर्य भूमि की गुणवत्ता में आ रही कमी को रोक कर उसे हमेशा के लिए सुरक्षित करना है। सभी जीव भूमि पर ही अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। स्वयं मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने सभी क्रिया–कलाप भूमि पर ही संचालित करता है। इसलिए भूमि अवनयन को रोकना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन, पशुओं के लिए चारागाह, कृषि संबंधी उद्योगों के लिए कच्चा माल आदि सभी भूमि की गुणवत्ता पर ही निर्भर करते हैं। भूमि संरक्षण के लिए मृदा अपरदन को कम करना, अवैधानिक खनन एवं स्थानान्तरित कृषि पर रोक लगाना, वृक्षारोपण करना, मरुस्थलीकरण को रोकना, अति पशुचारण पर रोक, नहरों के रिसाव को कम करना, औद्योगिक अपशिष्ट तथा शहरी ठोस अपशिष्ट का उचित निपटान करना, कृषि के लिए जैविक खाद का उपयोग करना, जन जागरूकता फैलाना आदि उपाय करना अत्यंत आवश्यक है।

मरूस्थल के बढ़ने से रोकने के लिए लगाए गए पंक्तिबद्ध वृक्ष

भूमि संरक्षण सरकारी एवं व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर किया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र "काजरी" (CAZRI) की स्थापना की गयी है। काजरी का कार्य मरुस्थल में पेड़–पौधों, चारागाह, पशु, जल एवं मृदा का संरक्षण कर मरुस्थल की पारिस्थितिकी को बनाए रखना है।

शब्दावली (Glossary)

उबड़–खाबड़	–	ऊँचा–नीचा
चारागाह	–	पशुओं के चरने का स्थान
वानिकी	–	पेड़–पौधों एवं वनों से संबंधित
अवनयन	–	प्राकृतिक गुणवत्ता में कमी
उन्नयन	–	उत्तरोत्तर वृद्धि

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(i) पोल्डर किस देश में पाए जाते हैं–

(क) इंग्लैंड (ख) जापान (ग) नीदरलैंड (घ) मिश्र ( )

(ii) वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं, उसे कहा जाता है–

(क) उद्यान भूमि (ख) चरागाह भूमि

(ग) परती भूमि (घ) कृषि भूमि ( )

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

(i) पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए ..... में "काजरी" की स्थापना की गयी है।

(ii) मानव क्रिया–कलापों और बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व में ..... उपयोग में परिवर्तन हुए हैं।

(iii) कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं उत्पादकता में कमी आना भूमि ..... कहलाता है।

(iv) भारत का सबसे बड़ा महानगर ..... प्रारम्भ में सात द्वीपों पर बसा था।

3. भूमि उपयोग किसे कहते हैं?
4. गाँवों में किस प्रकार का भूमि उपयोग अधिक मिलता है? और क्यों?
5. भूमि अवनयन के लिए जिम्मेदार कारकों के नाम लिखिए।
6. भूमि उपयोग के वर्गों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
7. शहर और ग्रामीण भूमि–उपयोग में क्या अन्तर है?
8. वर्तमान में भूमि संरक्षण क्यों आवश्यक है? यदि हमने भूमि संरक्षण नहीं किया ता हमें किन दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ेगा?

अध्याय 5

वन और वन्य जीवन

पृथ्वी पर भौतिक और जैविक परिवेश तथा उनके कारकों का प्रभाव मानव सहित समस्त जीव–जन्तुओं के जीवन पर पड़ता है। जलवायु, मृदा, स्थलाकृति, वनस्पति, जीव–जंतु आदि इसी परिवेश के विभिन्न तत्व या कारक हैं। ये सारे तत्व या कारक एक–दूसरे से मिल कर एक ऐसे परिवेश का निर्माण करते हैं जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। जो अन्य परिवेशों से भिन्न होता है। मनुष्य पर्यावरण का एक अभिन्न हिस्सा है। मनुष्य ने अपने उपयोग की वस्तुएँ अपने आस–पास के परिवेश से ही प्राप्त की हैं। इस प्रक्रिया में मनुष्य ने प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का अति दोहन कर पर्यावरण का और स्वयं अपना भी नुकसान किया है। साथ ही साथ मनुष्य ने अपने परिवेश की रक्षा और उसे उन्नत बनाने की भी चेष्टा की हैं। हमने पिछले अध्यायों मे जलवायु, भूमि और जल के विषय में विस्तार से पढ़ा है। इस अध्याय में हम पर्यावरण के प्रमुख घटक वन और वन्य जीवन के साथ ही मानव द्वारा इनके संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे।

प्रत्येक भौतिक या जलवायु प्रदेश में वनस्पति और वन्य जीवन एक जैसा नहीं होता है। एक ओर जहाँ मैदानों और पहाड़ों के पेड़–पौधे और जीव–जंतु अलग हैं, वहीं कम वर्षा के रेगिस्तानी प्रदेशों में वनस्पति और वन्य–जीवन भिन्न होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि वनस्पति और वन्य जीवन जलवायु और स्थलाकृति का एक मिश्रित रूप है। अतः विश्व के वानस्पतिक और पर्यावरणीय प्रदेशों पर जलवायु और स्थलाकृति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है।

वनस्पति

किसी भौगोलिक परिवेश में स्थित वृक्ष, छोटे पौधे, लताएँ, झाड़ियाँ, घास, काई आदि को सम्मिलित रूप से वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होती है। अर्थात् घास, झाड़ियाँ तथा पौधे आदि मनुष्य की सहायता के बिना उगते हैं। इन पादप समुदायों में जलवायु और स्थलाकृति के कारण

विश्व के वानस्पतिक प्रदेश

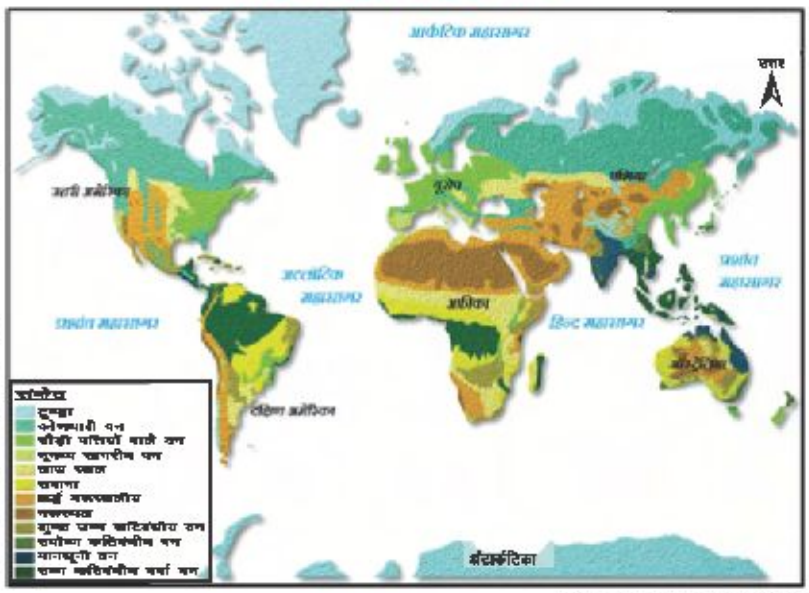

ज्ञानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं हैं।

आकार, स्वरूप एवं ऊँचाई में भिन्नता होती है। निष्कर्ष रूप में प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार पर जलवायु और स्थलाकृति का प्रभाव रहता है।

विश्व में पाए जाने वाले वनों के प्रकार

विश्व के भिन्न–भिन्न भागों में जलवायु, मिट्टी, उच्चावच आदि में अन्तर होता है। इसी कारण से विश्व के विभिन्न भागों में अलग–अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वृक्षों एवं झाड़ियों से ढके विस्तृत भू–भाग को वन कहते हैं। दिए गए मानचित्र में विश्व के विभिन्न वनस्पति प्रदेशों को ध्यान से देखिए और समझिए।

सदाबहार वन

1. उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन

उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन

ये वन अत्यधिक गर्म और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं। भूमध्य रेखा तथा उष्णकटिबंध के पास ऐसे घने वन पाए जाते हैं। ये वन विषुवत रेखा के दोनों और 10° उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों तक पाये जाते हैं। वर्ष के अलग–अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराने से यह वन क्षेत्र वर्ष भर हरा भरा दिखाई देता है। इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अत्यधिक घने इन वनों में विश्व की सर्वाधिक लताएँ पाई जाती हैं जो पेड़ों पर चढ़कर पेड़ों से लिपटी रहती हैं। दिन के समय सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुँच पाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं वनों में पाई जाती है। इनमें अनेक प्रकार के वृक्षों और वन्य जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन वनों में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष आबनूस, महोगनी तथा रोजवुड आदि पाये जाते हैं।

एक स्थान पर कई प्रजातियों के पेड़–पौधे एक साथ पाए जाते हैं साथ ही वृक्षों की सघनता के कारण इन्हें काटने में असुविधा होती है। इसलिए इनका अधिक उपयोग नहीं हो पाया है। विश्व में दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में इन वनों का सर्वाधिक विस्तार है। ब्राजील में इन्हें सेल्वा कहा जाता है, जिन्हें 'पृथ्वी के फेफड़े' भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये वन अफ्रीका के कांगो बेसिन एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी पाए जाते हैं।

वर्षा वन में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो दिन व रात दोनों समय क्रियाशील रहते हैं। अतः वर्षा वन दिन–रात चहल–पहल से भरा रहता है। बंदर, गोरिल्ला, कई प्रकार के पक्षी, कीड़े–मकोड़े, साँप, चमगादड़, छिपकली, गिलहरी आदि पेड़ों पर रहने वाले जीवों की संख्या अधिक होती है। बड़े जीवों में चीता, भैंसा, हाथी, सूअर आदि पाए जाते हैं लेकिन इनकी संख्या कम होती है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा साँप इन्हीं वनों में पाया जाता है जिसे ऐनाकोंडा कहते हैं।

उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के कुछ जीव क्रमशः हाथी, हमिंग बर्ड, किंग फिशर, गोरिल्ला, ऐनाकोंडा

2. शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन

ये वन मध्य अक्षांशों के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्यतः ये वन महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर होते हैं–जैसे दक्षिण–पूर्व अमेरिका, दक्षिण–पूर्वी ब्राजील तथा दक्षिण चीन। यहाँ बाँस, यूकेलिप्टस तथा चीड़ जैसे कठोर तथा मुलायम दोनों तरह के वृक्ष मिलते हैं।

यूकेलिप्टस

बाँस

पतझड़ी वन

1. उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन

इन्हें पतझड़ी या पर्णपाती वन भी कहते हैं। ये वन वर्ष में एक बार शुष्क मौसम में जल संरक्षण हेतु 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। नीम, शीशम, महुआ, जामुन, साल तथा सागवान यहाँ पाए जाने वाले कठोर लकड़ी के वृक्ष हैं। फर्नीचर बनाने के लिए सागवान सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है। इन वृक्षों की लकड़ी फर्नीचर, यातायात तथा निर्माण सामग्री एवं घरेलू सामान बनाने में काफी उपयोगी हैं। दक्षिणी तथा दक्षिणी–पूर्वी एशिया, दक्षिणी चीन, पश्चिमी द्वीप समूह, उत्तरी आस्ट्रेलिया, पूर्वी

नीम

महुआ

शीशम

जंगली भैंसा

बाघ

लोमड़ी

अफ्रीका तथा ब्राजील के तटीय क्षेत्रों में ये वन पाये जाते हैं। यहाँ शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के अनेक जीव पाये जाते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी तथा कीड़ों–मकोड़ों के अलावा हाथी, घोड़ा, गैंडा, जंगली भैंसा, बाघ, शेर, लंगूर एवं बंदर इन प्रदेशों में पाए जाने वाले मुख्य जानवर हैं।

2. शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन

उच्च अक्षांश में शीतोष्ण पतझड़ी वन पाए जाते हैं। ये न्यूजीलैंड, चिली, उत्तर–पूर्वी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। भेड़िया, हिरण तथा लोमड़ी यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं।

भूमध्यसागरीय वन

महाद्वीपों के पश्चिम तथा दक्षिण–पश्चिम किनारों पर दोनों गोलार्द्धों में 30° से 40° अक्षांशों के मध्य पाये जाने वाले वनों को भूमध्यसागरीय वन कहते हैं क्योंकि इस प्रकार की वनस्पति भूमध्यसागर के निकट के क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं। ये वन पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप में भूमध्यसागर के किनारों पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये वन संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित केलीफोर्निया, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी–पश्चिमी भाग में, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली में एवं दक्षिणी–पश्चिमी आस्ट्रेलिया में पाये जाते हैं। इन प्रदेशों में ग्रीष्म काल शुष्क एवं शीत काल में वर्षा होती है। विश्व में जैतून, अंगूर, संतरा, अंजीर तथा नींबू वर्गीय रसदार फलों की सर्वाधिक कृषि इसी क्षेत्र में की जाती है। फलों की कृषि के कारण भूमध्यसागरीय प्रदेश को विश्व का 'फलोद्यान' भी कहा जाता है।

भूमध्यसागरीय वन

कंगारू

कोणधारी वन

उत्तरी गोलार्द्ध के उच्च अक्षांशों (50°–70°) में उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के विस्तृत भाग पर शंकुधारी वन मिलते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार रूस में है। दक्षिणी गोलार्द्ध में ये वन नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इन अक्षांशों में दक्षिणी गोलार्द्ध में स्थल भाग का अभाव है। इन्हें कनाडा में टैगा वन भी कहते हैं। अधिक ठंडी जलवायु एवं बर्फबारी के कारण इन वनों की पत्तियाँ नुकीली होती है। इनमें मुलायम तथा नरम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। कागज़ बनाने की लुग्दी अधिकांशतः इन्हीं से बनाई जाती हैं। माचिस और पैकिंग के डिब्बे बनाने के लिए भी इनकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख वृक्ष देवदार चीड़, लार्च, स्प्रुस, पाइन, बर्च, फर आदि हैं। झाड़ियाँ, काई, लाइकेन आदि वनस्पति भी यहाँ पायी जाती हैं। बारहसिंगा, लोमड़ी, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर यहाँ पर अधिक पाये जाते हैं।

कोणधारी (टैगा) वन

ध्रुवीय भालू

बाहरसिंगा

घास स्थल

1. उष्णकटिबंधीय घास के मैदान

ऐसे वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यह वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह लगभग 2 से 4 मीटर की ऊँचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका के सवाना घास के मैदान जो विश्व में सबसे बड़े हैं, इसी प्रकार के हैं। इन्हें अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोज व वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। यहाँ मुख्यतः हिरण, तेंदुआ, हाथी, जेबरा तथा जिराफ जैसे जानवर पाए जाते हैं।

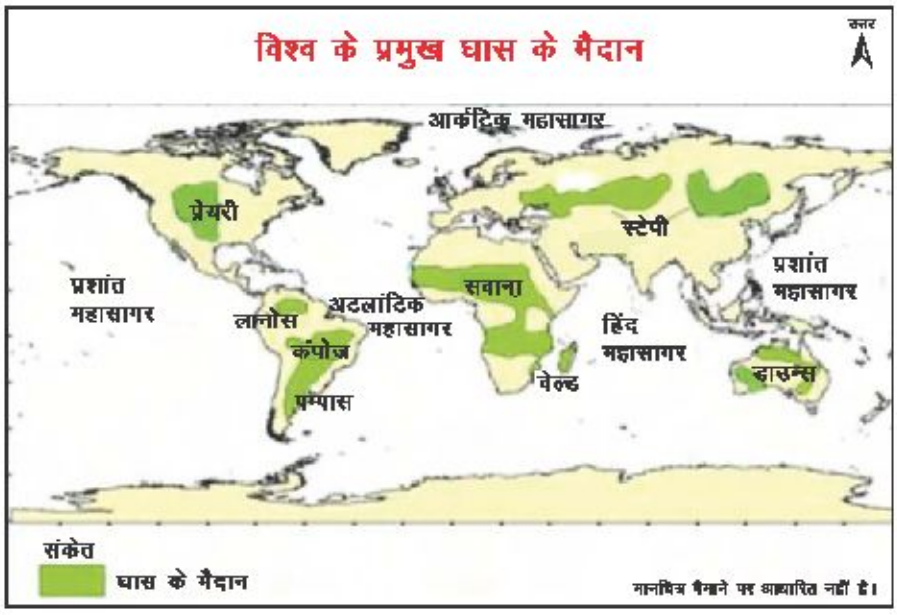

2. शीतोष्ण घास के मैदान

ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी हिस्सों में मिलते हैं। यहाँ मुख्यतः छोटी एवं पौष्टिक घास पाई जाती है। घास के साथ–साथ ओक, पाइन, एल्म मैपिल, बर्च, आस्पेन, बिलों आदि वृक्ष भी पाये जाते हैं। इन घास स्थलों में शाकाहारी जीवों की अधिकता होती है। इन क्षेत्रों में सामान्य तौर पर हिरण, बाइसन, एंटीलोप, जंगली भैंस, खरगोश, जेब्रा, गाय, शेर, भेड़िये, लोमड़ी, बाज, अनेक चिड़ियाँ एवं बिलों में रहने वाले जीव पाये जाते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार यूरेशिया के मध्यवर्ती भाग में हैं, जहाँ इन्हें स्टेपी कहा जाता है। इस प्रकार के मैदानों को अर्जेन्टीना में पम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड एवं आस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है।

शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान

मरुस्थलीय वन

उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वन

महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 20° से 30°अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में पाई जाने वाली वनस्पति मरुद्भिद कहलाती हैं। अधिक तापमान एवं कम वर्षा (25 सेमी. से कम) के कारण इस वनस्पति की ऊँचाई कम, पत्तियाँ छोटी एवं मोटी, छाल मोटी और जड़ें गहरी होती है ताकि ये लम्बे शुष्क काल में जीवित रह सके। उत्तरी अफ्रीका में सहारा, दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, एरिजोना एवं मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में अरब, भारत एवं पाकिस्तान में थार, पश्चिमी आस्ट्रेलिया में विश्व के प्रमुख मरुस्थल स्थित हैं। नागफनी, कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, खेजड़ी आदि यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। कई प्रकार की छोटी घास भी यहाँ पाई जाती है।

मरुस्थलीय वनस्पति

गोडावण

ऊँट

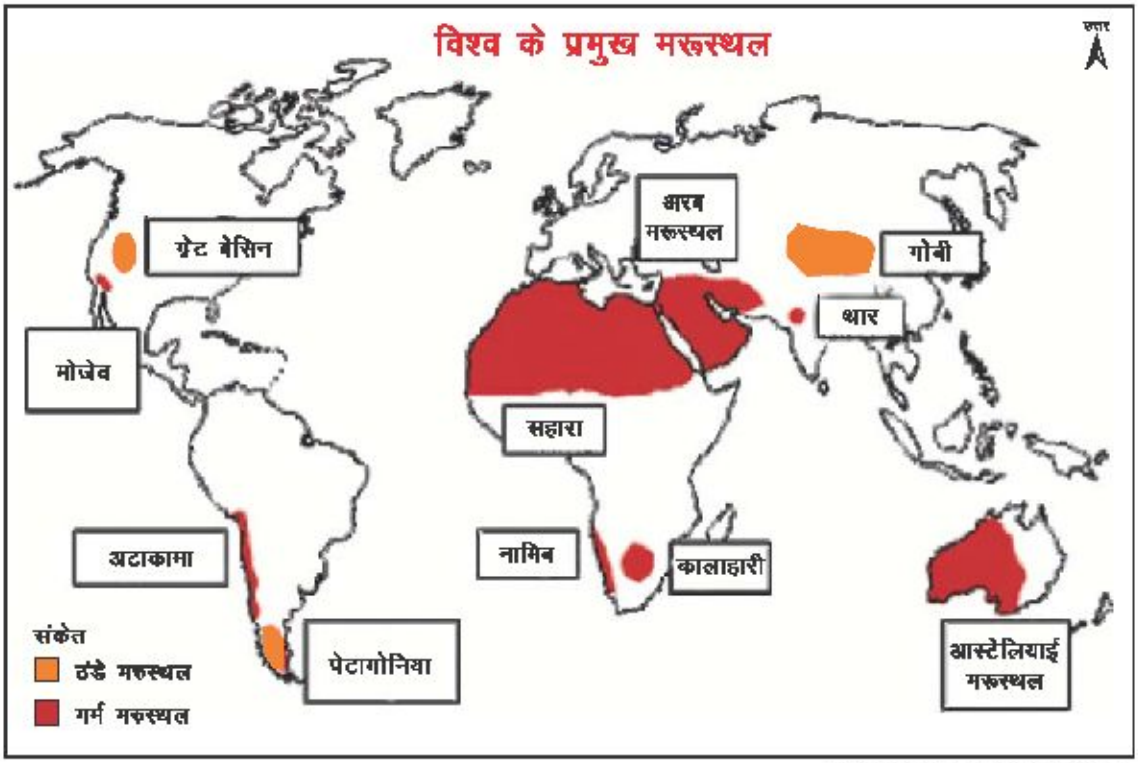

मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है।

शीत मरुस्थलीय वन

ध्रुवीय क्षेत्र

ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान अत्यधिक कम होता है इसलिए वहाँ प्राकृतिक वनस्पति का विकास बहुत कम होता है। अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान यहाँ काई एवं कुछ छोटे फूलों की वनस्पति उगती है। जो एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ सील, वालरस एवं ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाये जाते हैं।

पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रमुख आन्दोलन

1. खेजड़ली आन्दोलन

पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति विशेष प्रेम है। ये अपने घरों, खेतों और खलिहानों में जीवों के लिए अन्न–जल की व्यवस्था करते रहते हैं। यहाँ वन्य जीव और लोग आपस में एक परिवार की तरह घुले–मिले हैं। हिरण, नीलगाय तथा खरगोश आदि वन्य जीव निर्भय होकर सहज रूप से विचरण करते हैं। आस–पास के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता है। वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए ये लोग प्राचीनकाल से ही समर्पित हैं। इसी का एक उदाहरण हमें खेजड़ली के बलिदान के रूप में देखने को मिलता है।

राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गाँव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 1730 ई. में 363 स्त्री–पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर अपना बलिदान दिया था। इनकी स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है।

खेजड़ी

खेजड़ली बलिदान

क्या आप जानते हैं–

राजसमंद जिले के पिपलान्त्री गाँव में एक बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। इसी प्रकार किसी की मृत्यु होने पर उसकी याद में वृक्ष लगाकर उन्हें पूजा जाता है। गाँव की महिलाएँ वृक्षों को अपना भाई मानकर रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बाँधती हैं। क्या हम भी हमारे गाँव में ऐसा कर सकते हैं? हाँ, हमें भी इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिससे हम हमारी प्रकृति का संरक्षण कर सकें।

चिपको आंदोलन

हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊँचे भागों और टिहरी गढ़वाल के पहाड़ी गाँवों में स्थानीय लोगों ने देखा कि खतरनाक बाढ़ों का आना और भूमि का धंसना साधारण सी बात हो गयी है और इसके पीछे कारण है व्यावसायिक उपयोग के लिए ठेकेदारों द्वारा जंगल के वनों का काटना। 1972 में उत्तराखंड के गाँवों की महिलाओं ने पेड़ काटने वालों का विरोध किया और उन वृक्षों से चिपक गयी जिनको काटा जा रहा था। गौरा देवी के नेतृत्व में वहाँ

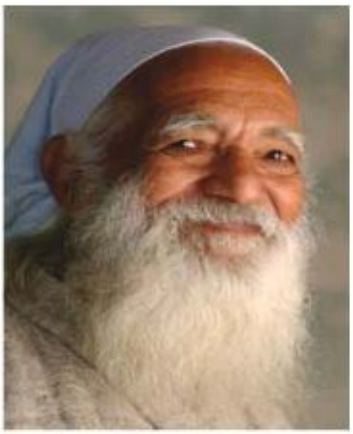
सुन्दर लाल बहुगुणा

गौरा देवी

के निवासियों द्वारा किए गए इस कार्य को ही 'चिपको आंदोलन' के रूप में जाना जाता है। इस आन्दोलन से पर्यावरणविद् सुन्दर लाल बहुगुणा भी जुड़े। चिपको आंदोलन ने वृक्षों की कटाई बंद करने की मांग की ताकि हिमालय का 60 प्रतिशत क्षेत्र वनों से भरपूर हो जाए और ढालदार भूमि पर खाद्य, चारा, ईंधन, उर्वरक और रेशा देने वाले वृक्षों का रोपण किया जाए। चिपको आन्दोलन हिमालय का ही नहीं, बल्कि सारी मानव जाति की पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोक जागरण का एक अनूठा उदाहरण है।

अप्पिको आंदोलन

पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कर्नाटक में भी एक ऐसा ही आंदोलन शुरू हुआ—अप्पिको, जिसका अर्थ है—बाहों में भरना। राज्य के सिरसी जिले में सितम्बर 1983 को सलकानी वन क्षेत्र में वृक्ष काटे जा रहे थे। तब वहाँ के स्त्री, पुरुष और बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने वाले को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे कई सप्ताह तक वनों की पहरेदारी करते रहे। इस प्रकार यहाँ लोगों के द्वारा हजारों वृक्षों को बचाया गया।

वन विनाश

वन क्षेत्र में मानवीय क्रियाकलापों से होने वाली जैविक सम्पदा के ह्रास को ही वन विनाश के रूप में जानते हैं। वर्तमान में वनों के निरन्तर हो रहे वन विनाश से पूरे विश्व में पर्यावरण के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। वन विनाश के प्रमुख कारण हैं—

1. वनों की व्यापारिक कटाई।
2. घरेलू ईंधन के लिए वनों पर निर्भरता।
3. स्थानान्तरित कृषि।
4. अत्यधिक एवं अवैध पशुचारण।
5. खनन एवं औद्योगीकरण।
6. वन भूमि का कृषि एवं चारागाह भूमि में परिवर्तन।
7. अम्ल वर्षा।
8. वनों में लगने वाली आग, कीटाणु एवं रोग।
9. अनावृष्टि और बाढ़ें।
10. पुनर्वास और वनवासियों को बेदखल करने वाली आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएँ आदि।

वन विनाश के परिणाम

अनियंत्रित और अवैध रूप से वनों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन—डाई ऑक्साइड की वृद्धि, अम्ल वर्षा, पारिस्थितिकी असंतुलन आदि कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। कुछ का विवरण निम्नानुसार है—

1. जैव विविधता का ह्रास।
2. वनवासियों एवं वन्य जीवों के आवास का समाप्त होना।
3. वनों पर आधारित ग्रामीण कुटीर उद्योगों का समाप्त होना।
4. सूखा, अकाल, बाढ़, भूमि अपरदन तथा रेगिस्तान का विस्तार होना।

5. जलवायु में परिवर्तन होना।
6. हरित गृह प्रभाव की वृद्धि।
7. पर्वतीय क्षेत्रों में भू–स्खलन की घटनाओं में वृद्धि आदि।

विश्व में हो रहे भयंकर पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण कई दुर्लभ जीव तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। आई.यू.सी.एन (International Union for Conservation of Nature) की 'लाल आँकड़ा किताब' में दर्ज तेजी से विलुप्त हो रहे कुछ प्रमुख जीव जैसे बाघ, गोडावन आदि उल्लेखनीय हैं।

क्या आप जानते हैं–

विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को 'लाल आँकड़ा किताब' (Red Data Book) कहा जाता है।

वन विनाश को रोकने के उपाय

पृथ्वी पर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। मानव सहित समस्त जीव जगत का अस्तित्व ही वनों के कारण ही है। यदि इन बदलते पारिस्थितिकी असंतुलन पर ध्यान नहीं दिया गया तो कई विकट परिस्थितियाँ पैदा हो जाएगी। वन विनाश को रोकने के लिए किये जाने वाले प्रयास इस प्रकार से है–

1. वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक।
2. स्थानान्तरित कृषि पर रोक।
3. अनियंत्रित पशुचारण पर रोक।
4. आवासों का निर्माण बंजर भूमि पर।
5. ईंधन के विकल्पों की खोज एवं अधिकाधिक उपयोग।
6. विकास योजनाओं का क्रियान्वयन वन रहित भूमि पर किया जाए।
7. वनों की कटाई वैज्ञानिक रूप से लाइसेंस धारी व्यक्तियों द्वारा ही करवाई जाए।
8. अवैधानिक तरीके से वनों को काटने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।
9. प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाए और वन संरक्षण को एक जनक्रांति बनाया जाए।
10. वन सम्पदा के संरक्षण एवं विकास के लिए वन भूमि को वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाए।
11. वनों के महत्व की शिक्षा देकर जनजागरूकता बढ़ाना, आदि।

आओ करके देखें

1. अपने आस–पास पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ों तथा वन्यजीवों की सूची बनाइए।
2. अपने शिक्षक या परिवार के किसी बड़े व्यक्ति के साथ किसी वन क्षेत्र का भ्रमण कीजिए तथा वहाँ के वृक्षों को पहचानिए एवं जीवों के क्रियाकलापों का अवलोकन कीजिए।
3. क्या आपके आस–पास के क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है? यदि हाँ तो उसके दुष्परिणामों पर चर्चा कीजिए।
4. वन तथा वन–जीव संरक्षण के उपायों पर चर्चा कीजिए।

शब्दावली (Glossary)

सेल्वा	–	ब्राजील में स्थित उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन।
वनोन्मूलन	–	वनों के जैविक सम्पदा का ह्रास
अनावृष्टि	–	न्यून वर्षा
भू–स्खलन	–	पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी का ऊपर से खिसकना।

अभ्यास प्रश्न

1 सही विकल्प को चुनिए–

(I) रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं।

(क) कोणधारी वन (ख) शीतोष्ण सदाबहार वन

(ग) उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन (घ) भूमध्य सागरीय वन ( )

(ii) खेजड़ली बलिदान संबंधित है।

(क) वन संरक्षण (ख) कृषि उत्पादन

(ग) औद्योगिकरण (घ) तकनीकी विकास ( )

2. सुमेलित कीजिए–

निम्नलिखित देशों को उनमें स्थिति घास के मैदानों से जोड़िए ।

देश का नाम	घास का मैदान
दक्षिण अमेरिका	प्रेयरी
उत्तरी अमेरिका	पम्पास
आस्ट्रेलिया	स्टेपी
यूरेशिया	डाउन्स

3. वनस्पति किसे कहते हैं? संक्षेप में लिखिए।
4. विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के नाम लिखिए।
5. वनों के प्रकार बताते हुए किसी एक वन क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
6. खेजड़ली आंदोलन एवं चिपको आंदोलन क्यों प्रसिद्ध हैं? समझाइए।
7. वन विनाश से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में संक्षेप में लिखिए।
8. विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों की सूची बनाइए।

अध्याय 6

विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन (1)

आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक पर्यावरण एवं जीव अलग–अलग पाए जाते हैं। इसलिए किसी क्षेत्र के निवासियों एवं वहाँ के भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली क्रिया–प्रतिक्रिया भी अलग–अलग होती है। आइए! हम अध्याय छः एवं सात में भिन्न–भिन्न भौतिक पर्यावरणीय क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को समझने का प्रयास करते हैं।

सर्वप्रथम हम मरूस्थलीय परिवेश में मानव की गतिविधियों को समझते हैं। हम विश्व में पाए जाने वाले मरूस्थलों को सामान्यतः दो वर्गों में रख सकते हैं–गर्म एवं ठंडे मरूस्थल। आइए हम पहले इनके अन्तर को समझते हैं–

गर्म एवं ठंडे मरूस्थलों में अन्तर

गर्म मरूस्थल	ठंडे मरूस्थल
ये मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं।	ये उच्च अक्षांशों एवं ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
इनमें धरातल रेतीला या पथरीला होता है।	इनमें धरातल बर्फीला होता है।
इनमें वर्षा अत्यंत कम होती है।	इनमें वर्षा बर्फबारी के रूप में होती है।
इनमें कृषि कम की जाती है लेकिन सिचांई के साधनों का विकास कर कृषि की जा सकती है।	इनमें कृषि की संभावना अत्यंत कम है लेकिन वर्तमान में ग्रीन हाउस बनाकर की जा सकती है।
सहारा मरूस्थल, अरब मरूस्थल, आस्ट्रेलिया का मरूस्थल, कालाहारी मरूस्थल, थार का मरूस्थल आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं।	गोबी मरूस्थल, पेटागोनिया मरूस्थल, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, तिब्बत एवं लद्दाख आदि ठंडे मरूस्थल के उदाहरण हैं।

आओ करके देखें –

नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। इनमें बर्फीले, रेतीले एवं पथरीले मरुस्थलों को दर्शाया गया है। इनकी सही पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में इनका नाम लिखिए।

(..............................)

(..............................)

(..............................)

विश्व में कई गर्म मरूस्थल हैं। (पृष्ठ संख्या 47 पर दिए गए मरुस्थलों के मानचित्र को पुनः देखिए।) एक गर्म मरूस्थल हमारे राज्य के पश्चिमी भाग में भी स्थिति है जिसे हम थार का मरूस्थल कहते हैं। आगे हम इस गर्म मरूस्थल के निवासियों की सामान्य जीवन दशाओं का अध्ययन करेंगे।

1. गर्म मरुस्थल में मानव जीवन

राजस्थान में अरावली पर्वत के पश्चिम में मरुस्थल है, जो पंजाब एवं हरियाणा के दक्षिणी भागों से गुजरात में कच्छ की रण तक फैला हुआ है। इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। इसका अधिकांश हिस्सा राजस्थान में स्थित है। पश्चिम में इसका विस्तार पाकिस्तान तक है।

भारत में थार एवं लद्दाख की स्थिति

भौतिक दशाएँ—सम्पूर्ण प्रदेश रेतीला मैदान है, जिसमें यत्र–तत्र रेतीले टीले मिलते हैं। इन्हें बालुका स्तुप कहा जाता हैं। इसके पूर्वी भाग में अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। थार के इस गर्म मरुस्थल की जलवायु बहुत षुष्क है और मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में रेत की आंधियाँ भी चलती हैं। दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है वहीं रात होते–होते तापमान कम हो जाता है।

इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होती है, जो वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों द्वारा होती है। वर्षा की प्रकृति अनिश्चित और अनियमित होती है। अधिक तापमान के कारण इस क्षेत्र में वाष्पीकरण अधिक होता है। अनिश्चित वर्षा होने से कभी–कभी भयंकर बाढ़ें भी आ जाती हैं। सन् 2006 में बाड़मेर जिले के कवास में एवं सन् 2015 में जालोर जिले में वर्षा ऋतु के दौरान आयी बाढ़ इसके उदाहरण हैं। कम वर्षा के कारण यहाँ अकसर अकाल की स्थिति रहती है। भूमिगत जल अधिक गहराई पर मिलता है, जो अधिकांशतः खारा होता है, लेकिन जैसलमेर जिले की लाठी सीरिज क्षेत्र में मीठा भूमिगत जल उपलब्ध है।

वनस्पति– वर्षा की कमी के कारण यहाँ वनस्पति अधिक नहीं पाई जाती है। यहाँ अधिकतर छोटे, कंटीले वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनकी पत्तियाँ मोटी और छोटी होती हैं तथा जड़ें लम्बी और वृक्षों के तनों पर कांटे होते हैं। बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा आदि इस क्षेत्र के मुख्य वृक्ष हैं।

मरूस्थलीय वनस्पति

आर्थिक क्रियाएँ—यहाँ खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट, जिप्सम, संगमरमर, इमारती पत्थर, नमक आदि कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। बाड़मेर जिले से खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ खनिज तेल के शोधन के लिए एक शोधनशाला (Refainary) भी प्रस्तावित है।

शोधनशाला पर आधारित कई प्रकार के उद्योगों के विकास की संभावना यहाँ पर है। जलाभाव के कारण यहाँ आजीविका के ज़्यादा स्रोत उपलब्ध नहीं है। यहाँ के लोगों की आजीविका अधिकांशतः पशुपालन, कृषि, मजदूरी, हस्तशिल्प आदि पर निर्भर है। खेती ज्यादा संभव नहीं है। केवल कुछ ही महीनों के लिए कृषि कर सकते हैं, जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहती है। मकानों में वर्षा के जल संग्रहण की भी व्यवस्था की जाती है। कम पानी की आवश्यकता वाली ज्वार, बाजरा, मोठ तथा मूंग प्रमुख फसलें हैं। इंदिरा गांधी नहर के विकास के बाद क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि के कारण अब कई महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन और पेयजल उपलब्ध होने लगा है।

थार के मरुस्थल का एक दृश्य

पशुधन—यहाँ भेड़, बकरियाँ, गाय और ऊँट आदि पशु पाले जाते हैं, जिनसे दूध, घी, दही, मांस आदि प्राप्त किया जाता है। पशुचारण का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। क्षेत्र में लगने वाले पशु मेले में लोग अपने पशुओं को बेचने या खरीदने जाते हैं।

थार के मरुस्थल में पशुचारण

उद्योग—आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र अल्प विकसित है। सूती, ऊनी वस्त्र निर्माण, भेड़—बकरियों और ऊँटों के बालों से कालीन, कम्बल आदि बनाये जाते हैं। हथकरघा, हाथी दांत से वस्तुओं का निर्माण, संगमरमर की मूर्तियाँ, चमड़े की वस्तुएँ, नमकीन जैसे खाद्य पदार्थ आदि बनाए जाते हैं। यहाँ रंगाई, छपाई आदि से संबंधित कई छोटे उद्योग—धन्धे हैं।

परिवहन—इस क्षेत्र में बस और रेल यातायात की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में संचार के साधनों का भी वर्तमान में विकास हुआ है। यहाँ जोधपुर में वायु परिवहन की सुविधा है।

जनसंख्या—इस प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व राज्य में सबसे कम है। जल के अभाव के कारण जनसंख्या छोटे—छोटे गांवों में जल स्रोतों के निकट अधिक पायी जाती हैं। नहरों के विकास से सिंचित क्षेत्रों में अब जनघनत्व तेजी से बढ़ रहा है। भौगोलिक दशाएँ अधिक प्रतिकुल नहीं होने के कारण विश्व के सभी मरूस्थलों की तुलना में इस मरूस्थल में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है।

2. शीत मरुस्थल में मानव जीवन

आइए, गर्म मरूस्थल के बाद अब हम एक ठंडे मरूस्थल का अध्ययन करेंगे। भारत के सुदूर उत्तर में स्थित जम्मू और कश्मीर राज्य के उत्तर—पूर्व में स्थित है शीत मरुस्थल लद्दाख। यह तिब्बत के पठार का ही एक भाग है। यहाँ लद्दाख, लेह और कराकोरम पर्वत श्रेणीयाँ हैं।

भौतिक दशाएँ–यह प्रदेश अधिक ऊँचाई पर होने से शीतकाल में तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे पहुँच जाता है। अधिक ऊँचाई के कारण यहाँ कई हिमनद पाये जाते हैं जिनसे कई नदियों का जन्म होता है। वर्ष के अधिकांश समय में यहाँ बर्फ जमी रहती है। लद्दाख ऊँचे–ऊँचे पहाड़ों के बीच फैला बर्फ का एक मैदान, जहाँ बर्फबारी अधिक होती है। वर्ष भर लोग अपना जीवन कड़ाके की ठंड में व्यतीत करते हैं।

वनस्पति– लद्दाख में शीत कटिबन्धीय झाड़ियों का आधिक्य पाया जाता है। यहाँ की घाटियों में सफेदा और वेद के वृक्ष अधिक मिलते हैं। इनका उपयोग ईंधन और मकान बनाने में किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में सेव, खुबानी और अखरोट के वृक्ष भी बहुतायत में पाए जाते हैं।

आर्थिक क्रियाएँ–यहाँ विषम परिस्थितियाँ जीविका के ज्यादा अवसर नहीं देती। लद्दाख में भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी कठोर हैं कि यहाँ पर लोग छोटे–छोटे संकुलों में रहते हैं। खेती होती है, पर छोटे–छोटे खेत हैं। ठंडी जलवायु के कारण यहाँ वर्ष पर्यन्त कृषि नहीं होती है। कृषि केवल गर्मी की ऋतु में होती है। यहाँ मुख्यतः जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। कुछ लोग ज्यादा उपज को कारगिल के व्यापारियों को जानवरों के बदले बेच देते हैं। ये लोग प्रकृति के साथ एक घनिष्ठ सम्बन्ध बना कर जीते हैं। लोग यहाँ मुद्रा के बजाय वस्तुओं का लेन–देन अधिक करते हैं।

लद्दाख क्षेत्र में पशुचारण

पशुधन–लद्दाख में पशुओं की संख्या अधिक है। इन पशुओं में भेड़ें, बकरियाँ, याक, घोड़े, ज़ो और ज़ोमो (गाय तथा याक के मिश्रित रूप) आदि प्रमुख हैं। भेड़ों, बकरियों से ऊन, दूध, मांस आदि मिलते हैं। अन्य पशु बोझा ढोने के काम आते हैं। गर्मियों में भेड़–बकरियों को लेकर ऊँचे चरागाहों में चले जाते हैं, वहाँ सर्दियों में जब ऊँचाई पर ठण्ड बढ़ जाती है तो निचले भागों की तरफ लौट आते हैं।

याक

भेंड़

जानवरों के साथ मौसमी परिवर्तन के अनुसार होने वाले पलायन को मौसमी (ऋतु) प्रवास कहा जाता है। महिलाएँ भेड़–बकरियों की ऊन से वस्त्र बनाती हैं।

क्या आप जानते हैं–

ऋतु प्रवास–हिमालय के पहाड़ों में रहने वाली कई जनजातियाँ गढ़वाल–कुमाऊँ में भोटिया, कश्मीर में बकरवाल, जम्मू, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में भैंसों को चराने वाले गुज्जर, दक्षिण–पूर्वी लद्दाख में चांगपा, उत्तरी सिक्किम में भूटिया, अरुणाचल प्रदेश में मोन्पा जनजाति इत्यादि हैं, जो अपने पशुओं के संग मौसमी (ऋतु) प्रवास करती हैं।

उद्योग–लद्दाख जल और विद्युत शक्ति के साधनों से भरपुर है। शियोक, सिन्धु, वाका छू, द्रास, जास्कर जैसी बड़ी नदियाँ हैं। जिनका उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन हेतु किया जा सकता है। लद्दाख की कुछ नमकीन झीलों से नमक प्राप्त किया जाता है। पहाड़ी भागों में भेड़ों से ऊन और बालदार खालों से टोपियाँ बनाई जाती है। यहाँ नमदे, लोइयाँ, कम्बल और अन्य दूसरी वस्तुओं के कुटीर उद्योग संचालित हैं।

ऊन से धागा बनाती महिलाएँ

परिवहन–इस क्षेत्र में कई दर्रे स्थित हैं। कश्मीर और कराकोरम के बीच व्यापारिक मार्ग कराकोरम दर्रे से होकर जाता है। यहाँ आवागमन की सुविधा बहुत कम है, केवल पगडण्डियों एवं कच्ची सड़कों द्वारा ही आना–जाना होता है। पशु बोझा ढोने एवं आवागमन के काम आते हैं। पक्की सड़के बहुत कम है।

जनसंख्या–लद्दाख के लोग पर्वतों की घाटियों में छोटे–छोटे गाँवों में रहते हैं। घाटियों में हर जगह घर नहीं है बस कुछ–कुछ उपजाऊ भूखंड़ों पर ही पत्थर और गारे की ईंटों से बने घर मौजूद हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में 'खंग्पा' कहा जाता है। घरों की सपाट छतों का उपयोग पशुओं के लिए चारा जमा करने के लिए किया जाता है। लद्दाख के निवासी भारत–ईरानी और भारत–मंगोल प्रजाति के माने जाते हैं।

बर्फीले क्षेत्रों के लोग एवं उनका पहनावा

इस क्षेत्र में साल भर लोग सामान्यतः गर्म कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में इस क्षेत्र के नदी–नाले जम जाते हैं और लोगों के लिए ये आने–जाने के रास्ते बन जाते हैं। साथ ही शरीर को गर्म रखने के लिए 'छंग' नामक एक देशी पेय का उपयोग करते हैं। दुनिया से अलग–थलग सुदूरवर्ती इलाके में रहने वाले सभी लोग जनजाति की श्रेणी में आते हैं।

आओ करके देखें–

1. अपने गाँव / शहर में लोगों के आजीविका के प्रमुख स्रोतों का पता लगाइए।
2. अपने शिक्षक की सहायता से आपके क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए।

शब्दावली (Glossary)

बालुका स्तूप	–	गर्म मरुस्थल में स्थित रेत के टीले।
हिमानी	–	पहाड़ी पर स्थित बर्फ की अथाह राशि।
दर्रा	–	दो पहाड़ों के मध्य में तंग रास्ता।
निर्वाह कृषि	–	किसान द्वारा जीवनयापन के लिए की गई कृषि।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प चुनिए–
   (i) थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है–
   (अ) राजस्थान (ब) जम्मू और कश्मीर (स) केरल (द) तेलंगना ( )
   (ii) निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है–
   (अ) राजस्थान (ब) जम्मू और कश्मीर (स) केरल (द) झारखंड ( )
2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–
   (i) राजस्थान में..... पर्वत के पश्चिम में मरुस्थल है।
   (ii) लद्दाख में छोटे–छोटे घर स्थानीय भाषा में ..... के नाम से जानते हैं।
   (iii) मौसम के परिवर्तन के अनुसार किया जाने वाला प्रवास .....प्रवास कहलाता है।
   (iv) .....जिले में खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है।
3. थार में लोगों की आजीविका का मूल साधन क्या है?
4. मरूस्थलीय वनस्पति की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
5. थार के मरूस्थल की प्रमुख समस्याएँ कौन–कौन सी हैं?
6. भारत में ऋतु प्रवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ कौन–कौन सी हैं?
7. लद्दाख में पाई जाने वाली भौतिक दशाओं का उल्लेख कीजिए।
8. गर्म एवं ठंडे मरुस्थलों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

अध्याय 7

विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन (2)

प्राकृतिक परिस्थितियाँ हमारी आजीविका के अलग–अलग अवसर प्रदान करती हैं। पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न स्थलरूप और पर्यावरण हमारा आवास बनाते हैं। कुछ लोग पहाड़ों पर रहते हैं, तो कुछ मैदानो में या जंगलों में। वहीं कुछ लोग रेगिस्तान में रहते हैं तो कुछ समुद्र के किनारे तटीय इलाकों में। नदियों द्वारा पोषित मैदानों की उपजाऊ मिट्टी में लोग खेती करते हैं। वहीं रेगिस्तानों में न ही उपजाऊ भूमि होती है और न ही पर्याप्त पानी। ऐसी दशा में मैदानों की तुलना में रेगिस्तानों में खेती बहुत कम होती है। यहाँ लोग पशुपालन करते हैं। समुद्र के समीप रहने वाले लोगों के आय का साधन जल हैं। इस प्रकार अलग–अलग प्राकृतिक परिवेश में लोग भिन्न–भिन्न आजीविका के साधन जुटाते हैं। ये आजीविका के स्रोत न केवल अपने परिवेश से प्रभावित होते हैं अपितु अपने पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस तरह मानव तथा प्रकृति के मध्य की अंतःक्रिया अनूठे मानवीय भू–दृश्यों को जन्म देती है। प्राकृतिक भू–दृश्यों के विपरीत इन मानवीय भू–दृश्यों में हमारे गाँव, शहर, खेत–खलिहान, कुएँ, बावड़ियाँ, मोटरगाड़ी, कल–कारखाने, धार्मिक स्थल आदि सम्मिलित हैं। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। आइए हम इस अध्याय में नदी निर्मित एवं तटीय मैदानों में मानव जीवन की दशाओं का अध्ययन करते हैं।

1. मैदानी प्रदेश में मानव जीवन

हमारे देश के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य गंगा–यमुना का विशाल मैदान स्थित है। यह नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित उपजाऊ क्षेत्र है।

भौतिक दशाएँ–यह भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। इसे चार भागों में बाँटा जाता है। हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहाँ कंकड़–पत्थर अधिक पाए जाते हैं, भाबर कहलाता है। यहाँ नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं। इसके निकट ही दलदली क्षेत्र पाया जाता है जिसे तराई प्रदेश कहते हैं। नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को बांगर कहा जाता है तथा नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान को खादर कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत पड़ती है तथा वातावरण उमस भरा रहता है। शीतऋतु में शीत लहर चलती है। किसी सामान्य मैदानी इलाके की तरह यहाँ

मैदान में स्थित खेतों का दृश्य

वर्षा अच्छी होती है इसी कारण से यहाँ भूमिगत जल भी कम गहराई पर ही मिल जाता है। शीतकाल में पश्चिमी चक्रवातों से कभी–कभी वर्षा हो जाती है।

वनस्पति–इस क्षेत्र में पहले काफी वनस्पति पाई जाती थी, किन्तु आबादी एवं कृषि कार्य बढ़ने के कारण यहाँ के वन क्षेत्रों में कमी आई है। पोप्लर, साल, सेमल, शीशम, बबूल, हल्दू एवं कई प्रकार की घास पाई जाती है। पोप्लर का उपयोग प्लाई–वुड बनाने में होता है।

आर्थिक क्रियाएँ–मैदानों की भौगोलिक परिस्थितियाँ कृषि को बढ़ावा देती हैं। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी के कारण अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। साल भर खेती होती है और तीन फसलें आराम से हो जाती हैं। वर्षा ऋतु में मुख्य रूप से चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, गन्ना आदि बोया जाता है। वहीं सर्दियों में गेंहूँ, सरसों और बरसीम की अच्छी पैदावार होती है। वैसे तो यहाँ मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि कोई भी फसल उगा सकते हैं। इन फसलों में मक्का और बरसीम का उपयोग जानवरों की खुराक के रूप में उपयोग होता है। यहाँ गन्ने की फसल भी उगाई जाती है जो चीनी कारखाने में चीनी तथा गुड़ बनाने में काम आता है। लोग खेतों के चारों तरफ पोप्लर के पेड़ उगाते हैं। इससे खेतों का सीमांकन तो होता ही है, साथ ही साथ ये आजीविका के उत्तम स्रोत के रूप में भी उभर रहा है। इनके अलावा आम, लीची और अमरूद के बाग भी हैं। कृषि के साथ लोग पशुपालन भी करते हैं। किसान पशुपालन से प्राप्त दूध, घी आदि को डेयरी में बेचते हैं।

उद्योग–यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से बहुत विकसित है। यहाँ अनेक प्रकार के लघु, मध्यम और वृहत उद्योगों का विकास हुआ है। इन उद्योगों में सूती–ऊनी वस्त्र, चीनी, इंजीनियरिंग, काँच, गलीचा निर्माण, चमड़े के उत्पाद निर्माण, प्लास्टिक, रसायन निर्माण एवं खेल का सामान निर्माण आदि हैं। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कानपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, फिरोजाबाद और सहारनपुर आदि हैं।

परिवहन–धरातल की एकरूपता और समतल होने के कारण यहाँ परिवहन मार्गों का जाल–सा बिछा हुआ है। प्रायः सभी बड़े नगरों से बस और रेल यातायात की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। सम्पूर्ण मैदान में सार्वजनिक, औद्योगिक और व्यक्तिगत संचार के साधनों का भी विकास हुआ है। क्षेत्र के प्रमुख शहर वायु परिवहन सेवा से भी जुड़े हुए हैं।

जनसंख्या–इस क्षेत्र में कृषि विकास और औद्योगीकरण के कारण जनसंख्या का जमाव अधिक हुआ है। यहाँ सभी समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे–जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पीढ़ी–दर–पीढ़ी खेत छोटे होते जा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्षेत्र के गाँवों से दो तरह का पलायन होता है। एक तरफ आजीविका के बेहतर अवसरों की तलाश में लोग रोज़ शहर आते–जाते रहते हैं। वहीं सम्पन्न लोग उच्च शिक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए पलायन कर रहे हैं। ये सभी लक्षण गंगा–यमुना के मैदानों में आसानी से देखे जा सकते हैं।

आओ करके देखें–

मानव के बसाव के लिए मैदान सबसे अधिक उपयुक्त क्यों रहते हैं ? कारणों की सूची बनाकर चर्चा कीजिए।

2. तटीय मैदानों में मानव जीवन

विश्व पटल पर एशिया महाद्वीप में विविधताओं से भरा हमारा देश भारत स्थित है। इसे प्रकृति ने ख़ास विशेषताओं से सुसज्जित किया है। यहाँ भौगोलिक, वानस्पतिक, जलवायविक, धरातलीय और सांस्कृतिक विविधताएँ दिखाई देती हैं। इस विविधतायुक्त भारतीय उपमहाद्वीप के जहाँ एक ओर हिमालय सजग प्रहरी की तरह खड़ा है, तो दूसरी ओर प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण तीनों ओर अथाह जल राशि इसके दक्षिणी भाग को पोषित और पल्लवित करती है। भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में कई प्रकार की जैविक और मानवीय विविधताएँ पाई जाती है। यहाँ के पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है–

(क) पश्चिमी तटीय मैदान– 1. काठियावाड़ तट 2. कोंकण तट 3. कन्नड़ तट 4. मालाबार तट

(ख) पूर्वी तटीय मैदान– 1. उत्तरी सरकार तट 2. कोरोमण्डल तट

आइए अब हम विविधताओं से युक्त मालाबार तटीय प्रदेश की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं।

यह प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर गोआ से कन्याकुमारी तक एक संकरी पट्टी में फैला हुआ है, जो सामान्यतः 70 से 90 किलोमीटर चौड़ा है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी, अनामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं।

भौतिक दशाएँ—मालाबार तट पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो एक संकीर्ण एवं उपजाऊ मैदान है। इस तट पर कई लैगुन पाए जाते हैं। वेंबानाद इसी प्रकार का एक प्रसिद्ध लैगुन है। इस मैदान के पूर्व की ओर पुरानी चट्टानों से बना पहाड़ी क्षेत्र है जो पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ है। समुद्र के निकट होने के कारण इस प्रदेश की जलवायु अत्यन्त नम और सम है। वर्ष भर इसका तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास ही रहता है। वार्षिक तापान्तर कम पाया जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 250 सेमी. से 400 सेमी. तक होती है जो जून से आरम्भ होकर नवम्बर तक होती रहती है।

वनस्पति—इस प्रदेश का एक–तिहाई भाग वनो से ढका हुआ है। ऊँचे तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर नारियल के वृक्ष अधिक मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सागवान, सिनकौना, साल, रबड़, एबोनी, रोजवुड़ आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं।

आर्थिक क्रियाएँ—मालाबार प्रदेश प्रमुख रूप से उन्नत कृषि प्रदेश है। कृषि व्यवसाय में लगभग आधी जनसंख्या लगी हुई है। उपजाऊ कांप और दोमट मिट्टी में कई फसलें पैदा की जाती है। मसालों की कृषि भी अधिक की जाती है। कालीमिर्च, लोंग, इलाईची और अन्य मसाले यहाँ अधिक पैदा किये जाते हैं। मैदानी भागों में नारियल, सुपारी, काजू आदि भी पैदा किया जाता है। पश्चिमी घाट के समीपवर्ती पहाडी क्षेत्रों में चाय, कॉफी एवं रबड़ के उद्यान लगे हुए हैं। तट के निकट स्थित होने के कारण मछलियाँ पकड़ना भी एक प्रमुख व्यवसाय है।

तटीय क्षेत्रों में नारियल के वृक्ष

मछलियाँ पकड़ते लोग

यहाँ के तटीय भागों में आणविक खनिज, मोनोजाइट, जिरकन, थोरियम तथा भीतरी भागों में चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, गारनेट और ग्रेफाइट पाये जाते हैं। इस प्रदेश में नदियों का बहाव तेज है। अनेक स्थानों पर जलविद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए बाँध बनाए गये हैं।

उद्योग—मालाबार मैदान में तेजी से उद्योग–धंधों का विकास हो रहा है। सूती वस्त्र, नारियल तेल, साबुन, साइकिल के पुर्जे, काँच और रासायनिक पदार्थों के निर्माण के कारखाने हैं। तिरुवनन्तपुरम, अलवाये, कोजीकोड़ प्रमुख औद्योगिक नगर हैं।

परिवहन—आवागमन के मार्गों की इस क्षेत्र में अच्छी सुविधा है। यहाँ सभी प्रकार के परिवहन साधनों जल, थल, वायु परिवहन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यहाँ कई बंदरगाह भी विकसित हुए हैं, जैसे–कोजीकोड, कोच्चि, अलेप्पी, तिरुवनन्तपुरम आदि हैं।

जनसंख्या—यह प्रदेश भारत के अत्यन्त घने बसे प्रदेशों में से एक है। अधिकांश जनसंख्या गांवों में तट के सहारे बसी हुई है। यहाँ रहने वाले मुख्यतः मलयालम एवं अंग्रेजी भाषा बोलते हैं।

आओ करके देखें–
भारत के रूपरेखा मानचित्र में तटीय मैदानों की स्थिति को दर्शाइए।

शब्दावली (Glossary)

जलोढ़ मिट्टी	–	नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी
बरसीम	–	एक प्रकार की घास
पोप्लर	–	एक प्रकार का पेड़
लैगून	–	समुद्र के तट पर निक्षेप से निर्मित खारे जल की झील को

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(i) 'खादर' शब्द का संबंध किस से है–

(क) मैदान (ख) पर्वत

(ग) पठार (घ) नदी ( )

(ii) निम्नलिखित में से कौनसा एक पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं हैं–

(क) कोरोमंडल (ख) कोंकण

(ग) कन्नड़ तट (घ) मालाबार तट ( )

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

   (i) वेंबानाद एक प्रसिद्ध .... है।

   (ii) मालाबार तट पर .... के वृक्ष अधिक मिलते हैं।

   (iii) गंगा–यमुना के मैदानों में ....मिट्टी पाई जाती है।

   (iv) नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को .... कहा जाता है।

3. तटीय मैदान के लोगों के मुख्य व्यवसाय कौन–कौन से हैं?

4. मैदानी क्षेत्रों में कृषि कार्य अधिक क्यों किया जाता है? यहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों के नाम लिखिए।

5. खादर एवं बांगर में क्या अन्तर है?

6. पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदानों के उपभागों के नाम लिखिए।

7. तटीय मैदानों की प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए।

8. गंगा–यमुना मैदान में किन–किन उद्योगों का विकास हुआ है?

अध्याय 8

समाज और हमारे दायित्व

साधारण शब्दों में समाज को व्यक्तियों का एक ऐसा समूह माना जाता है , जिसकी एक समान संस्कृति होती है। समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। एक व्यक्ति किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का पति तो किसी का भाई भी हो सकता है। यदि हम संसार को लें तो व्यक्तियों का परिवार से और एक परिवार का अन्य परिवारों से सामाजिक संबंध पाया जाता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेला मनुष्य स्वयं नहीं कर पाता है। अतः उसे दूसरों के साथ सहयोग करना होता है, वह उनके साथ मिल–जुलकर काम करता है। इस प्रक्रिया से लोगों में सामाजिक संबंध पनपते हैं। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, अतः समाज सामाजिक संबंधों की अमूर्त व्यवस्था है। इन सामाजिक संबंधों के फलस्वरुप व्यक्ति को समाज में विभिन्न प्रस्थितियाँ (status) प्राप्त होती हैं और उनके अनुसार ही उसे विभिन्न व्यवहार एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता है, क्योंकि समाज भी व्यक्ति से उसको प्राप्त प्रस्थितियों के अनुरूप ही उसके व्यवहार, क्रियाएँ एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन की अपेक्षा करता है।

व्यक्ति और समाज एक–दूसरे पर आश्रित हैं। उनका संबंध एक पक्षीय नहीं है, बल्कि दोनों ही एक–दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के विकास के लिए अनिवार्य हैं। व्यक्ति समाज के बिना अपना विकास नहीं कर सकता, तो वहीं समाज का अस्तित्व भी व्यक्तियों से ही है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि –

1. **मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है–** मनुष्य में स्वभाव से ही सहयोग एवं सह–अस्तित्व की भावना पायी जाती है। वह समाज से अलग अकेला नहीं रह सकता। समाज में रहते हुए वह अन्य मनुष्यों के साथ समाज की गतिविधियों में भाग लेता है, जिससे उसका विकास होता है।
2. **आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है–** मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहता है। वह अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों की सहायता लेता है। व्यक्ति समाज में ही उत्पन्न होता है। बच्चा माता–पिता की देखभाल में पलता है और उनके साथ रहकर ही नागरिकता का पहला पाठ पढ़ता है। कोई भी व्यक्ति तब तक मनुष्य नहीं बन सकता, जब तक कि वह अन्य मनुष्यों के साथ नहीं रहे। हम दूसरों के साथ रहकर तथा उनकी सहायता से अपनी भोजन, आवास, कपड़ा आदि की जरुरतें पूरी करते हैं। अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भी व्यक्ति को सामाजिक बनना ही पड़ता है।

   मनुष्यों के सम्पर्क से दूर और पशुओं के बीच पल जाने वाले कुछ बच्चों के उदाहरण भी मिले हैं, परन्तु उनकी आदतें और व्यवहार पशुओं जैसे ही विकसित हो गए थे।
3. **समाज व्यक्तित्व का विकास करता है–** समाज में मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। समाज व्यक्ति में अन्तर्निहित शक्तियों को विकसित और मर्यादित करता है। समाज में हमारे

दृष्टिकोण, विश्वास और आदर्श समुचित रूप से ढलते हैं। समाज हमारी संस्कृति को न केवल सुरक्षित रखता है, बल्कि उसे अगली पीढ़ी तक भी पहुँचाता है।

गतिविधि :
सोचिए, यदि आप को कुछ दिन निर्जन स्थान पर अकेले में जीवन बिताना पड़े, तो आपको कौनसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और आपको कैसा अनुभव होगा ।

व्यक्ति में समाज के प्रति अन्तर्निहित विरोध

यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति का समाज के साथ या फिर अपने साथ के मनुष्यों के समूह के साथ सदैव सामंजस्य बना ही रहे। कई बार व्यक्ति का उसके समाज के साथ किन्हीं पहलुओं पर गंभीर विरोध उत्पन्न हो सकता है, जो उसकी परिस्थितियों से मेल न खाते हों। किन्तु इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि सामाजिक व्यवस्था में ही ह्रास हो रहा हो तथा इस कारण से व्यक्ति और समाज में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। समाज की संस्थाओं में विभिन्न कारणों से कभी विकार भी आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के वातावरण में पला–बढ़ा है, यदि उसे दास–प्रथा के वातावरण में रख दिया जाए, तो यह स्थिति उसके लिए दमनकारी और कष्टदायक होगी। उस स्थिति में वह समाज–विरोधी हो जाएगा। उसके विरोध का कभी भी आकस्मिक तथा अभूतपूर्व विस्फोट हो सकता है। वह समाज में लोकतांत्रिक और मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए संघर्ष कर सकता है।

अतः समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण और सामाजिक–व्यवस्थाएँ लोकतांत्रिक, समानतावादी और मानवतावादी होनी चाहिए। समाज की व्यवस्थाएँ व्यक्ति की अवहेलना न करके, उसके विकास में साधक बने । व्यक्ति को समाज के प्रति कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में सक्षम बनाना समाज का कर्त्तव्य है। ऐसा समाज स्वस्थ समाज होता है। इस प्रकार के समाज में अन्तर्विरोधों की सम्भावनाएँ कम ही होती हैं।

गतिविधि :
आप जिस प्रकार के सामाजिक परिवेश में रह रहे हैं, उस पर अपने साथियों से विचार करके एक लेख लिखिए।

हमारे सामाजिक दायित्व

हमारे ऋषियों अर्थात् संस्कृति–पुरुषों ने ऋग्वेद में एक स्थान पर प्रार्थना की है कि – "हे ईश्वर! हम अपने पडौसी के प्रति अन्याय न करें, न ही अपने मित्र को हानि पहुँचायें। हमारे प्रति प्रेम करने वालों के प्रति हमसे कोई दुर्व्यवहार न हो जाय।"

एक अन्य स्थान पर उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की है कि "सब मनुष्य भली प्रकार मिल कर रहें और प्रेमपूर्वक आपस में वार्तालाप करें। सबके मनों में एकता का भाव हो और वे अविरोधी ज्ञान प्राप्त करें। सभी लोग सहयोगपूर्वक कार्यों को करें।"

जिस समाज के सदस्य इस प्रकार का आचरण करते हैं, उस समाज में सुख तथा शान्ति का

वातावरण बना रहता है और मनुष्य का कल्याण होता है। ये विचार मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए हैं।

समाज और व्यक्ति परस्पर निर्भर होते हैं, अतः स्वस्थ और सुखी समाज की स्थापना के लिए व्यक्ति के समाज के प्रति कर्त्तव्य बनते हैं। समाज के सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार का आचरण करना उचित होगा –

(1) समाज के प्रति उचित आचरण : हमें बदलते सामाजिक परिवेश को समझ कर उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। हमारा समाज स्वस्थ और विकास–उन्मुख जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिए हमें समाज में प्रचलित रूढ़ियों को समाप्त करना होगा और बहुत से सुधार करने होंगे। व्यक्ति की गरिमा का हनन् करने वाली और महिलाओं का असम्मान करने वाली दहेज आदि कुप्रथाओं का त्याग करें। भारतीय परम्परा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठावान् महापुरुषों ने इन बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। एकता, भातृत्व भाव और सह–अस्तित्व की भावना से जीवन बिताते हुए ही हम अपनी व समाज की उन्नति कर सकते हैं। स्वयं भी जियें और दूसरों को भी जीने दें। यदि हम अपने समाज के प्रति अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वाह करते हैं, तो हमारा समाज और राष्ट्र निरन्तर प्रगति करता रहेगा।

(2) समाज की उत्पादक इकाई बने : देश की अर्थव्यवस्था एवं उत्पादन बराबर चलता रहे, इसके लिए नागरिकों को निरन्तर कार्य में लगे रहना चाहिए। हमें लापरवाही, हड़ताल जैसी गतिविधियों से बचना चाहिए। प्रत्येक नागरिक जो भी कार्य कर रहा है, उस कार्य को पूरी ईमानदारी से करें और उत्पादन की मात्रा और गुणात्मकता को बढायें। उत्पादन का तरीका सांस्कृतिक और जीवन–मूल्यों की रक्षा करने वाला हो। विद्यार्थियों का कर्त्तव्य है कि वे मन लगाकर और मेहनत से शिक्षा प्राप्त करके समाज के उपयोगी सदस्य बनें। हमें राष्ट्र को सबल, समृद्ध और सुखी बनाने के लिए निरन्तर कार्यशील रहना चाहिए।

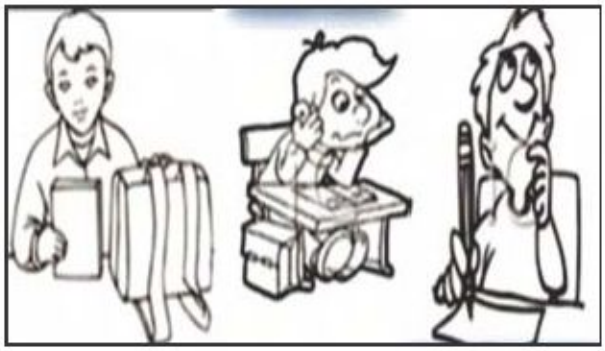

बच्चे शिक्षा प्राप्त करके सुनागरिक बनें

(3) सार्वजनिक जीवन में अनुशासन : प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्वतंत्रता का अर्थ है– इच्छानुसार काम करना, परन्तु इसका मतलब मनमानी करना नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, जो स्वतंत्रता का गलत अर्थ लगाते हैं और मनमानी करते हैं। वे स्वतंत्रता का दुरूपयोग करते हैं।

आपने देखा होगा कि कुछ लोग सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना हो सकती है। ऐसे और भी अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। कुछ लोग कहीं भी दीवारों पर लिख देते हैं, पोस्टर चिपका देते हैं। अनेक लोग देर रात तक और जोर–जोर से संगीत बजाते हैं। कुछ लोग नशा करके हुड़दंग मचाते हैं। सार्वजनिक सुविधाओं जैसे– ट्रेन, बस, बस–स्टेण्ड, उद्यान आदि में सुविधाओं का लापरवाही से प्रयोग करते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं, चीजों को

इधर–उधर डाल देते हैं या चोरी कर ले जाते हैं। कचरे को उचित स्थान पर नहीं डाल कर इधर–उधर डाल देते हैं और गंदगी फैला देते हैं। अनेक लोग संचार के साधनों के माध्यम, इंटरनेट तकनीक और उसके सोशल मिडिया जैसे संचार मंच का दुरुपयोग कर साइबर अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। यह स्वतंत्रता नहीं बल्कि अनुशासनहीनता है। समाज में कुछ लोगों द्वारा किये गए इन गलत कार्यों से अनुशासनहीनता का वातावरण बनता है। समाज में लड़ाई–झगड़ा और संघर्ष पैदा होता है। इन कार्यों से देश और समाज को नुकसान होता है और देश की प्रगति बाधित होती है। हमें हिंसा, उत्तेजना और अश्लील आचरण से बचना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज को कष्ट उठाने पड़े।

अपना पक्ष रखने या विरोध जताने के लिये उत्तेजना और हिंसा उचित नहीं है। लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, किंतु तरीका सभ्य व लोकतांत्रिक होना चाहिए। अपने विचारों को संयम और तर्क के साथ रखना चाहिए। हमें सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करनी चाहिए।

गतिविधि :
आप अपने परिवेश में अनुशासनहीनता सम्बन्धी जिन गतिविधियों को देखते हैं, उनकी एक सूची बनाइए।

(4) दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना : हम अपने लिए दूसरों से जो अधिकार चाहते हैं, वे अधिकार हम उन्हें भी प्रदान करें। सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के लोकतांत्रिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो समाज में व्यक्तियों के परस्पर सम्मान और समानता, सद्भावना व बंधुत्व भाव के विरुद्ध हों। समाज में समरसता का निर्माण करने में सहयोग करें। हमारा उद्देश्य सभी का उत्कर्ष और उनकी सुख–समृद्धि होना चाहिए।

(5) संस्कृति की रक्षा : वैश्विक संस्कृति के इस युग में प्रत्येक बात का अन्धानुकरण न करके हमें उसमें से सत्य को पहचानना होगा और अपनी परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार उसका परिष्कार करना होगा। हमारा संविधान हमसे अपेक्षा करता है कि हम भारतीय सामासिक संस्कृति व परम्पराओं का महत्त्व समझे और उनके स्वस्थ व गौरवशाली स्वरुप का परिरक्षण करें। हम अपने पारिवारिक व सामाजिक मूल्यों की रक्षा करें। देश के महापुरुषों व स्वाधीनता–संघर्षकालीन राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान करें व उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करें। हमारी राष्ट्रीय धरोहरों व स्मारकों की रक्षा करें।

(6) राजनीतिक जागरूकता : भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए राजनीतिक जागरूकता जरूरी है। वह नागरिक राजनीतिक रूप से जागरूक कहलाता है जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सजग रहता है और अपने कर्त्तव्यों का पालन स्वतः ही करता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है। दूरदर्शन, रेडियो, समाचार–पत्र और पत्रिकाएँ आदि जन संचार के माध्यमों के उपयोग से हमारे ज्ञान का विस्तार होता है और हमारी राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। समाचारों के साथ विद्वानों के विचार सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। इससे हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए।

(7) विवेकपूर्ण मतदान : मत (वोट) देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक की सबसे बड़ी शक्ति है। इस कारण मतदान का लोकतंत्र में विशेष महत्त्व है। किन्तु कुछ लोग अपने इस महत्त्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति जागरूक नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि वे मतदान के लिए नहीं जाते। मतदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। यदि आप मतदान नही करते हैं, तो हो सकता है कि आप जिस उम्मीदवार को योग्य समझते हैं और जिस राजनीतिक दल की नीतियों को ठीक समझते हैं, वह जीत नहीं पाए और वह सरकार नहीं बना पाए। यदि बहुत बड़ी मात्रा में लोग मतदान के प्रति उदासीन रहते हैं तो हो सकता है कि देष अच्छे शासन से वंचित हो जावे। अतः मतदान अवश्य करना चाहिए।

मतदान केंद्र का दृश्य

समझदार एवं अनुभवी मतदाता हमेशा योग्य व्यक्ति के पक्ष में अपना मतदान का प्रयास करता है। परन्तु कुछ मतदाता ऐसे हो सकते हैं जो रिश्तेदारी, जाति या धर्म के आधार पर अथवा प्रलोभन में आकर बिना सोचे समझे अयोग्य व्यक्ति को मतदान कर सकते हैं। हमें राष्ट्रहित में सोच–समझकर मतदान करना चाहिए।

(8) स्वच्छता एवं स्वास्थ्य : घर, मोहल्लों और अन्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाएँ रखें और कचरे को यथास्थान डालें। पॉलिथिन की थैलियों का प्रयोग न करें, उसके स्थान पर कागज व कपड़े से बने थैले ही काम में लें। कोई भी ऐसा कृत्य न करें, जो मानवीय जीवन को खतरे में डाले। स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मादक व नशीले पदार्थों के सेवन से बचें। हमारे देश में प्रति वर्ष हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जिसका एक कारण समय पर खून उपलब्ध नहीं हो पाना है। अतः दूसरों का जीवन बचाने के लिए हमें रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान है।

स्वच्छ भारत अभियान

(9) प्रशासन की सहायता करना : हो सकता है कि आपके आस–पास कोई व्यक्ति नकली या मिलावटी माल बेचता हो। आप ऐसे कार्यों की सूचना प्रशासन को देवें। रिश्वत लेना और देना दण्डनीय अपराध है। रिश्वत नहीं देनी चाहिए और रिश्वत माँगने वालों की प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। अफवाह फैलाने तथा हिंसा और उत्तेजना उत्पन्न करने से बचना चाहिए। ऐसा करने वालों की सूचना पुलिस एवं प्रशासन को देनी चाहिए। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। भूकम्प, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय नागरिकों व प्रशासन की सहायता करनी चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए।

(10) पर्यावरण की रक्षा : प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि हमारी प्राकृतिक धरोहर वन, झील और नदियों की रक्षा और संवर्धन करे। कुएँ, तालाब, झील और नदियों में कचरा व अपशिष्ट पदार्थ न

डाले। अधिक से अधिक पेड़ लगावे। प्रकृति के साधनों का मितव्ययता के साथ उपयोग करे। हम प्रकृति से उतना ही लें और इस प्रकार लें कि प्रकृति उस कमी की स्वयं पुनः पूर्ति कर लें। हमें पर्यावरण मित्र बनना चाहिए।

पर्यावरण की रक्षा

(11) सेवा कार्य : हमें प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखना चाहिए। संकटग्रस्त लोगों, निराश्रितों, वृद्धों और बालकों की मदद करनी चाहिए। अस्पताल, अनाथालय, वृद्धाश्रम और गरीबों की बस्तियों में समय–समय पर अपनी सेवा व सहयोग प्रदान करना चाहिए। शिक्षा के प्रसार में सहयोग करना चाहिए। दिन में कम से कम एक सेवा का कार्य तो अवश्य करना चाहिए।

गतिविधि :
अपने शिक्षक की सहायता से विद्यालय और अपने गाँव / मोहल्ले में सामाजिक दायित्वों का बोध करवाने वाले नारे लिखिए।

हमें भारतीय संस्कृति के शाश्वत् जीवन मूल्यों के साथ राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र, समता और विश्व–बंधुत्व के आदर्शों को एक समन्वित रूप में समाज में विकसित करना है। संस्कृति के संरक्षण के साथ–साथ उसे गति भी देकर सजीव व सक्षम बनाना है।

शब्दावली

सोशल मीडिया – यह ऑनलाइन संचार चैनलों का एक माध्यम है जो कि लोगों के लिये नेटवर्क में सूचनाओं, विचारों, तस्वीरों और चलचित्रों के सृजन सहभागिता या आदान–प्रदान को सम्भव बनाता है।

सामासिक संस्कृति – सामासिक संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य हैं जिसमें सहिष्णुता सन्निहित है।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

   (I) निम्नलिखित में से जो बात सत्य है, वह है–

   (अ) मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है।

   (ब) आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है।

   (स) समाज व्यक्तित्व का विकास करता है।

   (द) उपर्युक्त तीनों ही। ( )

   (ii) समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवस्थाएँ होनी चाहिए–

   (अ) लोकतांत्रिक (ब) समानतावादी

   (स) मानवतावादी (द) उपर्युक्त तीनों ही। ( )

2. स्तम्भ 'अ' एवं 'ब' को सुमेलित कीजिए–

	स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
(I)	वन, झील और नदियों की रक्षा करना।	राजनीतिक जागरुकता
(ii)	संकटग्रस्त लोगों, निराश्रितों, वृद्धों और बालकों की मदद करना।	पर्यावरण की रक्षा
(iii)	अपने अधिकारों की रक्षा और कर्त्तव्यों का पालन करना	सेवा कार्य

3. मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों है ?
4. हम किस प्रकार प्रशासन की सहायता कर सकते हैं ?
5. विरोध जताने के तरीके कैसे होने चाहिए?
6. जागरुक मतदाता की विशेषताएँ बताइए।

अध्याय 9

लोकतंत्र और समानता

समानता का एक अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी आवश्यकता का ध्यान रखते हुए समान व्यवहार करना और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर उपलब्ध करवाना। 'समानता' लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। हमारे संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सरकार व्यक्ति को कानून के सामने समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का शासन कहते हैं।

'कानून का शासन' किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अन्तर नहीं किया जा सकता।

लोकतंत्र के विभिन्न घटकों में (i) अपने प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार 'राजनीतिक लोकतंत्र' है। (ii) व्यवसाय व उपभोग की स्वतंत्रता 'आर्थिक लोकतंत्र' है। (iii) व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 'सामाजिक लोकतंत्र' है। समाज में समानता स्थापित करने के लिए केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, अपितु आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र आना चाहिए। किसी एक क्षेत्र में लोकतंत्र का अभाव दूसरे क्षेत्र में लोकतंत्र को नहीं पनपने देता। भारतीय संस्कृति की अवधारणा यह भी है कि समानता के साथ–साथ मनुष्यों में परस्पर एकता और अपनापन भी होना चाहिए।

समानता एवं भारतीय संविधान

भारतीय संविधान सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का निर्देश देता है। भारतीय संविधान ने समानता के अधिकार को इस प्रकार स्पष्ट किया है–

1. सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म–स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती।

2. दुकान, सिनेमाघर और होटल जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता।
3. सार्वजनिक कुएँ, तालाब, स्नानागार, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है।
4. सरकार में किसी भी पद पर नियुक्ति या नौकरी में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म–स्थल के आधार पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
5. संविधान सामाजिक भेदभाव के एक रूप– छुआछूत या अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए सरकार को निर्देश देता है। सरकार ने किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार देते हुए इसे एक दण्डनीय अपराध करार दिया है।
6. किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म आदि के आधार पर प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता।
7. सरकार समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बना सकती है और न ही कोई ऐसा फैसला ले सकती है। कोई नागरिक या संस्था या फिर स्वयं सरकार भी यदि व्यक्ति के इस अधिकार का उल्लंघन करती है, तो वह व्यक्ति अदालत के जरिए उसे रोक सकता है। जब मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो, तो ऐसे मामलों को लेकर कोई भी व्यक्ति 'जनहित याचिका' के माध्यम से अदालत में मामले को उठा सकता है।

मताधिकार की समानता

भारत जैसे लोकतंत्रीय देश में सभी वयस्कों अर्थात् 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नागरिकों को मत (वोट) देने का, अर्थात् सरकार चुनने का अधिकार है ; चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर, चाहे स्त्री हो या पुरुष। हर एक को मत देने का अधिकार है। सबके मत की कीमत समान होती है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह लोकतंत्र का आवष्यक पहलू है।

> **गतिविधि :**
> आपके क्षेत्र के मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) से मतदान दिवस के बारे में चर्चा कीजिए।

पंथ निरपेक्षता और समानता

भारत में कोई भी धर्म या पंथ राजकीय धर्म या पंथ के रूप में मान्य नहीं है, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ व्यक्ति अपने मत के अनुसार जीवन व्यापन करते हैं। प्रत्येक को अपने धर्म या पंथ के पालन की स्वतंत्रता है। सरकार सभी धर्मों या पंथों को बराबर का सम्मान देती है। परन्तु भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी संस्कृति एवं विशिष्टताओं को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। वे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के लिए अपने शैक्षिक–संस्थान स्थापित कर सकते हैं।

नीति निदेशक तत्व और समानता

संविधान सरकार को निर्देशित करता है कि वह आर्थिक न्याय और अवसर की समानता स्थापित करने के लिए कार्य करे। सरकार आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करे। वह व्यक्तियों और समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कानूनी प्रावधानों के साथ–साथ ही सरकार अनेक योजनाएँ व कार्यक्रम चला रही है।

गतिविधि :
आपके क्षेत्र में आयोजित होने वाले मेले किस प्रकार सामाजिक समानता एवं समरसता को बढ़ाते हैं, शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए।

आरक्षण व समानता

अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण के पीछे उद्देश्य यह है कि समाज के वंचित व पिछड़े वर्गों को विकास के विशेष अवसर देकर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के द्वारा उन्हें समाज की मुख्य धारा में बराबरी की स्थिति में लाना।

सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं में महिला, वंचित वर्ग, गरीब और 'अन्यथा सक्षम लोगों' (विशेष योग्यजनों) को प्राथमिकता देती है। संसद और विधानसभाओं में कुछ पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। स्थानीय निकायों में तो महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी पद आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में भी इन सभी वर्गों के लिए पद आरक्षित हैं। लोक कल्याण के लिए तथा समानता स्थापित करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि ये लाभ अति जरूरतमंद व्यक्तियों तक अवश्य पहुँचे।

भारत की छः दशकों से अधिक की लोकतांत्रिक यात्रा का परिणाम ही है कि समाज के वे समूह जो दीर्घकाल से पिछड़े हुए थे, उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। हर क्षेत्र में सभी वर्गों की सहभागिता बढ़ रही है। समतामूलक और न्यायप्रिय समाज की स्थापना के लिए अभी और प्रयासों की आवश्यकता है, जिसका अवसर लोकतंत्र ही प्रदान करता है।

शब्दावली

जनहित याचिका – न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़े हुए विषय का प्रार्थना–पत्र

समतामूलक और न्यायप्रिय समाज–ऐसा समाज जिसके सभी वर्गों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता स्थापित हो।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –

   (i) लोकतंत्र बढ़ावा देता है –

   (अ) असमानता को (ब) समानता को

   (स) विशेषाधिकारों को (द) भेदभाव को ( )

   (ii) मत देने का अधिकार है –

   (अ) अमीर को (ब) पुरुष को

   (स) पढ़े–लिखे को (द) सभी वयस्क नागरिकों को ( )

2 स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए–

	स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
(i)	अपने प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार	आर्थिक लोकतंत्र
(ii)	व्यवसाय व उपभोग की स्वतंत्रता	सामाजिक लोकतंत्र
(iii)	व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता	राजनीतिक लोकतंत्र

3. 'कानून के शासन' से क्या तात्पर्य है?
4. 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' किसे कहते हैं?
5. 'पंथ निरपेक्षता' क्या है?
6. भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को किस प्रकार स्पष्ट किया गया है?

अध्याय 10

लैंगिक समझ और संवेदनशीलता

हमारे देष में नारी को सम्मान देने की गौरवशाली परम्पराएँ रही हैं। हमारी सांस्कृतिक धारणा है कि जिस परिवार में नारी के साथ अच्छा तथा सम्मानजनक व्यवहार होता है, उस पर देवता प्रसन्न रहते हैं। वहाँ सुख–शांति और समृद्धि होती है। अतः नारी को गृहलक्ष्मी कहा गया है। जिस परिवार में नारी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, वहाँ सुख–षान्ति और समृद्धि का अभाव होता है तथा उस परिवार का विकास अवरुद्ध हो जाता है।

सरस्वती के रूप में नारी समाज को षिक्षा प्रदान करती है। माता हर बालक की पहली षिक्षक है। वह बालक में अच्छे गुणों का विकास करती है। नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया है। स्पष्ट है कि सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुसार भारतीय समाज में नारी का सम्मानजनक स्थान रहा है। नारी ने अपने त्याग, प्रेरणा, क्षमा, सहिष्णुता, प्रेम और ममता से परिवार, समाज और राष्ट्र को समुन्नत किया है।

प्राचीन कालीन भारतीय समाज और नारी

प्राचीन भारत में नारी की स्थिति सुखद थी। उस काल में महिलाएँ सभी कार्यों में पुरुषों के समान बराबरी से भाग लेती थीं। कोई कार्य लिंग के आधार पर बँटा हुआ नहीं था। स्त्री–पुरुष और बालक–बालिकाओं का समान महत्त्व था। हमें उस काल की गार्गी, मेत्रैयी, लोपामुद्रा आदि उच्च षिक्षित महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जो पुरुषों के साथ षास्त्रार्थ में भाग लेती थीं। अनेक वैदिक ऋचाओं की रचना महिलाओं (ऋषिकाओं) द्वारा की गई। महिलाएँ राजकार्य और युद्धों में भी भाग लेती थीं। राजतरंगिणी में उल्लेख है कि सुगन्धा, दिद्दा और कोटा नामक महिलाओं ने बहुत समय तक कष्मीर में षासन का संचालन किया था।

मध्यकाल में नारी की स्थिति

परवर्तीकाल में, विषेषकर मध्यकाल में भारतीय नारी की पारम्परिक स्थिति में गिरावट आ गई थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मामलों में बालक–बालिका के बीच अन्तर किया जाने लगा। बदली हुई परिस्थितियों में उसे षिक्षा से वंचित रहना पड़ा। उसे घरेलु कार्यों की जिम्मेदारियों तक सीमित कर घर की चारदीवारी में ही रहने को बाध्य किया गया। बालविवाह, सतीप्रथा, पर्दाप्रथा, दहेज प्रथा जैसी अनेक कुप्रथाओं से उसे पीड़ित होना पड़ा। उसकी पुरुष पर निर्भरता बढ़ती गई। अनेक सामाजिक मान्यताओं के प्रभाव से महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई। इस काल में दुर्गावती, अहिल्याबाई और 19वीं षताब्दी में झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी साहसी महिलाओं ने अपने राज्य का शासन–संचालन करते हुए शत्रु से लोहा लिया। भक्तिमति मीराबाई ने जनमानस पर व्यापक प्रभाव डाला ।

झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई

19वीं शताब्दी के समाज–सुधार और नारी

19वीं शताब्दी में समाज–सुधारकों ने नारी की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। राजा राममोहन राय ने सतीप्रथा के विरूद्ध कानूनी प्रतिबंध लगवाया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा–विवाह के समर्थन में जागृति पैदा की। इनके संबंध में कानून भी बनाए गए। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने महिला–शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने भी नारी–उत्थान के लिए कार्य किया। आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने भी प्रमुखता से भाग लिया। 20वीं शताब्दी में महिला–आन्दोलन ने जोर पकड़ा, जिसने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। हालाँकि इस क्षेत्र में अभी और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्री बाई फुले

गतिविधि :

1. विभिन्न समाज सुधारकों के चित्रों को चार्ट पर चिपका कर उनके कार्यों को लिखिए।
2. शिक्षक की सहायता से स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने वाली महिलाओं की सूची बनाइए।

महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। अक्सर हम लैंगिक–बोध जैसी चर्चाएँ भी सुनते हैं। इससे जुड़ी हुई बातों के साथ ही इसे समझना उपयोगी है।

लिंग–भेद

एक माता अपने शिशु को अपना दूध पिलाती है, परन्तु इस प्रकार की विशेषता प्रकृति ने पुरुष को प्रदान नहीं की है। स्त्री और पुरुष का यह अन्तर लिंग–भेद है। लिंग–भेद स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट पर आधारित जैविक अंतर है, जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व का आधार है। प्राकृतिक होने के कारण इस प्रकार का अन्तर सभी जगह और सभी समय समान होता है।

लैंगिक भेद

लैंगिक भेद को 'लैंगिक असमानता' भी कह सकते हैं। सामाजिक असमानता का यह रूप न्यूनाधिक मात्रा में दुनिया में प्रायः हर स्थान पर मौजूद रहा है। ऐसा नहीं है कि पुरुष घरेलु व घर की देखभाल के कार्य नहीं कर सकते हैं, किन्तु ऐसी सोच बनी हुई है कि घर के भीतर के कार्य महिलाओं की जिम्मेदारी है। जबकि वे घर से बाहर के व धन कमाने के कार्य भी कर सकती हैं और कर भी रही हैं। यह सोच लैंगिक भेद का एक उदाहरण है।

स्त्रियों और पुरुषों के बीच अधिकारों, अवसरों, कर्त्तव्यों तथा सुविधाओं के बीच असमानता पर आधारित बँटवारा लैंगिक भेद है। यह अवधारणा एक सामाजिक–सांस्कृतिक निर्माण है जो समय और स्थान के साथ बदलती रही है। अनेक सामाजिक मूल्य और रूढ़ीवादी धारणाएँ लैंगिक भेद को हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अन्तर से जोड़ती रही हैं।

घरेलू कार्य करती महिलाएँ

लैंगिक संवेदनशीलता

लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ है कि स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान भाव अनुभव करना। लैंगिक संवेदनशीलता को लैंगिक समानता भी कहते हैं। लैंगिक संवेदनशीलता को समझकर बालक–बालिका के पालन–पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य में कोई अन्तर नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने विकास के लिए समान अवसर और अधिकार देने चाहिए। हमारे समाज की खुशहाली स्त्री और पुरुष दोनों के ही समान सहयोग पर निर्भर है। महाकवि कालिदास ने कहा है– "यह स्त्री है, यह पुरुष है– यह निरर्थक बात है। वस्तुतः सत् पुरुषों का चरित्र ही पूजा के योग्य होता है।"

अब हम समाज में मौजूद लैंगिक भेद (असंवेदनशीलता) के अनेक रूपों पर चर्चा करते हैं–

लैंगिक भेदभाव के विभिन्न रूप–

1. श्रम का लैंगिक विभाजन

लड़के और लड़कियों के पालन–पोषण के दौरान ही यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी घर चलाने और बच्चों का पालन–पोषण करने की है। हम देखते हैं कि परिवार में खाना बनाना, सफाई करना, बर्तन और कपड़े धोना आदि घरेलू कार्य महिलाएँ करती हैं। इसके अलावा गाँवों में महिलाएँ और बालिकाएँ दूर–दूर से पानी लाने और जलाऊ लकड़ी के गट्ठर ढोने के कार्य भी करती हैं। वहीं महिलाएँ खेतों में पौधे रोपने, खरपतवार निकालने, फसले काटने और दुधारु पशुओं की देखभाल का कार्य भी करती

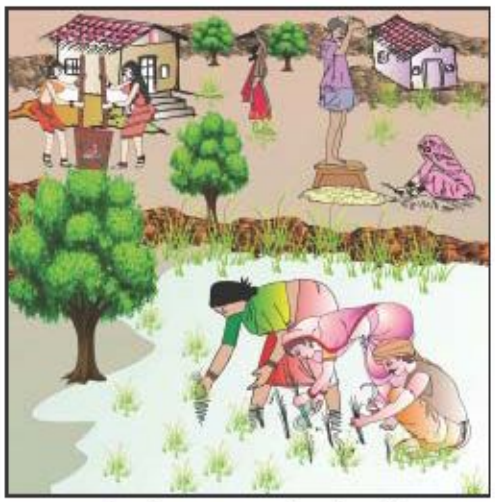

खेत में काम करती महिलाएँ

हैं। फिर भी हम जब किसान के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में एक महिला किसान के बजाए पुरुष किसान की छवि ही उभरती है।

एक तरफ ये कार्य भारी और थकाने वाले होते हैं, तो दूसरी ओर महिलाओं द्वारा किये गए इन कार्यों का महत्त्व कम करके आँका जाता है। ऐसे कार्यों में लगी महिलाओं को मजदूरी भी कम दी जाती है। इन कार्यों में लगी लड़कियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। वास्तव में यदि हम महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घर और बाहर के कामों को जोड़ें, तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर सामान्यतः महिलाएँ पुरुषों से अधिक काम करती हैं।

2. शिक्षा और काम के अवसर

पुरुषों की तुलना में शिक्षित स्त्रियों की संख्या कम है। वर्तमान समय में बड़ी संख्या में लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं। परन्तु बहुत–सी लडकियाँ गरीबी, शिक्षण–सुविधाओं के अभाव व अन्य कारणों से शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देती हैं। विशेषकर वंचित वर्ग, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग की लड़कियाँ बड़ी संख्या में बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं।

पशु चराती बालिका

राजस्थान जनगणना – 2011

1. लिंगानुपात : 928 प्रति हजार
2. कुल साक्षरता : 66.17 प्रतिशत
   पुरुष साक्षरता : 79.20 प्रतिशत
   महिला साक्षरता : 52.10 प्रतिशत

समाज में प्रायः यह सोचा जाता है कि घर के बाहर महिलाएँ कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं। यह भी माना जाता है कि लड़कियाँ और महिलाएँ तकनीकी कार्य को करने में सक्षम नहीं होती हैं। इस प्रकार की रूढ़ीवादी धारणाओं के चलते लड़कियों को अनेक कार्यों व व्यवसायों की शिक्षा और प्रशिक्षण लेने के लिए परिवार का सहयोग नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप उन्हें अनेक क्षेत्रों में कार्य के अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। सरकार के प्रोत्साहन एवं प्रयासों के बाद अब स्थितियाँ बदलने लगी हैं। अब सभी कार्य क्षेत्रों में महिलाओं को भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है।

मोहल्ले की सामुदायिक सभा में महिलाओं की कम उपस्थिति

3. सामुदायिक सहभागिता

सामुदायिक स्तर पर भी महिलाओं और पुरुषों की भूमिका और सहभागिता में बड़ा भेद मौजूद है। घर की चार दीवारी तक

सीमित कर दिए जाने के कारण सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य है। सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में है और महिलाओं को कम भागीदारी दी जाती है। उन्हें सामुदायिक कार्यों के नेतृत्व के पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाते हैं।

यद्यपि भारत में महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश जैसे उच्च पदों को सुशोभित किया है, किन्तु संसद, विधानसभाओं और मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है।

गतिविधि :

शिक्षक की सहायता से निम्नलिखित पदों पर पदस्थापित रही भारत की प्रथम महिलाओं के नाम लिखिए– 1. राष्ट्रपति 2. प्रधानमंत्री 3. राज्यपाल 4. मुख्यमंत्री 5. सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश

अब हम महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए किए गए कार्यों की चर्चा करेंगे।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सामाजिक और वैधानिक दोनों स्तरों पर अनेक प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के कारण महिलाओं में गतिशीलता बढ़ी है और अब सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी में वृद्धि हो रही है। धीरे–धीरे सामाजिक धारणाएँ भी बदल रही हैं। आज सेना, पुलिस, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक और विश्वविद्यालयी शिक्षक जैसे पेशों में भी बहुत सी महिलाएँ कार्य कर रही हैं। बहुत–सी महिलाएँ सफलतापूर्वक व्यापारिक प्रतिष्ठानों का संचालन कर रही हैं।

गतिविधि :

शिक्षक की सहायता से निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित भारतीय महिलाओं की सूची बनाइए–
(अ) प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी (ब) प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ (स) अन्य क्षेत्रों में प्रसिद्ध महिलाओं के नाम

महिला–आंदोलन और नारी–उत्थान

महिलाओं ने पारिवारिक और सार्वजनिक जीवन में बराबरी की माँग उठाई। महिला संगठनों ने समाज, विधायिका और न्यायालय का ध्यान इस ओर खींचा। जहाँ कहीं भी महिलाओं के अधिकारों का

लैंगिक समानता

महिला आंदोलन

उल्लंघन होता है, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाई जाती है। मामले को उचित स्तर पर रखकर न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है। महिलाएँ जागरूक और संगठित हुई हैं। महिला–संगठन विधानसभाओं और संसद में 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करवाने की माँग प्रमुखता से उठा रहे हैं। महिला संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए अनेक कानून और योजनाएँ बनाई गई हैं। नतीजतन महिलाओं के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है।

गतिविधि :
अपने क्षेत्र की महिला जन प्रतिनिधियों व अन्य क्षेत्रों में कार्यरत प्रमुख महिलाओं की जानकारी प्राप्त करके सूची बनाइए।

सरकारी उपाय

सरकार दो तरह से महिलाओं की प्रगति, सुरक्षा और संरक्षण के कार्य कर रही है– पहला, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं। दूसरा, महिलाओं की प्रगति के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

1. सरकार ने सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध दहेज प्रथा निषेध कानून, बाल विवाह निषेध कानून, सती प्रथा निषेध कानून जैसे कानून बनाकर इन्हें दण्डनीय अपराध घोषित किया है।
2. महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए दंडात्मक कानून बनाया गया है।
3. पंचायतीराज व्यवस्था और नगरीय निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए राजस्थान में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर दिए गये हैं।
4. महिला समस्याओं के हल में मदद के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग बनाए गए हैं।
5. सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए पद आरक्षित कर दिए गए हैं।
6. समान कार्य के लिए समान मजदूरी का कानून बनाया गया है।
7. महिला उत्थान की योजनाएँ–
   - प्रत्येक जिले में महिला थानों और महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्रों का गठन किया गया है।
   - शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएँ देना तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली लड़कियों को साइकिल देना। शैक्षिक रूप से पिछड़े उपखण्डों में आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं।

महिला आयोग में महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन/हनन् के मामले, घरेलू हिंसा, दहेज, यौन अपराध, पुलिस द्वारा असहयोग, लैंगिक भेदभाव, साइबर अपराध आदि की शिकायत की जा सकती है।

निःशुल्क टेलीफोन नम्बर
1. बाल कल्याण हेल्प लाईन –1098
2. महिला हेल्पलाईन–1090/1095/112

- रोजगार का प्रशिक्षण देना और रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना ।
- महिला के नाम से सम्पत्ति की रजिस्ट्री करवाने पर शुल्क में छूट देना।
- गरीब परिवारों को मकान के लिए निःशुल्क जमीन महिला के नाम से आवंटित करना।
- बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए बचत द्वारा धन जुटाने हेतु 'सुकन्या समृद्धि योजना' प्रारम्भ की गई है।
- मामाशाह योजना में परिवार का मुखिया महिला को बनाना ।
- महिला और बाल कल्याण के लिए 'जननी सुरक्षा योजना' जैसी अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
- लिंगानुपात में समानता लाने के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान चलाया जा रहा है।

परिवार, समाज एवं देश की प्रगति में महिलाओं व पुरुषों का महत्त्व बराबर है। महिला और पुरुष दोनों की समानता से ही परिवार की खुशहाली और समाज की प्रगति सम्भव है।

गतिविधि :
आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

शब्दावली

परवर्तीकाल	–	बाद का समय या बाद में होने वाला
बाल विवाह	–	लड़के की आयु 21 वर्ष व लड़की की आयु 18 वर्ष होने से पहले ही किया जाने वाला विवाह
जैविक	–	वह बात जो जीव से उत्पन्न होने से संबंधित है
लैंगिक	–	स्त्रीलिंग–पुल्लिंग सम्बन्धी
श्रम विभाजन	–	कार्यों को परस्पर बाँट लेना
लिंगानुपात	–	प्रति एक हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

   (i) बालक का पहला शिक्षक होता है –

   (अ) परिवार (ब) विद्यालय (स) मित्र (द) माता ( )

   (ii) मीराबाई प्रसिद्ध है –

   (अ) राजनीति के लिए (ब) शासन के लिए

   (स) ईश्वर–भक्ति के लिए (द) इनमें से कोई नहीं ( )

2. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

   (i) भामाशाह योजना में परिवार का मुखिया..... होती है।

   (ii) ..... ने सती प्रथा के विरुद्ध कानूनी प्रतिबंध लगवाया।

   (iii) प्रत्येक जिले में महिला ..... और महिला ..... केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

   (iv) ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने.....के समर्थन में जागरूकता पैदा की।

3. प्राचीन काल में समाज में नारी की स्थिति कैसी थी?

4. लैंगिक संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं ?

5. महिला सशक्तीकरण के लिए कौन–कौनसे कानून बनाए गए हैं ?

6. महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दीजिए।

अध्याय 11

राजस्थान का सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास

मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है। हमारा राजस्थान

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 342239 वर्ग किलोमीटर है। कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं अन्य कारण राजस्थान के विकास में बाधक रहे हैं। फिर भी राजस्थान समग्र विकास के पथ पर अग्रसर है। राजस्थान के विकास हेतु सरकार द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा, सड़क ,जल, कृषि, उद्योग, प्रौद्योगिकी, परिवहन आदि क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि, उद्योग, सेवाओं के साथ–साथ आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में निरन्तर प्रगति हो रही है। इस पाठ में हम राजस्थान के विकास को निम्नलिखित बिन्दुओं के अर्न्तगत समझ सकते हैं–

1. सामाजिक विकास
2. आर्थिक विकास
3. प्रौद्योगिकी विकास

सामाजिक विकास

सामाजिक विकास से संबंधित विभिन्न घटकों, जैसे– शिक्षा, चिकित्सा, आवास, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छता आदि के विकास हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से विकास के सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान के सामाजिक विकास को हम निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत समझ सकते हैं–

(1) शिक्षा और साक्षरता– शिक्षा सही मायनों मे विकास के महत्वपूर्ण अंशदायी कारकों मे से एक है। शिक्षा लोगों की उत्पादकता और रचनात्मकता में वृद्धि करती है और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देती है।

राजस्थान राज्य के गठन के बाद से ही राज्य सरकार शैक्षिक संसाधनों का विकास करके शिक्षा का विस्तार कर, राज्य के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के ठोस प्रयास कर रही है। राज्य सरकार विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं, जैसे–सतत् शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और साक्षर भारत मिशन आदि के माध्यम से सम्पूर्ण साक्षरता और गुणवतापूर्ण शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है।

राज्य में साक्षरता के प्रतिशत में लगातार वृद्धि हो रही है। सन् 1951 में राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 8.02 था जो 2011 में बढ़कर 66.17 प्रतिशत हो गया है। राज्य में महिला शिक्षा के विस्तार के लिये अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आज बच्चों के निकटतम स्थान पर विद्यालय और पर्याप्त मात्रा में महाविद्यालय भी उपलब्ध हैं। राज्य में 'निःशुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से लागू किया गया है जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक–बालिका के लिये प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। यह अधिनियम शिक्षा के सार्वजनीकरण का सशक्त माध्यम बना है।

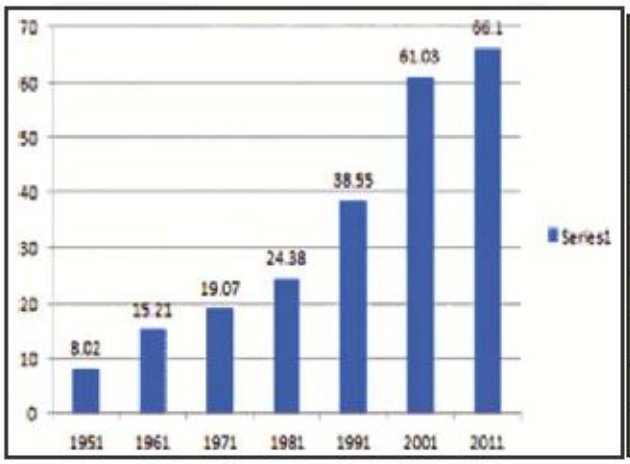

साक्षरता में राजस्थान की प्रगति

राजस्थान में महिला एवं पुरूषों की साक्षरता दर

वर्ष	महिला	पुरूष
1951	2.51	13.09
1961	5.82	23.71
1971	8.46	28.74
1981	11.42	36.30
1991	20.44	54.99
2001	44.34	54.99
2011	52.10	79.20

राजस्थान की साक्षरता दर

शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण सार्वजनीकरण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय योजना प्रारम्भ की गई है। इन विद्यालयों में अधिक से अधिक शैक्षिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वजनीकरण की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि के लिए स्टेट इनिशिएटिव फोर क्वालिटी एजुकेशन (एस.आई.क्यू.ई) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य– सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्ति और दूरस्थ क्षेत्रों में भी सस्ती व गुणवत्तापुर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ करवाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के

फलस्वरूप राज्य में मृत्यु–दर तथा मातृ व शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जाँच योजना, जननी–शिशु सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। '108 निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा' व '104 निःशुल्क सेवा' तथा जननी एक्सप्रेस योजना के उपलब्ध होने से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच जन साधारण तक हो गई है।

(3) आवास व खाद्य सुरक्षा– मुख्यमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के माध्यम से आवासहीन गरीब परिवारों को सस्ता आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत सरकार शौचालयहीन घर वाले गरीब परिवारों को शौचालय निर्माण करवाने के लिए सहायता दे रही है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजित किए जा रहे हैं।

गतिविधि–

शिक्षक की सहायता से अपने आस–पास रहने वाले परिवारों में निरक्षर एवं कमी विद्यालय नहीं जाने वाले लोगों की सूची बनाइये एवं कारणों को जानकर कक्षा में चर्चा कीजिये।

आर्थिक विकास

हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि एवं ग्राम आधारित है। लगातार पड़ने वाले अकाल एवं सूखे की वजह से राजस्थान की गिनती पिछड़े राज्यों में की जाती थी। राज्य की अर्थव्यवस्था के सुनियोजित विकास को बढावा देने तथा उद्योगों के तीव्र विकास हेतु प्रारम्भ से ही राज्य सरकारें एवं निजी क्षेत्र गम्भीर एवं समर्पित रूप से प्रयासरत रहे हैं। राज्य संगमरमर, खनिज, तांबा, जस्ते की खानों और नमक के भण्ड़ारों के लिये प्रसिद्ध है। राज्य में मुख्यतः खनिज और वस्त्र आधरित उद्योग हैं। राजस्थान देश का द्वितीय सबसे बड़ा पोलिएस्टर फाइबर और सीमेन्ट का उत्पादक राज्य है।

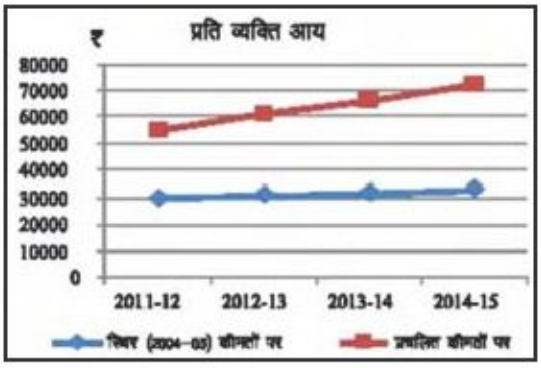

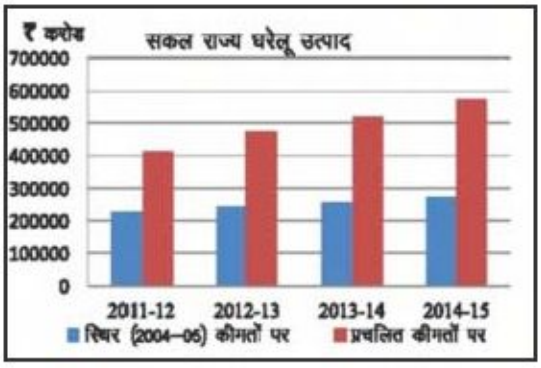

उद्योग विभाग द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास, हस्तकला उद्योगों के विकास एवं औद्योगिक गतिविधियों के संचालन में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने और उद्योगों को सहायता तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। उद्योगों की स्थापना व अन्य आवश्यक सुविधाएँ व सहायता

उपलब्ध कराने हेतु राज्य में वर्तमान में 36 जिला उद्योग केन्द्र एवं 7 उप केन्द्र कार्यरत हैं। निवेष संवर्द्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.) राज्य सरकार एवं निवेशकों के मध्य एक समन्वयक की भाँति कार्य करते हुए परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिलवाने हेतु तथा समस्याओं के निराकरण हेतु सेवाएँ प्रदान कर रहा है। अधिक निवेश को आकर्षित करने एवं विभिन्न योजनाओं में नीति सम्बन्धी सहयोग के लिये उद्योग विभाग ने "अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम" के साथ नॉलेज पार्टनरशिप समझौता किया है।

खनिज एवं उद्योग : राज्य में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, जैसे– जैव प्रौद्योगिकी, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, चमड़ा, कपड़ा, परिशुद्ध घटक, गृह उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.),सौर ऊर्जा एवं ऑटोमोबाइल उद्योगों के विकास में तेजी लाने के लिये रीको द्वारा विशिष्ट पार्क यथा–एग्रो फूड पार्क, नीमराना में जापानी पार्क आदि विकसित किये गये हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिये ये सभी उपाय अभिनव एवं प्रभावी हैं।

कपड़ा उद्योग

ऊर्जा : 1947 में केवल कुछ ही शहर ऐसे थे जिनको बिजली मिलती थी। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों तक विद्युत की पहुँच के कारण आज स्थिति बहुत भिन्न है। इस विषय में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विद्युत ऊर्जा उत्पादन की मुख्य प्रयोजनाओं में राजस्थान आण्विक ऊर्जा परियोजना–रावतभाटा ; कोटा और सूरतगढ़ तापीय परियोजनाएँ ; धौलपुर गैस आधारित तापीय परियोजना ; माही जल विद्युत परियोजना है। भाखड़ा, व्यास, चम्बल और सतपुड़ा अन्तरराज्यीय भागीदारी वाली परियोजनाएँ हैं। केन्द्रीय सेक्टर से राज्य को सिंगरोली, रिहन्द, अन्ता, औरेया, दादरी गैस संयंत्र, टनकपुर, उरी हाइड्रल परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त हो रही है। राजस्थान में ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्रों में वृद्धि होती जा रही है। बाडमेर एंव जैसलमेर जिलों में पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त होने से राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है।

सौर उर्जा संयत्र

गतिविधि–

ऊर्जा के परम्परागत व गैर परम्परागत स्रोतों की तालिका बनाइए।

जयपुर मेट्रो

बूंदी टनल (सुरंग)

परिवहन : राज्य में सड़कों व रेल मार्गों का विस्तार हुआ है तथा परिवहन के साधनों में वृद्धि होती जा रही है। एक्सप्रेस हाईवे और मेगा हाईवे का विस्तार होता जा रहा है। बड़ी व विद्युतिकृत रेल लाईनों के विस्तार का कार्य प्रगृति पर है।

राज्य में उद्योगों के विकास हेतु नई निवेश प्रोत्साहन नीति जारी की गई है। दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (डी.एम.आई.सी.) का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान राज्य से होकर गुजरेगा। इस कॉरीडोर के विकास के साथ ही राज्य में औद्योगिक विकास को नए पंख लग जाएँगे। राज्य में निजी निवेष के प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर निवेश प्रोत्साहन सम्मेलन आयोजित कर उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा ही एक सम्मेलन 'रिसर्जेण्ट राजस्थान' 19 व 20 नवम्बर 2015 को जयपुर में आयोजित हुआ जिसमें देश–विदेश के अनेक बड़े उद्योगपति सम्मिलित हुए। उन्होंने राजस्थान में पूँजी निवेश करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ खरबों रुपयों के निवेश समझौते किए हैं। इस निवेशों के साकार होने पर राजस्थान की काया पलट हो जाएगी।

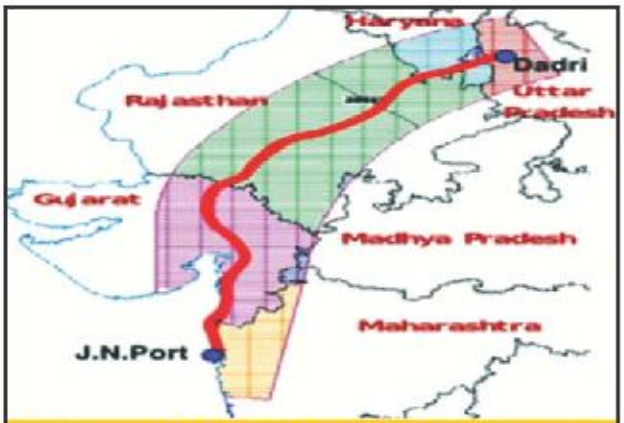

दिल्ली–मुम्बई कॉरीडोर योजना

इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए इंग्लैंड व जापान से साझेदारी!

भिवाड़ी, खुशखेड़ा, नीमराना बनेंगे वर्ल्ड क्लास सिटी

दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (DMIC)

दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.) परियोजना के अन्तर्गत इस योजना में शामिल किए गए क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक नगर, आबादी क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, ऊर्जा संयंत्र, नॉलेज सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट व अन्य परिवहन सेवाएँ और अन्य सम्बद्ध सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं और डी.एम.आई.सी.विकास निगम के माध्यम से 1000 मेगावाट क्षमता के गैस आधारित पावर प्लान्ट व कौषल विकास केन्द्रों को विकसित करने के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। प्रथम चरण में खुशखेड़ा–भिवाड़ी– नीमराणा क्षेत्र में निवेश कर विकास किया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी विकास

कम समय एवं कम खर्च में प्रकृति में निहित संसाधनों के उपयोग के तरीके खोजना प्रौद्योगिकी विकास कहलाता है। किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ के प्रौद्योगिकी विकास से जाना जा सकता है। क्षेत्र के कच्चे माल एवं संसाधनों का उपयोग तकनीकी विकास पर निर्भर करता है।

राजस्थान में प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए 'राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय' की स्थापना की गई है। अनेक इंजिनियरिंग और प्रबंधन महाविद्यालयों की स्थापना हुई है। इन संस्थानों में राजस्थानी युवा बड़ी मात्रा में तकनीकी और प्रबंधन की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। फलस्वरूप राज्य में तकनीकी व प्रबंधन में दक्ष लोगों की उपलब्धता बढ़ती जा रही है, जो कि विकास की एक मुख्य जरूरत है। राज्य में 'सूचना प्रौद्योगिकी पार्क' एवं 'नॉलेज कॉरीडोर' की स्थापना की योजनाओं पर भी कार्य हो रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार द्वारा राजकीय विभागों में ई–गवर्नेन्स की सफलता सुनिश्चित करने के लिये राजकीय अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। आधार कार्ड योजना में पंजीकरण करवाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार राज्य में निवास के समीप राजकीय सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु राज्य में 11000 से अधिक ई–मित्र कियोस्क कार्यरत हैं। राजकीय सेवाओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने एवं जनता की शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से राजस्थान सम्पर्क पोर्टल www.sampark.rajasthan.gov.in का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

राजस्थान में विकास हेतु वर्तमान में नई उर्जा नीति, नवीन खनिज नीति, पर्यटन नीति बनाई गई है। राजस्थान में निवेश को आमन्त्रित करने के प्रयास हो रहे हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार सम्भावना है। जोधपुर, नागौर, बीकानेर में सौर ऊर्जा तथा बाडमेर और जैसलमेर में तेल व गैस के भण्डारों के विकास से एवं दिल्ली–मुंबई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर के एक बड़े भाग के राजस्थान से जुड़े होने से राज्य में विकास और रोजगार के नये अवसर पैदा हो रहे हैं।

गतिविधि

इस पाठ में आए हुए चित्रों तथा रेखाचित्रों के बारे में शिक्षक से जानकारी प्राप्त कर के कक्षा में चर्चा कीजिए ।

शब्दावली

1. प्रौद्योगिकी : उद्योग एवं तकनीक का सम्मिलित रूप
2. कोरीड़ोर : गलियारा
3. निवेश : किसी उद्योग या धंधे में लाभ प्राप्ति हेतु धन लगाना।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(I) क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है–

(अ) पहला (ब) दूसरा (स) छठा (द) दसवाँ ( )

(ii) 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है–

(अ) 60.1 प्रतिशत (ब) 62.1 प्रतिशत

(स) 64.1 प्रतिशत (द) 66.1 प्रतिशत ( )

(iii) राज्य में 'निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' लागू किया गया–

(अ) 1 अप्रेल 2009 (ब) 1 अप्रेल 2010

(स) 1 अप्रेल 2011 (द) 1 अप्रेल 2012 ( )

(iv) राजस्थान में मेट्रो रेल शुरू हुई है–

(अ) जोधपुर में (ब) जयपुर में

(स) उदयपुर में (द) कोटा में ( )

2. सामाजिक विकास के आवश्यक घटक कौन–कौन से हैं?
3. राजस्थान में तीव्र आर्थिक विकास के लिये क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?
4. तकनीकी विकास के कोई दो उदाहरण दीजिए।
5. राजस्थान में कौन–कौन से उद्योगों का विकास हुआ है ?
6. प्रौद्योगिकी विकास पर टिप्पणी लिखिए।
7. राजस्थान में शिक्षा एवं साक्षरता पर टिप्पणी लिखिए।
8. राज्य के आर्थिक विकास पर एक निबन्ध लिखिए।

अध्याय 12

राज्य सरकार

भारत गणराज्य 29 राज्यों (प्रांतीय संघीय इकाईयों) और 7 केन्द्रशासित संघ राज्य क्षेत्र (Union territories) का एक संघ (Union)है। भारत सरकार ही संघ या केन्द्र सरकार (union government) के नाम से जानी जाती है। आप यह पढ़ चुके हैं कि भारत के मतदाता तीन स्तरों की सरकार को चुनते हैं– (1) अपने शहर के नगरीय निकाय अथवा अपने ग्रामीण क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं को, (2) अपने राज्य की सरकार को और (3) देश की संघ सरकार को। प्रत्येक सरकार का कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना–अपना क्षेत्र होता है।

सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करवाने आदि कार्यों की जिम्मेदारी होती है। सरकार में सम्मिलित कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है, तो कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समाधान के लिए न्यायालय की व्यवस्था है। उपरोक्त सब कार्यों को करने के लिए राज्य में संस्थाएँ होती हैं। राज्य की सरकार की बात करें तो –

1. मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् अपनी बैठकों में नीतिगत फैसले लेते हैं।
2. उनके फैसलों को लागू करने के लिए नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं।
3. उच्च न्यायालय नागरिक व सरकार के बीच के विवाद को सुलझाता है।
4. संस्थाओं के साथ नियम–कानून जुड़े होते हैं। नियम–कानूनों के अन्तर्गत ही संस्थाओं को कार्य करना होता है।

सरकार की शक्तियों का बँटवारा

भारतीय संविधान में राज्य सरकार के गठन, कार्यों और शक्तियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। संविधान ने सरकार की शक्तियों एवं कार्यों को संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से बाँट दिया है। यह बँटवारा तीन प्रकार की सूचियों में वर्णित किया गया है –

1. प्रथम सूची 'संघसूची' या केन्द्रीय सूची कहलाती है। इस सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के 97 विषय शामिल हैं। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केन्द्र सरकार अर्थात् भारत सरकार को दी गई है।

संघ सूची के विषय

2. द्वितीय सूची 'राज्यसूची' कहलाती है। इस सूची में पुलिस, स्थानीय व्यापार व वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे स्थानीय महत्त्व के 66 विषय षामिल हैं। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों की सरकारों को दी गई है। राज्य सरकार इनमें से अनेक कार्य स्थानीय निकायों की सहायता से करती है।

3. तृतीय सूची 'समवर्तीसूची' कहलाती है। इस सूची में षिक्षा, वन, मजदूर–संघ, विवाह–विधि आदि 47 विषय शामिल हैं। इन विषयों पर केन्द्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। परन्तु केन्द्र के कानून को सर्वोच्चता प्रदान की गई है।

4. शेष बचे हुए विषयों की शक्ति केन्द्र सरकार को दी गई है जिन्हें हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। अब हम राज्य सरकार के गठन पर चर्चा करेंगे।

राज्य सरकार के अंग

राज्य सरकार की शक्तियाँ उसके तीन अंगों में बँटी हुई हैं। ये तीन अंग इस प्रकार से हैं :–

राज्य सरकार का ढाँचा

1. कार्यपालिका	2. विधायिका	3. न्यायपालिका
राजनीतिक कार्यपालिका 1. राज्यपाल 2. मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् ↓ स्थायी कार्य–पालिका (सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी)	1. राज्यपाल 2. विधानसभा एवं विधानपरिषद्	उच्च न्यायालय ↓ अधीनस्थ न्यायालय

अब हम प्रमुखतः राजस्थान–सरकार के सन्दर्भ में सरकार के इन अंगों की विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं–

1. कार्यपालिका :

राजनीतिक कार्यपालिका– राजनीतिक कार्यपालिका जनता द्वारा निर्धारित अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों का निकाय होता है। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, जो सरकार चलाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करते हैं।

स्थायी कार्यपालिका– वे लोग जो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते, बल्कि उन्हें सरकार लम्बे समय तक के लिए नियुक्त करती है, जैसे कि सचिव व अन्य प्रशासनिक अधिकारी, इन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ये लोकसेवक राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में काम करते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

राज्यपाल–

राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। राज्य सरकार की सारी गतिविधियाँ राज्यपाल के नाम से संचालित होती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परन्तु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बने रह सकता है।

ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, वह किसी विधायिका का सदस्य न हो तथा सरकारी और लाभकारी पद पर न हो– वह राज्यपाल के पद के योग्य होता है।

राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों को मुख्यतः चार भागों में बाँट कर अध्ययन कर सकते हैं :–

1. **कार्यपालिका शक्तियाँ :** ये वे कार्य हैं, जिन्हें राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के अंग के रूप में सम्पन्न करता है।

(i) राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। वह मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

(ii) राज्य की कार्यपालिका–शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। राज्य में सभी प्रमुख पदों पर नियुक्तियाँ राज्यपाल के नाम पर ही की जाती है। लेकिन वह इन अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही करता है।

(iii) राज्यपाल मंत्रिपरिषद् से किसी भी मामले पर सूचना माँग सकता है।

(iv) राज्यपाल समय–समय पर राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति की सूचना केन्द्र सरकार को भेजता रहता है।

2. **विधायी शक्तियाँ :** ये वे कार्य हैं, जिनका सम्पादन राज्यपाल राज्य की विधायिका के अंग के रूप में सम्पन्न करता है।

(i) वह राज्य विधायिका के सत्र को आहूत करता है और प्रथम सत्र को सम्बोधित करता है।

(ii) विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून बन सकता है।

(iii) वह विधायिका के समक्ष बजट रखवाता है।

(iv) राज्यपाल की स्वीकृति के बिना धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

3. **आपातकालीन शक्तियाँ :** ये वे शक्तियाँ हैं, जिनका प्रयोग राज्यपाल निर्वाचित सरकार के स्थान पर राज्य में राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में करता है।

4. **न्यायिक शक्तियाँ :** राज्यपाल किसी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम या स्थगित कर सकता है तथा उसे क्षमा भी कर सकता है।

आइए, अब हम मंत्रिपरिषद् पर चर्चा करें–

मंत्रिपरिषद्

मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद् के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मंत्रिपरिषद् राजधानी जयपुर में स्थित 'सचिवालय भवन' से राज्य के शासन का संचालन करती है। सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में मंत्री की सहायता के लिए सचिव होते हैं। वे नौकरषाह होते हैं। वे मंत्री को सूचनाएँ उपलब्ध करवाते हैं और निर्णय लेने में मंत्री की सहायता करते हैं। नौकरशाह मंत्रिपरिषद् के निर्णयों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबन्धन का नेता होता है। वह मंत्रियों की सहायता से सरकार चलाता है। मंत्री उसकी ही पार्टी अथवा उसकी सहयोगी पार्टियों के विधायक होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रीपरिषद् का मुखिया होता है।

वास्तव में राज्य के शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के नाम पर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रीपरिषद् द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रीपरिषद् अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था 'विधानसभा' के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त होने तक ही वह अपने पद पर बना रह सकता है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य –

1. वह मंत्रियों में कार्यों का बँटवारा करता है।
2. वह विभिन्न विभागों के कार्यों की निगरानी करता है और उनके कार्यों का समन्वय करता है। सभी मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं।
3. वह मंत्रीमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
4. बहुमत दल का नेता होने के कारण वह विधानसभा में सदन के नेता के रूप में कार्य करता है।

अब हम राज्य विधायिका की चर्चा करेंगे–

2. राज्य विधायिका

मुख्य रूप से विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। हमारे राजस्थान राज्य में विधायिका एक सदनात्मक है। यहाँ एक ही सदन अर्थात् 'विधानसभा' विद्यमान है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश और जम्मू–कश्मीर राज्यों में विधायिका द्विसदनात्मक है। वहाँ दूसरा सदन 'विधानपरिषद्' भी विद्यमान है।

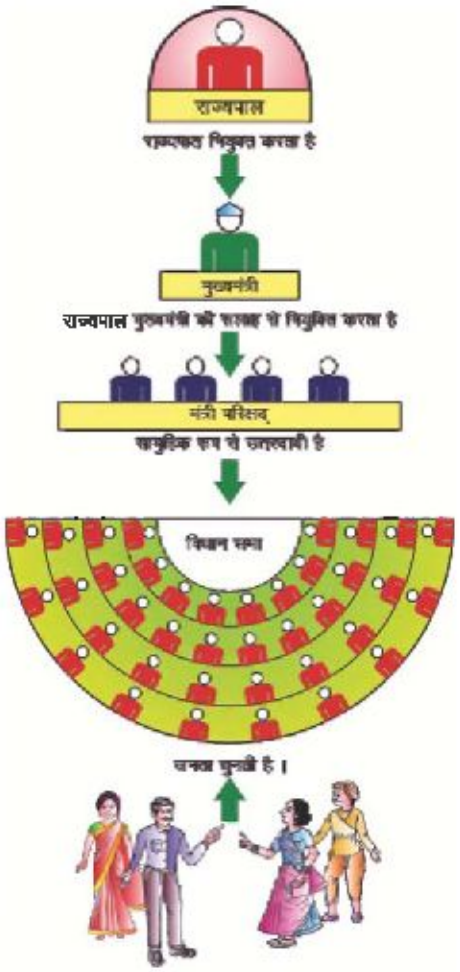

राज्य सरकार का गठन

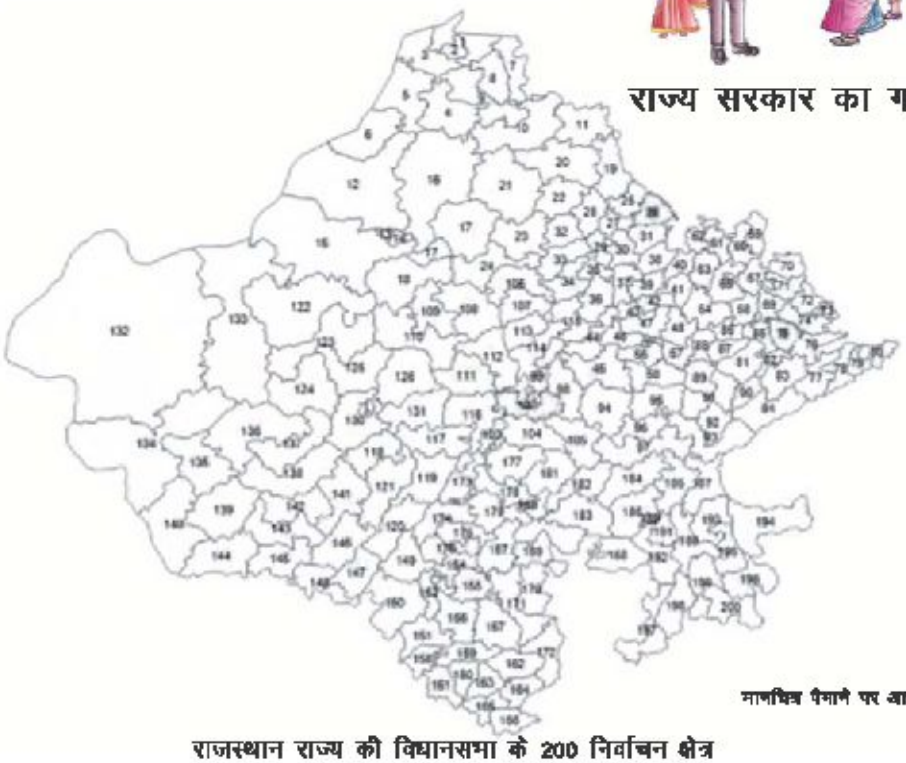

मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है।

राजस्थान राज्य की विधानसभा के 200 निर्वाचन क्षेत्र

विधानसभा का गठन

विधानसभा राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की सभा होती है।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र : यदि हम राजस्थान राज्य के संदर्भ में बात करें, तो हमारी विधानसभा के गठन हेतु पूरे राजस्थान राज्य को 200 क्षेत्रों में बाँटा गया है। ऐसा प्रत्येक क्षेत्र 'विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र' कहलाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से उस क्षेत्र के मतदाता अपना विधायक चुनते हैं। इनमें से 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति और 25 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है।

विधायक : प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अपने मत के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। यह निर्वाचित प्रतिनिधि 'विधायक' (एम.एल.ए.) के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या 200 निर्धारित है। विधायक बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो, वह संघ या राज्य में लाभ के पद पर न हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और दिवालिया घोषित न हो।

विधानसभा की बैठकें :विधानसभा की बैठकें वर्ष में कम से कम तीन बार होती हैं। ये बैठकें राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित विधानसभा भवन में सम्पन्न होती हैं। विधायक अपने में से ही किसी एक विधायक को अध्यक्ष तथा एक अन्य विधायक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। विधान सभा की कार्यवाही का संचालन विधानसभा का अध्यक्ष करता है।

राजस्थान विधानसभा, जयपुर

विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ –

विधानसभा राज्य की जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। विधानसभा अपनी बैठकों में निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करती है–

1. **विधायी कार्य :** कानून बनाने से संबन्धित कार्य विधायी कार्य कहलाते हैं। राज्य की विधानसभा इस पाठ के आरम्भ में वर्णित राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। वह मौजूदा कानून को संशोधित भी कर सकती है और उसे निरस्त भी कर सकती है। वह संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन की प्रक्रिया में भी भाग लेती है।
2. **वित्तीय कार्य :** राज्य सरकार के धन संबंधी कार्यों पर विधानसभा का नियंत्रण होता है। सरकार अपने द्वारा प्रस्तावित बजट को विधानसभा से स्वीकृति मिल जाने के पश्चात् ही वह जनता से कर वसूल सकती है और उसे खर्च कर सकती है।
3. **सरकार पर नियन्त्रण :** कार्यपालिका अर्थात् सरकार चलाने वाला निकाय विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। विधानसभा में सार्वजनिक मसलों और सरकार की नीतियों पर बहस होती है। विधानसभा की बैठकों में विधायक मंत्रीपरिषद् से सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछते हैं और उनसे सूचना माँग सकते हैं। बैठक के दौरान वे 'काम रोको' प्रस्ताव द्वारा किसी भी समय सरकार से किसी मुद्दे पर बयान की माँग कर सकते हैं। विधानसभा कार्यपालिका के संबंध में 'निन्दा' प्रस्ताव भी ला सकती है। सरकार विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त होने तक ही कार्य कर सकती है। विधानसभा में सरकार के विरुद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित होने पर मंत्रीपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है।
4. **निर्वाचन कार्य :** विधानसभा के सदस्य अर्थात् विधायक निर्वाचक मंडल के सदस्य भी हैं। वे राष्ट्रपति और राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। वे सदन के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी करते हैं।

विधान परिषद् का गठन और शक्तियाँ–

विधानपरिषद् राज्य व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन होता है। यह एक स्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं हो सकता। इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत हो जाते हैं। विधानपरिषद् के सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होती है। ये सदस्य स्थानीय स्वशासन की इकाईयों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय स्नातकों के प्रतिनिधि होते हैं।

विधानपरिषद् साधारण विधेयक पर संशोधन प्रस्तावित कर सकती है और अनुमोदन की प्रक्रिया को विलम्बित कर सकती है। धन विधेयक परिषद् द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। विधानपरिषद् बहस और प्रश्नों द्वारा मंत्रीमण्डल के सदस्यों पर नियंत्रण रख सकती है। वर्तमान में राजस्थान राज्य में विधान परिषद् विद्यमान नहीं है।

3. न्यायपालिका

देश में विभिन्न स्तरों पर मौजूद न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र संस्था होती है। भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) नई दिल्ली में स्थित है। राज्यों की सबसे बडी अदालत उच्च न्यायालय होती है। राजस्थान का उच्च न्यायालय (High Court) जोधपुर में स्थित है। इसकी एक पीठ (Bench) जयपुर में भी है। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। उसके अधीन जिला एवं स्थानीय न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है :–

1. राज्य के नागरिकों के बीच का विवाद
2. नागरिक और सरकार के बीच का विवाद
3. अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील

गतिविधि :

शिक्षक एवं अभिभावकों की सहायता से निम्नलिखित जानकारी जुटाइए–

1. भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का नाम –
2. राजस्थान के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री का नाम –
3. राज्य के मंत्रिमण्डल के सदस्यों के नाम –
4. आपके क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम –
5. आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक का नाम –
6. राजस्थान की राजधानी का नाम –

शब्दावली

- संघ राज्य क्षेत्र – भारतीय गणराज्य की वह इकाई जो सीधे केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित है ।
- आहूत करना – बैठक बुलाना ।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –

(i) राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है –

(अ) मुख्यमंत्री (ब) प्रधानमंत्री (स) राष्ट्रपति (द) राज्यपाल ( )

(ii) राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या है –

(अ) 250 (ब) 545 (स) 200 (द) 66 ( )

(iii) राज्य के मतदाता मतदान करते हैं–

(अ) स्थानीय निकाय के चुनाव में (ब) राज्य विधानसभा के चुनाव में

(स) देश की लोकसभा के चुनाव में (द) तीनों में ही ( )

2. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

(i) ..... राज्य की मंत्री परिषद् का मुखिया होता है।

(ii) मंत्री की सहायता के लिए विभाग में ..... होते हैं।

(iii) राजस्थान की विधायिका ..... सदनात्मक है।

(iv) राजस्थान का उच्च न्यायालय ..... में स्थित है।

3. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए –

(अ) स्तम्भ 'अ'–विषय	स्तम्भ 'ब'–सूची
(I) प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार	समवर्ती सूची
(ii) पुलिस, कृषि, सहकारिता	संघ सूची
(iii) शिक्षा, वन, मजदूर–संघ	राज्य सूची

(ब) स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
(I) मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्	न्यायपालिका
(ii) विधानसभा	कार्यपालिका
(iii) उच्च न्यायालय	विधायिका

4. राज्य सरकार के तीन अंग कौन–कौन से हैं ?

5. कार्यपालिका में कौन–कौन सम्मिलित होते हैं ?

6. मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।

7. विधानसभा के विधायी कार्यों का वर्णन कीजिए।

अध्याय 13

सरकार और लोक कल्याण

बहुत लम्बे समय तक यह माना जाता रहा कि बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना, राष्ट्र के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा नागरिकों के विवादों का समाधान करना– एक देश की सरकार के प्रमुखतः यही कार्य होते हैं। इन कार्यों को करने के लिए सरकार के पास सेना, पुलिस और न्यायिक व्यवस्था होती है। समय गुजरने के साथ–साथ यह समझा जाने लगा कि सरकार जन कल्याण के कार्य भी करे, अर्थात् ऐसे कार्यक्रम और योजनाएँ चलाए जिनसे सभी नागरिकों का जीवन सुखी हो और उनमें समानता स्थापित हो। ऐसी योजनाओं तक सभी की पहुँच होनी चाहिए। लोगों को भय, भूख और भेदभाव से मुक्ति मिले। भारतीय संस्कृति में प्रजा के शिक्षण, रक्षण और भरण–पोषण का कर्त्तव्य सरकार का माना गया है।

इस प्रकार 'लोक कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा के परिणामस्वरूप राज्य के कार्यों में बड़ी मात्रा में ऐसे कार्य जुड़ गए, जिनका संबंध नागरिकों के जीवन को सुखी बनाने के साधन उपलब्ध करवाने से हैं। लोक कल्याणकारी सरकार अपने नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था करती है।

लोक–कल्याण लोकतांत्रिक सरकार द्वारा ही संभव है। आजकल की अधिकांश सरकारें लोकतांत्रिक एवं जनकल्याणकारी सरकारें होती हैं। सरकार का प्रत्येक स्तर लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करता है। न्यूनतम् जीवन–स्तर की गारण्टी, शिक्षा, आजीविका कमाने के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण– ये बातें एक लोक कल्याणकारी सरकार के कर्त्तव्य समझी जाती हैं। एक अच्छे शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है।

भारत एक लोककल्याणकारी राज्य

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया है। संविधान ने सरकार को यह जिम्मेदारी दी है कि वे ऐसे कार्यक्रम और योजनाएँ संचालित करेगी जिनसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो। भारतीय संविधान के भाग चार में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सरकार की इन जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है, जिनसे लोक कल्याण हो। सरकार से यह आशा रखी गई है कि वह इन जिम्मेदारियों को निभाएगी।

आजादी के बाद से ही भारत सरकार और राज्यों की सरकारों ने अनेक ऐसे कानून बनाए और कार्यक्रम संचालित किए हैं, जिनका उद्देश्य लोक कल्याण रहा है। भोजन, आवास, स्वास्थ्य–सुविधाएँ, शिक्षा व रोजगार से संबंधित ऐसी अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

अब हम प्रमुखतः हमारे राजस्थान राज्य के संदर्भ में वर्तमान समय में संचालित इस प्रकार के प्रमुख कार्यकर्मों और कुछ कानूनों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

लोक कल्याणकारी कार्यक्रम

सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएँ दो प्रकार की होती हैं– प्रथम वे, जो कि सभी नागरिकों के लिए होती हैं तथा दूसरी वे, जो किसी वर्ग विशेष के उत्थान के लिए होती हैं, जैसे–'निर्धन रेखा से नीचे '(बी.पी.एल.) जीवन जीने वाले वर्गों के लिये योजनाएँ। राजस्थान सरकार राज्य में दोनों ही प्रकार के कार्यक्रम संचालित कर रही है। इनमे से अनेक कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा समर्थित हैं।

(1) शिक्षा–व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा का महत्त्व सर्वाधिक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को एक नागरिक अधिकार का दर्जा दिया है। इसके लिए 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम' बनाया गया है। इसके अंतर्गत 8 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और विशेष योग्यजन वर्ग के विद्यार्थियों, अनाथ विद्यार्थियों तथा अन्य प्रतिभावान् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। शिक्षा में पिछड़े उपखण्डों में 'कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय' और 'स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल' भी संचालित किए जा रहे हैं तथा राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए ' शारदे बालिका छात्रावास' संचालित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 'स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल' चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जा रहे हैं। केंदीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध इन विद्यालयों में 6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित होती है। कक्षा 9 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराया जाता है तथा कक्षा 6 से 8 में भी अंग्रेजी शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु ये विद्यालय सभी संसाधनों से सुसज्जित हैं, जैसे– सुविकसित खेल मैदान, आई.सी.टी.लैब, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय व वाचनालय, अंग्रेजी शिक्षण हेतु लिंग्वा लैब, के–यान आदि। इन विद्यालयों का संचालन पूर्ण रूप से केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर किया जाता है। राजस्थान को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में ये विद्यालय मील का पत्थर साबित होंगे।

गतिविधि–
आपके विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

(2) खाद्य सुरक्षा–लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यह आवश्यक है कि उसके नागरिकों को सम्मानपूर्वक दो वक्त का भोजन प्राप्त हो। 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (पी.डी.एस.) के माध्यम से सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों (जो कि 'अंत्योदय योजना' में चयनित हैं या बी.पी.एल. वर्ग से संबंधित हैं) और अन्य समूहों को सस्ती दरों पर गेंहूँ, चीनी आदि खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है। उचित मूल्य पर केरोसिन भी उपलब्ध करवाया जाता है। निजी सहभागिता के माध्यम से आम लोगों को उचित मूल्य की दुकानों पर उच्च गुणवत्ता की अनेक वस्तुएँ भी उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाने लगी हैं। सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

गतिविधि–अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान से तथा अपनी ग्राम पंचायत से विभिन्न खाद्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

(3) चिकित्सा–यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवाएँ प्रभावी और सस्ती हों तथा सबकी पहुँच में हों। राजस्थान सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व जाँच योजना' के अन्तर्गत सरकारी अस्पतालों में रोगियों को निःशुल्क दवाईयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं तथा अधिकतर चिकित्सा जाँचें भी निःशुल्क की जाती हैं। पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवाईयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

टॉल फ्री '104' टेलिफोन नम्बर पर कोई भी नागरिक स्वास्थ्य समस्या के समाधान हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त कर सकता है तथा इसी नम्बर पर जननी व शिशुओं के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। एक अन्य '108' नम्बर पर भी निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध करवायी जा रही है। 'जननी व शिशु सुरक्षा' योजना के अन्तर्गत माता व शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

गतिविधि–
अपने क्षेत्र के राजकीय चिकित्सा केंद्र का भ्रमण कर स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

सबके लिए आवास

(4) आवास–मानव के जीवन निर्वाह के लिए आवास मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। एक साधारण नागरिक को अपना मकान उपलब्ध होने से महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। सरकार का निश्चय है कि आने वाले समय में कोई भी परिवार आवासहीन नहीं रहे। इसके लिए अनेक योजनाएँ आरम्भ की गई हैं। आवासहीन चयनित ग्रामीण गरीब परिवारों को 'मुख्यमंत्री आवास योजना' और 'इन्दिरा आवास योजना' में निःशुल्क भूखण्ड व आवास निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में 'मुख्यमंत्री जन आवास योजना' में आवासहीन गरीब परिवारों को वहनीय मूल्य पर आवास उपलब्ध करवाया जा रहा है।

गतिविधि–

अपने क्षेत्र की ग्राम–पंचायत या नगरीय निकाय से विभिन्न आवासीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

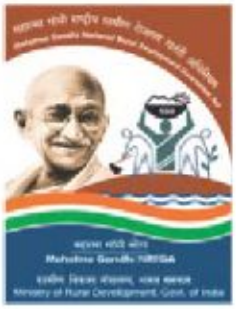

(5) रोजगार–'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम' (महात्मा गाँधी नरेगा) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत अकुशल श्रमिक द्वारा रोजगार की माँग करने पर उसके घर के निकट ही वर्ष में न्यूनतम् 150 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी सरकार द्वारा प्रदान की गई है। पन्द्रह दिनों में रोजगार उपलब्ध न हो सकने पर उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के द्वारा रोजगार के साथ–साथ ही क्षेत्रीय विकास के अनेक कार्य भी सम्पन्न हो पा रहे हैं। इन कार्यों से सृजित सम्पत्तियों का अभिलेखों से मिलान कर के ग्राम–सभा द्वारा वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है।

राज्य में जगह–जगह रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं, जिनमें युवाओं में कौशल विकास के लिए विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। अनेक प्रसिद्ध औद्योगिक प्रतिष्ठान भी कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान कर युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। समय–समय पर जिले में रोजगार शिविर लगाए जाते हैं, जिनमें रोजगार और प्रशिक्षण संबंधी सूचनाएँ एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाता है।

गतिविधि –

1. अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय से रोजगार प्रशिक्षण व रोजगार योजना की जानकारी प्राप्त कीजिए।
2. आपके ग्राम–पंचायत क्षेत्र में महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों की सूची बनाइये।

(6) श्रम कानून– मजदूरों एवं कामगारों को शोषण से बचाने के लिए उनके काम के घण्टे और न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। उन्हें साप्ताहिक अवकाश का अधिकार भी दिया गया है। उनके श्रम संबंधी विवादों के समाधान के लिए श्रम कानून बनाए गए हैं।

(7) सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवम् बीमा योजनाएँ– वृद्धजन, एकल महिलाओं, विशेष योग्यजनों व अन्य चयनित जरूरतमन्दों को सरकार द्वारा हर महीने पेंशन प्रदान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य–बीमा एवं दुर्घटना–बीमा द्वारा भी सुरक्षा प्रदान की जा रही हैं। किसानों की फसलों के लिए 'फसल मौसम बीमा' प्रदान किया जा रहा है।

(8) भामाशाह योजना– यह वित्तीय समावेशन हेतु एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत परिवार की महिला को परिवार का मुखिया बनाकर परिवार के सदस्यों का नामांकन किया जाता है। सदस्यों का बैंक में खाता भी खुलवाया जाता है। इससे महात्मा गाँधी नरेगा मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि, छात्रवृत्ति राशि एवं अन्य योजनाओं का धन सीधे व शीघ्रता से खाताधारक के खाते में जमा करवाने की सुविधा मिल जाती है। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस योजना में उन्हें स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थापित 'अटल सेवा केन्द्र' पर मिनी बैंकिंग सेवाएँ भी उपलब्ध हैं।

गतिविधि–
अपनी ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय से भामाशाह योजना की जानकारी प्राप्त कीजिए।

(9) 'ई–गवर्नेन्स'–नागरिक बिना सरकारी कार्यालय में जाए अपने घर के नजदीक ही या घर बैठे भी अपना काम करवा सके, इसके लिए इण्टरनेट प्रणाली पर आधारित 'ई–गवर्नेन्स' व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। राज्य में इसके लिए निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्था स्थापित की गई है :–

1. अनेक सरकारी सेवाओं को प्रदान करने के लिए जगह–जगह 'ई–मित्र केन्द्र' स्थापित किये गए हैं।
2. ग्राम–पंचायत स्तर पर स्थित 'अटल सेवा केन्द्र' पर ई–मित्र व मिनी बैंकिंग जैसी अनेक सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
3. पंचायत समिति मुख्यालय और जिला कलेक्टर कार्यालय में 'सूचना कियोस्क' (टच स्क्रीन कियोस्क) स्थापित किए गए हैं। इसके द्वारा सरकारी सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। सरकारी विभागों को अपने सुझाव और शिकायतें भी भेजी जा सकती हैं।
4. इण्टरनेट के माध्यम से 'राजस्थान सम्पर्क' पोर्टल पर किसी भी विभाग को शिकायत या समस्या भेजी जा सकती है व सुझाव भी भेजे जा सकते हैं। इसके जरिये प्रशासन सम्बन्धी अनेक सूचनाएँ भी प्राप्त की जा सकती हैं।

5. करीब–करीब सभी विभागों में समस्याएँ दर्ज करवाने के लिए 'टोल फ्री' टेलीफोन सेवा प्रारम्भ कर दी गई है।

6. कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिये 'डिजिटल इण्डिया' अभियान चलाया जा रहा है ।

गतिविधि–
अपने नजदीक के 'ई–मित्र केन्द्र' या 'अटल सेवा केन्द्र' पर जाकर वहाँ उपलब्ध सेवाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इससे सम्बन्धित कई कानूनी प्रावधान भी मौजूद हैं। आइए, अब हम इनकी चर्चा करें–

लोक कल्याण एवं सरकार की जवाबदेही

योजनाओं की क्रियान्विति सुचारू रूप से हो तथा उनका लाभ उन लोगों को मिले जिनके लिए उन्हें लागू किया गया है, यह सुनिश्चित हो, इसके लिए दो बातों का होना जरूरी है। एक तो यह कि जनता में पर्याप्त जागरूकता हो और वह सरकार के काम–काज पर नजर रखें। दूसरा यह कि लोगों को इन योजनाओं तथा इनके क्रियान्वयन संबंधी सूचना व हिसाब–किताब की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। अतः सरकार ने लोक सेवाओं को लोगों तक पहुँचाने और प्रशासन को संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण अधिनियम पारित किए हैं।

1. **सूचना का अधिकार अधिनियम**–देश में सरकार से जुड़ी हुई जानकारी लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। सही सूचना की उपलब्धता जीवन का आधार बनती है। सूचना के अधिकार की प्राप्ति के लिए राजस्थान का योगदान देश में महत्त्वपूर्ण रहा है। यहाँ के लोगों ने इस अधिकार की प्राप्ति के लिए एक लम्बे समय तक आंदोलन किया और यह अधिकार हासिल किया। इसके लिए सन् 2000 में राजस्थान में तथा सन् 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर कानून बने। इन कानूनों के बन जाने पर कोई भी नागरिक सरकार की नीति, योजना, कार्य एवं हिसाब–किताब से सम्बन्धित रिकॉर्ड की सूचना सरकार के संबंधित विभाग से माँग सकता है। माँग करने पर उसे एक निश्चित समय में सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया बड़ी सरल है। इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं से हमें सरकार के कार्यों की और हिसाब–किताब की वास्तविकता की जानकारी प्राप्त होती है। यदि कहीं किसी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार है, तो इस संबंध में शिकायत की जा सकती है।

2. **राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारण्टी अधिनियम–2011**– इस अधिनियम के द्वारा 18 सरकारी विभागों के 53 विषयों की 153 सेवाओं को शामिल किया गया है। इनमें मुख्य है– ऊर्जा, पुलिस, चिकित्सा, यातायात, स्थानीय निकाय, खाद्य एवं आपूर्ति, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि। इन विभागों की विभिन्न लोकसेवाओं को नागरिकों को उपलब्ध करवाने की एक अवधि निश्चित कर

दी गई है। यदि उस निश्चित अवधि में नागरिक को वह सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो शिकायत करने पर संबंधित लोक सेवक अधिकारी अथवा कर्मचारी पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। इस तरह सेवाओं को शीघ्रता से उपलब्ध करवाने के लिए नौकरशाही को जिम्मेदार बनाया गया है और भ्रष्टाचार तथा लेट–लतीफी की स्थिति पर अंकुश लगाया गया है।

3. **राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम–** अगस्त 2012 से इस अधिनियम को पूरे राज्य में लागू किया गया है। राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में चलाए जा रहे किसी भी कार्यक्रम या योजना तथा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही लोक सेवा के सम्बन्ध में आम जनता की शिकायतों तथा समस्याओं के निराकरण हेतु इस अधिनियम के द्वारा पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया गया है। ग्राम पंचायत से लेकर संभाग स्तर तक प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर जनता की शिकायतें सुनने के लिए लोक सुनवाई अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी विभाग की शिकायत या समस्या ग्राम पंचायत स्तर के लोक सुनवाई अधिकारी (ग्राम सेवक पदेन सचिव) को दी जा सकती हैं। शिकायत प्राप्ति की रसीद हाथों–हाथ दी जाती है। यहाँ से उस शिकायत या समस्या को निवारण के लिए उसे संबंधित विभाग में पहुँचा दिया जाता है। अगर नियत समय सीमा में सुनवाई नहीं होती है या निर्णय के प्रति असंतोष है, तो बड़े अधिकारी को अपील की व्यवस्था भी है। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्ड का प्रावधान भी है।

जैसा कि हम पाठ के आरम्भ में पढ़ चुके हैं कि वर्तमान में विश्व की अधिकांश सरकारों का स्वरूप लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी है। लोकतंत्र में जनता एक निश्चित अवधि के बाद नई सरकार चुनती है। लोकतंत्र में सरकार की सफलता का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि उसने कहाँ तक लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की है।

शब्दावली

न्यूनतम् जीवन स्तर – रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि आधारभूत आवश्यकताओं का वह न्यूनतम् स्तर जो एक व्यक्ति के सामान्य जीवन के लिए वांछित है।

कल्याणकारी राज्य – वह सरकार जो नागरिकों को न्यूनतम् जीवन स्तर की सुविधाएँ, रोजगार व सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली – समाज के कमजोर वर्गों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिये स्थपित प्रणाली

कौशल – दक्षता

विषेष योग्यजन – मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, दृष्टि–बाधित और शारीरिक रूप से बाधित अन्यथा सक्षम व्यक्ति।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –

   (i) लोक कल्याणकारी योजनाएँ निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित होती हैं –

   (अ) भोजन और आवास से (ब) स्वास्थ्य सुविधाओं से

   (स) शिक्षा और रोजगार से (द) उपर्युक्त सभी से ( )

   (ii) लोक कल्याणकारी सरकार के कर्त्तव्यों में सम्मिलित हैं–

   (अ) न्यूनतम जीवन स्तर की गारण्टी (ब) शिक्षा और रोजगार

   (स) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (द) उपर्युक्त सभी ( )

2. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

   (i) .....से ..... वर्ष की आयु वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है।

   (ii) निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा के लिए टोल फ्री नम्बर ..... है।

   (iii) ..... के अधिकार की प्राप्ति के लिए राजस्थान की जनता ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

3. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए –

स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
(I) अन्त्योदय योजना	ई–गवर्नेन्स
(ii) महात्मा गाँधी नरेगा	कम्प्यूटर शिक्षा
(iii) ई–मित्र	खाद्य सुरक्षा
(iv) डिजिटल इण्डिया अभियान	ग्रामीण रोजगार

4. लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं ?

5. सरकार की जवाबदेही से सम्बन्धित तीन कानूनों के नाम लिखिए।

6. निम्नलिखित क्षेत्रों से सम्बन्धित लोक कल्याणकारी योजना के बारे में बताइए–

   (I) शिक्षा (ii) खाद्य सुरक्षा (iii) चिकित्सा

   (Iv) आवास (v) रोजगार (vi) ई–गवर्नेन्स

अध्याय 14

संचार माध्यम और लोकतंत्र

इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि संचार माध्यम (मीडिया) क्या होता है तथा इसके विभिन्न रूप कौन–कौन से होते हैं ? साथ ही वर्तमान समय मे विभिन्न क्षेत्रों मे मीड़िया की बढ़ती भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में हम यह जानकारी भी प्राप्त करेंगे कि एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था में किस तरह मीडिया लोकतन्त्र को मजबूत करने में भूमिका निभाता है ? तथा इस व्यवस्था में कैसे मीडिया की स्वायत्ता को बनाए रखते हुए उसके उत्तरदायित्व तय किये जा सकते हैं ?

अक्सर हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो पल–पल उनके यात्रा कार्यक्रमों की समस्त जानकारी हमें मिलती रहती है। इसी तरह हमारी क्रिकेट टीम विदेश दौरे पर जाती है तो वहाँ खेले जाने वाले मैच के परिणामों की जानकारी भी तुरन्त हो जाती है। विश्व में होने वाले घटनाक्रमों की जानकारी भी हमें लगातार मिलती रहती है। आखिर हमें ये जानकारियाँ किस प्रकार से प्राप्त होती हैं ? हमें ये जानकारी टी.वी., रेडियो, अखबार आदि साधनों से प्राप्त होती है। इन सभी साधनों को हम 'संचार के माध्यम' (मीडिया) कहते हैं। इन साधनों के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा।

टेस्ट क्रिकेट में पहली बार बने हम नंबर वन

जिद से जीता जहां

श्रीलंका को 2-0 से मात

UPSC परीक्षा में लड़कियों का परचम

संचार माध्यमों से प्राप्त सूचनाएँ

गतिविधि–

दिये गये चित्रों को देख कर हमें क्या सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं शिक्षक की सहायता से चर्चा करके लिखिये।

संचार माध्यम का अर्थ

मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम से बना है जिसका अर्थ होता है– 'माध्यम'। विचारों और सूचनाओं के आदान–प्रदान की प्रणाली को हम 'संचार माध्यम' या 'मीडिया' कहते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, समाचार–पत्र व पत्रिकाएँ, टेलीफोन, कम्प्यूटर आदि मीडिया के विभिन्न रूप हैं जो वर्तमान समय में प्रचलित हैं।

संचार माध्यम (मीडिया) के रूप

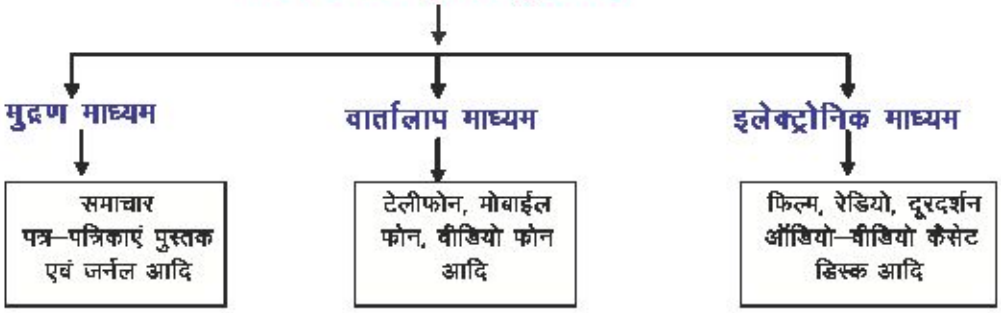

संचार माध्यमों के लिये प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरन्तर बदलती रहती है। वर्तमान में कम्प्यूटर के माध्यम से इन्टरनेट सेवा का प्रयोग एवं सोशल साइट्स से सूचनाओं के प्रवाह में क्रान्ति आई है।

जनसंचार के माध्यम

अखबार, रेडियो, टेलीविजन और इण्टरनेट की सोशल साईट्स की पहुँच बड़े जन समूह तक होने एवं अधिक लोगों को एक साथ प्रभावित करने के कारण इन्हे 'जन संचार के माध्यम' (मास मीडिया) कहा जाता है।

टेलीविजन

रेडियो

सोशल साइट्स

समाचार पत्र

इण्टरनेट

जन संचार के विभिन्न माध्यम

समाचार–पत्र,पत्रिकाएँ, जर्नल आदि 'मुद्रण माध्यम' (प्रिन्ट मीड़िया) के उदाहरण हैं। इन्हें हम मीडिया का सबसे पुराना रूप कह सकते हैं। यद्यपि पिछले कुछ दशकों में इसके पाठकों मे कमी आई है, फिर भी इसे सूचना का सबसे भरोसेमंद एवं उत्तरदायी माध्यम माना जाता है। रेडियो, टेलीविजन आदि ब्रॉडकास्टिंग माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) की श्रेणी में आते हैं। ये विश्व के किसी भी कोने में होने वाली महत्त्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी तुरन्त पहुँचाने का प्रभावी माध्यम हैं। ये माध्यम घटनाओं को प्रभावी ढ़ंग से दिखाते हैं और विशेषज्ञों के माध्यम से उनका विश्लेषण करते हैं जिससे दर्षकों को किसी घटना के सभी पहलुओं को समझने का मौका मिलता है।

गतिविधि–

अपने गाँव/शहर में आप को देश–विदेश की विभिन्न सूचनाएँ किन–किन माध्यमों से प्राप्त होती हैं ? अपने सहपाठियों की सहायता से उन माध्यमों की सूची बनाइये।

जनसंचार माध्यम का महत्व

संचार के माध्यमों से हमें देश–विदेश मे होने वाली राजनीतिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, गीत–संगीत, षिक्षा, विज्ञान तथा तकनीकी से सम्बन्धित सूचनाओं और महत्त्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। नेपाल में आए भूकम्प की घटना हो या उडीसा और आन्ध्रप्रदेश में सूनामी का कहर, हम सबने टेलीविजन, रेडियो, अखबार के माध्यम से इस विनाश को देखा–सुना और पढ़ा है। जनसंचार माध्यमों ने इन घटनाओं के प्रति हमारे मन में संवेदना पैदा करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। मीडिया आर्थिक एवं सांस्कृतिक वैश्वीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो आदि संचार माध्यम जनमानस के विचारों एवं दृष्टिकोण के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न विज्ञापनों और सूचनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा जनहित में जारी लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार व प्रसार में सहायक हैं। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं, जैसे– शिक्षा सबके लिये, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इण्डिया, भामाशाह योजना, जन–धन योजना, ग्रीन इण्डिया–क्लीन इण्डिया, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, सड़क सुरक्षा अभियान जैसे सामाजिक सरोकारों से संबन्धित कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार में मीडिया अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है।

इस तरह हम समझ सकते हैं कि वर्तमान में मीडिया शिक्षा, जागरूकता, समस्या समाधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मीड़िया हमें सिर्फ सूचनाएँ प्रदान करने का कार्य ही नहीं करता, बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को भी यह प्रमुखता से उठाता है। जन जागरूकता व जनमत निर्माण में भूमिका निभाता है।

गतिविधि–

आपके विद्यालय मे आने वाले समाचार पत्रों से सरकार की विभिन्न योजनाओं के विज्ञापनों की कतरनें काट कर चार्ट पर चिपकाएँ एवं अपने शिक्षक की सहायता से उन योजनाओं के लाभ पर चर्चा कीजिए।

सड़क सुरक्षा में मीडिया की भूमिका

हम आए दिन अखबारों में पढ़ते है कि सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो गई है या गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं। प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चला कर इन घटनाओं के प्रति लोगों को जागरुक किया जाता है। यातायात नियमों की जानकारी लोगों को विभिन्न माध्यमों से दी जाती है। इस अभियान में मीडिया की भूमिका खास हो जाती है। मीड़िया लोगों को संदेशों व विज्ञापनों के माध्यम से यातायात के नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करे। उसे सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार सकारात्मक सूचनाएँ प्रसारित करनी चाहिए। सामाजिक विज्ञापन से घर और सड़कों पर जीवन की सुरक्षा संबंधी सन्देश देना चाहिए। मीडिया को स्पष्ट और निष्पक्ष विचार रखने चाहिए ताकि लोगों के विचारों में सकारात्मक प्रभाव पड़े। कुछ विज्ञापन गैर जिम्मेदाराना तरीके से उच्च क्षमता के वाहनों का प्रदर्शन स्टंट के दृश्य सहित, लेकिन बिना वैधानिक चेतावनी के प्रसारित किए जाते हैं। इसी प्रकार के दृश्यों वाले अन्य अनेक विज्ञापन और भी प्रसारित कर दिए जाते हैं। बिना वैधानिक चेतावनी के ऐसे विज्ञापन प्रसारित नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे व युवा इन दृश्यों का अनुसरण कर चोटग्रस्त हो सकते हैं।

वाहन चालन के समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखें –

1. वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेन्स हो ।
2. दुपहिया वाहन चालक और सवार हेलमेट का प्रयोग करें। चौपहिया वाहन के चालक व सवार सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
3. वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें।
4. तेज ड्राइविंग से बचें और वाहन निर्धारित गति सीमा में चलावें।
5. नशा करके वाहन न चलावें।
6. यातायात नियमों का पालन करें।
7. अपनी लेन में ही चले और यातायात संकेतकों का पालन करें।
8. आम सड़क पर वाहन चलाते हुए स्टंटबाजी नहीं करनी चाहिए।

गतिविधि–

1. शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न समूहों में बाँट कर सड़क सुरक्षा पर विज्ञापन तैयार करवाएँ।
2. "सड़कों पर कितना जोखिम है ?" – विषय पर कक्षा में वाद–विवाद करें।

स्वच्छ भारत अभियान

02 अक्टूबर 2014 गाँधी जयंती के दिन हमारे प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर स्वच्छ भारत अभियान (क्लीन इंडिया मूवमेंट) की शुरुआत की। भारत के सवा सौ करोड़ लोगों को आन्दोलन का हिस्सा बनाने के लिये प्रधानमंत्री ने खुद हाथ में झाड़ू थामी। अभियान को राजनीति से दूर रखने का ऐलान कर हर नागरिक से आशा जताई कि वह अपने आस–पास स्वच्छता रखेगें। सफाई को सरकारी अभियान के बजाए जनता के आन्दोलन के रूप में स्थापित करने का भी उन्होंने प्रयास किया।

लोकतन्त्र में संचार माध्यमों की भूमिका–

स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष संचार माध्यम (मीडिया) लोकतन्त्र की अनिवार्य शर्त है। यह सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। यह सरकार की योजनाओं एवं कार्यों को जनता तक और जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम है। मीडिया द्वारा न केवल समाचार व सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है, बल्कि व्यापक स्तर पर जनमत के निर्माण में भी इसकी अहम भूमिका होती है। व्यापक जन समूह तक पहुँच के कारण इसे सशक्त माध्यम माना गया है। संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते है कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है।

'प्रेस' मीडिया का ही एक रूप है जिसे शासन का चौथा स्तम्भ माना गया है। लोकतान्त्रिक देशों में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है। इस स्वतन्त्रता का उपयोग प्रेस के कारण सही ढ़ंग से हो सकता है। चुनावों के दौरान इसकी भूमिका और बढ़ जाती है। यह चुनावों में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी देता है जिससे मतदाता अच्छे प्रत्याशी का चयन कर सके। चुनाव होने से लेकर सरकार के गठन तक इसकी प्रभावी भूमिका रहती है।

मीड़िया का क्षेत्र व्यापक होने से जनमत निर्माण में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसके द्वारा सरकार के कार्यों एवं नीतियों को व्यापक जनसमूह तक पहुँचाया जाता है। अखबार में लेखों एवं टेलीविजन पर चर्चा द्वारा वास्तविकताओं को जनता के समक्ष रखा जाता है जिससे साधारण नागरिक भी सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को जान सके एवं विचार निर्माण कर सके।

सोशल साइट्स के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति का दायरा बढ़ गया है जिनके माध्यम से सरकार के किसी निर्णय पर तुरन्त प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती है। इससे सरकार को जनता के रुख का पता चलता

है एवं सरकार अपनी नीतियों की समीक्षा कर सकती है। इस तरह से बहुसंख्य जनता को निर्णय–निर्माण में भागीदारी मिलती है जो मजबूत लोकतन्त्र की पहचान है।

गतिविधि–

अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की सूची बनाइये जिन्हें आप मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे।

उत्तरदायी मीडिया–

एक आदर्श मिडिया की अवधारणा में मिडिया सूचना प्रदाता, सकारात्मक, सृजनात्मक, प्रेरणादायी और मनोरंजक होता है। मीडिया लोकतन्त्र एवं मानव अधिकारों का एक सशक्त रक्षक है। एक उत्तरदायी मीडिया देश में कानून व्यवस्था को बनाये रखने तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को कायम रखने में अद्वितीय भूमिका निभाता है। मीडिया से राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते हुए देश में स्वस्थ जनमत का निर्माण करने और लोगों में उचित दृष्टिकोण विकसित करने में अपना अमूल्य योगदान देने की अपेक्षा की जाती है। उसे पर्यावरण और सामाजिक सरोकारों से सम्बन्धित विषयों को जनता के बीच उठाते रहना चाहिए और स्वस्थ बहस को जन्म देना चाहिए। उससे नकारात्मक और अनावश्यक सनसनीखेज रिपोर्टिंग के लालच से बचने की अपेक्षा की जाती है। मीड़िया का यह दायित्व है कि वह बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराये। लोकतंत्र में मीडिया को अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा प्रसारित व प्रकाशित किसी भी लेख अथवा कार्यक्रम से नागरिकों में परस्पर सौहार्द व शांति को आघात न पहुँचे।

शब्दावली

जनमत	–	जनता की राय अथवा जनता का मत
प्रसारण	–	किसी खबर वार्ता या कार्यक्रम को बहुत बड़े क्षेत्र में प्रसारित करना अर्थात फैलाना

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(i) प्रिन्ट मीडिया का उदाहरण है–

(अ) समाचार पत्र (ब) टेलिविजन

(स) टेलिफोन (द) कम्प्यूटर ( )

(ii) मीडिया का उपयोग होता है–

(अ) केवल सरकार के लिये (ब) केवल जनता के लिये

(स) सरकार और जनता के लिये (द) केवल मीडिया के लोगों के लिये ( )

2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न रूप बताइये।
3. जन संचार माध्यमों से हमें कौन कौनसी सूचनाओं और घटनाओं की जानकारी मिलती हैं ?
4. आदर्श मीडिया के लक्षण लिखिये।
5. उत्तरदायी मीडिया पर तीन वाक्य लिखिए।
6. लोकतन्त्र में मीडिया का महत्व बताइए।
7. सड़क सुरक्षा के प्रति मीडिया अपनी भूमिका किस तरह निभा सकता है,समझाइए।
8. वाहन चलाते समय कौन–कौनसी सावधानियाँ रखनी चाहिए ?

अध्याय 15

वृहत्तर भारत

प्राचीन भारतीय इतिहास का एक रोचक पक्ष भारत की सीमाओं से परे के देशों के जीवन और संस्कृति पर भारत का प्रभाव होना है। इन देशों में भारतीय दर्शन और विचार का प्रवेश हुआ, जिसके फलस्वरूप वहाँ भारतीय संस्कृति पल्लवित हुई और वह एक प्रकार का वृहत्तर भारत बना गया।

विश्व में अनेक देश हैं जहाँ हमारे देश की संस्कृति का प्रभाव उनके समाज के हर क्षेत्र में आज भी दिखता है। इन देशों के साथ हमारे संबंध हजारों साल पहले ही बन चुके थे। यह एक विचार का विषय है कि उन क्षेत्रों के साथ भारत के सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनैतिक एवं सामाजिक संबंध कैसे बने? हमने कभी भी विश्व के अन्य देशों पर अपने प्रभाव के लिए ताकत का प्रयोग नहीं किया। हमने अपनी सांस्कृतिक ताकत व अपने ज्ञान से दुनिया के देशों पर अपना प्रभाव जमाया।

भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार

संस्कृति व ज्ञान–विज्ञान

भारत की सभ्यता व संस्कृति विश्व में उन्नत रही है। सम्राट हर्ष के काल तक भारत कला, साहित्य, शिक्षा और विज्ञान में सम्पूर्ण विश्व में आगे था, इसलिए प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु कहलाता था। भारत में नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला और गया के विश्वविद्यालय शिक्षा के बड़े केन्द्र थे। भारत के अलावा चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, कोरिया, मंगोलिया आदि देशों के विद्यार्थी भी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। भारत की प्रसिद्धि सुनकर अनेक विदेशी यात्री भी इस काल में यहाँ आए। उनमें फाह्यान, ह्वेनसांग, और इत्सिंग नामक चीनी यात्री प्रमुख थे। ये सब विदेशों में भारतीय संस्कृति के संवाहक थे। इन्होंने यहाँ रहकर हमारे ज्ञान–विज्ञान का अध्ययन किया। अपने देश लौटते समय वे अपने साथ भारत की संस्कृति, साहित्य और ज्ञान अपने साथ ले गए। इन्होंने भारतीय ग्रंथों का अपनी भाषा में अनुवाद किया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का विदेशों में खूब प्रचार–प्रसार हो गया। प्राचीन समय में भारत में उद्योग एवं व्यापार अपने चरम सीमा पर थे। भारत में बनी वस्तुओं की विदेशों में भारी मांग थी। यहाँ का बहुत सा माल विदेशों में निर्यात किया जाता था। यह व्यापार जमीन व समुद्र दोनों ही रास्तों से होता था। भारत से मलमल, छींट, रेशम व जरी के वस्त्र; नील, गरम मसाले, लोह–इस्पात की वस्तुएँ आदि भारी मात्रा में निर्यात की जाती थी। यह माल जावा–सुमात्रा आदि दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशों तथा पश्चिम व मध्य एशिया से आगे तक भेजा जाता था। इन क्षेत्रों में व्यापारियों का आना–जाना लगा रहता था। कुछ क्षेत्रों में भारतीय लोगों ने अपनी बस्तियाँ भी बसा ली। इस प्रकार वस्तुएँ ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान, साहित्य, धर्म और दर्शन भी वहाँ पहुँचा।

यह भी जानें–अग्नि पुराण के अनुसार जम्बूद्वीप से अलग एक 'द्वीपान्तर भारत' का अविर्भाव हुआ। यही भाव आधुनिक शब्द इण्डोनेशिया से अभिव्यक्त होता है। नेशिया का अर्थ द्वीप है, इसलिए इण्डोनेशिया का अर्थ 'भारतीय द्वीप' होता हैं। यह एक इस्लामिक देश है जहाँ भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है।

बर्मा, स्याम, मलय प्रायद्वीप, कम्बोडिया, सुमात्रा, जावा, बोर्निया, बाली, अन्नाम, सुवर्णदीप, हिन्द–चीन आदि स्थानों पर भारतीय भाषा, साहित्य, धर्म, कला आदि के प्रभाव वहाँ के जन–जीवन में आज भी देखने को मिलते हैं। इन स्थानों पर मिलने वाले प्राचीन अवशेषों से वहाँ की संस्कृति और जन–जीवन पर भारत के गहरे प्रभाव और संबंधों का पता चलता है। साथ ही भारत की सभ्यता और संस्कृति के विस्तार का भी पता चलता है।

जब विश्व, मुख्यत: एशियाई देश भारत के सम्पर्क में आए तो उस समय उनमें सभ्यता के सभी स्तरों के लोग थे। कम्बोडिया के नंगे रहने वाले अर्ध जंगली लोगों से लेकर सभ्यता की आदिम अवस्था से आगे बढ़ जाने वाले जावा के निवासियों तक उसमें शामिल थे। इन सबने भारतीय सभ्यता की विशेषताओं को अनुभव किया और बहुत बड़ी सीमा तक उसे अपना लिया। भारत की भाषा, साहित्य, धर्म, कला और राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं ने इन लोगों पर सांस्कृतिक प्रभाव जमाया और वहाँ की

मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं हैं।

गतिविधि–

इस मानचित्र के वर्णित स्थानों के बारे में यह जानने का प्रयत्न करें कि आज भी हमारी संस्कृति का प्रभाव किन–किन क्षेत्रों में तथा कैसा रहा है?

स्थानीय संस्कृति के साथ मिलकर एक नई संस्कृति को जन्म दिया।

भाषा और साहित्य

संस्कृत में लिखे गये अभिलेख बर्मा, स्याम, मलय प्रायद्वीप, कम्बोडिया, अन्नाम, सुमात्रा, जावा और बोर्नियो में पाये गए हैं। इनमें से सबसे प्राचीन लेख ईसा की दूसरी–तीसरी शताब्दी के हैं। वहाँ संस्कृत का प्रयोग 1000 वर्षों से अधिक काल तक होता रहा। हिन्द–चीन के अधिकांश भागों में आज भी पालि भाषा जो संस्कृत से निकली हुई है, दैनिक प्रयोग में आती है।

चम्पा में 100 से अधिक संस्कृत अभिलेख मिले हैं। कम्बुज में मिले अभिलेखों की संख्या न केवल इनसे अधिक है वरन् वे साहित्य की दृष्टि से भी उच्च कोटि के हैं। वे सुन्दर काव्य शैली में लिखे गये हैं, जो किसी भी भारतीय के लिये गौरव की बात हो सकती है। यशोवर्मन के चार अभिलेख क्रमशः 50, 75, 93 और 108 छन्दों के हैं। राजेन्द्रवर्मन का एक लेख 218 छन्दों और दूसरा 268 छन्दों का हैं।

इन अभिलेखों के रचयिताओं ने संस्कृत साहित्य के प्रायः सभी छन्दों का प्रयोग किया हैं। उनमें संस्कृत व्याकरण, अलंकार और छन्द शास्त्र के विकसित सिद्धान्तों का पूर्ण ज्ञान व्यक्त होता है। इनमें रामायण, महाभारत, काव्य, पुराण और अन्य भारतीय साहित्य का घनिष्ठ परिचय और भारतीय दर्शन तथा आध्यात्मिक विचारों की गहरी पैठ प्रकट होती है। वे भारत के विभिन्न सम्प्रदायों के धार्मिक एवं आनुश्रूतिक धारणाओं से भी ओत–प्रोत हैं। यह सब इस सीमा तक है कि हम उसे ऐसे समाज के लिए आश्चर्यजनक ही कहेंगे जो भारत से हजारों मील दूर रहा हो। इन अभिलेखों में वेद, वेदान्त, स्मृति तथा ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रन्थों, रामायण, महाभारत, काव्य, पुराण, पाणिनि के व्याकरण और पतंजलि के महाभाष्य तथा मनु, वात्स्यायन, विशालाक्ष, सुश्रुत, प्रवरसेन, मयुर और गुणाढ्य की रचनाओं के अध्ययन का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है।

राजा और बड़े अधिकारी भी साहित्यिक कार्यों में नेतृत्व करते थे। चम्पा के तीन नरेशों के विद्वान् होने का उल्लेख मिलता है। उनमें से एक तो चारों वेदों का ज्ञाता था। कम्बुज नरेश यशोवर्मन के बारे में कहा जाता है कि वह शास्त्र और काव्यों का रसिक था।

जावा में लोगों ने न केवल संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया वरन् उन्होंने स्वतः विस्तृत साहित्य का सृजन भी किया। महत्त्वपूर्ण रचनाओं में रामायण और महाभारत का जावी भाषा में गद्य अनुवाद उल्लेखनीय है। हमारे स्मृति और पुराणों के तरह के शास्त्रों की भी रचनाएँ हुई। उस काल की कुछ रचनाएँ इतिहास, भाषाशास्त्र और आयुर्वेद विषय पर भी पायी जाती है। विषय, गुण और मात्रा की दृष्टि से जावा के साहित्य में प्राचीन भारतीयों का यह योगदान एक उल्लेखनीय कार्य था। भारत के बाहर कहीं भी भारतीय साहित्य का इतना लाभपूर्ण न तो अध्ययन हुआ है और न ही उसका इतना महत्त्वपूर्ण परिणाम ही रहा।

यही बात बौद्ध पालि साहित्य के संबंध में बर्मा और सिंहल पर चरितार्थ होती है। इन दोनों देशों में बौद्ध धर्मग्रंथों में पालि भाषा अपनायी गयी, जिसने वहाँ नये साहित्य को जन्म दिया और आज तक यह निरन्तर चली आ रही है।

यह भी जानें –

भारत और चीन के सम्बन्धों का लम्बा इतिहास दूसरी शती ई. पूर्व से आरंभ होता है। भारत के विभिन्न भागों से चीन में जाकर अनेकानेक भारतीय विद्वानों ने संस्कृत ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। बौधिरूचि नामक विद्वान् 693 ई. में चालुक्य राजसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ नालन्दा से चीन गया। उसने 53 ग्रन्थों का अनुवाद किया।

तिब्बत प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति के प्रभाव में रहा है। नेपाल से शांति–रक्षित और उद्यान से पद्मसंभव नामक विद्वान् तिब्बत पहुँचे और उन्होंने वहाँ तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी। उन्होंने वहाँ संस्कृत ग्रंथों का प्रचार किया, साथ ही उनका अनुवाद करने के लिए वहाँ विद्वान् तैयार किए।

धर्म

भारतीय संस्कृति से प्रभावित भाषा और साहित्य का प्रचार विश्व के जिन क्षेत्रों में देखा गया है, वहाँ भारत के धार्मिक विचारों तथा व्यवहारों ने लोगों के मन पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था। बर्मा और स्याम में बौद्ध धर्म प्रधान था। जहाँ बौद्ध धर्म प्रधान था वहाँ सभी हिन्दू देवी–देवताओं की मूर्तियाँ भी पायी गई हैं। यद्यपि त्रिमूर्ति अर्थात् बह्मा, विष्णु और शिव की पूजा प्रचलित थी, परन्तु शिव की पूजा मुख्य रूप से होती थी। भारतीय धर्म एवं विचारों के परिचय के साथ यह न समझा जाऐ कि वहाँ के मूल विश्वास और विधान नष्ट हो गये। हाँ, कुछ तो मिटे पर कुछ अधिक विकसित होकर वहाँ के जन जीवन में घुल–मिल गये। कुछ अवस्थाओं में तो पुराने विश्वास और रीति रिवाजों ने नये पंथों को भी प्रभावित किया। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण जावा की बहुत लोकप्रिय मूर्ति 'भटार गुरु' है। इस मूर्ति की लोकप्रियता देखकर अनुमान लगाया जाता है कि शायद हिन्देशिया के कोई मूल देवता इसमें मिल गये हों। कुछ लोग इसे ऋषि अगस्त्य का प्रतीक मानते हैं, जिसकी लोकप्रियता जावा में मिले अनेक अभिलेखों से प्रकट होती है।

कम्बुज के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अनेक विद्वान् लोग भारत से कम्बुज जाते थे और वहाँ सम्मान प्राप्त करते थे। वहाँ के कई विद्वान् लोग भारत आते थे। उदाहरण के लिए हम शिवसोम को ले सकते हैं जो वहाँ के राजा इन्द्रवर्मन के गुरु थे। इन्होने भगवत् शंकर, जो शंकराचार्य हो सकते हैं, के साथ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था।

दूसरी मुख्य विशेषता आश्रमों की संख्या है, जो सारे कम्बुज में फैली थी। राजा यशोवर्मन ने 100 आश्रम स्थापित किये थे। इन आश्रमों में रहने वाले लोगों एवं वहाँ के विद्यार्थियों का पूरा ध्यान रखा जाता था। बच्चों, वृद्धों, गरीबों व असहायों का भी पालन उन आश्रमों में किया जाता था। इन आश्रमों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विस्तार का काम किया।

यह भी जानें –

ऐतिहासिक युग में आते हुए हम 254 ई. पूर्व पर पहुँचते है, तब हम देखते हैं कि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति (समागम) बुलाई तथा इसके बाद उसने यवन, सुवर्णद्वीप (हिन्देशिया) और लंका (ताम्रपर्णी अथवा सिंहल) आदि सुदूर देशों में दूतमंडल भेज कर और विषेषतः लंका में अपने पुत्र और पुत्री को भारतीय धर्म–दर्शन (बौद्ध धर्म) के स्थाई प्रचारक के रूप में नियुक्त करके उसने वृहत्तर भारत के निर्माण में एक बड़ा कदम उठाया।

समाज

वर्ण व्यवस्था जो भारतीय सभ्यता एवं समाज का मूल आधार था, वह भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रसार के कारण वहाँ भी स्थापित हुई। परन्तु जिस प्रकार बाद के समय में भारत में वर्ण व्यवस्था के मूल स्वरूप में परिवर्तन आया, वैसा वहाँ की संस्कृति में नहीं हुआ। बाली और कम्बोज के निवासियों में जो जाति व्यवस्था का स्वरूप आज दिखता है, उसे हम भारत की प्राचीन वर्ण व्यवस्था का उदाहरण समझ सकते हैं।

विवाह का आदर्श, विभिन्न प्रकार की रस्में, उनका स्वरूप और वैवाहिक संबंध लगभग भारत के समाज की तरह ही थे। सती–प्रथा भी प्रचलित थी। भारत के प्राचीन समाज की तरह ही वहाँ भी पर्दा–प्रथा नहीं थी। भारत की ही तरह स्त्री को अपना पति चुनने का अधिकार था।

जुआ, मुर्गों की लड़ाई, संगीत, नृत्य और नाटक लोगों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप 'छाया नाट्य' है जो 'वयंग' कहलाता है। 'वयंग' के कथानक मुख्यतः रामायण और महाभारत से लिए गये हैं। जावा निवासियों द्वारा इस्लाम धर्म मानने के बावजूद आज भी ये खेल वहाँ उतने ही लोकप्रिय एवं प्रचलित है, जो भारतीय संस्कृति की व्यापकता का परिचायक है।

भारत की तरह ही वहाँ के समाज का मुख्य खाद्य चावल और गेहूँ ही था। वहाँ पान खाना भी प्रचलन में था। आभूषण व वस्त्रों का पहनने का प्रकार भी भारत की ही तरह था।

कला

जहाँ–जहाँ भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहा, भारत की तरह वहाँ सभी जगह कला भी धर्म से प्रभावित रही है। यहाँ की कला का शुरूआती रूप पूर्णतः भारतीय ढ़ंग का है। वहाँ की प्राचीन कलाकृतियाँ, वहाँ जाकर बसने वाले भारतीय कलाकारों की ही कृतियाँ मानी जाती हैं। वहाँ की प्राचीन मूर्तियों और मंदिरों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है।

जावा के मंदिर

जावा का सबसे महत्त्वपूर्ण वास्तुशिल्प वहाँ का 'बरोबोदूर' मंदिर है, जो 750 से 850 ई. के बीच शैलेन्द्रो के संरक्षण में बना था। इस भव्य भवन में एक के ऊपर एक नौ मंजिलें बनी हुई है तथा सबसे ऊपर एक घंटानुमा स्तूप है। इसका सौन्दर्य अकथनीय है। 'बरोबोदूर' की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता इसके बरामदों में बनी मूर्तियों की पंक्तियाँ हैं। मूर्तियों की पंक्तियों की कुल ग्यारह श्रृंखलाएँ है और कुल संख्या लगभग 1500 है। 'बरोबोदूर' की बुद्ध की मूर्तियाँ और 'मेनदूत' की बोधिसत्व मूर्तियाँ की स्वतंत्र

मूर्तियाँ जावा की मूर्तिकला के सुन्दरतम नमूनों में मानी जा सकती है। चेहरे पर दैवी का आध्यात्मिक भाव इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषता है। निःसन्देह भारत की गुप्तकालीन मूतिकला से ही इन मूर्तियों की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई होगी।

यद्यपि जावा का कोई अन्य मंदिर 'बरोबोदूर' के मंदिर जितना विशाल नहीं है और न ही उसके जैसी भव्यता पा सका, तथापि वहाँ की प्रम्बनन की घाटी में स्थित 'लारो–जंगरंग' के मन्दिर का स्थान द्वितीय माना जा सकता है। इसमें आठ मुख्य मंदिर हैं। उनमें शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित हैं। उसके उत्तर के मंदिर में विष्णु की और दक्षिण के मन्दिर में ब्रह्मा की मूर्ति है। इसके बरामदे के भीतरी भाग में उत्कीर्ण मूर्तियों के 42 फलक हैं, जिनमें रामायण के आरम्भ से लेकर लंका पर आक्रमण तक के दृश्य अंकित हैं। हम कह सकते हैं कि 'बरोबोदूर' और 'लोरो–जंगरंग' जावा और भारतीय कला के शास्त्रीय और रोमांचक स्वरूपों को व्यक्त करते हैं।

कम्बुज के मंदिर

कम्बुज में 'अंगकोर' नामक स्थान के आरम्भिक वास्तुशिल्पों में कुछ मंदिर हैं, जिनकी भारतीय मंदिरों से बहुत कुछ साम्यता है। मंदिर के मध्य और किनारे के शिखर उत्तर भारतीय शैली के हैं। इस ढ़ंग का सर्वोत्तम और पूर्ण नमूना अंगकोर वाट में है। शिखरों को चारों दिशाओं की ओर मुँह किये मुण्डों द्वारा ढ़ककर एक नवीनता उत्पन्न की गयी है। मन्दिरों और नगरों के चारों ओर गहरी खाई, उसके ऊपर पुलनुमा रास्ता और रास्ते के दोनों ओर साँप के शरीर को खींचते हुए दैत्यों की शक्लें बनी हुई है, जो पुल के जंगले का काम करती हैं। संसार की वास्तुकला में यह निश्चय ही अनोखी और मौलिक वस्तुएँ हैं।

अंगकोर वाट का विष्णु मन्दिर

इन भवनों की विशालता का अनुमान इनकी विशाल लम्बाई व चौड़ाई से लगा सकते हैं। मंदिर की चारदीवारी के बाहर 650 फीट चौड़ी खाई है एवं 36 फीट चौड़ा पत्थर का रास्ता है। खाई मन्दिर के चारों ओर है, जिसकी लम्बाई लगभग 2 मील है। पश्चिम फाटक से पहले बरामदे तक की सड़क 1560 फीट लम्बी और 7 फीट ऊँची है। अन्तिम मंजिल का केन्द्रीय शीर्ष जमीन से 210 फीट की ऊँचाई पर है।

आनन्द मन्दिर

बर्मा में सर्वोत्तम मन्दिर पेगन का 'आनन्द' मन्दिर है। यह 564 वर्गफीट के चौकोर आँगन के बीच

में स्थित है। मुख्य मंदिर ईंटों का बना हुआ और वर्गाकार है। भव्य अनुपात और व्यवस्थित नियोजन के साथ ही 'आनन्द' मन्दिर का सौन्दर्य यहाँ पर उत्कीर्ण पत्थर की असंख्य मूर्तियों और दीवार पर लगे मिट्टी के चमकीले फलकों से बढ़ गया है। पत्थर की उत्कीर्ण मूर्तियों की संख्या 80 है और उनमें बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाएँ अंकित हैं। यह मन्दिर भारतीय शैली में ही विकसित हुआ है। उस ढंग के मन्दिर बंगाल में पाये जाते हैं और सम्भवतः उन्ही से 'आनन्द' मन्दिर के नियोजन की प्रेरणा मिली होगी। इस मन्दिर के संदर्भ में ड्यूरोसाईल ने विशेष अध्ययन किया है। उनका मत है–

"जिन वास्तुकारों ने 'आनन्द' का नियोजन और निर्माण किया, वे निःसंदेह भारतीय थे। शिखर से लेकर कुर्सी तक प्रत्येक वास्तु तथा बरामदों में पायी जाने वाली अनेक प्रस्तर मूर्तियाँ तथा कुर्सियों और गलियारों में लगे मिट्टी के फलकों में भारतीय कला–कौशल और प्रतिभा की अमिट छाप दिखाई पड़ती है। इस दृष्टि से हम यह मान सकते हैं कि आनन्द का मन्दिर बर्मा की राजधानी में बना होने पर भी एक भारतीय मन्दिर ही है।"

निश्चित रूप से ऊपर वर्णित विभिन्न बिन्दुओं को पढ़ने के बाद हमने जाना कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में गहरा प्रभाव रहा है तथा वह प्रभाव वहाँ के सामाजिक जीवन पर आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है। जिन देशों की ऊपर चर्चा की गई हैं, उनके अतिरिक्त भी अनेक क्षेत्रों पर हमारी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए सुरीनाम, ईरान एवं कई अफ्रीका के देशों पर भी हमारी संस्कृति का गहरा प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

गतिविधि–

भारतीय संस्कृति के विभिन्न देशों पर पड़े प्रभाव को जानें एवं उसके उदाहरण अपनी नोटबुक में लिखें।

शब्दावली

हिन्देशिया	–	जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली आदि द्वीप समूह
हिन्द–चीन	–	पूर्वी एशिया के वियतनाम कम्बोडिया आदि राष्ट्र
कम्बुज	–	कम्बोडिया
स्याम	–	थाईलैण्ड
चम्पा	–	अन्नाम्
बर्मा	–	म्यांमार
उत्कीर्ण करना	–	खोद कर लिखना

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न एक व दो के सही उत्तर कोष्ठक में लिखिए –

1. चम्पा में कितने संस्कृत अभिलेख मिले है ?
   (अ) 50 से अधिक (ब) 70 से अधिक
   (स) 150 से अधिक (द) 100 से अधिक ( )
2. कम्बुज के कौनसे नरेश ने कुल 326 छन्दों के चार अभिलेखों की रचना की?
   (अ) जयवर्मन (ब) यशोवर्मन
   (स) राजवर्मन (द) बहुवर्मन ( )
3. जावा की सबसे लोकप्रिय मूर्ति का क्या नाम है ?
4. भारतीय वर्ण व्यवस्था में वर्णित चार वर्णों के नाम लिखें।
5. वयंग क्या है ? स्पष्ट करें।
6. 'बरोबोदूर' व लोरो–जंगरंग' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो ।
7. अंगकोर वाट के मन्दिर पर टिप्पणी लिखो।
8. भाषा साहित्य के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति के प्रभाव का वर्णन करो।
9. 'समाज एवं धर्म' के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति के प्रभाव का वर्णन करो।
10. बर्मा के 'आनन्द 'मन्दिर का वर्णन करते हुए ड्यूरोसाईल के कथन का विश्लेषण करें।

गतिविधि–

1. विश्व के मानचित्र में उन स्थानों को चिन्हित करें, जहाँ भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहा हैं।
2. वृहत्तर भारत की सीमाओं को मानचित्र में प्रदर्शित करें।

अध्याय 16

हर्षकालीन व बाद का भारत

गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता ध्वस्त हो गई। यहाँ कई छोटे–छोटे राज्य बन गए। थानेश्वर में ऐसे ही एक नये राजवंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन ने की। उसके दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री थी। अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद 606 ई. में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई और कई वर्षों तक निरंतर युद्ध करके संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना अधिकार कर लिया।

हर्ष का प्रभाव क्षेत्र :– हर्ष ने राज्य संभालने के साथ ही अपना राज्य एवं अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए कई सैनिक अभियान चलाए। हर्ष एक वीर योद्धा और विजेता था। उसके प्रमुख अभियानों में बंगाल, पंजाब, चालुक्य और वल्लभी से हुए युद्ध शामिल हैं। वह सिन्धु, नेपाल, उड़ीसा तक अपने अभियानों से अपना प्रभाव डालने में सफल रहा।

हर्ष की धार्मिक नीति और कन्नौज का धर्म सम्मलेन:– हर्ष प्रारम्भ में सूर्य और शिव का उपासक था, बाद में बौद्ध बन गया, किन्तु सभी धर्मों के प्रति उसकी नीति उदार थी। उसके राज्य में शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म स्वतन्त्रता पूर्वक प्रचलित थे। उसने राज्य के उच्च पदों पर गैर बौद्धों को नियुक्त किया। दान देने अथवा किसी कार्य में वह धार्मिक भेद नहीं करता था। उसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। चीनी यात्री ह्वेंनसांग को इसका अध्यक्ष बनाया। यह सम्मेलन 23 दिन तक चला। अनेक बौद्ध भिक्षु , चीनी यात्री, राजा और विद्वानों ने इसमें भाग लिया था।

प्रयाग सभा :– हर्ष प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था। 643 ई. में छठी सभा हुई थी। हर्ष अपने पाँच वर्ष की एकत्रित सम्पत्ति को बाँट देता था। यहाँ तक कि स्वयं के धारण किये हुए वस्त्र तक दान में दे देता था। स्वयं के पहिनने के लिए बहिन से माँग कर बदन ढकता था। इस सभा को 'मोक्ष परिषद्' भी कहा जाता था।

हर्षकालीन सिक्के और मुहरें :– हर्षकालीन सोने के सिक्के मिले हैं,उन पर मुद्रा लेख हर्षदेव हैं, और उस पर एक घुड़सवार का चित्र है। अभिलेखों तथा बाणभट्ट के 'हर्ष चरित' में हर्ष को 'हर्षदेव' कहा गया है। हर्ष की अन्य मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। सोनीपत मोहर के शीर्ष पर बैल की आकृति है। नालन्दा मुहर में एक अभिलेख है, जिसमें हर्ष को महाराजाधिराज कहा गया है।

लेखक तथा विद्वानों का आश्रयदाता:– हर्ष केवल विजेता और प्रशासक ही नहीं बल्कि विद्वान् भी था। हर्ष की काव्यात्मक कुशलता, मौलिकता, और विस्तृत ज्ञान को बाणभट्ट ने स्वीकार किया है। हर्ष को 'रत्नावली' 'प्रियदर्शिका' और 'नागानन्द' की रचना का श्रेय भी दिया जाता है। जयदेव ने अपनी कृति 'गीत गोविन्दम्' में कहा है कि कालिदास और भास की भाँति हर्ष भी एक महाकवि था। हर्ष के दरबार में कई विद्वान भी थे। बाणभटट् उनमें प्रमुख था और उसने 'हर्षचरित' और 'कादम्बरी' की रचना की। विद्वान हरिदत्त को भी हर्ष ने संरक्षण प्रदान किया।

हर्ष का प्रशासन :– सम्राट हर्ष स्वयं प्रशासन की धुरी था। उसका विचार था कि प्रशासकीय

कुशलता के लिये शासक को निरंतर सचेत रहना चाहिए। उसने दिन को तीन भागो में बाँट लिया था, जिनमें से एक भाग राज्य कार्य के लिए निश्चित था। वह प्रजा को देखने स्वयं नगरों और ग्रामों में यात्रा करता था।

यह ठीक हैं कि सिद्धान्त रुप में हर्ष का प्रशासन निरंकुश था। किन्तु लोगों को अपने अपने क्षेत्र में बहुत सा स्वशासन प्राप्त था। अधिकांश कार्य ग्रामीण समुदायों के हाथ में था। केन्द्रीय सरकार और ग्राम सभाओं में पर्याप्त सहयोग था। माना जाता हैं कि हर्ष का प्रशासन निरंकुश तथा गणतन्त्रीय तत्त्वों का मिश्रण था।

हर्ष का साम्राज्य प्रान्तों, भुक्तियों (डिविजन) और विषयों (जिलों) में विभक्त था। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन चलाने के लिए तीन प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है– "भाग" भूमि कर था, "हिरण्य" नकद कर था, "बलि" अतिरिक्त कर था।

हर्ष के समय दण्ड विधान ज्यादा कठोर नहीं थे। दण्ड शारीरिक नहीं दिये जाते थे। अभियुक्त से अपराध स्वीकार कराने के लिए उसे यन्त्रणा नहीं दी जाती थी। परीक्षण द्वारा अपराध की जाँच करने का ढंग भी प्रचलित था।

हर्ष का मूल्यांकन :– हर्ष महान् विजेता था। इसका प्रमाण उस विशाल क्षेत्र से मिलता हैं, जिसे उसने अपने अधिकार में लिया। वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों को संरक्षण भी देता था। हर्ष आदर्श शासक था। वह बहुत परिश्रमी था और सत्कार्यों में नींद और भोजन भूल जाता था। हर्ष ने अपना सारा समय अपनी प्रजा की हित वृद्धि में लगाया। यह कार्य करने के लिये दिन उसके लिए बहुत छोटा पड़ जाता था। उदारता और दान में हर्ष का कोई सानी न था। दानशीलता के लिए हर्ष विख्यात था। हर्ष ने नालन्दा विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गाँव दान में दिये थे। नालन्दा उस समय विश्व का प्रमुख विश्वविद्यालय बन चुका था।

नालन्दा विश्वविद्यालय :– उत्तर कालीन गुप्त सम्राटों में से एक ने पाँचवी शती में इसकी स्थापना की। भारत तथा सुदूर पार के भारतीय उपनिवेशों के धनी व्यक्तियों ने इसके लिए धन की व्यवस्था की। कालान्तर में यह अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान का मन्दिर बन गया।

नालन्दा विश्वविद्यालय में कम से कम आठ कॉलेज थे, जिन्हें आठ विद्यानुरागियों ने बनवाया था। नालन्दा विश्वविद्यालय में केवल भव्य भवन नहीं थे, बल्कि विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए सभी प्रकार की सुविधाएँ भी दी जाती थी। उसमें तीन बड़े पुस्तकालय थे, जिन्हें क्रमशः रत्नसागर, रत्नादाही और रत्नरंजक कहा जाता था। वहाँ 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे और लगभग 1500 अध्यापक अध्यापन कराते थे। वे कोरिया, मंगोलिया, जापान, चीन, तिब्बत, श्रीलंका, बृहत्तर भारत और भारत के विभिन्न भागों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ से विभिन्न भागों में लोग जाते भी थे। नालन्दा विश्वविद्यालय में अध्ययन के प्रमुख विषय वेद, तर्कविद्या, व्याकरण, चिकित्सा, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, दर्शन, सांख्य, योग, न्याय आदि एवं बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं को पढ़ाया जाता था। हर्षवर्धन ने इस विश्वविद्यालय को प्रश्रय दिया था।

गतिविधि– भारत के अन्य प्राचीन विश्वविद्यालयों के बारे मे जानकारी प्राप्त करें।

सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में पुनः कई छोटे–छोटे राज्य स्थापित हो गये थे। उत्तर और दक्षिण के इन राज्यों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इन स्वतंत्र राजवंशों ने आठवीं से बारहवीं शताब्दी तक राज्य किया। अपने राज्य विस्तार के लए यद्यपि वे आपस में लड़ते रहे, परन्तु इन्होंने किसी विदेशी शासक को सिन्धु नदी के इस ओर नहीं बढने दिया।

दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश

आठवीं से बारहवीं शताब्दी तक जिन प्रमुख राजवंशों ने दक्षिणी भारत में शासन किया, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं–

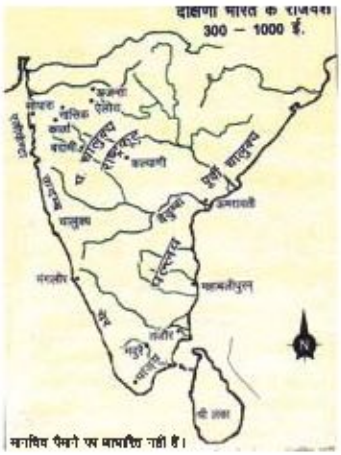

1. **राष्ट्रकूट वंश :–** दक्षिण के राज्यों मे राष्ट्रकूट राज्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण था। राष्ट्रकूटों ने कन्नौज और उसके आसपास के प्रदेशों पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए बार–बार प्रयास किये। इन्होंने नर्मदा नदी के दक्षिण में वर्तमान महाराष्ट्र प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया। प्रारम्भ में वे चालुक्यों के अधीन थे। बाद में राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग ने चालुक्यों को हराकर 753 ई. में. अपने राज्य का विस्तार किया। इस वंश के पराक्रमी शासक कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविन्द, अमोघवर्ष आदि थे।
2. **चालुक्य वंश :–** इस वंश का राज्य नर्मदा नदी के दक्षिण से कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। राष्ट्रकूटों और पल्लवों से चालुक्यों का निरन्तर युद्ध होता रहता था। इस वंश का पराक्रमी शासक पुलकेशियन द्वितीय था, जिसने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। विक्रमादित्य द्वितीय भी इस वंश का शक्तिशाली शासक था। एक बार 753 ई में राष्ट्रकूटों से पराजित होकर चालुक्यों ने 973 ई. में पुनः अपना राज्य स्थापित किया और मध्य हैदराबाद में कल्याणी को अपनी राजधानी बनायी।
3. **पल्लव वंश :–** यह दक्षिण भारत का प्राचीन राजवंश था। इस वंश का शासक महेन्द्रवर्मन था जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया था। बाद में उसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने 642 ई. में चालुक्यों की राजधानी पर अधिकार कर लिया। पल्लवों का चालुक्यों से निरन्तर संघर्ष चलता रहता था। नवीं शताब्दी में राष्ट्रकूट और चोल शासकों ने भी पल्लवों पर आक्रमण किया। 885 ई.में चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराकर उनकी राजधानी काँची पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार पल्लव राज्य का अंत हो गया।
4. **चोल वंश :–** चोल राज्य कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच समुद्रतट पर स्थित था। इस राज्य का विस्तार 864 ई में चोल शासक विजयालय द्वारा किया गया। उसने पल्लवों की अधीनता से चोल राज्य को मुक्त किया। बाद में उसके पुत्र आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित वर्मा को परास्त कर काँची पर अधिकार कर लिया।

इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजेन्द्र प्रथम था जो 1012 ई. में गद्दी पर बैठा। उसने सम्पूर्ण

दक्षिण में अपना राज्य स्थापित कर लिया और उत्तर भारत की ओर आक्रमण किये। वह कलिंग व बंगाल को जीतता हुआ गंगातट तक पहुंच गया और 'गंगे कौण्ड' की उपाधि धारण की। उसने जल सेना बनाकर बंगाल की खाड़ी और बर्मा पर भी विजय प्राप्त की। राजेन्द्र प्रथम एवं अन्य चोल शासकों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में विशेष योगदान दिया है।

गतिविधि–

दक्षिण भारत के कुछ और राजवंशों की जानकारी प्राप्त करें एवं वह किन क्षेत्रों में फैला था जानकारी करें।

- **शासन व्यवस्था :–** दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की शासन व्यवस्था में राजा सर्वोपरि माना जाता था। राजा शासन की सहायता हेतु मंत्रियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं नियंत्रण करता था। पल्लवों ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्रामों में विभाजित किया था। चोलों ने मण्डल तथा नाडू में विभाजन किया। तमिल प्रदेश के इन नाडुओं के कारण ही वर्तमान नाम तमिलनाडू रखा गया है। उस समय स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ कार्य करती थी। ग्राम सभाओं का प्रमुख स्थान था। ग्राम सभाएँ सामान्य प्रबन्ध के अतिरिक्त न्याय, कानून एवं दान की व्यवस्था भी देखती थी।
- **साहित्य एवं कला की उन्नति :–** दक्षिण भारत में तमिल एवं संस्कृत दोनों भाषाओं की उन्नति हुई। राजा साहित्य प्रेमी थे। राष्ट्रकूटों के समय वल्लभी और कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। काँची विद्या का बड़ा केन्द्र था। तमिल भाषा में लिखित 'कम्बन रामायण' दक्षिण में बहुत लोकप्रिय हैं। जैन व बौद्ध विद्वानों ने भी अनेक ग्रन्थ लिखे। दक्षिण भारत के राजाओं की मंदिर एवं मूर्तियाँ निर्माण कराने में विशेष रुचि थी। ये मंदिर आज भी कला के उत्तम उदाहरण हैं। मूर्तियाँ पत्थर या काँसे की होती थी। चालुक्य राजाओं ने हिन्दू देवी देवताओं के मंदिर बनवाए। इनमें वातापी का विरुपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम का मंदिर, ऐलोरा का कैलाश मंदिर और होसबल मंदिर इसी काल में बने। तंजौर के वृहदेश्वर मंदिर में धातु की बनी नटराज की मूर्ति स्थापित है। अजंता के भित्ति चित्र और वृहदेश्वर मंदिर में देवचित्र चित्रकला के अनुपम उदाहरण हैं। चोल शासकों द्वारा विष्णु, राम–सीता आदि की सुन्दर मूर्तियाँ बनवाई गई। दक्षिण के शासकों, विशेष रूप से चोल शासकों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में विशेष योगदान दिया है।

गतिविधि–

पाठ में आए मन्दिरों व मूर्तियों के चित्रों का संकलन करें एवं इनके विषय में जानकारी प्राप्त करें।

उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश

आठवीं से बारहवीं शताब्दी तक जिन प्रमुख राजवंशों ने उत्तर भारत में शासन किया उनमें से कुछ राजवंश निम्नलिखित हैं :–

1. **प्रतिहार वंश :–** राजा मिहिर भोज इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। वह 840 ई. में शासक बना और 50 वर्ष तक राज्य किया। प्रतिहार शासकों ने सिन्ध से आगे बढती हुई विदेशी

शक्ति को लम्बे समय तक रोके रखा था और उत्तर भारत में उनका विस्तार नहीं होने दिया। प्रतिहार शासक साहित्य और कला प्रेमी थे। इनके शासन में भारत ने सांस्कृतिक उन्नति की।

2. **गहड़वाल वंश :–** इस वंश का संस्थापक चन्द्रदेव था। उसने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। गहड़वाल वंश का अंतिम शासक जयचन्द था। वह 1170 ई.में शासक बना। गौर वंश के शासक मुहम्मद गौरी ने जयचन्द पर आक्रमण किया और कन्नौज पर अधिकार कर गहड़वाल वंश की सत्ता समाप्त कर दी।
3. **चौहान वंश :–** इस वंश का राज्य अजमेर–सांभर के भूभाग पर फैला हुआ था। चौहान वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक विग्रह राज था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। उसने 1182 ई. में चन्देल शासक परमाल को पराजित कर साम्राज्य विस्तार किया एवं 1191 ई. में अफगानिस्तान के गौर वंश के शासक मुहम्मद गौरी को तराईन के प्रथम युद्ध में पराजित किया व द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को पराजय का सामना करना पड़ा।
4. **गुहिल वंश :–** प्राप्त सिक्कों से यह माना जाता हैं कि इस वंश के प्रथम शासक श्री गुहिल थे। मेवाड़ के इस शक्तिशाली राजवंश का पराक्रमी शासक बप्पा रावल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। बप्पा रावल ने नागभट्ट प्रथम आदि शासकों का संघ बनाकर सिंध को अरब आक्रमणकारियों से स्वतंत्र किया तथा अनेक क्षेत्रों को जीतकर अपना प्रभाव स्थापित किया। आगे चल कर यही वंश सिसोदिया वंश कहलाया। इस वंश में राणा हम्मीर, क्षेत्र सिंह, राणा मोकल राणा कुम्भा, राणा सांगा, राणा प्रताप एवं राणा राज सिंह प्रतापी शासक गिने जाते हैं। मेवाड़ का यह शक्तिशाली राजवंश, भारतीय इतिहास में पराक्रमी और बाह्य आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्ष के लिये प्रसिद्ध हैं।

इन प्रमुख राजवंशों के साथ उत्तर भारत में 'चन्देल वंश' भी था। आल्हा और उदल इसी शासक के वीर सामन्त थे। 'परमार वंश' का प्रमुख प्रतापी शासक राजा भोज था। 'सोलंकी वंश' के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर मंदिर को लूटा व तोड़ा। 'पालवंश' के काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 'सेनवंश' के काल में गीत गोविन्द के रचयिता जयदेव उनके दरबारी थे।

गतिविधि–

उत्तर भारत के अन्य प्रमुख राजवंशो की जानकारी प्राप्त करें तथा उनके राजाओं के चित्रों का संकलन करें।

- **शासन व्यवस्था :–** उत्तर भारत के स्वतंत्र राजवंशों की शासन व्यवस्था पूर्णतः निरंकुश थी । परन्तु शासक अपने मंत्रियों से सलाह भी लेते थे। सामंत प्रथा प्रचलित थी, जो स्वतंत्र रुप से शासक के अधीन रहते हुए कार्य करते थे। उस समय ग्राम पंचायतें थी जो राजकीय हस्तक्षेप से मुक्त थी।
- **साहित्य एवं कला की उन्नति :–** इस काल में संस्कृत भाषा में विभिन्न विषयों पर ग्रन्थ लिखे गये, जिनमें माघ का शिशुपालवध, शारवि का किरतार्जुनियम, कल्हण की राजतंरगिणी और जयदेव का गीत गोविन्द प्रमुख हैं। इस काल में स्वतंत्र राजवंशों के शासकों ने अनेक सुन्दर भवनों एवं मंदिरों का

निर्माण कराया, जिनमें भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा ग्वालियर, चित्तौड़, रणथम्भौर के दुर्ग, राजस्थान के आबूपर्वत पर देलवाड़ा में सफेद संगमरमर के जैन मन्दिर आदि बनाये गये। चित्रकला के क्षेत्र में खूब उन्नति हुई। दीवारों पर पशु पक्षियों व वृक्ष लताओं के सुन्दर चित्र बनाये गये।

पुरी का जगन्नाथ मन्दिर

नालन्दा विश्वविद्यालय

कोणार्क का सूर्य मन्दिर

रणथम्भौर का दुर्ग

सम्राट हर्ष के बाद उत्तर और दक्षिण भारत के इन स्वतंत्र राजवंशों का काल, वीर गाथाओं का काल था। राजनीतिक अस्थिरता होते हुए भी इस काल में भारतीय कला, संस्कृति एवं साहित्य की खूब उन्नति हुई जो आज भी हमारे लिए प्रेरणास्पद हैं।

शब्दावली

गंगेकौण्ड	–	गंगा नदी के क्षेत्र का विजेता
निरंकुश शासक	–	तानाशाह शासक
संरक्षण	–	सुरक्षा

अभ्यास प्रश्न

1. निम्न प्रश्नों के सही उत्तर कोष्ठक में लिखें–

   (I) जयदेव की कृति का नाम है –
   (अ) कादम्बरी (ब) रत्नावली
   (स) गीत गोविन्दम् (द) हर्षचरित ( )

   (ii) दक्षिण भारत का राजवंष है –
   (अ) प्रतिहार (ब) चालुक्य
   (स) गुहिल (द) चौहान ( )

2 हर्ष ने अपनी राजधानी किसे बनाया?

3 गंगेकौण्ड की उपाधि किसने धारण की?

4 हर्ष की रचनाओं के नाम लिखिए।

5 बाणभट्ट की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो।

6 हर्ष के प्रभाव क्षेत्र पर टिप्पणी लिखो ।

7 हर्ष लेखक तथा विद्वानों का आश्रयदाता था, स्पष्ट करो।

8 नालन्दा विश्वविद्यायालय पर टिप्पणी लिखो।

9 दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे? वर्णन करो।

10 दक्षिण भारत में साहित्य एवं कला की उन्नति का वर्णन करो।

11 उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश कौनसे थे? वर्णन करो।

12 आठवीं से बारहवीं शताब्दी तक भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करो।

गतिविधि–

1. दक्षिण के मन्दिरों के चित्रों का संकलन करो व इनकी अपने आसपास के मन्दिरों से तुलना करो।
2. मानचित्र की सहायता से सम्राट हर्ष के प्रभाव क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करें।

अध्याय 17

राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत

पृथ्वीराज चौहान

जैसा कि हम पिछले पाठ में पढ चुके हैं कि सम्राट हर्ष की मृत्यु के पश्चात् भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। भारत के विभिन्न भागों में स्वतंत्र राज्य बन गए। इन नए राज्यों में अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए संघर्ष छिड़ गया। इस कारण भारत राजनैतिक और सैनिक दृष्टि से कमजोर हो गया। इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले किए।

तुर्की आक्रमणकारियों में गजनी के महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों में महमूद ने मंदिरों को तोड़ा और भारत से अपार धन–संपत्ति लूट कर ले गया। उसने 1025 ई. में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर को तोड़–फोड़ कर प्रचुर मात्रा में धन लूट कर ले गया। महमूद के आक्रमणों से भारत की संस्कृति के प्रतीक कई मंदिर और स्मारक नष्ट हो गए।

महमूद गजनवी के बाद गौर प्रदेश के मुहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का बीजारोपण किया। गौरी ने भारत में कई लड़ाइयाँ लड़ी, परन्तु उसके अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़े गए तराइन के युद्ध महत्वपूर्ण रहे। तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी बुरी तरह पराजित हुआ और भाग गया। किन्तु तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया। भारत के इतिहास में यह एक निर्णायक युद्ध था। इस विजय के बाद विदेशी आक्रमणकारी तुर्कों को भारत में शासन–सत्ता प्राप्त करने का अवसर मिल गया। भारत में गौरी का अन्तिम अभियान 1206 ई. में खोखरों के विरूद्ध था। यह अभियान समाप्त कर गौरी जब लौट रहा था तो झेलम के किनारे खोखरों ने उसकी हत्या कर दी।

मुहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था। उसकी अचानक मृत्यु से उसके सेनापतियों और सूबेदारों में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में गौरी का गुलाम और सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक विजयी हुआ। इसके साथ ही भारत में प्रथम मुस्लिम शासन की स्थापना हुई।

दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ई. में हुई और 1526 ई. में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय तक यह सल्तनत राज चला। इस दौरान विभिन्न राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया, जिनमें दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश प्रमुख हैं। इन वंशो को राजस्थान से निरन्तर चुनौती मिलती रही।

हम्मीरदेव चौहान

हम्मीर रणथम्भौर के चौहान शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसके बारे में हमें नयचन्द्र सूरी कृत 'हम्मीर महाकाव्य', जोधराज कृत 'हम्मीर रासो' आदि ग्रन्थों से जानकारी मिलती है। 1282 ई. में वह अपने पिता जैत्रसिंह के जीवित रहते हुए ही गद्दी पर बिठा दिया गया। हम्मीर महत्वाकांक्षी

शासक था और उसके गद्दी पर बैठने के समय दिल्ली सल्तनत में अराजकता फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में दिल्ली के शासकों की ओर से निश्चिंत होकर हम्मीर ने अपनी विजय यात्रा प्रारम्भ की। उसने 1291 ई.से पूर्व तक दिग्विजय करके अपनी सीमा व शक्ति में अभिवृद्धि कर ली थी। उसने कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का अंग बनाया और कई राज्यों से केवल कर ही लिया।

हम्मीरदेव चौहान

हम्मीर ने भीमरस के शासक अर्जुन, धार के परमार शासक और मेवाड़ के शासक समर सिंह को हराकर राजस्थान में अपना दबदबा स्थापित कर लिया। मेवाड़ के बाद वह आबू, वर्धनपुर (काठियावाड़), पुष्कर, चम्पा, त्रिभुवनगिरी होता हुआ स्वदेश लौटा। इन विजयों से राजस्थान में रणथम्भौर के चौहानों की राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ गई।

हम्मीर के इस बढ़ते कद के कारण खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी रणथम्भौर की ओर आकर्षित हुआ। 1291 ई. में जलालुद्दीन ने झाईन के दुर्ग पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया और दुर्ग की शिल्पकला और मंदिरों को काफी क्षति पहुँचाई। इस जीत के बाद जलालुद्दीन रणथम्भौर की ओर बढ़ा। हम्मीर ने दुर्ग में रसद आदि का प्रबंध कर सुरक्षात्मक रणनीति द्वारा सुल्तान का प्रतिरोध किया। जलालुद्दीन को इस आक्रमण में काफी दिनों के प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिली तो उसे युद्ध बंद करके वापस दिल्ली लौटना पड़ा। सुल्तान के लौटते ही हम्मीर ने झाईन के दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। 1292 ई. में जलालुद्दीन ने फिर रणथम्भौर को जीतने का प्रयास किया किन्तु वह सफल नहीं हो सका।

1298 ई. में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन अत्यन्त महत्वाकांक्षी शासक था और सम्पूर्ण भारत को जीतने की लालसा रखता था। दिल्ली के निकट सामरिक महत्व के रणथम्भौर के अभेद्य दुर्ग को जीतने के लिए अलाउद्दीन लालायित था। हम्मीर ने सुल्तान के कुछ शत्रुओं को भी अपने यहाँ शरण दे रखी थी, इससे अलाउद्दीन बहुत क्रोधित हुआ।

रणथम्भौर पर आक्रमण

सुल्तान के आदेश पर उलुग खाँ और नुसरत खाँ सेना लेकर रणथम्भौर की ओर बढ़े। दोनों की संयुक्त सेना ने झाईन की ओर से रणथम्भौर पर आक्रमण किया। सेना ने आसानी से झाईन पर अधिकार कर लिया और जी भर कर नगर को लूटा। हम्मीर के आदेश पर राजपूती सेना झाईन की ओर बढ़ी तथा तुर्की सेना को खदेड़ दिया। तुर्की सेना ने जवाबी हमला किया और रणथम्भौर पर घेरा डाल दिया। रणथम्भौर दुर्ग की प्राचीर से राजपूती सेना के प्रहारों से नुसरत खाँ बुरी तरह घायल हो गया और मारा गया। राजपूती सेना ने दुर्ग से निकलकर तुर्की सेना पर जोरदार हमला किया तो उलुग खाँ को अपने प्राण बचाने के लिए भागना पड़ा व उसकी सेना भी बिखर गई।

अब अलाउद्दीन खुद एक विशाल सेना लेकर रणथम्भौर आया। लगभग एक वर्ष तक सुल्तान रणथम्भौर दुर्ग पर घेरा डाले रहा, पर उसे कोई सफलता नहीं मिली। सैन्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलने पर अलाउद्दीन ने छल–कपट से दुर्ग को जीतने के प्रयास शुरू कर दिए। सुल्तान ने संधि वार्ता के बहाने हम्मीर के सेनापतियों को बुलाया और उन्हें प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। उधर किले में अब रसद सामग्री खत्म हो रही थी और जो बची थी उसमें अलाउद्दीन ने हड्डियों का चूरा मिलवाकर अपवित्र कर दिया। जल स्रोतों को भी अपवित्र करवा दिया। ऐसी स्थिति में भूखे–प्यासे राजपूत सैनिक केसरिया वस्त्र पहन कर दुर्ग से बाहर आ गए और शत्रु से भिड़ गए। दिल्ली की विशाल सेना के सामने राजपूती सेना टिक न सकी। हम्मीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 1301 ई. में अलाउद्दीन का रणथम्भौर पर अधिकार हो गया।

हम्मीर विद्वानों व कलाकारों का आश्रयदाता था। वह शूरवीर योद्धा व कुशल सेनानायक था। अलाउद्दीन ने सैनिक बलबूते पर नहीं, बल्कि छल–कपट से रणथम्भौर को जीता था। हम्मीरदेव ने 17 युद्ध किए थे, जिनमें से वह 16 युद्धों में विजयी रहा था। राजा हम्मीरदेव का नाम इतिहास में स्मरणीय रहेगा।

रावल रतनसिंह

1302 ई. में रावल रतनसिंह मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में राजसिंहासन पर बैठा। एक वर्ष के भीतर ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ के बढ़ते हुए प्रभाव, साम्राज्य विस्तार की लालसा, दुर्ग के सामरिक महत्व आदि के कारण अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया।

अलाउद्दीन एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से रवाना हुआ और चित्तौड़ के समीप गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे अपना सैनिक शिविर स्थापित किया। चित्तौड़ पर आठ माह के घेरे के पश्चात् भी अलाउद्दीन को कोई सफलता नहीं मिली। तब अलाउद्दीन ने कूटनीति का सहारा लिया एवं संधि वार्ता के लिए पहल की। संधि वार्ता के दौरान रतनसिंह को बात–चीत करते हुए अपने पड़ाव तक ले गया एवं उसे कैद कर लिया। गौरा और बादल के प्रयासों से रतनसिंह अलाउद्दीन की कैद से मुक्त हुए और वे पुनः किले में आ गए। अब युद्ध अवश्यभावी हो गया था। अतः दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। किले के भीतर रसद सामग्री भी खत्म हो गई थी और राजपूत सेना के लिए किले के भीतर से निकल कर शत्रु सेना पर टूट पड़ना आवश्यक हो गया था। राजपूत सरदारों ने केसरिया वस्त्र धारण किए और किले के द्वारा खोल दिए। रावल रतनसिंह तथा उसके सेनापति गौरा व बादल वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इधर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में विशाल संख्या में स्त्रियों ने किले के अन्दर जौहर किया। यह चित्तौड़ का पहला जौहर था। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। विजय के बाद सुल्तान ने चित्तौड़ की जनता का कत्लेआम करने का आदेश दिया। मुस्लिम सैनिकों ने जी भर कर जनता को लूटा और भव्य भवनों और मंदिरों को धराशायी कर दिया। कुछ दिनों बाद मेवाड़ का राज्य और चित्तौड़ का दुर्ग अपने पुत्र को सौंपकर अलाउद्दीन दिल्ली लौट गया।

सुल्तान के दिल्ली लौटने के बाद राजपूत वीरों ने चित्तौड़ जीतने के प्रयास जारी रखे। सरदार

हम्मीर, जो सिसोदा गाँव का था, ने 1326 ई. के आसपास चित्तौड़ को पुनः जीत लिया और मेवाड़ में 'सिसोदिया' राजवंश की नींव ड़ाली।

कान्हड़ देव

कान्हड़ देव

राजस्थान के दक्षिण–पश्चिम में जालोर स्थित है। जालोर पर चौहान वंशीय राजाओं का शासन रहा। 1305 ई. में कान्हड़ देव जालोर का शासक बना। साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा, जालोर की महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं सामरिक स्थिति, कान्हड़ देव के बढ़ते शक्ति प्रभाव को रोकने आदि कारणों से अलाउद्दीन जालोर को जीतना चाहता था।

अलाउद्दीन ने सोमनाथ मंदिर को ध्वंस करने तथा गुजरात विजय के लिए उलुग खाँ और नुसरत खाँ को एक विशाल सेना देकर भेजा। गुजरात जाने का सीधा मार्ग जालोर होकर गुजरता था। अलाउद्दीन ने अपनी सेना को जालोर होकर गुजरने के लिए अनुमति माँगी, जिसे कान्हड़ देव ने ठुकरा दिया। सुल्तान की सेना मेवाड़ होकर निकल गई। इस सेना ने मार्ग में पड़ने वाले गाँवों को लूटा और नष्ट–भ्रष्ट किया। गुजरात में काठियावाड़ को जीता और सोमनाथ के मंदिर तथा शिवलिंग को तोड़ डाला। इस तबाही तथा पवित्र स्थलों के ध्वंस से कान्हड़ देव काफी क्रोधित हुआ और उसने सुल्तान को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया।

कान्हड़ देव ने गुजरात में तबाही मचाकर लौट रही सुल्तान की सेना पर भीषण आक्रमण किया और गुजरात से लूट कर लाया गया धन छीन लिया। सुल्तान ने जालोर को जीतने के लिए अपने सेनापतियों और सेना को भेजा। ऐसे ही एक संघर्ष में कान्हड़ देव का युवा पुत्र वीरमदेव मारा गया। अंततः 1308 ई. में अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना को जालोर पर अधिकार करने के लिए दिल्ली से रवाना किया।

1308 ई. में जालोर के प्रवेश द्वार सिवाणा पर मुस्लिम सेना ने आक्रमण किया, पर उसे सफलता नहीं मिली। बाद में देशद्रोहियों की मदद से छल–कपट द्वारा खिलजी की सेना ने सिवाणा के दुर्ग को जीत लिया। इस पर कान्हड़ देव ने सभी राजपूत सरदारों का आह्वान किया। फलतः जगह–जगह खिलजी सेना पर प्रहार होने लगे। मेड़ता के पास मलकाना में राजपूत सैनिक सुल्तान की सेना पर टूट पड़े और सेनापति शम्स खाँ को उसकी पत्नी सहित बंदी बना लिया। ये समाचार जब सुल्तान के पास पहुँचे तो वह स्वयं एक विशाल सेना लेकर जालोर के लिए चल पड़ा।

जालोर पहुँचकर सुल्तान ने दुर्ग पर घेरा डाला। कान्हड़ देव ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ शत्रु का मुकाबला किया। लेकिन घेरे के लम्बे समय तक चलने से किले के भीतर मौजूद रसद सामग्री खत्म होने लगी। इससे राजपूती सेना की स्थिति कमजोर होने लगी और सुल्तान की सेना की स्थिति मजबूत होती गई। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में एक दहिया सरदार ने कान्हड़ देव से विश्वासघात करते हुए राज्य पाने के लालच में खिलजी सेना को एक गुप्त दरवाजे से किले में प्रवेश करवा दिया। इस विश्वासघात का पता चलने पर राजद्रोही पति को उसकी पत्नी ने तलवार से टुकड़े–टुकड़े कर मार डाला। दुर्ग में आसानी से पहुँची खिलजी सेना का कान्हड़ देव ने अपने राजपूती सैन्य सरदारों के साथ वीरतापूर्वक मुकाबला किया, किन्तु वह वीरगति को प्राप्त हुआ।

कान्हड़ देव एक शूरवीर योद्धा, देशभक्त एवं स्वाभिमानी शासक था।

महाराव शेखा

राव शेखा पंद्रहवीं शताब्दी का एक अद्वितीय व्यक्तित्व था। उसका जन्म 1433 ई. में हुआ। कछवाहा वंशीय होने से आमेर राज्य का सम्मान बनाये रखने हेतु वह उसे वार्षिक कर देता था। आमेर शासक चन्द्रसेन शेखा के बड़े भ्राता थे। उन्हें शेखा का स्वतंत्र राज्य मान्य नहीं था और उसको किसी प्रकार आमेर की अधीनता में लाने के लिए प्रयासरत थे। राव शेखा, जो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, को आमेर की अधीनता स्वीकार नहीं थी। अतः दोनों भाइयों के मध्य एक दशक तक युद्ध होते रहे। अंत में 1471 ई. के युद्ध में शेखा की विजय हुई। इसलिए चंद्रसेन को शेखा को एक स्वतंत्र शासक स्वीकार करना पड़ा।

महाराव शेखा

शेखा युद्धकला में पारंगत था। इसके बाद उसने अपने आस–पास के स्थानों को हस्तगत करना शुरू किया। परिणामस्वरूप भिवानी, हिसार व अन्य अनेक क्षेत्रों पर शेखा का आधिपत्य हो गया। इनके राज्य में गाँवों की संख्या 360 तक पहुँच गई थी। इसके राज्य अमरसर का क्षेत्रफल आमेर राज्य से भी बड़ा था। राव शेखा ने शासक के रूप में धार्मिक सहिष्णुता का भी परिचय दिया। इन्हीं के प्रयासों से पठानों ने गाय के माँस को न खाने का संकल्प लिया, वे नारी अस्मिता के रक्षक थे। नारी के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन का सन् 1488 में उत्सर्ग कर दिया। जहाँ इनकी मृत्यु हुई वहाँ उनकी यादगार में एक छतरी बनी हुई है।

महाराणा कुम्भा

महाराणा कुम्भा के शासनकाल की जानकारी 'एकलिंग महात्म्य', 'रसिक प्रिया', 'कुम्भलगढ़ प्रशस्ति' आदि से मिलती है। वह 1433 ई. में गद्दी पर बैठा। कुम्भा ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में स्थानीय और पड़ौसी राज्यों को जीत कर अपनी शक्ति को बढ़ाया। महाराणा कुम्भा ने 1437 ई. में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर भीषण आक्रमण किया और दोनों सेनाओं के मध्य सारंगपुर के पास जोरदार संघर्ष हुआ।

महाराणा कुम्भा

इस युद्ध में महमूद खिलजी की सेना को परास्त होकर भागना पड़ा। इस भागती सेना का कुम्भा ने माण्डू तक पीछा किया और महमूद को बंदी बना लिया, किन्तु 6 माह चित्तौड़ में रखने के बाद महमूद को मुक्त कर दिया। मुक्त होकर महमूद ने बार–बार कुम्भा के विरूद्ध युद्ध किए, मगर वह कभी सफल नहीं हुआ। इसके बाद कुम्भा ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और नागौर के शासक शम्सखाँ की संयुक्त सेना को तथा मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया और अपने समय का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया।

कुम्भा एक पराक्रमी योद्धा और कुशल रणनीतिज्ञ ही नहीं था, वरन् वह साहित्य व कला का

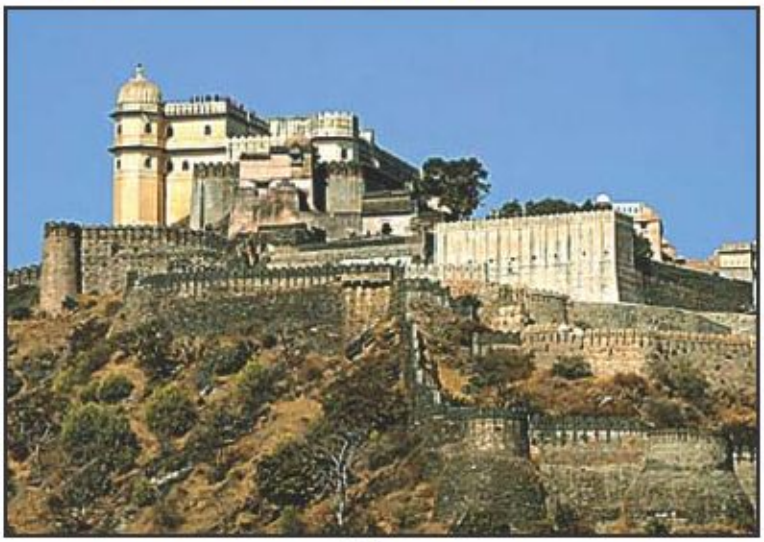

कुम्भलगढ़ किले का एक दृश्य

महान् संरक्षक भी था। महाराणा कुम्भा का काल भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुम्भा द्वारा निर्मित हैं। इनमें कुम्भलगढ़ का दुर्ग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो कि अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दुर्ग के चारों ओर विशाल प्राचीर है, जिसे चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लम्बी दीवार माना जाता है। इसे बुर्जियों द्वारा सुरक्षित किया गया था। महाराणा कुम्भा का 1468 ई. में स्वर्गवास हुआ।

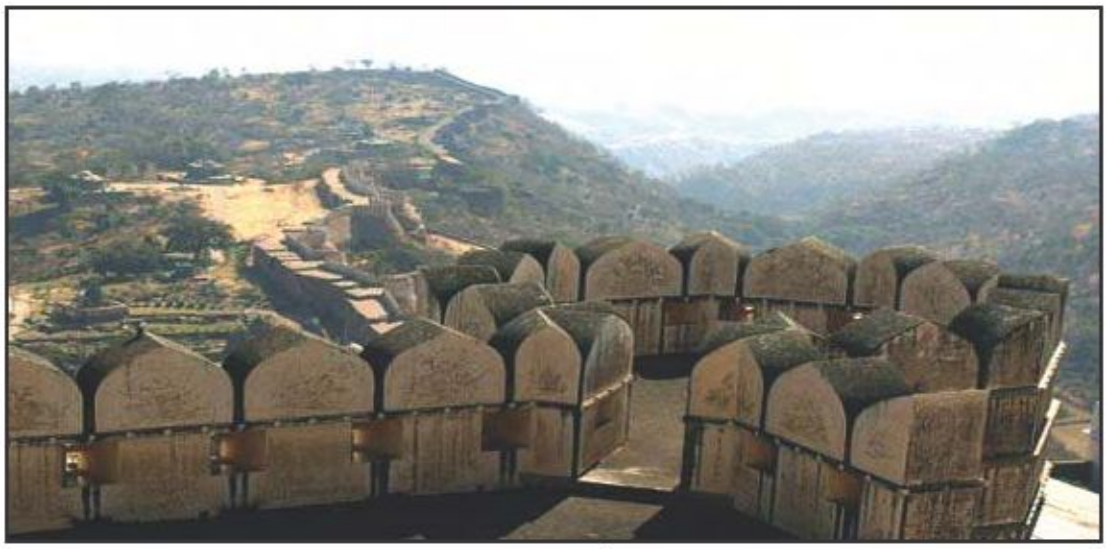

प्राचीर बुर्ज

शब्दावली

खोखर – वर्तमान पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र की एक जाति

शेखावाटी – राव शेखा द्वारा विजित क्षेत्र जिसमें वर्तमान चुरू, झुंझनू, सीकर जिले आते हैं।

कुंभलगढ़ प्रशस्ति – कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा हुआ अभिलेख।

अभ्यास प्रश्न

1. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित किजिए –

स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
1. कान्हड़ देव	अजमेर
2. हम्मीर देव	जालोर
3. महाराणा कुम्भा	रणथम्भौर
4. पृथ्वीराज चौहान	मेवाड़

2. तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा?
3. मुहम्मद गौरी के बाद सत्ता प्राप्ति के संघर्ष में कौन विजयी रहा?
4. अलाउद्दीन खलजी रणथम्भौर पर आक्रमण क्यों करना चाहता था?
5. अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण का संक्षिप्त विवरण लिखिए।
6. जालोर पर अलाउद्दीन खलजी के आक्रमण का वर्णन कीजिए।
7. महाराणा कुम्भा के शासनकाल की जानकारी कौन–कौन से स्रोतों से प्राप्त होती है?
8. महाराणा कुम्भा के शासन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
9. राव शेखा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है?

गतिविधि–

1. सल्तनतकाल में निर्मित राजस्थान के किलों, मंदिरों व अन्य स्मारकों के चित्रों का संग्रह कीजिए।
2. दिल्ली व राजस्थान के राजवंशों के काल को तिथि वर्ष क्रमानुसार लिखो।

अध्याय 18

राजस्थान के राजवंश एवं मुगल

राजस्थान के राजपूत राज्यों ने भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का प्रारंभ से ही प्रतिरोध किया। पृथ्वीराज के बाद मेवाड़ के महाराणा सांगा, मारवाड़ के मालदेव, राव चन्द्रसेन, सिरोही के देवड़ा सूरताण इत्यादि ने इस संघर्ष को जारी रखा।

सन् 1526 ई. के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी, किन्तु बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूँ बिहार से आए अफगान सेनापति शेरशाह सूर से हार गया। दिल्ली पर शेरशाह सूर के वंशज अधिक समय तक शासन नहीं संभाल सके। 15 वर्ष के भीतर उसके एक प्रधान हरियाणा में रेवाड़ी के हेमचन्द्र जो कि हेमू के नाम से प्रसिद्ध है, ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। हेमचन्द्र, 'विक्रमादित्य' के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने अपने नाम से सिक्के जारी किए। एक माह बाद नवम्बर, 1556 ई. में मुगल सेना ने उसे परास्त कर दिया। कालान्तर में दिल्ली पर लम्बे समय तक मुगलों का शासन रहा। इन शासकों में मुख्यतः अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब इत्यादि थे। मुगल शासकों का सर्वाधिक प्रतिरोध मेवाड़ के महाराणाओं ने किया, जिसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप प्रमुख थे।

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप महान्

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई, 1540 ई. (ज्येष्ठ शुक्ल 3, विक्रम संवत् 1597) को कुम्भलगढ़ में हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह व माता का नाम जैवन्ता बाई सोनगरा था। महाराणा उदयसिंह की 28 फरवरी, 1572 ई. में मृत्यु हो गई और उसी दिन महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में गोगुन्दा में राज्यारोहण हुआ। यह शासन महाराणा प्रताप के लिए कांटों का मुकुट था, किन्तु स्वतन्त्रता प्रेमी महाराणा प्रताप ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। महाराणा प्रताप ने कुम्भलगढ़ और गोगुन्दा को केन्द्र बनाकर समस्त मेवाड़ राज्य को स्वतन्त्र कराने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। जनमानस को स्वतन्त्रता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया। जनजाति वर्ग को संगठित कर उन्हें अपनी सेना का अंग बनाया। कुम्भलगढ़ से लगे गोड़वाड़ भू–भाग और अरावली की घाटियों में सैनिक व्यवस्था की। सिरोही व गुजरात से लगी सीमा व्यवस्था को संगठित किया।

महाराणा प्रताप

मेवाड़ से 1567 – 1568 ई. में हुए संघर्ष की भयंकरता से अकबर परिचित था। अतः शान्ति

प्रयासों एवं कूटनीति से समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। उसने एक–एक करके चार शिष्ट मंडलों को महाराणा प्रताप के पास भेजा किन्तु महाराणा प्रताप ने उसके कूटनीतिक प्रयासों को एक दम विफल कर दिया।

हल्दीघाटी का युद्ध

प्रताप को अब अनुभव हो गया था कि युद्ध अवश्यंभावी है, तब प्रताप ने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। मेवाड़ के मुख्य पहाड़ी नाकों (पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश के सँकडे मार्ग) एवं सामरिक महत्व के स्थानों पर अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरु कर दी। मैदानी क्षेत्रों से लोगों को पहाड़ी इलाकों में भेज दिया तथा खेती करने पर पाबंदी लगा दी, ताकि शत्रु सेना को रसद सामग्री नहीं मिल सके। प्रताप को सभी वर्गों का पूर्ण सहयोग मिला। अतः जनता युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। उधर अकबर ने अन्य सैन्य अभियानों से मुक्ति पाकर मेवाड़ की ओर ध्यान केन्द्रित किया। उसने मानसिंह को प्रधान सेनानायक बनाकर प्रताप के विरूद्ध भेजा, जो लगभग पाँच हजार सैनिकों के साथ आया। 18 जून, 1576 ई. को प्रातः हल्दीघाटी के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप ने युद्ध की शुरूआत की। उनके साथ रावत किशनदास, भीमसिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामशाह तँवर, झाला मान, झाला बीदा, मानसिंह सोनगरा आदि थे। प्रताप के चन्दावल दस्ते में पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जैसा आदि तथा मध्य भाग के बाँयी ओर भामाशाह एवं अन्य सैनिक थे। चंदावल में ही घाटी के मुहानों पर राणा पूंजा के नेतृत्व में भील लोग तीर कमान के साथ मौजूद थे। हरावल दस्ते में चुण्ड़ावतों के साथ अग्रिम पंक्ति में हकीम खाँ सूर भी थे। मुगल सेना पर सर्वप्रथम आक्रमण इन्होंने किया, जिससे मुगल सेना पूर्ण रूप से

हल्दीघाटी का युद्ध

अस्त–व्यस्त हो गई। रही कसर प्रताप के आक्रमण ने पूरी कर दी। मुगल इतिहासकार बदायूँनी स्वीकार करता है कि मेवाड़ी सेना के आक्रमण का वेग इतना तीव्र था कि मुगल सैनिकों ने बनास के दूसरे किनारे से पाँच–छह कोस तक (10–15 कि.मी.) भागकर अपनी जान बचाई।

अब प्रताप ने अपने चेतक घोड़े को छलाँग लगवाकर हाथी पर सवार मानसिंह पर अपने भाले से वार किया, पर मानसिंह बच गया। उसका हाथी मान सिंह को लेकर भाग गया। इस घटना में चेतक का पिछला पैर हाथी की सूँड़ में लगी तलवार से जख्मी हो गया। प्रताप को शत्रु सेना ने घेर लिया। लेकिन प्रताप ने संतुलन बनाए रखा तथा अपनी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए मुगल सेना में उपस्थित बलिष्ठ पठान बहलोल खाँ के वार का ऐसा प्रतिकार किया कि खान के जिरह बख्तर सहित उसके घोड़े के भी दो फाड़ हो गए। इस दृश्य को देखकर मुगल सेना में हड़कम्प मच गया। अब प्रताप ने युद्ध को मैदान के बजाय पहाड़ों में मोड़ने का प्रयास किया। उनकी सेना के दोनों भाग एकत्र होकर पहाड़ों की ओर मुड़े और अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे। तब तक मुगल सेना को रोके रखने का उत्तरदायित्व झाला मान को सौंपा। झाला मान ने अपना जीवन उत्सर्ग करके भी अपने कर्तव्य का पालन किया। इस युद्ध में मुगल सैनिकों का मनोबल इतना टूट चुका था कि उसमें प्रताप की सेना का पीछा करने का साहस नहीं रहा।

युद्ध का परिणाम

मेवाड़ की इस विजय ने और प्रताप के नेतृत्व ने जनमानस का विश्वास दृढ़ किया। इस युद्ध ने मुगलों के अजेय होने के भ्रम को तोड़ दिया। अब प्रताप वीर शिरोमणि के रूप में स्थापित हो गए। भारत में पहली बार मुगल सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। मुगल सेना को प्रताप का भय निरन्तर सताता रहा, इसलिए हल्दी घाटी से गोगुन्दा पहुँचने पर भी वह इस भय से उबर न सकी। प्रताप के एकाएक आक्रमणों के भय से मुगल लश्कर ने गोगुन्दा में अपने क्षेत्र के इर्द–गिर्द ईंटों से इतनी बड़ी दीवार का निर्माण कराया कि प्रताप के घुड़सवार भी कूदकर अन्दर न आ सकें। गोगुन्दा में मुगल सेना की हालात बन्दी जैसी हो गई थी। भीलू राणा पूंजा के नेतृत्व में प्रताप के सैनिकों ने गोगुन्दा की इतनी दृढ़ नाकेबन्दी कर दी कि बाहर से किसी प्रकार की खाद्य व अन्य सामग्री मुगल छावनियों में नहीं पहुँच सकी। इस कारण मुगल सैनिकों एवं जानवरों के भूखे मरने की नौबत आने लगी। निराश होकर मुगल सेना गोगून्दा खाली कर अकबर के दरबार में लौट गई। हल्दीघाटी की पराजय से त्रस्त होकर अकबर ने मानसिंह व आसफ खाँ के मुगल दरबार में उपस्थित होने पर रोक लगा दी थी। शाही सेना के जाने के बाद प्रताप फिर कुम्भलगढ़ लौट आए।

हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अगले पाँच वर्ष तक प्रताप छापामार युद्ध प्रणाली से मुगलों को छकाते रहे। अकबर ने तीन बार शाहबाज खाँ को प्रताप के विरूद्ध भेजा, किन्तु उसे असफल होकर लौटना पड़ा। मुगलों को असहाय अवस्था में पाकर प्रताप ने प्रतिरक्षात्मक की अपेक्षा आक्रामक नीति अपनाई। उन्होंने इसका पहला प्रयोग दिवेर में किया। अक्टूबर 1582 ई. में प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ मुगलों के प्रमुख थाने 'दिवेर' (राजसमंद) को घेर लिया। मुगल सेनानायक सुल्तान खाँ को जैसे ही

इस घेरे की खबर लगी, उसने आस–पास के 17 थानों के थानेदारों को बुला लिया। दिवेर थाने के पास दोनों सेनाएँ आमने–सामने हुई। सुल्तान खाँ हाथी पर सवार था और महाराणा प्रताप के साथ युवराज अमर सिंह सहित अनेक सरदार व भील सैनिक थे। प्रताप ने सुल्तान खाँ के हाथी को मार डाला तो वह भाग गया और घोड़े पर सवार होकर पुनः युद्ध भूमि में आया। अमरसिंह तलवार लेकर सुल्तान खाँ की तरफ लपके और तलवार का वार किया। सुल्तान खाँ ने तलवार के वार से बचने की कोशिश की तो अमरसिंह ने अपने भाले से उसे बींध डाला। इससे मुगल सेना वहाँ ठहर नहीं सकी। दिवेर युद्ध में भी प्रताप की निर्णायक जीत हुई। इसके बाद प्रताप कुम्भलगढ़ की तरफ बढ़े तथा कुम्भलगढ़ सहित आस–पास के सभी मुगल थानों पर अधिकार कर लिया। अगले दो वर्षों तक अकबर ने मेवाड़ में सैनिक अभियान जारी रखे, किन्तु उनमें असफलता के कारण सन् 1584 ई. के पश्चात् तो अकबर का प्रताप के विरुद्ध सेना भेजने का साहस ही नहीं रहा। अब प्रताप ने चावण्ड को अपनी नई राजधानी बनाई और आक्रामक नीति अपनाकर एक–एक कर अपने पिता के काल में अकबर के हाथों गए स्थानों को पुनः विजित कर लिया। 19 जनवरी, 1597 ई. को 57 वर्ष की अवस्था में चावण्ड में स्वाधीनता के इस महान् पुजारी ने अन्तिम सांस ली। चावण्ड में आज भी महाराणा प्रताप के महलों और भामाशाह के हवेली के खण्डहर देखे जा सकते हैं। चावण्ड के निकट बाडोली गाँव में प्रताप की समाधि बनी हुई है।

प्रताप महान् का व्यक्तित्व

महाराणा प्रताप श्रेष्ठ योद्धा और सच्चे जननायक थे। सभी धर्मों के लोग मातृभूमि के स्वाधीनता संघर्ष में प्रताप के साथ थे। प्रताप ने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला योद्धा बना दिया। इससे महाराणा प्रताप जनमानस के लिए प्रातः स्मरणीय बन गए। अपने देश की स्वतन्त्रता और सार्वभौमिकता के लिए सतत् संघर्ष और उनका विविध क्षेत्र में योगदान उन्हें महान् सिद्ध करता है। युद्धों में दिवंगत वीरों के उत्तराधिकारियों को प्रताप ने पिता की तरह स्नेह दिया और उनके पुनर्वास के लिए अपूर्व प्रयास कर मानवाधिकारों के संरक्षण का आदर्श स्थापित किया। नारी सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रताप ने कई प्रयास किए। उनके प्रयासों की बदौलत मेवाड़ को भविष्य में जौहर जैसी त्रासदी नहीं झेलनी पड़ी। प्रताप ने कैद की गई मुगल स्त्रियों को सुरक्षित लौटाकर नारी सम्मान का पाठ पढ़ाया। अकाल–दर–अकाल जूझने वाली प्रजा और शासकों के लिए जल बचत और कम खर्च में जलाशय बनाने की तकनीक दी। यही नहीं पर्यावरण सुरक्षा को प्रत्येक शासक और नागरिक के कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया। प्रताप का यह योगदान उनकी वैश्विक दृष्टि का परिचायक है। इसी ध्येय से प्रताप ने 'विश्ववल्लभ' (जो संसार को प्रिय हो) नाम से वृक्ष–आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई। संस्कारी जीवन ही सबको अपेक्षित होता है, प्रताप ने इस उद्देश्य से 'व्यवहार आर्दश' जैसा ग्रंथ लिखवाया। विद्वानों और दूरदर्शी लोगों को संरक्षण दिया। इनमें संस्कृत विद्ववान पंडित चक्रपाणी मिश्र प्रमुख थे। प्रताप के संरक्षण में लिखी गई 'राज्याभिषेक पद्धति' भारतीय शासकों के लिए आदर्श बनी। मेवाड़ और गुजरात के शासकों सहित मराठा शासक भी अपना अभिषेक इसी पद्धति से करवाने लगे।

चावण्ड रागमाला का चित्र

चावण्ड रागमाला का चित्र

महाराणा प्रताप ने संगीत, मूर्तिकला और चित्रकला को संरक्षण दिया। अपने दरबार में निसारूद्दीन जैसे चित्रकार से छह राग और छत्तीस रागिनियों के ध्यान चित्र बनवाकर चावण्ड़ चित्र शैली को जन्म दिया। रागमाला शृंखला के ये चित्र अन्य कई क्षेत्रों के चित्रकारों के लिए अनुकरणीय बने। यह कला भारतीय चित्रकला की निधि हैं। प्रताप ने देश की समृद्धि को बनाए रखने के लिए धातुओं की खदानों की सुरक्षा की ओर प्रमुखता से ध्यान दिया। सभी धर्मों का आदर प्रताप के व्यक्तित्व की निराली विशेषता थी। जनजाति के मुखियाओं ने प्रताप के नेतृत्व में अपूर्व विश्वास किया। उदयपुर के निकट हरिहर जैसे मन्दिर उनके काल में शैव और वैष्णव धर्म की एकता को दर्शाता है।

इस प्रकार राष्ट्रप्रेम, सर्वधर्म सद्भाव, सहिष्णुता, करूणा, स्वाधीनता के लिए युद्ध, नीतिगत आदर्शों की पालना, मानवाधिकारों की सुरक्षा, नारी सम्मान, पर्यावरण और जल संरक्षण एवं सर्वसामान्य को आदर जैसे मूल्य तथा साहित्य व संस्कृति के प्रति सम्मान उनकी महानता के उज्ज्वल परिचायक हैं। महाराणा प्रताप की समाधि जन–जन को इस विराट चरित्र नायक के कीर्तिमय जीवन और आदर्शों की प्रेरणा देती रहेगी। प्रताप के बारे में कहा गया है कि–

पग–पग भम्या पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धरम।
महाराणा मेवाड़, हिरदे बसया हिन्द रे।।

स्वाभिमानी अमरसिंह राठौड़

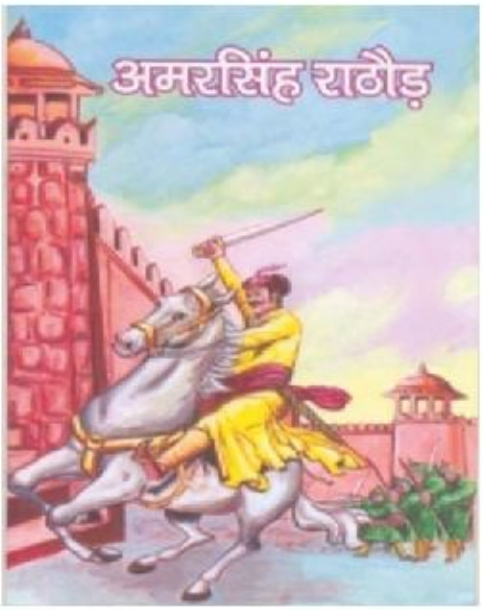

राजस्थान के एक अन्य सपूत जिसने मुगल शासक शाहजहाँ को उसके दरबार में जाकर चुनौती दी थी, वह अमरसिंह राठौड़ राजस्थान में शौर्य, स्वाभिमान एवं त्याग का प्रतीक माना जाता है। उसका जन्म 12 दिसम्बर 1613 ई. में हुआ था। वह जोधपुर के शासक गजसिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी शिक्षा–दीक्षा उत्तराधिकारी राजकुमार के रूप में हुई थी। वह कुशाग्र बुद्धि, चंचल स्वभाव एवं स्वाभिमान से परिपूर्ण था। अतः अमरसिंह की कीर्ति चारों ओर फैल गई। उसको महाराजा गजसिंह का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था। किन्तु गजसिंह की उप पत्नी अनारा के षड्यंत्र के कारण अमरसिंह को

राजगद्दी न देकर कनिष्ठ पुत्र जसवंतसिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया गया। मुगल शासक शाहजहाँ ने जसवन्तसिंह को मारवाड़ के शासक की मान्यता दे दी। अमरसिंह ने इस निर्णय का प्रतिकार नहीं किया। पिता के समय में ही अमरसिंह मुगल बादशाह की सेवा में आ गया था। इस घटना के बाद शाहजहाँ ने अमरसिंह को उच्च मनसब, राव की पदवी और नागौर का परगना दिया। अमरसिंह नागौर की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़कर पुनः शाहजहाँ के दरबार में चला गया।

अमरसिंह की सूझ–बूझ और योग्यता से शाहजहाँ परिचित था। अतः अनेक कठिन अभियानों में वह अमरसिंह को भेजता रहता था। उसे जूझारसिंह बुन्देला, राजा जगतसिंह (कांगड़ा), ईरान के शाह सफी, शाह भौंसले के विरुद्ध और कंधार के अभियानों पर भेजा गया। अमरसिंह स्वयं स्वाभिमानी था तथा स्वाभिमानी व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखता था। केसरीसिंह जोधा को बादशाह की आज्ञा के कारण अटक पार जाना था, किन्तु जब आदेश पालना में हिचकिचाहट बताई तो उसका मनसब जप्त कर लिया। इसकी सूचना जब अमरसिंह को हुई तो वह केसरीसिंह से मिलने पहुँचा और बादशाह की नाराजगी की परवाह किये बगैर उसने 30 हजार का पट्टा तथा नागौर की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उसको सौंपा। इस प्रकार जोधा के सम्मान की रक्षा की। अपने स्वाभिमान पर भी अमरसिंह ने कभी आँच नहीं आने दी। कतिपय घटनाओं के कारण अमरसिंह ने मुगल कोष में जमा कराए जाने वाले कर को स्पष्ट रूप से देने से इन्कार कर दिया। राज्य की ओर से बार–बार मांग होने पर भी उसने अपने निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं किया। अमरसिंह विरोधी मनसबदारों को उसके विरूद्ध बादशाह के कान भरने का अच्छा अवसर मिला। इसमें सलावत खां मुख्य था। इसका प्रभाव बादशाह पर भी पड़ा। उसने एक दिन अमर सिंह को कटु वचन सुनाये। अमरसिंह का स्वाभिमान जाग उठा और क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गये। वह बादशाह की ओर बढ़ा। जब सलावत खाँ ने अपशब्द कहते हुए उसे आगे बढ़ने से रोकने के प्रयास किया तो उसे अमरसिंह के हाथों मौत का शिकार होना पड़ा। भयग्रस्त बादशाह भागकर अपनी जान बचा पाया। मुगल दरबार में अमरसिंह जब अकेला था, मुगल मनसबदार द्वारा धोखे से मार दिया गया। इस घटना में अमरसिंह की भले ही मृत्यु हो गई किन्तु आदर्शों के प्रति उसका समर्पण आज भी हमें प्रेरणा देता है। रचनाधर्मियों ने उसके स्वाभिमान और त्याग से आकर्षित होकर अनेक प्रेरणादायक काव्यों की रचना की।

वीर दुर्गादास राठौड़

राजस्थान को गर्वित करने वाला अन्य व्यक्तित्व वीर दुर्गादास राठौड़ है। उसका जन्म 13 अगस्त, 1638 ई. में मारवाड़ के सालवां गाँव में हुआ था। उसका पिता आसकरण मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री था। दुर्गादास की माता ने उसमें देश तथा मातृभूमि के प्रति भक्ति की भावना भर दी थी। 28 नवंबर, 1678 ई. को महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो गई। उस समय उनका कोई पुत्र जीवित नहीं था, लेकिन उनकी दो रानियाँ गर्भवती थी। उन्हें दुर्गादास तथा अन्य सरदार अपने साथ लेकर लाहोर के लिए चल पड़े। लाहोर पहुँचने पर दोनों रानियों ने दो पुत्रों को जन्म दिया। एक की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई तथा दूसरा जो जीवित बचा उसका नाम अजीत सिंह रखा। मारवाड़ के

सरदारों को विश्वास था कि औरंगजेब अजीत सिंह को जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लेगा, किन्तु उनकी आशा शीघ्र ही ध्वस्त हो गई। औरंगजेब ने रानियों सहित मारवाड़ के दल को दिल्ली पहुँचने का आदेश भिजवा दिया। यही नहीं औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को खालसा किए जाने का आदेश देकर मुगल अधिकारी को नियुक्त कर दिया।

वीर दुर्गादास राठौड़

अजीत सिंह की रक्षा

दुर्गादास राठौड़ सरदारों के दल के साथ अजीतसिंह को लेकर राजधानी दिल्ली पहुँचा और औरंगजेब से अजीतसिंह को मारवाड़ राज्य देने का आग्रह किया। औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार कर लेने की शर्त पर ही उसे मारवाड़ का राज्य देने की बात कही। दुर्गादास तथा राठौड़ सरदार इस अपमानजनक शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अजीत सिंह को दिल्ली में रखना भी उसकी सुरक्षा के लिए खतरा था। अतः शीघ्र ही उसे औरंगजेब के चंगुल से निकालना आवश्यक था। दुर्गादास अजीतसिंह को जिस दूरदर्शिता से औरंगजेब के चंगुल से बचाकर मारवाड़ लाया वह एक चमत्कार से कम नहीं था। उसने पीछा करती हुए मुगल सेना का भी सामना किया।

राठौड़–मुगल संघर्ष

शेष बचे राठौड़ तथा दुर्गादास सुरक्षित मारवाड़ के सालावास गाँव पहुँचे, जहाँ से दुर्गादास ने अजीतसिंह को सिरोही भेजा। सिरोही के महाराव वैरीसाल सिंह की देख–रेख में कालन्द्री गाँव के ब्राह्मण जयदेव की पत्नी ने उन्हें पाला। अजीतसिंह के मारवाड़ आने की सूचना पाकर राठौड़ दुर्गादास के नेतृत्व में संगठित होने लगे। उन्होंने मुगल फौजदार को जोधपुर से खदेड़कर नगर पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने जोधपुर पर पुनः अधिकार हेतु विशाल सेना भेजी तथा स्वयं अजमेर में आ गया। राठौड़ों ने अब छापामार पद्धति से मुगलों को छकाना शुरू कर दिया। मेवाड़ से सहयोग प्राप्त करना दुर्गादास का एक महत्वपूर्ण कार्य था।

राठौड़–सिसोदिया गठबंधन

दुर्गादास ने संघर्ष बढ़ता देखकर मेवाड़ के महाराणा राजसिंह से अजीतसिंह को आश्रय देने की प्रार्थना की। महाराणा ने इसे स्वीकार कर लिया। यही नहीं महाराणा ने राठौड़ों को पूर्ण सहायता का आश्वासन भी दिया। उधर मारवाड़ में राठौड़ों ने मुगलों का कड़ा प्रतिरोध किया। औरंगजेब ने शहजादे अकबर को मारवाड़ में भेजा, किन्तु वह भी राठौड़ों को नियन्त्रित करने में पूर्णतः असफल रहा। इसके विपरीत दुर्गादास ने शहजादे अकबर को उसके पिता औरंगजेब के विरूद्ध उकसा दिया। अकबर का औरंगजेब के विरूद्ध विद्रोह करवा देना दुर्गादास की महान् सफलता थी। दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से

मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य राठौड़–सिसोदिया गठबंधन हुआ। यह दुर्गादास राठौड़ का दूसरा महान् कार्य था। बालक अजीतसिंह को मेवाड़ में आश्रय देने और औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने का संकल्प महाराणा राज सिंह ने स्वीकार कर लिया। राजसिंह ने औरंगजेब को एक और करारा झटका उस समय दिया जब औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारूमति से विवाह करना चाहता था, जिसके लिए चारूमति तैयार नहीं थी। चारूमति के आग्रह करने पर राजसिंह ने उससे विवाह किया। राजसिंह ने औरंगजेब की मन्दिर विध्वंस नीति का प्रतिरोध करते हुए द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी को मेवाड़ में स्थापित किया। औरंगजेब ने 1679 ई. में जजिया कर पुनः लगाया तो राजसिंह ने इसके विरोध में उसको पत्र लिखा। औरंगजेब ने शहजादा अकबर के माध्यम से अपने विरूद्ध बने राठौड़–सिसोदिया गठबंधन को तोड़ने का प्रयास किया। वस्तुतः मेवाड़ के महाराणा राजसिंह व दुर्गादास के संयुक्त प्रयासों से उत्तर भारत में औरंगजेब के दमनकारी और कुटनीतिक प्रयासों का विरोध हुआ। इस कारण 1680 ई. में देबारी में मेवाड़ और औरंगजेब की सेना में युद्ध हुआ। दुर्गादास मराठों की सहायता लेने दक्षिण में गया तो शहजादा अकबर भी उसके साथ था। यह औरंगजेब के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसी दौरान महाराणा राजसिंह की मृत्यु से उसको राहत मिली। नए महाराणा से समझौता कर वह दक्षिण की ओर चल पड़ा।

दुर्गादास का मराठा सहयोग प्राप्त करना उसकी एक बड़ी कुटनीतिक विजय थी। मराठा–शक्ति की सक्रियता के कारण औरंगजेब को उत्तरी भारत से भागकर दक्षिण की ओर जाना पड़ा। इससे मारवाड़ पर मुगल सैनिक दबाव कम हो गया। औरंगजेब दक्षिण में इतना घिर गया कि वह पुनः जीवित उत्तर भारत में न आ सका। औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिलते ही अजीतसिंह ने पुनः मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। यह सूचना पाकर दुर्गादास भी मारवाड़ लौट आया, किन्तु इस बार उसे अजीतसिंह से उत्साहवर्धक स्वागत नहीं मिला। दुर्गादास की अनुपस्थिति में मारवाड़ के सरदारों द्वारा उनके खिलाफ किए गए षड़यंत्रों के कारण दुर्गादास जैसे देशभक्त, दूरदर्शी और महान् कूटनीतिज्ञ को मारवाड़ छोड़ कर मेवाड़ आना पड़ा। मेवाड़ ने उनको आश्रय ही नहीं दिया, अपितु सम्मानपूर्वक रामपुरा की जागीर देकर वहाँ का प्रशासक भी नियुक्त कर दिया।

दुर्गादास जीवन के अन्तिम वर्षों में उज्जैन (मध्यप्रदेश) में ही रहे। वहीं 22 नवंबर, 1718 को

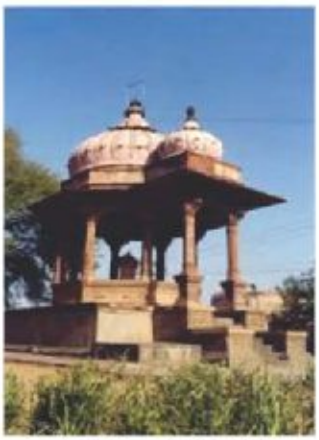

दुर्गादास की छतरी

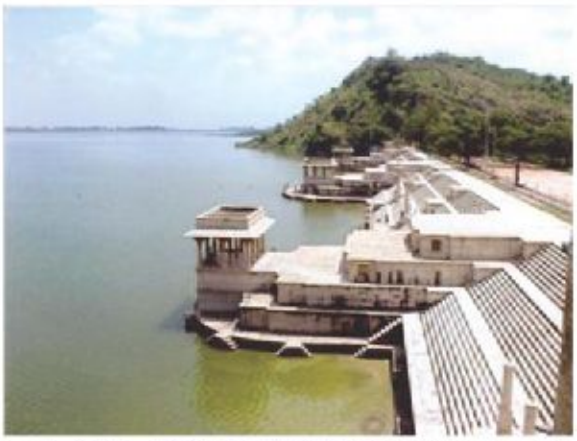

महाराणा राजसिंह द्वारा निर्मित नौ–चौकी राजसमंद

उनका देहांत हो गया। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर लाल पत्थर की छतरी स्वामिभक्त सपूत के स्मारक के रूप में मौजूद है।

गतिविधि–

मेवाड़ के महाराणा राजसिंह के जीवन चरित्र एवं उनके द्वारा निर्मित नौ–चौकी पर जानकारी संकलित कीजिए।

महाराजा सूरजमल

महाराजा सूरजमल भरतपुर के लोकप्रिय शासक थे। उसके पिता बदनसिंह ने डीग बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया। सूरजमल ने भरतपुर शहर की स्थापना की। सूरजमल से पूर्व जाट नेता गोकुल औरंगजेब की मन्दिर–मूर्ति विध्वंस नीति का प्रबल विरोधी रहे। मथुरा और आगरा के जाट बहुत समय तक मुगलों के अत्याचार और कुशासन का शिकार रहे। गोकुल राजाराम ने मुगलों के अत्याचारों का प्रबल विरोध किया तथा सिकन्दरा में स्थित अकबर के मकबरे से बहुमूल्य रत्नों व सोने–चांदी के पत्थरों को उखाड़ लिया। राजाराम के बाद चूड़ामन ने आजीवन मुगलों से संघर्ष किया।

महाराजा सूरजमल

जयपुर के महाराजा जयसिंह की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार युद्ध में सूरजमल के सहयोग से ईश्वरी सिंह विजयी हुआ और जयपुर की गद्दी पर बैठा। मई 1753 ई. में सूरजमल ने फिरोजशाह कोटला पर कब्जा कर लिया। मराठों ने जनवरी 1754 ई. से मई 1754 ई. तक भरतपुर के कुम्हेर के किले को घेरे रखा, पर वे इस किले को नहीं जीत पाए और उन्हें संधि करनी पड़ी। 1761 ई. में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार के बाद शेष बचे मराठा सैनिकों के खाने–पीने, इलाज व कपड़ों की व्यवस्था महाराजा सूरजमल ने की।

सूरजमल ने अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए, जिनमें प्रसिद्ध लोहागढ़ किला भी शामिल है। मराठों के पतन के बाद सूरजमल ने गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रूखनगर इत्यादि इलाके जीत लिए। 25 दिसम्बर, 1763 ई. को महाराजा सूरजमल की मृत्यु हो गई।

शब्दावली

हरावल	–	सेना का अग्रिम भाग
चंदावल	–	सेना का पीछेवाला भाग
छापामार युद्ध	–	अचानक आक्रमण कर भाग जाने वाली युद्ध की एक विधा
प्रतिरक्षात्मक	–	सुरक्षात्मक
खालसा	–	केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न एक व दो के सही उत्तर कोष्ठक में लिखिए–

1. महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था–
   (अ) लीलण (ब) चेतक (स) केसर (द) ऐटक ( )
2. सेना का हरावल दस्ता होता है–
   (अ) सेना का अग्रिम भाग (ब) सेना के मध्य का भाग
   (स) सेना के पीछे का भाग (द) सम्पूर्ण सेना ( )
3. महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की विशेषताएँ बताइए ।
4. विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला राजा कौन था ?
5. महाराजा सूरजमल ने राजस्थान के किस शहर की स्थापना की थी ?
6. दुर्गादास राठौड़ का अन्तिम समय कहाँ व्यतीत हुआ ?
7. महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर के कूटनीतिक प्रयासों का उल्लेख कीजिए।
8. दुर्गादास राठौड़ ने किस प्रकार मारवाड़ के उत्तराधिकारी अजीतसिंह की रक्षा की?
9. हल्दी घाटी के युद्ध पर निबन्ध लिखिए।
10. अमरसिंह राठौड़ का चरित्र चित्रण कीजिए।

गतिविधि–

1. राजस्थान के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों एवं इमारतों के चित्र संकलित कर उनसे संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी अपने विषयाध्यापक एवं अन्य व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त कीजिए।
2. महाराणा प्रताप के जीवन से सम्बन्धित प्रेरणादायी घटनाओं का विद्यालय में मंचन करें।

अध्याय 19

कला एवं स्थापत्य

पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि प्रारम्भिक मानव ने दीवारों पर लाल रंग से शिकार के चित्र बनाए। धीरे धीरे पक्के बर्तनों पर पशु–पक्षी अथवा मनुष्यों के चित्र बनाए। हम भी रंगों से दीवार, कागज, कपड़े आदि पर चित्र बनाते हैं। इन सबके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे।

यह वह समय था जब देश में चित्रकला और स्थापत्य कला ने बहुत प्रगति की, इसके अनेक नमूने आज भी हमारे सामने हैं और आज भी उस परम्परा को कलाकार आगे बढ़ा रहे हैं।

चित्र शैली से तात्पर्य चित्र बनाने के एक विशेष प्रकार के तरीके से है।

मध्ययुगीन चित्र शैली

मध्ययुगीन चित्रकला शैली के दो प्रधान केन्द्र रहे हैं। पहला पश्चिमी भारत का क्षेत्र व दूसरा उत्तरी–पूर्वी भारत का क्षेत्र। पश्चिमी भारत के क्षेत्र का केन्द्र गुजरात व राजस्थान बना। उत्तरी–पूर्वी शैली का केन्द्र बना बंगाल और बिहार। दोनों केन्द्रों के विषय जैन व बौद्ध कथाओं पर आधारित थे। इसे पाल शैली कहते है। इनके आकार–प्रकार व स्वरूप में साम्यता थी। यह चित्र ताड़ पत्र व कागज पर बनाए जाते थे। इन्हें पोथी चित्र भी कहा जाता था। इस शैली की पहचान है, गरुड़ की सी आगे निकली हुई नाक, पतली आँखें, छोटी ठुड्डी, ऐंठी अंगुलियाँ, पतली कमर इत्यादि।

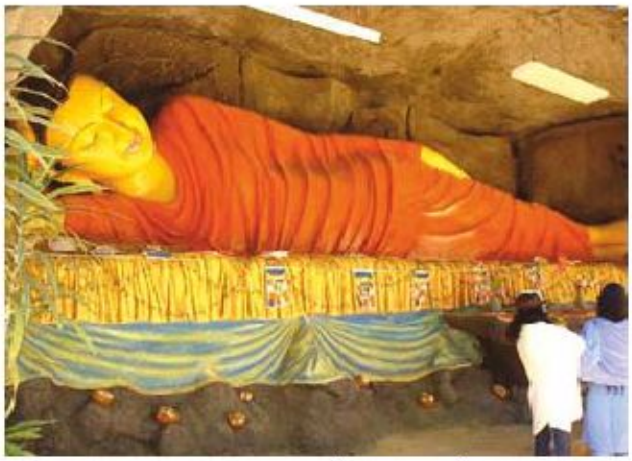

बुद्ध महापरिनिर्वाण–पाल शैली
(उत्तरी–पूर्वी भारत)

इन चित्रों में लाल, नीले व पीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। इनकी रेखाओं की एक जैसी मोटाई होती थी। पश्चिमी भारतीय शैली से राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति मानी जाती है।

सल्तनत कालीन स्थापत्य

दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना के साथ ही नए स्थापत्य ने जन्म लिया। पश्चिम एशिया के प्रभाव से अब हिन्दुस्तान में भी मस्जिदें बनने लगी। शायद इस्लामिक शैली वाला देश का सबसे पहला भवन समूह दिल्ली के पास महरौली में बना। यहाँ कुव्वत–उल–इस्लाम मस्जिद के समीप ही दुनिया की मशहूर कुतुब मीनार है।

कुव्वत–उल इस्लाम और कुतुबमीनार

मुगल कालीन स्थापत्य

दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आए। मुगलों के पास बड़ी–बड़ी इमारतें बनाने के लिए अपार धन था। उन्होंने मस्जिदों के अलावा कई भव्य मकबरे भी बनाए। इन मकबरों में मध्य और पश्चिम एशिया की स्थापत्य कला का काफी असर था। दिल्ली में हुमायूँ का मकबरा और आगरा में ताजमहल मुगल स्थापत्य के अभूतपूर्व नमूने हैं।

हुमायूँ का मकबरा–दिल्ली

ताजमहल–आगरा

शाहजहाँ द्वारा निर्मित दिल्ली का लाल किला मुख्यतः रिहायशी किला था, सामरिक महत्त्व का नहीं। वहीं आगरा में बना लाल किला सामरिक महत्त्व का भी था। इस किले को यूनेस्को (UNESCO) ने 'वैश्विक विरासत' घोषित किया है।

दिल्ली के लाल किले को हिन्दुस्तान में राज्य सत्ता का द्योतक माना गया है। इसका उदाहरण तब मिलता है जब सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को प्रेरित करते हुए लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराने की बात कही थी। आजाद हिन्द फौज के सेनानियों पर मुकदमा भी अंग्रेज सरकार ने लाल किले पर ही चलाया था। मुगल स्थापत्य ने राजस्थान में भी स्थापत्य कला पर असर डाला। अब राजस्थान की इमारतों में भी छज्जें, छतरी और झरोखे बनाए जाने लगे।

लाल किला–दिल्ली

राजस्थान की स्थापत्य कला

राजस्थानी स्थापत्य कला क्या थी? इसे समझने के लिए पहले कुछ पिछला याद करते हैं। मनुष्य को गुफाओं से निकल कर सुरक्षित आवास की आवश्यकता हुई तो उसने बाँस और घास–फूस से झोंपड़ी का निर्माण किया। निर्माण की इसी प्रक्रिया में पत्थरों व पक्की ईंटों का उपयोग करने लगा।

मनुष्य जब एक समूह में निवास करने लगा तो पशु–पालन और कृषि करना आरम्भ किया। आस–पास के जंगली जानवरों से रक्षा करने हेतु एक परकोटे का निर्माण किया।

भारत में सिंधु सभ्यता के उत्खनन से और राजस्थान में कालीबंगा (हनुमानगढ़) और आहाड़

सभ्यता के उत्खनन से सुनिश्चित आवास की एक नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

ऐसा माना जाता है कि सिंधु–सरस्वती सभ्यता से ही ईंटों के भवन बनाने की परम्परा आरम्भ हुई थी, जिसका निरंतर विकास होता रहा। मौर्य युग में लकड़ी से निर्मित भवनों व राजमहलों के निर्माण का विवरण मिलता है। पाटलिपुत्र के भव्य महलों का उल्लेख यूनानी दूत मेगस्थनीज ने भी किया है।

इमारतों का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए तो होता ही है, इनका इस्तेमाल सांकेतिक तौर पर लोगों के साथ संवाद करने के लिए भी होता है। तभी तो अनेक इमारतें इतनी खूबसूरत और महंगी भी बनाई जाती थी ताकि यह जाहिर हो सके कि इमारत में रहने वाला तथा उसे बनवाने वाला कितना महान् व्यक्ति था।

समय के साथ–साथ स्थापत्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आया, जिन्हें हम निम्न रूप में देख सकते हैं–

(1) नगरीय स्थापत्य (2) दुर्ग निर्माण (3) स्तूप
(4) मंदिर (5) पुर अथवा नगर (6) ग्रामीण स्थापत्य

राजस्थान के दुर्ग

दुर्ग से अर्थ – वह क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर या परकोटा बना हो। अधिकांश दुर्ग सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊँची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी क्षेत्रों में बनाए जाते थे।

जहाँ तक संभव हो, दुर्ग के आसपास एक या अनेक गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी, जिनमें पानी भर कर दुश्मन को रोका जा सकता था। मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से दुर्ग बनाने की प्राचीन परम्परा दिखाई देती है।

राजस्थान में स्थित प्रमुख दुर्गों की एक सूची– (कोष्ठक में जिले दिखाए गए हैं)

चित्तौड़गढ़ (चित्तौड़)	मेहरानगढ़ (जोधपुर)
कुम्भलगढ़ (राजसमन्द)	सोनारगढ़ (जैसलमेर)
जालोर–दुर्ग (जालोर)	गागरोन (झालावाड़)
रणथम्भौर (सवाई माधोपुर)	जूनागढ़ (बीकानेर)
तारागढ (बून्दी)	आमेर (जयपुर) इत्यादि।

गतिविधि–

राजस्थान में इनके अलावा और भी दुर्ग हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके लिखिए। चित्रों का संग्रह कीजिए।

ये दुर्ग न केवल सामरिक दृष्टि से वरन् शासकों के आवास, सेना और सामान्य लोगों के रहने के लिए भी उपयुक्त थे। इसमें खाद्य भण्डारण, कुँड, जलाशय आदि आवश्यक सुविधाएँ होती थी। दुर्ग में इतनी व्यवस्था होती थी कि कई महीने बिना परेशानी, बिना किसी समस्या के दुर्ग के अंदर लोग जब तक रह सकते थे, जब तक कि सेना दुश्मन को न हरा दे।

मैदानी क्षेत्रों में निर्मित दुर्गों की संरचना अलग ढंग की होती थी। मैदानी दुर्गों में भी पूर्ववत् विशेषताएँ तो रहती थीं, किन्तु ऐसे दुर्गों के चारों ओर चौड़ी खाइयाँ बनाई जाती थी, जिन्हें नदी अथवा तालाब से जोड़ा जाता था। इनमें संकड़े मार्ग भी बने होते थे। 'दुर्ग' शब्द के पर्याय में किला, गढ़ इत्यादि शब्दों का प्रयोग इतिहासकारों ने किया है, किन्तु राजस्थान के इतिहास में लोक भाषा में 'दुर्ग' के प्रर्याय रूप में 'किला' शब्द ही प्रयोग में लिया जाता रहा है। जैसे चित्तौड़ का किला, रणथम्भौर का किला, जालोर का किला, आमेर (जयपुर) का किला इत्यादि।

तारागढ़–अरावली पहाड़ी के उत्तर भाग में हाड़ा शासकों के कलात्मक महल बने हुए हैं। इन महलों को तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण 1354 ई. में राव बरसिंह ने करवाया था। दुर्ग के चारों ओर दृढ़ दीवार का निर्माण किया गया है। बूंदी दुर्ग का स्थापत्य राजपूत व मुगल कला के समन्वय का सुन्दर उदाहरण है।

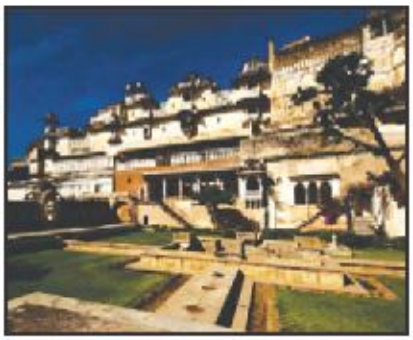
बून्दी दुर्ग

चित्रशाला–बून्दी

दुर्ग के छत्रशाल महल तथा यंत्रशाला को सुन्दर भित्ति चित्रों से सजाया गया है, वहीं बादल महल व अनिरुद्ध महल की चित्रशाला में चित्रित भिति चित्र राजस्थान की भिति चित्र परम्परा के सुन्दर उदाहरण है। भवनों की शानदार छतरियाँ व दरबार हॉल के अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण है। बूंदी दुर्ग को समय–समय पर दिल्ली सल्तनत व मुगल बादशाहों द्वारा आक्रमण कर इसे क्षति पहुँचाई गई, किन्तु हाड़ा राजाओं ने हमेशा कड़ा प्रतिरोध कर इसकी रक्षा की।

रणथम्भौर–शिव पिंड पर रखे बिल्वपत्र की भाँति पहाड़ी श्रृंखलाओं में खोया हुआ रणथम्भौर देश का प्रसिद्ध दुर्ग है। यह दुर्ग उस अन्तर्यामी शिव की तरह है जो सब कुछ देखता है, पर स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा अभेद्य और दुर्गम दुर्ग कदाचित् देश में दूसरा नहीं है।

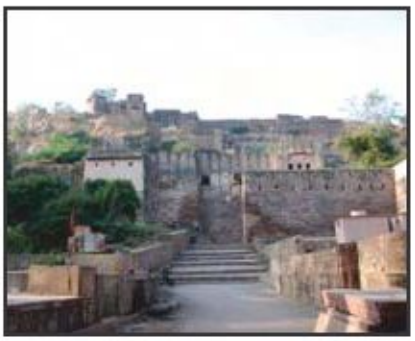
रणथम्भौर दुर्ग

एक ऊँची पहाड़ी के शिखर पर रणथम्भौर का अभेद्य दुर्ग स्थित है। दुर्ग का नाम 'रणथम्भ पुर' है। किले के निर्माण की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है, परन्तु ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशी राजाओं ने करवाया, जिन्होंने 600 वर्षों तक इस क्षेत्र पर एकछत्र राज्य किया।

वर्तमान में यह दुर्ग व इसके आसपास का सघन वन क्षेत्र 'रणथम्भौर बाघ परियोजना' के अर्न्तगत आ गया, जिससे इसके जीर्णोद्धार व संरक्षण का कार्य प्रगति पर है।

जालोर दुर्ग–पश्चिम राजस्थान में सोनगरा चौहानों के अतुल शौर्य के लिए प्रसिद्ध 'जालोर दुर्ग' देश में अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान गुजरात और राजस्थान सीमावर्ती पहाड़ी पर व्यापारिक सामरिक महत्व का क्षेत्र होने के कारण यह निरन्तर हमलावरों का केन्द्र रहा है।

जालोर दुर्ग

पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरि पहाड़ी पर समुद्रतल से 2408 फीट की ऊँचाई पर प्रसिद्ध जालोर का दुर्ग अभिमान से खड़ा है। पहाड़ी के शीर्ष पर 800 गज लम्बा और 400 गज चौड़ा समतल मैदान है। तीन दरवाजों को पार कर चौथे मुख्य द्वार से प्रवेश किया जाता है। इस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने 10 वीं सदी में करवाया था। दुर्ग में कई हिन्दु व जैन देवालय तथा बुर्ज आदि बनाए गए हैं। दुर्ग पर मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद है। दुर्ग में अतुलित जल भण्डार के कुएँ, कुँड आदि बनाए गए हैं।

जालोर दुर्ग पर लगभग 13 वीं सदी तक परमार राजाओं का अधिकार था। यह दुर्ग प्राचीरों के कुछ भाग को छोड़कर अब भी अच्छी स्थिति में है।

चित्तौड़गढ़–मेवाड़ की राजनीति का केन्द्र चित्तौड़गढ़ उदयपुर दिल्ली मार्ग पर उदयपुर से 120 कि. मी उत्तर–पूर्व में स्थित है। इस किले का निर्माण मौर्य वंशी शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा 7 वीं सदी में करवाया गया। तदनन्तर प्रतिहार, परमार और सिसोदिया शासकों द्वारा भी इसके निर्माण में अभिवृद्धि की गई।

चित्तौड़ दुर्ग

चित्तौड़ का किला मेसा की पठार पर स्थित है जो एक सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि निर्मित हैं। मेवाड़ के महाराणा कुम्भा द्वारा गढ़ में कई स्थलों का जीर्णोद्धार करवाया गया। यहाँ अनेक भवन, मन्दिर, स्तम्भ आदि बनवाए, जो भारतीय स्थापत्य कला का सुन्दर उदाहरण है। महाराणा कुम्भा ने अपने राज्य काल में लगभग 32 नए किलों का निर्माण करवाया जो कि कुम्भा कालीन भारतीय स्थापत्य का अद्‌भुत उदाहरण हैं।

विजय स्तम्भ– चित्तौड़गढ़ के अत्यन्त प्राचीन तीर्थ स्थल गौमुख कुण्ड के उत्तर–पूर्वी कोण पर कुम्भा द्वारा निर्मित 'विजय स्तंभ' 47 फीट वर्गाकार और 10 फीट ऊँची जगती (चबूतरा) पर बना हुआ है। यह 122 फीट ऊँचा नौ मंजिला स्मारक अपनी कारीगरी का सुन्दर उदाहरण है। इस स्तम्भ पर प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। इसे 'भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश' कहना उचित होगा।

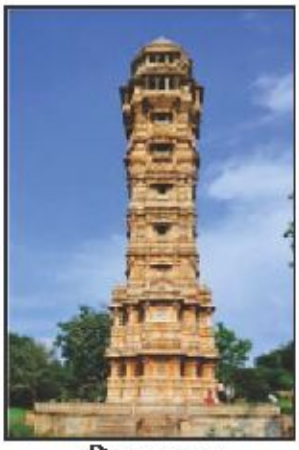
विजय स्तम्भ

पुराविद् श्री आर.सी. अग्रवाल ने विजय स्तंभ के शिल्पियों के नामों की सूची प्रकाशित की है। इनमें शिल्पी जइता तथा उसके पुत्रों नापा, पोमा, पूजा, मूमि, चुथी, बलराज आदि का वर्णन मिलता है। इस स्तंभ का निर्माण सन् 1440 में प्रारंभ होकर सन् 1448 में पूर्ण हुआ। राजस्थान में अन्य किलों यथा आमेर, बूंदी, बीकानेर, जोधपुर के किलों पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव, बुर्ज, झरोखे, छतरियाँ, महराब आदि के रूप में दिखाई देता है।

स्थापत्यविद् पर्सी ब्राउन की मान्यता है कि मुस्लिम कारीगरों ने भारतीय स्थापत्य के पारम्परिक आकारों व स्थानीय रूपों को मिलाकर आवश्यकतानुरूप संशोधन कर एक विशिष्ट स्थापत्य शैली का निर्माण किया, जिसे 'इण्डो – इस्लामिक शैली' नाम दिया गया।

राजस्थान की चित्रकला

राजस्थान चित्र शैली के प्राचीन ऐसे सचित्र ग्रंथ सामने आए हैं जिसमें राजस्थानी चित्र शैली का आरंभिक स्वरूप निखरता दिखाई देता है।

इन ग्रंथ–चित्रों में 'लौरचन्द्रा', 'मृगावती', गीत गोविन्द,' चोर पंचाशिका', 'नायक नायिका भेद,' चावण्ड रागमाला आदि ग्रंथों में राजस्थानी शैली का परिष्कृत रूप निखरने लगा। रसिक प्रिया, रामायण, भागवत् पुराण चित्रों में यह मौलिक रूप में दिखाई देती है। चोर पंचाशिका व चावण्ड रागमाला ग्रंथों को कला इतिहासज्ञों ने राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक ग्रंथ चित्र माने हैं, जिसका समय लगभग 16 वीं शताब्दी पूर्वार्द्ध माना गया है।

राजस्थान में चित्र निर्माण की प्रमुख शैलियां निम्न हैं–
1. मेवाड़ शैली – उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ, चावण्ड
2. मारवाड़ शैली – सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर
3. हाड़ौती शैली – बूंदी, कोटा, झालावाड़
4. ढूँढ़ाड़ शैली – जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी
   किशनगढ़ शैली – अजमेर, किशनगढ़

बणी–ठणी (किशनगढ़)

भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही मुगल चित्रकार राजसी संरक्षण हेतु इधर–उधर राज्यों की ओर चले गए, जिससे मुगल काल की दरबारी चित्रकला शैली का प्रभाव कांगड़ा, राजस्थान, बंगाल, बिहार और तंजौर व गोलकुण्ड़ा की कला पर दिखाई देता है। मुगल चित्रकारों ने वहाँ जाकर स्थानीय कलाकारों और चित्र परम्परा के साथ काम कर एक नई शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। कुछ चित्रकार राजपूताना की रियासतों मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, शेखावटी क्षेत्रों में गए जहाँ स्थानीय शासकों के संरक्षण में कार्य करते हुए उन्होंने आकारों की मौलिकता को बनाए रखा। परिणामस्वरूप अलग–अलग क्षेत्रीय शैलियाँ विकसित हुईं, किन्तु चित्रों की सामान्य विशेषताएँ, रंग, विषय वस्तु आदि में परिवर्तन होने से रायकृष्ण दास ने राजपूताना राज्य में पल्लवित चित्रकला को 'राजस्थानी चित्र–शैली' का नाम दिया, जिसे सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। राजस्थानी चित्रों की विषय वस्तु मुख्य रूप से धार्मिक कथाओं पर आधारित रही है। 17 वीं सदी का युग राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल माना है।

राजस्थान के मन्दिर

स्तूप और मंदिरों के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। मंदिरों का विकास गुप्तकाल से माना जाता है। ऐसा मानना है कि भारतवर्ष में शिखर मंदिरों के निर्माण का प्रारंभ उत्तर गुप्त काल में हुआ, जिनका विकास गुर्जर–प्रतिहार, गुहिल, चन्देल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य व पाल शासकों के काल में होता रहा।

मंदिर शब्द से तात्पर्य है, वह स्थान जहाँ हम अपने आराध्य देवी– देवता की पूजा करते हैं। मंदिर का तलछन्द / भूमि तल विस्तार (ग्राउण्ड प्लान) मुख्यतः– 1. प्रवेश मण्डप 2. सभा मण्डप और 3. गर्भगृह में विभाजित होता है। इसकी जानकारी के लिए साथ में दिए गए चित्र को देखें। इसका ऊर्ध्व विस्तार (एलीवेशन) पीठ, मण्डोवर, शिखर आदि में विभाजित होता है। गुप्तोत्तर युग से आज तक मंदिर बनाने की यही शास्त्रीय परम्परा रही है, जिनके निर्माण में शिल्प शास्त्र के नियमों का अनुसरण किया जाता है। राजस्थान में मध्यकाल में कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ है। कई तो आपने स्वयं भी देखे होंगे।

मंदिर के भागों के नाम

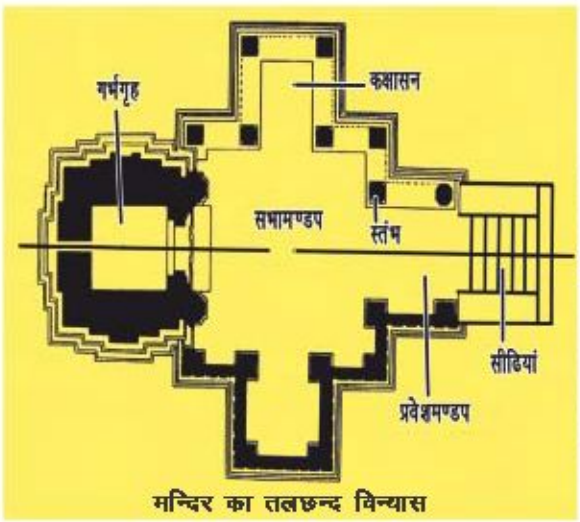

मन्दिर का तलछन्द विन्यास

रणकपुर जैन मंदिर (पाली)

यहाँ राजस्थान के कुछ प्रमुख मंदिरों की सूची दी जा रही है। यथा–

मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर– जगदीश मंदिर (उदयपुर) सास–बहु मंदिर (नागदा–उदयपुर), अम्बिका मंदिर (जगत–उदयपुर), श्री नाथजी का मंदिर (राजसमन्द), श्री एकलिंगनाथ मंदिर (उदयपुर), ऋषभदेव मन्दिर (उदयपुर) जैन मन्दिर आदि।

मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर– देलवाड़ा का जैन मन्दिर (आबू पर्वत– सिरोही), रणकपुर का जैन मंदिर (पाली), किराडू के मंदिर (बाड़मेर), ओसिया के मंदिर (जोधपुर), जैसलमेर के जैन मंदिर आदि।

जैन मन्दिर रणकपुर (पाली)–हाड़ौती क्षेत्र के प्रमुख मंदिर– बाड़ोली (रावतभाटा), भण्डदेवरा (बांरा), कमलेश्वर महादेव (बूंदी), झालरापाटन (झालावाड़) आदि।

शेखावटी–जयपुर क्षेत्र के प्रमुख मंदिर–आभानेरी मंदिर (दौसा), खाटूश्याम जी (सीकर), गोविन्द देव जी का मंदिर जयपुर आदि।

बाड़ोली के मन्दिर

मंदिर बनते कैसे थे ? कौन इन्हें बनाने के लिए पूँजी देता था ? ये किस उद्देश्य से बनते थे ? आइए अब इसकी जानकारी प्राप्त करें–

इन मंदिरों का निर्माण महाराजाओं, रानियों, जागीरदारों और श्रेष्ठि संघो द्वारा समय समय पर करवाया जाता था। कभी–कभी मंदिर बनाने वाला अपना बड़प्पन भी दिखाना चाहता था। मंदिरों की देख–रेख के लिए स्थानीय शासकों द्वारा व्यवस्था की जाती थी। सरकार द्वारा सुरक्षित देवालयों की पूजा–अर्चना का दायित्व वर्तमान में 'देवस्थान विभाग' द्वारा किया जाता है।

राजस्थान की मूर्तिकला

गुप्तकालीन भारतीय मूर्तिकला के आदर्श तत्वों ने कला को नया रूप प्रदान किया। गुप्त युगीन

मूर्तिकला परम्परा के प्रभावों से राजस्थान प्रभावित रहा है।

इस समय राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि धर्मों के प्रसार के साथ–साथ जैन धर्म को भी राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इसलिए राजस्थान में उपर्युक्त धर्मों के देवी–देवताओं के देवालय एवं प्रतिमाओं का पर्याप्त मात्रा में निर्माण किया गया।

राजस्थान में मूर्तियों से अलंकृत देवालयों का निर्माण गुर्जर–प्रतिहार, परमार, चौहान, गुहिल शासकों के संरक्षण में हुआ है, किन्तु प्रतिहारों का योगदान सर्वाधिक रहा है।

शैव धर्म की प्राचीन परम्परा में शिव के लिंग–विग्रह और मानवीय प्रतिमाएँ पर्याप्त मात्रा में निर्मित हुई हैं। इन प्रतिमाओं में महेश मूर्ति, अर्द्धनारीश्वर, उमा–महेश्वर, हरिहर व अनुग्रह मूर्तियों को पर्याप्त उत्कीर्ण किया गया है। इन सभी प्रतिमाओं का सौन्दर्य अनुपम है।

महिषासुर मर्दिनी (जगत–उदयपुर)

महिषासुर मर्दिनी (ओसियाँ–जोधपुर)

त्रिविक्रम, नागदा–उदयपुर

वैष्णव धर्म का प्रसार राजस्थान में ईसा–पूर्व प्रथम–द्वितीय सदी में नगरी के अभिलेखीय विवरण से मिलता है। वैष्णव प्रतिमाओं में दशावतार प्रतिमाएँ, लक्ष्मीनारायण, गजलक्ष्मी, गरुड़ासीन विष्णु आदि की प्रतिमाओं में वैकुण्ठ, अनन्त त्रैलोक्य मोहन इत्यादि पर्याप्त रूप में उत्कीर्ण की गई हैं।

पूर्व मध्यकाल में शाक्त मत का व्यापक प्रसार था। परिणामस्वरूप कई शाक्त देवालयों का निर्माण हुआ। इन देवालयों में "महिषासुर मर्दिनी' की प्रतिमाओं की प्रधानता है।

शेषशायी विष्णु –बाड़ोली

नटराज–बाडोली

सूर्यमत का प्रभाव 8–9 वीं सदी से देखा जा सकता है। ओसियाँ, वरमाण (सिरोही),झालरापाटन, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में आज भी सूर्य मन्दिर स्थित हैं। सिरोही क्षेत्र में बसन्तगढ़ और आहाड़ क्षेत्र से प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएँ इसके प्राचीनतम उदाहरण है। मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसियाँ में जिनालयों के निर्माण की परम्परा इसके सुन्दर उदाहरण हैं।

चतुर्मुखी शिवलिंग (कल्याणपुर)

इस युग की हिन्दू व जैन प्रतिमाओं के निर्माण में भारतीय प्रतिमा विज्ञान के नियमों का अनुसरण किया गया है। प्रतिमाओं में आभूषण, परिधान व केश–विन्यास एवं विभिन्न मुद्राओं में उत्कीर्ण प्रतिमाएँ इस युग की मूर्तिकला की प्रधान विशेषताएँ हैं।

गतिविधि–

राजस्थान के मन्दिरों या अन्य स्थानों पर स्थापित मूर्तियों के चित्रों का संग्रह कीजिए तथा इनके चित्र भी बनाने का प्रयास कीजिए।

हवेलियाँ

राजस्थान में हवेलियों के निर्माण की स्थापत्य कला भारतीय वास्तुकला के अनुसार रही है। जयपुर की हवेली परम्परा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद की समृद्धि के साथ ही शेखावटी के श्रेष्ठों ने अपने–अपने गाँव में विशाल हवेलियाँ बनवाने की परम्परा ही डाल दी। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुन्दगढ़ की विशाल हवेलियाँ, हवेली–शैली स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

पटवों की हवेली (जैसलमेर)

जैसलमेर की सालमसिंह की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटवों की हवेली तो पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण संसार में प्रसिद्ध है।

करौली, भरतपुर, कोटा की हवेलियाँ भी अपने कलात्मक कार्यों के कारण बेजोड़ गिनी जाती हैं।

छतरियाँ

राजस्थान में राजाओं का राज्य रहा एवं यहाँ का श्रेष्ठि–वर्ग सम्पन्न रहा, अतः मरणोपरान्त उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गये, जिन्हें छतरियों और देवल के नाम से जाना जाता है।

अलवर में मूसी महारानी की छतरी, करौली में गोपालसिंह की छतरी, बूँदी में चौरासी खम्भों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, गेटोर में ईश्वर सिंह की छतरी, जोधपुर में

बूँदी की चौरासी खम्भों की छतरी

जसवन्त सिंह का थड़ा, उदयपुर में आयड़ की छतरियाँ, जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियों का स्थापत्य सौन्दर्य देखते ही बनता है।

शेखावटी की छतरियाँ

शेखावटी की छतरियों में चित्रित मानव जीवन के विविध दृश्य अतीव आकर्षक हैं। राजाओं पर बने स्मारक भी इस क्षेत्र में संख्या में अधिक हैं। सीकर के शासकों देवीसिंह और लक्ष्मणसिंह पर विशाल छतरियाँ सीकर में बनी हुई हैं। माधोसिंह, कल्याण सिंह और हरदयाल सिंह की छतरियों की सादगी, विशालता, उन्नत अधिष्ठान आदि इनके मूलभूत तत्व है। शेखावटी की छतरियाँ शेखावत काल के वीरों का मुँह बोलता इतिहास है।

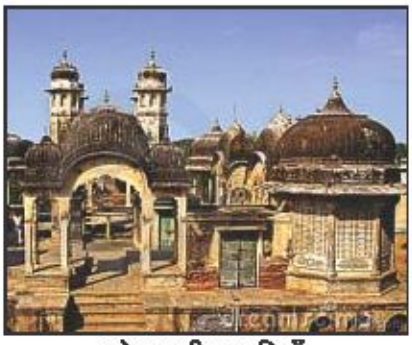
शेखावटी छतरियाँ

रामगढ़ शेखावटी धनाढ्य सेठों की नगरी कहलाती है। सेठ देश–विदेशों में व्यापार से संचित अपार धन का सदुपयोग बड़ी–बड़ी आलीशान हवेलियों के बनवाने में करते थे।

रामगोपाल पोद्दार की छतरी शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है।

अलवर की छतरियाँ

अलवर के नैड़ा अंचल की छतरियों में कला और शिल्प का अनूठा संसार चित्रित है। ये भित्ति चित्रण की तात्कालीन दक्षता के साथ शिल्पकला के वैशिष्ट्य को भी दर्शाती है।

अलवर की छतरियाँ

मंडोर की छतरियाँ

लम्बे समय तक मारवाड़ की राजधानी रहे मंडोर में, स्थापत्य कला की नक्काशी से युक्त विशाल देवल व पास ही बने पंचकुंडा में भव्य छतरियाँ भी हैं, जो मंडोर के नैसर्गिक सौन्दर्य में चार चाँद लगाती है।

मंडोर में देवलों के नाम से विख्यात स्मृति स्मारक है, जिनमें राम मालदेव से लेकर तख्तसिंह तक के मारवाड़ के शासकों के विख्यात स्मारक है। ये स्मारक लाल घादू के पत्थरों से निर्मित हैं, जिन पर पाषाण के शिल्पियों की सुन्दर तक्षण कला स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। विशालकाय देवलों में महाराजा जसवन्तसिंह, अजीतसिंह व तख्तसिंह के देवल तो यहाँ की विशेष निधि बन गए है।

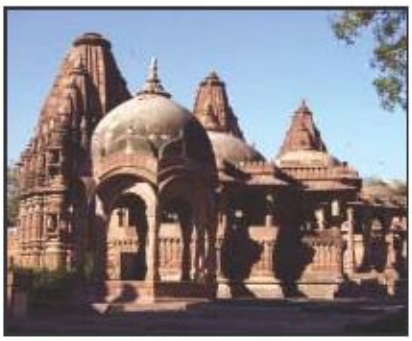
मंडोर की छतरियाँ

शब्दावली

ताड़पत्र	–	ताड़ के वृक्ष का पत्ता।
खरल	–	पत्थर की वह कुँड़ी जिसमें चीजें कुटी जाती हैं।
मकबरा	–	वह इमारत जिसमें किसी की कब्र हो।
प्राचीर	–	चारदीवारी।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न एक व दो के सही उत्तर कोष्ठक में लिखिए –

1. पटवों की हवेलियाँ हैं–
   (अ) जैसलमेर में (ब) जोधपुर में (स) जयपुर में (द) उदयपुर में ( )
2. देलवाड़ा के जैन मन्दिर हैं–
   (अ) सिरोही में (ब) जोधपुर में (स) जसपुर में (द) उदयपुर में ( )
3. स्तम्भ–अ को स्तम्भ–ब से सुमेलित कीजिए–

स्तम्भ–अ	स्तम्भ–ब
1. कुम्भलगढ़	झालावाड़
2. रणथम्भौर	जैसलमेर
3. सोनारगढ़	सवाईमाधोपुर
4. गागरोन	राजसमंद

4. परकोटा एवं प्राचीर क्या है ?
5. दुर्ग किसे कहते है ?
6. चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया ?
7. चित्रशैली से क्या तात्पर्य है ?
8. पोथी चित्र शैली की क्या पहचान है ?
9. राजस्थान की मूर्तिकला की प्रसिद्ध प्रतिमाएँ कौन–कौन सी है ?
10. मारवाड़ के प्रमुख मन्दिर कौन–कौन से है ?
11. राजस्थानी चित्र शैली से क्या तात्पर्य है ?
12. राजस्थान में जैन मन्दिरों के किसी एक केन्द्र का विवरण लिखें।

गतिविधि–

1. राजस्थान के किलों की सूची बनाएँ ।
2. अपने आस–पास के मन्दिरों की सूची अपने गुरुजी और बड़ों की मदद से बनाएँ।
3. अपने आस–पास हवेलियों और छतरियों के चित्रों का संकलन कीजिए।
4. मध्यकालीन चित्रकला शैली आधारित कुछ चित्र बनाएँ।

अध्याय 20

भक्ति व सूफी आंदोलन

ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। इसके लिए लोग मंदिर, मस्जिद अथवा गिरजाघर जैसे धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा–आराधना करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये लोग ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। इस तरह से भगवान् की भक्ति करने का, भगवान् को याद करने का यह एक तरीका है। समय–समय पर देश में अनेक धार्मिक महापुरुष हुए जिन्होंने लोगों को भक्ति मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया। मध्यकाल में भी विभिन्न संतों द्वारा भक्ति आन्दोलन की धारा बहाई गई।

भक्ति आन्दोलन का तात्पर्य

भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भज शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य भजना अथवा उपासना करना है। जब व्यक्ति सांसारिक कार्यों से विरक्त होकर एकान्त में तन्मयता के साथ ईश्वर का स्मरण करता है, तो उसे भक्ति कहा जाता है एवं भक्ति करने वालों को भक्त कहा जाता है।

भक्ति आन्दोलन का उद्‌भव

भारत में भक्ति की परम्परा अनादि काल से चली आ रही है। कहा जाता है कि भक्ति की परम्परा का प्रचलन महाभारत के समय में भी था। जब गीता में अर्जुन से भगवान् श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, तब अर्जुन को भगवान् श्री कृष्ण भक्ति मार्ग पर चलने का उपदेश दे रहे होते हैं।

यदि भक्त सच्चे मन से भक्ति करे तो ईश्वर कई रूपों में भक्त को मिल सकता है। भक्ति के लिए ईश्वर के कई रूप देखने को मिलते हैं। कहीं मनुष्य के रूप में तो कहीं प्रकृति के विविध रूपों में।

भक्ति आन्दोलन की विशेषताएँ

इस युग के भक्ति आन्दोलन के संतों की एक विशेषता यह थी कि ये स्थापित जाति भेद, समाज में फैली असमानताओं एवं कुप्रथाओं पर सवाल भी उठाते थे। अपने प्रभु से प्यार करने में, लोगों के साथ मिल बैठकर रहने में ही सार है, ये समझाते थे। वे अपने अनुयायियों को सीख देते थे कि हमें परमात्मा द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। भक्ति परम्परा से जुड़े सभी संत हर किसी से प्यार करने पर जोर देते थे। इनकी रचनाओं में बार–बार यह कहा गया है कि न कोई ऊँचा है और न कोई नीचा सभी मानव बराबर हैं।

भक्ति–काव्य

अपनी बात ये सीधी सरल और बोलचाल की भाषा में कहते थे। अधिकांश भक्त–संत अपनी बात काव्य के जरिये कहते थे। लोगों को इनकी बात आसानी से समझ में आ जाती थी। चौदहवीं सदी आते–आते दक्षिण भारत के अनुरूप उत्तर भारत में भी भक्ति परम्परा की धारा बहने लगी।

भक्त संतों द्वारा रचित काव्य कहीं भगवान् के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते, कहीं ईश्वर के अनेक रूपों की कथाएँ सुनाई जाती। समाज में फैली बुराइयों पर कटाक्ष होता, आडम्बरों को नष्ट करने की बात

आती और जाति–भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती। संत कबीर और संत गुरू नानक आदि से जिस विचारधारा का उद्‌भव हुआ है उसकी लहर आज भी दिखाई देती है मीराबाई के गीत आज भी लोगों को भगवत्–प्रेम के लिए प्रेरित करते हैं। आज भी भक्ति संतों की रचनाओं को लोग पढ़ते हैं, गाते हैं, और उन पर नाचते हैं।

दक्षिण भारत में भक्ति धारा

भक्ति धारा की लोकप्रियता दक्षिण भारत में सातवीं और नवीं सदी के बीच देखने को मिली। इसका श्रेय वहाँ के घुमक्कड़ी साधुओं को जाता है। इन घुमक्कडों में शिव भक्त नयनार के नाम से जाने जाते थे। कुछ विष्णु भक्त थे। इन्हें अलवार कहा जाता था। इन घुमक्कड़ी साधुओं की विशेषता यह थी कि ये गाँव–गाँव जाते और देवी–देवताओं की प्रशंसा में सुन्दर काव्य लिखते और उन्हें संगीत बद्ध करते।

नयनार और अलवार संतों में अनेक जातियों के लोग शामिल थे। नयनार और अलवार संतों में कई ऐसे थे जो कुम्हार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे वर्गों में पैदा हुए तथा अनेक उस समय मानी जाने वाली 'अस्पृश्य' जातियों में पैदा हुए थे। तथापि वे अपने उच्च विचारों एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने के कारण देश में समान रूप से प्रसिद्ध हुए।

प्रमुख नयनार संतों के नाम : अप्पार, संबंदर, सुन्दरार, मणिक्कवसागार
प्रमुख अलवार संतों के नाम : पेरियअलवार, पेरियअलवार की बेटी अंडाल, नम्मालवार, तोंडरडिप्पोडी अलवार।

भक्ति परम्परा के अधीन दक्षिण में (कर्नाटक में) ग्यारहवीं सदी में रामानुज ने विष्णु की पूजा पर जोर दिया।

रामानन्द :– रामानन्द भक्ति आन्दोलन के क्षेत्र में उत्तर एवं दक्षिण के बीच एक कड़ी तथा सेतु के समान थे। ये उत्तरी भारत के भक्ति आन्दोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने भक्ति के द्वारा जन–जन को नया मार्ग दिखाया। एकेश्वरवाद पर जोर देकर राम की भक्ति पर बल दिया। जाति भेद का विरोध करते हुए सामाजिक समानता पर बल दिया। उन्होंने संस्कृत के बजाय बोलचाल की भाषा में उपदेश दिए, जिससे जन साहित्य का विकास हुआ। रामानन्द के

रामानन्द

भक्त कवयित्री अंडाल

भक्त सन्तों में से एक भक्त अंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अंडाल द्वारा रचित थिरूपवाई की रचना आज भी गाई जाती है। अंडाल का जन्म आठवीं सदी में हुआ था।

प्रमुख भक्त सन्त–

रामानन्द	कबीर
गुरू नानक	चैतन्य महाप्रभु
रविदास	दादू
मीराबाई	चोखामेला

समर्थ गुरू रामदास आदि

शिष्यों में सभी जातियों के लोग थे जिनमें रैदास, बीर, धन्ना, तथा पीपा आदि प्रमुख थे।

उत्तरी भारत में भक्ति धारा

कबीर

कबीर :– कबीर मात्र भक्त सन्त न होकर बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों का डटकर विरोध किया। जनसाधारण की भाषा में उन्होंने बताया कि प्रभु सबके है, उन पर किसी वर्ग, व्यक्ति तथा धर्म–जाति का अधिकार नहीं है। कबीर धार्मिक क्षेत्र में सच्ची भक्ति का सन्देश लेकर प्रकट हुए थे। महात्मा बुद्ध के बाद कबीर, गुरूनानक आदि ने भी जातीय असमानता का विरोध किया। कबीर के अनुसार सभी व्यक्ति जन्म से समान है। जिस व्यक्ति ने अपने पवित्र कर्मों से भक्ति को अपनाया है, उसकी जाति का सम्बन्ध पूछना अनुचित है।

कबीर कर्म की श्रेष्ठता पर भी बल देते थे। ईश्वरीय एकता के सन्देश के कारण हिन्दू व मुसलमान सभी उनके अनुयायी बनने लगे। समकालीन समाज व धर्म के क्षेत्र में उनकी बातों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। कबीर के उपदेश हमें उनकी 'साखियों' व 'पदों' में मिलते हैं। कबीर ने बाहरी आडम्बरों का कड़ा विरोध किया।

कबीर के बारे में ऐतिहासिक जानकारी बहुत कम है। मान्यता है कि वे पंद्रहवीं–सोलहवीं सदी में हुए थे। उनका पालन–पोषण बनारस या उसके आस–पास रहने वाले जुलाहे परिवार में हुआ था। कबीर के भजन कई घूमंतु धार्मिक गायक गाते थे और ये भजन काफी लोकप्रिय रहे। इनमें से अनेकों को गुरू ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहीत किया गया है।

कबीर ने गुरू को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया और कहा है कि –

गुरू गोविन्द दोनों खड़े, काके लागूँ पाँय।
बलिहारी गुरू आपने, गोविन्द दियो बताय।।

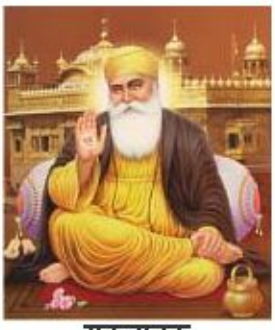
गुरूनानक

गुरूनानकः– कबीर के समान मध्यकालीन समाज को प्रभावित करने वाले सन्तों में गुरूनानक का नाम भी महत्वपूर्ण है। कबीर की तुलना में गुरू नानक के बारे में ऐतिहासिक जानकारी ज्यादा मिलती है। गुरु नानक का जन्म 1469 ई में तलवंडी में हुआ था। आजकल यह पाकिस्तान में है और इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ये सिक्ख पंथ के संस्थापक थे तथा निर्गुण उपासना के समर्थक थे। कई जगहों पर घूमने के बाद उन्होंने करतारपुर में रावी नदी के तट पर अपना डेरा बसाया, जहाँ उनके अनुयायी जात–पांत त्याग कर इकट्ठे होकर खाना खाते थे। इसे 'लंगर' कहते थे। नानक ने उपासना और कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की उसे 'धर्मसाल' कहते थे। आजकल उसे 'गुरुद्वारा कहते हैं। नानक के अनुयायी सभी जातियों से थे।

नानक ने अंधविश्वासों और गलत मान्यताओं को दूर करने का प्रयास किया। वे हिन्दू–मुसलमानों को समान दृष्टि से देखते थे। नानक ने अपनी बातें सीधी व सरल भाषा में कही।

मुस्लिम सन्तों का सत्संग भी उन्होंने किया। गुरुनानक के मत में सच्चा समन्वय वही है, जो ईश्वर की मौलिक एकता और उसके असर से मानव की एकता को पहचानने में सहायता दे। नानक के प्रभाव से देश को नई दिशा मिली तथा समानता, बंधुता, ईमानदारी तथा सृजनात्मक श्रम के द्वारा जीविकोपार्जन पर आधारित नई समाज व्यवस्था स्थापित हुई। गुरुनानक तथा उनके बाद आने वाले गुरुओं के उपदेशों से आगे चलकर एक नया मत 'सिख मत' भारत में उदित हुआ।

रैदास (रविदास) :– रैदास कबीर के समकालीन थे। ये रामानन्द के परम शिष्य थे तथा जाति से चमार एवं निर्गुण भक्ति करते थे। रैदास जाति–पांति के भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे। वे बाह्य आडम्बरों को व्यर्थ समझते और मन की शुद्धता पर जोर देते थे। मानव समानता उनका प्रमुख सिद्धान्त था। उनका कहना था–

ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिलै सबन को अन्न।
छोट बड़ों सब सम बसै, रविदास रहै प्रसन्न।।

रैदास

पूर्वी भारत में भक्ति धारा

चैतन्य महाप्रभु :– भक्त सन्तों में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु प्रमुख सन्त माने जाते हैं। चैतन्य कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इनके अनुसार "यदि कोई व्यक्ति भगवान् कृष्ण की उपासना करता है और गुरू की सेवा करता है तो माया के जाल से (कष्टों से) मुक्त हो जाता है और ईश्वर से एकाकार हो जाता है।" चैतन्य ने कर्मकाण्ड की निन्दा की। इन्होंने बताया कि व्यक्ति भक्ति में लीन होकर संकुचित भावना से मुक्त हो जाता है।

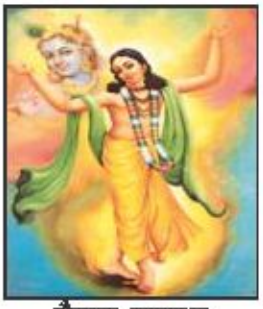
चैतन्य महाप्रभु

गतिविधि–

इस पाठ में यथास्थान उत्तर भारत के कुछ भक्त संतों के पद दिए गए हैं। उन्हें पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि उसमें क्या कहा गया हैं ? सभी सन्तों ने किन बातों पर जोर दिया हैं? इन्हें समझने के लिए अपने घर के बड़ों व गुरुजी की मदद ले सकते हैं।

महाराष्ट्र में भक्ति धारा

महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास जैसे संत हुए। यहीं पर सखूबाई नामक महिला और चोखामेला का परिवार भी लोकप्रिय थे।

महाराष्ट्र में इस काल में पंढरपुर नाम की जगह की बड़ी मान्यता थी। पंढरपुर का नाम विट्ठल नाम के स्थानीय देवता के साथ जुड़ा है। यहां भक्तगण विट्ठल की पूजा करते थे। विट्ठल को विष्णु का स्वरूप माना जाने लगा। यहाँ भी अनेक जाति और समुदायों के लोग इकट्ठे होकर अपने आराध्य की भक्ति करते थे। आजकल तो पंढरपुर की यात्रा पर हजारों लोग हर साल, पैदल चल कर जाते हैं। इन सन्तों के विचार आज भी समाज में सजीव हैं। भक्ति धारा से सम्बन्धित स्थानों पर आज भी लोग बड़ी तादाद में यात्रा करने जाते हैं।

समर्थ गुरु स्वामी रामदास

समर्थ गुरू रामदास

समर्थ गुरु स्वामी रामदास का जीवन भक्ति व वैराग्य से ओत–प्रोत था। उनके मुख से सदैव 'राम नाम' का जाप चलता रहता था। वे संगीत के उत्तम जानकार थे। ऐसा माना जाता है कि स्वामी रामदास प्रति दिन एक हजार दो सौ सूर्य नमस्कार करते थे। इसलिए उनका शरीर अत्यंत बलवान था। उनका ग्रन्थ 'दासबोध' एक गुरु–शिष्य के संवाद के रूप में है। स्वामी जी अद्वैत वेदांति और भक्ति मार्गी सन्त थे। उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से समाज में एक चेतना दायी संगठन खड़ा किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार किया। ये छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। आप भक्ति व शक्ति के प्रतीक हनुमान जी के उपासक थे।

चोखामेला

चोखामेला

महाराष्ट्र में जिन सन्तों ने जाँति–पाँति का भेदभाव मिटा कर भगवान की भक्ति की उनमें सन्त चोखामेला का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्हें विठ्ठल–कृपा प्राप्त थी। सन्त ज्ञानेश्वर की सन्त मण्डली में चोखामेला का बड़ा आदर था। वे महार जाति के थे जो कि उस समय अस्पृश्य मानी जाती थी। उनके मन में बचपन से ही ईश्वर भक्ति और सन्तों जैसा जीवन जीने की इच्छा थी। विट्ठल–दर्शनों के लिए वे प्रायः पंढरपुर जाते रहते थे। उन दिनों पंढरपुर में सन्त नामदेव का बड़ा प्रभाव था। वे विट्ठल के मंदिर में भजन गाया करते थे। नामदेव के अभंग (भजन) सुनकर चोखामेला इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना गुरु मानने लगे। उनके पूरे परिवार ने सन्त नामदेव से दिक्षा ली थी। उनके अभंगों की संख्या करीब 300 बताई जाती हैं। उनकी पत्नी सोयराबाई भी भक्त थी। सोयराबाई के एक अभंग का अर्थ है – "हे प्रभु ! तेरे दर्शन करने से मेरे हृदय की सब वासनाएँ नष्ट हो गई हैं"।

सामाजिक परिवर्तन के आन्दोलन में चोखामेला पहले सन्त थे जिन्होंने भक्ति काव्य के दौर में सामाजिक–गैर बराबरी को समाज के सामने रखा। अपनी रचनाओं में वे वंचित समाज के लिए खासे चिंतित दिखाई पड़ते हैं। इन्हें भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है। उनके उपदेशों का सभी लोग बड़े प्रेम से सुनते थे।

राजस्थान में भक्ति धारा

राजस्थान में प्रारंभिक काल से ब्रह्मा और सूर्य की पूजा लोकप्रिय रही है। विष्णु के अवतार के रूप में राम और कृष्ण की पूजा का भी काफी प्रचलन है। साथ ही शिव शक्ति व विष्णु तथा गणेश, भैरव, कुबेर, हनुमान, कार्तिकेय, सरस्वती आदि की भी पूजा होती है। राजस्थान में जैन धर्म का भी काफी प्रचलन है। राजस्थान के राजपूत शासक हिन्दू धर्म के अनुयायी थे व शक्ति की उपासना करते थे। शेष हिन्दुस्तान के समान ही, यहाँ भी धार्मिक सहिष्णुता रही है। सभी धर्म बराबरी से, शान्ति के साथ रहते आए हैं।

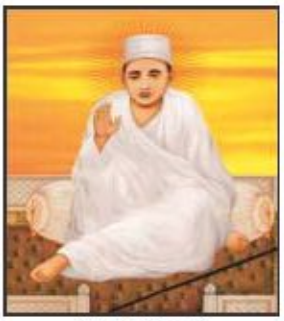
दादू दयाल

दादू दयाल :–निर्गुण उपासना के समर्थक संत दादू बाहरी साधना से ध्यान हटाकर व्यक्तिगत साधना पर जोर देते थे। दादू ने ईश्वर की भक्ति को समाज सेवा एवं मानववादी दृष्टि से जोड़ा। दादू ने अहंकार से दूर रहकर विनम्रता से ईश्वर के प्रति समर्पित रहने की शिक्षा दी है। दादू ने बताया कि ईश्वर की प्राप्ति न केवल प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही संभव है, बल्कि मानवता के प्रति सेवा से भी संभव हो सकती है। दादू पहले सांभर व फिर आमेर आकर रहने लगे। जयपुर के पास नरायणा गांव में इनकी मृत्यु हुई। दादू पंथी गुरू को अधिक महत्व देते हैं। इनके शिष्य विभिन्न धर्मों, वर्गों एवं जातियों से सम्बद्ध थे। इनकी शिक्षाएँ 'दादू दयाल री वाणी' और 'दादू दयाल रा दूहा' में संगृहीत है। दादू के अनुसार ब्रह्म एक है और वह सब जगह है।

मीरा बाई

मीरा बाई:– राजस्थान भक्ति और शक्ति का प्रदेश रहा है। यहाँ के भक्त संतों में मीराबाई का नाम सर्वप्रमुख है। मीराबाई ने अपना जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। उनके द्वारा रचे काव्य प्रेम भाव से परिपूर्ण थे। अपने काव्य में उन्होंने महिला जागृति की बातें कही है। भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म 16वीं सदी में मेड़ता में हुआ था। इनके पिता रतनसिंह मेड़ता के शासक दूदाजी के चौथे पुत्र थे। मीराबाई अपने पिता की इकलौती बेटी थी। मीरा के दादा–दादी भगवान् कृष्ण के परम भक्त थे और मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति के गीत गाया करती थी।

इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से हुआ। विवाह के सात साल बाद ही इनके पति का देहान्त हो गया और शीघ्रही इनके ससुर राणा सांगा और पिता रतनसिंह का भी देहान्त हो गया। इसके पश्चात् मीराबाई पूर्णरूप कृष्ण भक्ति में डूब गई। वृन्दावन और द्वारिका में इन्होंने काफी समय भजन–कीर्तन और साधु–संगति में बिताया। मीरा वृन्दावन से द्वारका गई। द्वारका में श्रीकृष्ण की भक्ति में रणछोड़जी की मूर्ति के आगे नृत्य करते हुए मीराबाई ने संसार त्याग दिया।

मीराबाई ने अपने भजनों में श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम व समर्पण भाव को प्रकट किया, जैसा कि निम्न पंक्तियों से प्रकट होता है–

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई।
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।।

मीराबाई की काव्य रचनाएँ आज भी लोकप्रिय हैं। मीराबाई ने महिला वर्ग के सुधार और जागृति की बात कही। मीराबाई के लगभग 250 पद हैं, जो उन्हें अमर भक्त कवयित्री बना देते हैं।

रामचरणजी एवं रामस्नेही संप्रदाय

मध्यकालीन राजस्थान में जो समाज एवं धर्म सुधार के लिए संप्रदाय स्थापित किए गए, उन संप्रदायों में रामस्नेही संप्रदाय का विशेष महत्व है। इस संप्रदाय की स्थापना रामचरणजी ने की थी। इस संप्रदाय के अनेक केन्द्र राजस्थान में स्थापित हुए, जैसे– शाहपुरा (भीलवाड़ा) में संत रामचरणजी, रैण (नागौर) में संत दरियावजी, सिंहथल (बीकानेर) में संत हरिदासजी, खेडापा (जोधपुर) में संत रामदासजी आदि।

रामचरणजी निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। उनका विचार था कि गुरु ब्रह्म के समान होता है और वही मनुष्य को संसार रूपी भवसागर से पार उतार सकता है।

इस संप्रदाय में राम की उपासना पर बल दिया गया है। राम से उनका अभिप्राय निर्गुण निराकार ब्रह्म से है। उन्होंने मूर्ति पूजा व बाह्य आडम्बरों का विरोध किया।

सूफीवाद

सूफी मत का तात्पर्य एवं उद्देश्य– कहा जाता है कि सूफी वे कहलाए जो 'सफ यानी – सफेद ऊन का कपड़ा पहनते थे। उनके सीधे, साधारण कपड़े पहनने का मतलब यह था कि ये वे लोग थे जो सीधे और सरल वस्त्र धारण करते थे, सीधी सरल जिंदगी जीते थे और लोगों को सीधे सरल तरीके से, प्रेम पूर्वक रहने को प्रेरित करते थे। सूफी संतों ने इस्लाम के एकेश्वरवाद का पालन किया। ये आमतौर पर वे थे जिन्होंने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा स्थापित इस्लामिक परम्परा की जटिलताओं और आचार–संहिता का विरोध किया। सूफी संतों ने धर्म के बाहरी आडम्बर को त्याग कर भक्ति और सभी मनुष्यों के प्रति दया तथा प्रेम भाव पर बल दिया। संत कवियों की तरह भारत में सूफी संत भी अपनी बात कविता के जरिये कहते थे। वे अपना संदेश लोगों तक कहानी सुना कर भी पहुँचाते थे। सूफियों के बारे में यह भी प्रचलित है कि इनमें कई दिव्य शक्तियाँ है। इन शक्तियों को लेकर अनेक तरह के किस्से कहानियाँ भी सूफी संतो के बारे में फैली है।

प्रमुख सूफी सन्त
- हजरत मोईनुद्दीन चिश्ती
- बाबा फरीद
- शेख नुरूद्दीन
- हजरत निजामुद्दीन औलिया
- बहाउद्दीन जकारिया
- अमीर खुसरो
- गेसूदराज

सूफियों में किसी उस्ताद, औलिया या पीर की देख रेख में अलग– अलग तरह से दिव्य शक्ति के नजदीक आने के तरीके विकसित हुए। कभी नाच कर, कभी गा कर, तो कभी केवल मनन चिंतन करके। उस्ताद पीढ़ी दर पीढ़ी शागिर्दों को सीख देते थे। इस तरह कई सिलसिलों की शुरूआत हुई। हर सिलसिले का काम करने का, विचारों का, अपना ही तरीका होता था। धीरे–धीरे हिन्दुस्तान में मध्य एशिया से भी सूफी आने लगे। ग्यारहवीं सदी तक हिन्दुस्तान दुनिया में सूफी सिलसिलों के लिए जाना जाने लगा। उस समय के कई सिलसले तो आज तक महत्वपूर्ण हैं।

इस तरह के सिलसिलों में एक प्रमुख था–चिश्ती सिलसिला। इसमें औलियाओं की एक लम्बी कतार रही है जो आज तक चली आ रही हैं। अजमेर के ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया आज भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके काव्य आज भी काफी प्रचलित हैं। कुछ प्रमुख सूफी सन्तों का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है।

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती– ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती 1192 ई. के पूर्व में भारत आए थे और बाद में इन्होंने ही भारत में सूफी मत में चिश्ती सिलसिला की शुरूआत की। भारत में कई स्थानों पर घूमने के

बाद वे अजमेर में स्थायी रूप से बस गऐ। अजमेर में सन्त मोईनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह 'अजमेर शरीफ' के नाम से जानी जाती है। इनके मुरीद या चाहने वाले इन्हें 'ख्वाजा साहब' या 'गरीब नवाज' के नामों से भी याद करते हैं। इनके एक शिष्य शेख हमीदउद्दीन नागौरी ने नागौर के पास सुवल गांव में अपना केन्द्र बनाकर इस्लाम का प्रचार किया। चिश्ती सिलसिला संगीत को ईश्वर प्रेम का महत्वपूर्ण साधन मानता है।

अजमेर शरीफ दरगाह

हजरत निजामुद्दीन औलिया :– भारत में सूफी सन्तों में हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम प्रमुख है, जिनके नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले का भारत भर में विकास हुआ। एक विशेष धर्म का अनुयायी होते हुए भी औलिया में धार्मिक और सामाजिक कट्टरता नहीं थी। हिन्दू–मुसलमानों की एकता एवं समाज सुधार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे मनुष्य मात्र की एकता के सच्चे प्रतीक रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन के विचार में संगीत ईश्वरीय प्रेम एवं सौन्दर्य से साक्षात्कार करने का अनूठा माध्यम है। भारतीय भक्ति भावना से भी सूफी–परम्परा में संगीत को प्रोत्साहन मिला है। सल्तनतकालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे। नई दिल्ली स्थित दरगाह परिसर में हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास ही अमीर खुसरो की भी मजार है।

अमीर खुसरो

सूफी मत में कई सम्प्रदाय हैं, पर भारत में सिर्फ चार सम्प्रदायों का महत्व रहा है। यथा– कादरी, चिश्ती, सुहरावर्दी तथा नक्शबन्दी। सूफ़ियों और भक्ति संतों में बहुत समानताएँ हैं। जैसे गुरू का महत्व, नाम स्मरण, प्रार्थना, ईश्वर के प्रति प्रेम, व्याकुलता एवं विरह की स्थिति, संसार की क्षण भंगुरता, जीवन की सरलता, सच्ची साधना, मानवता से प्रेम, ईश्वर की एकता तथा व्यापकता आदि भक्ति व सूफी दोनों ही आन्दोलनों का आधार रही है। भक्ति आन्दोलन एवं सूफ़ी मत दोनों ने ही ईश्वरीय प्रेम के द्वारा मानवता का मार्ग प्रशस्त किया है।

शब्दावली

निर्गुण	–	निराकार
एकेश्वरवाद	–	केवल एक ईश्वर में विश्वास करना
सगुण	–	साकार
सिलसिला	–	पंथ या मत

अभ्यास प्रश्न

1. प्रश्न संख्या एक व दो के सही उत्तर कोष्ठक में लिखें–

(1) ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है।

(अ) कबीर (ब) नानक

(स) दादू दयाल (द) रामानन्द ( )

(2) चैतन्य महाप्रभु का सम्बन्ध कहाँ से था ?

(अ) बंगाल (ब) राजस्थान

(स) गुजरात (द) महाराष्ट्र ( )

2. स्तम्भ अ को स्तम्भ ब से सुमेलित करें ?

	स्तम्भ अ	स्तम्भ ब
(1)	कबीर	बंगाल
(2)	मीराबाई	तलवंडी
(3)	गुरूनानक	मेड़ता
(4)	चैतन्य महाप्रभु	बनारस

3. भक्ति में किस पर अधिक जोर दिया जाता है ?
4. महाराष्ट्र के प्रमुख सन्तों के नाम बताइए।
5. भक्ति आन्दोलन के सन्तों के उपदेशों की भाषा कैसी थी ?
6. मीराबाई का संक्षेप में परिचय दीजिए ।
7. कबीर की प्रमुख शिक्षाएँ बताइए?
9. सूफी व भक्ति सन्तों के उपदेशों में क्या समानताएँ थी ?
10. गुरू नानक के उपदेशों को लिखिए।
11. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का परिचय लिखिये।
12. समर्थ गुरु रामदास के बारे में आप क्या जानते हैं ?

गतिविधि–

1. कबीर के पदों का संकलन कीजिए।
2. भक्ति एवं सूफी आन्दोलन के चित्रों का संकलन करें एवं लय के साथ गाने का अभ्यास करें।
3. कबीर के कुछ दोहों को याद कीजिए एवं बाल सभा में गाकर सुनाइए।
4. अपने क्षेत्र के आस–पास के प्रसिद्ध पूजा स्थलों यथा–मन्दिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों, गिरजाघरों आदि की सूची बनाएँ और उनके बारे में जानकारी एकत्र करें।
5. भक्ति व सूफी धारा के प्रमुख संतों की शिक्षाओं पर अपनी कक्षा में परिचर्चा करें।

अध्याय 21

लोक संस्कृति

गौरवशाली अतीत, शक्ति, भक्ति, त्याग और तपस्या–स्थली राजस्थान का जितना विविधतापूर्ण प्राकृतिक परिवेश है, उतना ही सरस–सजीला है इसका सांस्कृतिक वैभव। समृद्ध लोक संस्कृति के परिचायक तीज–त्योहार, उमंग व उल्लास के प्रतीक मेले, आस्था और विश्वास के केन्द्र यहां के उपासना स्थल, कहीं घूमर तो कहीं चंग की थाप पर गींदड़, कहीं चकरी तो कहीं भवाई नृत्य के रोमांचक करतब, कहीं गैर नृत्य की गमक तो कहीं विद्युत गति का तेराताली। कहीं अलगोजे की मधुर तान तो कहीं सुरनाई। रंग–बिरंगे राजस्थान की लूंठी–अनूठी सांस्कृतिक विरासत है यहां की लोक संस्कृति। जिसका आकर्षण देशी–विदेशी पर्यटकों को यहां खींच लाता है।

प्रमुख शक्तिपीठ

'पगे–पगे देव अने डगे–डगे देवरा' लोकोक्ति को चरितार्थ करती राजस्थान की धरा कई लोक आस्था केन्द्रों को समेटे हुए हैं। सदियों से ये आस्था स्थल मानव मन की अपूरित मनोकामनाओं को पूर्ण करते आए हैं। "आ तो सुरगा ने सरमावे, इण पर देव रमण ने आवै, इण रो जस नर नारी गावै।" पंक्तियाँ राजस्थान की पवित्र धरा को भव्यता प्रदान करती है।

राजस्थान में ऐसे अनेक शक्तिपीठ हैं उनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया जा रहा है–

कैला देवी– पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी करौली से लगभग 25 किमी की दूरी पर स्थित है। त्रिकुट पर्वत की सुरम्य घाटी में बना कैला देवी का भव्य मंदिर अपने शिल्प और स्थापत्य के कारण दर्शनीय है। कैला देवी महालक्ष्मी के अवतार के रूप में मानी जाती है। मंदिर के पीछे काली सिंध नदी बहती है। मंदिर में महालक्ष्मी तथा चामुण्ड़ा माता की प्रतिमाएँ स्थित है।

कैलादेवी

सफेद संगमरमर से बना यह भव्य मंदिर अपनी लहराती लाल पताकाओं से सफेद और लाल रंगों के सम्मिश्रण का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। कैला देवी के सामने हनुमान मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग "लांगुरिया" कहते हैं। कैला देवी करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुल देवी है। चैत्र मास के नवरात्र के दौरान यह आस्था स्थल सजीव हो उठता है। इन दिनों हजारों की संख्या में सुहागिन स्त्रियाँ अपनी पारंपरिक वेशभूषा में माँ कैला देवी की पूजा–अर्चना करने और अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए आती हैं। इन दिनों लगने वाले मेले का एक और प्रमुख आकर्षण है, लांगुरिया नृत्य। अलगोजों की धुनों पर लांगुरिया गीत गाते युवक–युवतियों की टोलियाँ मेले के वातावरण को और भी भक्तिमय कर देती है। देवी के चमत्कारों के बारे में आज भी अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित है।

जमवाय माता–जमवाय माता का प्रसिद्ध शक्तिपीठ जयपुर से लगभग 33 किलोमीटर पूर्व

दिशा में जमवा रामगढ़ बाँध के निकट अरावली की सुरम्य पर्वतमाला के बीच एक पहाड़ी नाके पर स्थित है।

जमवाय माता का पौराणिक नाम जामवंती है। पौराणिक मान्यता है कि जम्बू शैल या जम्बूगिरी नामक जिस पर्वत पर जमवाय माता का मंदिर स्थित है, उसकी यात्रा व परिक्रमा अतीव पुण्य फलदायक होती है।

जमवाय माता

कुछ प्राचीन ख्यातों में उल्लेख है कि कछवाहा शासक दूलहराय अपने शत्रुओं से पराजित हो गया तो उसने देवी की आराधना की और जमवाय माता ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। देवी माँ के आशीर्वाद से दूलहराय ने पुनः शत्रु पक्ष पर आक्रमण किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। विजय प्राप्ति के बाद दूलहराय ने कुलदेवी जमवाय माता का मंदिर बनवाया, जो अभी तक विद्यमान है। जमवाय माता श्रद्धालुओं की मनौती और मनोकामनाओं को पूर्ण कर उन्हें सुख, शान्ति, समृद्धि और वंशवृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। जमवाय माता के चमत्कारों के बारे में आज भी कई जनश्रुतियाँ प्रचलित है।

करणी माता–बीकानेर से करीब 30 किमी दूर देशनोक में माँ करणीमाता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे बिना डर के इधर–उधर घूमते रहते हैं। इन चूहों को स्थानीय लोग 'काबा' कहते हैं। यह करणी माता का चमत्कार माना जाता है कि हजारों की संख्या में चूहे होने पर भी यहाँ एक बार भी प्लेग नहीं फैला। करणी माता का मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। करणी माता की मूर्ति के सिर पर मुकुट है और गले में माला है। भारत में ही नहीं अपितु विश्व में अकेले इस चूहों के मंदिर में चैत्र माह की नवरात्रि और आश्विन माह की नवरात्रि में दो बार मेला लगता है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह माना जाता है कि देशनोक की नींव माता के द्वारा ही पड़ी है। करणी माता के चमत्कारों के बारे में कई जनश्रुतियाँ प्रचलित है।

करणी माता

जीण माता–जीण माता शेखावाटी अंचल का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ अरावली पर्वतमाला के बीच सीकर जिले से लगभग 32 किलोमीटर दूर रेवासा में स्थित है। जीण माता को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है और इनका असली और पूरा नाम जयन्तीमाला है, जिसका अपभ्रंश कालान्तर में जीण हो गया।

जीण माता

जीण माता अष्ट भुजा देवी है। मंदिर में देवी की सफेद संगमरमर की सुन्दर और भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। इस देवी का उल्लेख भागवत् पुराण के नवें स्कन्ध में भी आया है।

यह शक्तिपीठ हजारों वर्ष पुराना है तथा मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण हुआ है। मंदिर का सभा मण्डप संगमरमर के 24 स्तम्भों पर आधारित है।

लोक मान्यता है कि चुरू जिले के धांधू गाँव की चौहान राजकन्या ने अपनी भावज के व्यंग्य बाणों और प्रताड़ना से व्यथित होकर सांसारिक जीवन छोड़कर आजीवन अविवाहित रहकर इस स्थान पर कठोर तपस्या की। चौहान राजकन्या के भाई हर्ष ने अपनी रूठी हुई बहिन से घर वापस जाने के लिए बहुत अनुनय–विनय की, पर वह न मानी। तब हर्ष ने भी कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। धीरे–धीरे जीण ने माँ दुर्गा का स्वरूप ले लिया और हर्ष भैरव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। हर्ष और जीण से सम्बन्धित लोकगीत शेखावाटी में बहुत लोकप्रिय है। जीण माता अष्ठ भुजा वाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी जानी जाती है।

ऐसी मान्यता है कि जीण माता का मंदिर हस्तिनापुर से निर्वासन के बाद पाण्डवों द्वारा यहां बनवाया गया। इस शक्तिपीठ पर चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्राओं में देश–विदेश के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। देवी के चमत्कार की अनेक लोक कथाएं जनमानस में प्रचलित है।

त्रिपुरा सुन्दरी–माँ त्रिपुरा सुन्दरी का मंदिर बाँसवाड़ा से लगभग 19 किमी की दूरी पर स्थित है। इस शक्तिपीठ की लोक में बहुत मान्यता है। त्रिपुरा मतोपासना वैदिक काल के समकक्ष मानी जाती है और सम्पूर्ण भारत में इसका प्रसार था। आद्यजगद्गुरु शंकराचार्य के प्रयत्नों से भारतवर्ष में शक्ति उपासना की जो लहर उठी, उसी के परिणामस्वरूप देश में शक्ति पूजा का महत्त्व बढ़ा। इसी क्रम में बाँसवाड़ा का शक्तिपीठ भी त्रिपुरा सुन्दरी के नाम से प्रख्यात हुआ। राजस्थान के बांसवाड़ा–डूँगरपुर क्षेत्र में यह देवी तीर्थ "तरतई माता" के नाम से जाना जाता है। 'तरतई' शब्द 'त्रितयी' का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है– "त्रित्व (तीन) से युक्त'।

माँ त्रिपुरा सुन्दरी

त्रिपुरा सुन्दरी के वर्तमान मन्दिर का जीर्णोद्धार सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में होने के कुछ उल्लेख मिलते हैं। मन्दिर को वर्तमान भव्य स्वरूप देने का कार्य 1977 ई. में प्रारम्भ किया गया। इससे पूर्व यह देवी तीर्थ उमराई गाँव के पास बीहड़ वन्य प्रदेश में झोपड़ीनुमा मन्दिर के रूप में अवस्थित था।

वर्तमान मन्दिर में गर्भ गृह में काले पत्थर की माँ त्रिपुरा की अष्टादश भुजाओं वाली भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। सिंहवाहिनी राजराजेश्वरी त्रिपुरा की 18 भुजाओं में दिव्य आयुध हैं। प्रतिमा के पृष्ठ–भाग के प्रभामण्डल में नौ छोटी–छोटी देवीमूर्तियाँ हैं। माँ के पृष्ठ भाग में योगिनियों की बहुत ही सुन्दर मूर्तियाँ अंकित हैं। मूर्ति के नीचे पेढ़ी पर श्रीचक्र अंकित है। माँ त्रिपुरा की उपासना श्रीचक्र पर की जाती है।

शाक्त ग्रन्थों में श्री महात्रिपुरसुन्दरी को जगत् का बीज और परम् शिव का दर्पण कहा गया है।

'कालिका पुराण' के अनुसार त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है।

त्रिपुरा रहस्य आदि ग्रन्थों में त्रिपुरा सुन्दरी की कथा उल्लिखित है। एक बार भण्डासुर के उत्पात से जब जगत् त्रस्त हो गया, तब देवताओं के आग्रह पर भगवती आद्याशक्ति त्रिपुरासुन्दरी के रूप में प्रकट हुई। समस्त आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने आए भण्ड दैत्य के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ और अन्त में भगवती त्रिपुरेश्वरी ने उसे भस्म कर दिया।

पंचाल समाज माँ त्रिपुरा की कुलदेवी के रूप में उपासना करता है। 14 चोखला पंचाल समाज ने यहां 2006 में स्वर्ण कीर्ति स्तम्भ बनवाया। वर्तमान में समाज की देख–रेख में भव्य मंदिर का निर्माण प्रगति पर है।

गतिविधि–

राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण लोक शक्तिपीठों से संबंधित कथानक, प्रसंगों और चित्रों का संकलन कीजिए।

लोक वाद्य यंत्र

लोकजीवन को सरस बनाने एवं उसे नई ऊर्जा पैदा करने में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान में पाये जाने वाले कतिपय लोक वाद्य यंत्रों की यहां जानकारी प्रदान की जा रही है।

वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण

अवनद्य (चमड़े से युक्त)	घन (धातु से बना)	तत् (तार लगे हुए)	सुषिर (फूंक से बजने वाले)
1.चंग	1. मंजीरा	1. सारंगी	1. अलगोजा
2.भपंग	2. खड़ताल	2. तंदूरा	2. शहनाई
3.मादल	3. ताशा	3. जन्तर	3. पूंगी
4.नगाड़ा		4. रावणहत्था	4. तुरही
5.इकतारा			

1. **इकतारा**–यह प्राचीन वाद्य है। गोल तूंबे में एक बांस फंसा दिया जाता है। तूंबे का ऊपरी हिस्सा काटकर उस पर चमड़ा मढ दिया जाता है। बांस में छेदकर उसमें खूंटी लगाकर उसमें एक तार कस दिया जाता है। इस तार को अंगुली से बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र एक हाथ से ही बजाया जाता है। मीराबाई इकतारा ही बजाती थी।
2. **भपंग**– यह वाद्य कटे हुए तूंबे से बना होता है, जिसके एक सिरे पर चमड़ा मढा होता है। चमड़े में एक छेद निकालकर उसमें जानवर की आंत का तार या प्लास्टिक की डोरी डालकर उसके सिरे पर लकड़ी का एक टुकड़ा बांध दिया जाता है। वादक इस वाद्य को कांख में दबाकर एक हाथ से उस डोरी या तांत को खींचकर या ढीला छोड़कर उस पर दूसरे हाथ से लकड़ी के टुकड़े से प्रहार करता है। अलवर क्षेत्र में, विशेषकर मेव लोगों में, यह वाद्य काफी प्रचलित है।

3. **सारंगी**– राजस्थान में सारंगी के विविध रूप दिखाई देते हैं। मिरासी, लंगा, जोगी, मांगणियार आदि कलाकार सारंगी के साथ ही गाते हैं। सारंगी सागवान, कैर तथा रोहिड़ा की लकड़ी से बनाई जाती है। सारंगी के तार बकरे की आंत के और गज में घोड़े की पूँछ के बाल बंधे होते हैं। सारंगी की तरह ही कमायचा, सुरिन्दा और चिकारा वाद्य हैं।
4. **तंदूरा**–इसमें चार तार होने के कारण कहीं–कहीं इसे चौतारा भी कहते हैं। यह पूरा लकड़ी का बना होता है। कामड़ जाति के लोग तंदूरा ही बजाते हैं। यह तानपुरे से मिलता–जुलता वाद्य है।
5. **जंतर**– यह वाद्य वीणा की तरह होता है। वादक इसको गले में डालकर खड़ा–खड़ा ही बजाता है। वीणा की तरह इसमें दो तूंबे होते हैं। इनके बीच बांस की लम्बी नली लगी होती है। इसमें कुल चार तार होते हैं। राजस्थान में यह गूजर भोपों का प्रचलित वाद्य है।
6. **रावण हत्था**– रावण हत्था भोपों का मुख्य वाद्य है। इसे बनाने के लिए नारियल की कटोरी पर खाल मढी जाती है, जो बांस के साथ लगी होती है। बांस में जगह–जगह खुंटियाँ लगा दी जाती है, जिनमें तार बंधे होते हैं। यह वायलिन की तरह गज से बजाया जाता है, जिसमें एक सिरे पर कुछ घुंघरू बंधे होते हैं। बजाते समय हाथ के ठुमके से घुंघरू भी बजते हैं।
7. **अलगोजा**– यह फूंक वाद्य है। यह बांसुरी की तरह होता है। वादक दो अलगोजे मुंह में रखकर एक साथ बजाता है। एक अलगोजे पर स्वर कायम किया जाता है तथा दूसरे पर स्वर बजाये जाते है।
8. **शहनाई**– यह एक मांगलिक वाद्य है। चिलम की आकृति का यह वाद्य शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। वाद्य के ऊपरी सिरे पर ताड़ के पत्ते की तूंती बनाकर लगाई जाती है। फूंक देने पर इसमें से मधुर स्वर निकलता है।
9. **पूंगी**– यह वाद्य एक विशेष प्रकार के तूंबे से बनता है। तूंबे का ऊपरी हिस्सा लंबा और पतला तथा नीचे का हिस्सा गोल होता है। तूंबे के निचले गोल हिस्से में छेदकर दो नलियां लगाई जाती है। इन नलियों में स्वरों के छेद होते हैं। अलगोजे के समान ही एक नली में स्वर कायम किया जाता है और दूसरी से स्वर निकाले जाते हैं। कालबेलियों का यह प्रमुख वाद्य है।
10. **नगाड़ा**– यह दो प्रकार का होता है; एक छोटा और दूसरा बड़ा। छोटे नगाड़े के साथ नगाड़ी भी होती है। इसे लोकनाट्यों में शहनाई के साथ बजाया जाता है। लोक नृत्यों में नगाड़े की संगत के बिना रंगत ही नहीं आती है। बड़ा नगाड़ा धातु की लगभग चार–पांच फुट गहरी अर्द्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल मंढकर चमड़े की डोरियों से कसा जाता है। इसे बम या टामक भी कहते हैं। यह युद्ध के समय रणभेरी के रूप में बजाया जाता था। इसे लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है।
11. **ढोल**– राजस्थानी लोकवाद्यों में ढोल का प्रमुख स्थान है। यह लोहे या लकड़ी के गोल घेरे पर दोनों तरफ चमड़ा मंढकर बनाया जाता है। इस पर लगी रस्सियों को कड़ियों के सहारे खींचकर इसे कसा जाता है। वादक इसे गले में डालकर लकड़ी के डंडों से बजाता है।
12. **मांदल**– मिट्टी से बनी मांदल का आकार ढोलक जैसा होता है। इस पर हिरण या बकरे की खाल मंढ़ी होती है। यह वाद्य भीलों और गरासियों का प्रमुख वाद्य हैं।

13. **चंग**– होली के अवसर पर बजाया जाने वाला यह ताल वाद्य लकड़ी के गोल घेरे से बना होता है। इसके एक तरफ बकरे की खाल मंढ़ी जाती है। इसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। इसे ढप भी कहते हैं।

14. **खंजरी**– यह ढप का लघु आकार है। ढप की तरह इस पर भी चमड़ा मंढा होता है। इसे कामड़, भील, कालबेलिया आदि बजाते है।

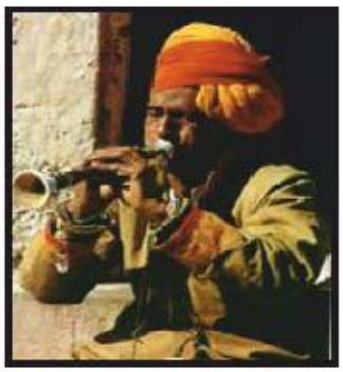

शहनाई

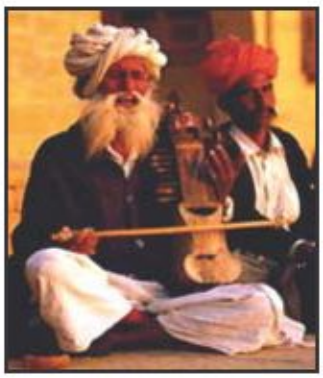

सारंगी

भपंग

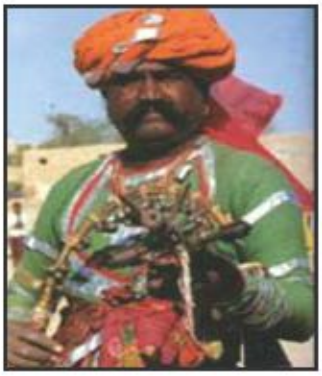

रावणहत्था

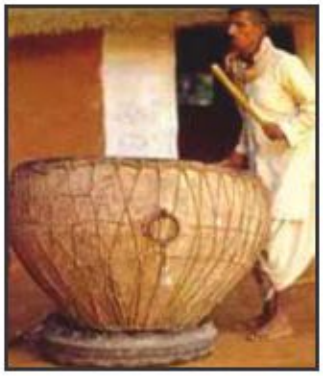

नगाड़ा

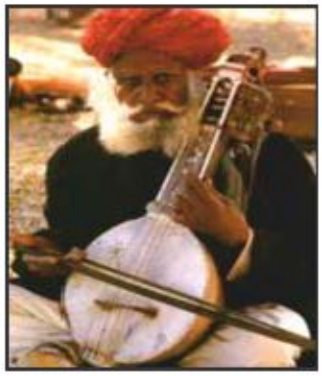

कमायचा

मोरचंग

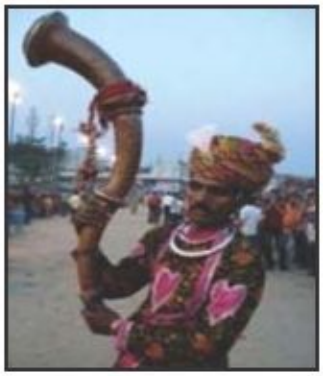

तुरही

ढोल

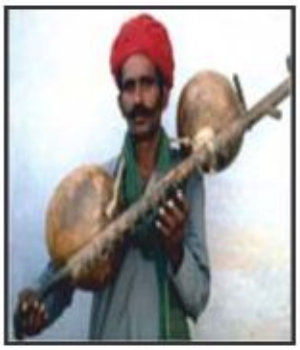
जंतर

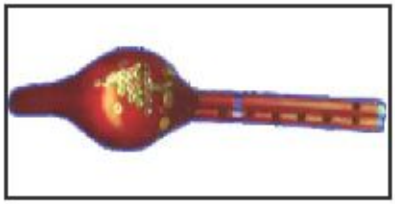
पूंगी

खंजरी

अलगोजा

तंदूरा

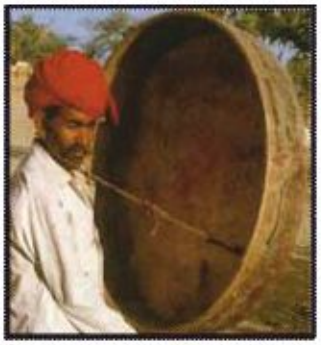
चंग

मांदल

इकतारा

बांकिया

खड़ताल

गतिविधि –

आपके अंचल में प्रचलित और कौन–कौन से लोक वाद्य है?इनके चित्रों सहित इन वाद्यों की जानकारी संकलित कीजिए।

इसके अलावा भी राजस्थान में अनेक लोक वाद्य प्रचलित हैं। इनमें मोरचंग, चिकारा, तुरही, खड़ताल, मंजीरा, झांझ, कांसी की थाली, बांकिया, भूंगल, मशक, ताशा, नौबत, धौंसा, ढोलक, डैरूं आदि उल्लेखनीय है। ये वाद्य राजस्थान के जनजीवन में इस प्रकार रच–बस गए हैं कि इनका प्रत्येक स्वर यहाँ की माटी और संस्कृति की गंध लिए हुए होता है।

प्रमुख लोकनृत्य

मस्ती, उल्लास और आनन्द के अतिरेक में की गई थिरकन ही नृत्य है। राजस्थान एक

भौगोलिक विविधता वाला प्रदेश है। इस विविधता ने नृत्यों को भी वैविध्य प्रदान किया है और अलग–अलग क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न नृत्य विकसित हुए हैं।

1. **गैर नृत्य–** गोल घेरे में इस नृत्य की संरचना होने के कारण यह 'घेर' और कालान्तर में 'गैर' कहा जाने लगा। होली के दिनों में मेवाड़ और बाड़मेर में इस नृत्य की धूम मची रहती है। इस नृत्य की सारी प्रक्रियाएं और पद संचालन तलवार युद्ध और पट्टेबाजी जैसी लगती है। यह केवल पुरूषों का नृत्य है। मेवाड़ और बाड़मेर में गैर नृत्य की मूल रचना एक ही प्रकार की है, किन्तु नृत्य की लय, चाल और मण्डल में अन्तर होता है।

गैर नृत्य

2. **गींदड़ नृत्य–** यह शेखावाटी का लोकप्रिय नृत्य है। सुजानगढ़, चुरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह लोकप्रिय है। नगाड़ा इस नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र होता है। इसमें नृतक अपने हाथ में छोटे डंडे लिए हुए होते हैं। नगाड़े की ताल के साथ इन डंडों को टकराकर नर्तक नाचने लगते हैं। जैसे–जैसे नृत्य गति पकड़ता है, नगाड़े की ध्वनि भी तीव्र होती चली जाती है। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग भी निकाले जाते हैं, जिनमें साधु, शिकारी, सेठ–सेठानी, दुल्हा–दुल्हन आदि उल्लेखनीय हैं।

3. **चंग नृत्य–** यह पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य में हरेक पुरुष के पास चंग होता है और वह चंग बजाता हुआ गोल घेरे में नृत्य करता है। नृत्य करते हुए लय के साथ चंग बजाते हुए नर्तक अपने स्थान पर चक्कर लगाता है। इसमें चंग के साथ बाँसुरी का भी प्रयोग होता है। इस नृत्य में धमाल तथा होली के गीत गाए जाते हैं। इस नृत्य में अंग संचालन काफी मनोहारी होता है।

चंग नृत्य

4. **डांडिया नृत्य–** यह मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य है। गैर, गींदड और डांडिया तीनों ही नृत्य वृत्ताकार हैं। डांडिया नृत्य में पुरुषों की टोली हाथ में लंबी छड़ियाँ लेकर नाचती है। इसमें शहनाई और नगाड़ा बजाया जाता है। नर्तक आपस में डांडियां टकराते हुए घेरे में नृत्य करते हैं।

5. **ढोल नृत्य–** यह जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। यह भी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। इसमें एक साथ चार या पाँच ढोल बजाए जाते हैं। इसमें पहले मुखिया ढोल बजाता है फिर अन्य नर्तक, कोई मुँह में तलवार लेकर, कोई हाथों में डण्डे लेकर, कोई रूमाल लटकाकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य प्रायः विवाह के अवसर पर किया जाता है।

6. **अग्नि नृत्य–** धधकते अंगारों पर किया जाने वाला यह नृत्य जसनाथी सम्प्रदाय के लोग करते हैं। यह नृत्य रात्रि में आयोजित

ढोल नृत्य

होता है। इस नृत्य में नर्तक कई बार अंगारों के ढेर को नाचते हुए पार करता है। इतना ही नहीं ये नर्तक उन अंगारों को कभी हाथ में उठाते हैं, मुँह में डालते हैं और कभी उनकी झोली भरकर नाना प्रकार के करतब करते हैं। नर्तक अग्नि से इस प्रकार खेलते है जैसे अंगारों से नहीं फूलों से खेल रहे हो।यह नृत्य भी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है।

अग्नि नृत्य

7. **बमरसिया नृत्य–** यह अलवर और भरतपुर क्षेत्र का नृत्य है। इस नृत्य में एक बड़े नगाड़े का प्रयोग होता है। इसे दो आदमी बड़े डंडों की सहायता से बजाते हैं और नर्तक रंग–बिरंगे फूंदों तथा पंखों से बंधी लकड़ी को हाथों में लिए उसे हवा में उछालते हुए नाचते हैं। वाद्य यंत्रों में नगाड़े के अलावा थाली, चिमटा, ढोलक, खड़ताल और मंजीरा आदि का प्रयोग किया जाता है। नृत्य के साथ होली के गीत और रसिया गाया जाता है। बम (नगाड़े) के साथ रसिया गाने से इस नृत्य का नाम बमरसिया प्रसिद्ध हो गया।

8. **घूमर नृत्य–** यह समूचे राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य मांगलिक अवसरों तथा पर्वोत्सवों पर आयोजित होता है। यह महिलाओं का नृत्य है। इसमें लहंगा पहने स्त्रियाँ जब चक्कर लेकर गोल घेरे में नृत्य करती है तो उनके लहंगे का घेर और हाथों का लचकदार संचालन देखते ही बनता है।

घूमर

9. **तेरहताली नृत्य–** यह कामड़ जाति का अनोखा नृत्य है। यह नृत्य ही ऐसा है जो बैठकर किया जाता है। इसमें स्त्रियां अपने हाथ–पैरों में मंजीरे बांध लेती है और फिर दोनों हाथों से डोरी से बंधे मंजीरों को द्रुतगति की ताल और लय से शरीर पर बंधे मंजीरों पर प्रहार करती हुई विविध प्रकार की भाव–भंगिमाएँ प्रदर्शित करती है। यह चंचल और लचकदार नृत्य देखते ही बनता है। पुरूष तंदूरे की तान पर मुख्यतया रामदेवजी के भजन गाते हैं।

10. **भवाई नृत्य–** यह नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए अधिक प्रसिद्ध है। इस नृत्य में विभिन्न शारीरिक करतब दिखाने पर अधिक बल दिया जाता है। यह उदयपुर संभाग में अधिक प्रचलित है। अनूठी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता इस नृत्य की मुख्य विशेषताएँ हैं। तेज लय में सिर पर सात–आठ मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर पड़े रूमाल को मुँह से उठाना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, तलवार की धार पर, कांच के टुकड़ों पर और नुकीली कीलों पर नृत्य करना इस नृत्य को रोमांचक बनाता है।

भवाई नृत्य

11. गवरी नृत्य– यह मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। मांदल और थाली की थाप पर गवरी नृत्य में कई स्वांगों का प्रदर्शन होता है। राई और बूडिया इसके प्रमुख पात्र है। राखी के दूसरे दिन यानी भाद्रपद की एकम् से लेकर 40 दिनों तक यह नृत्य किया जाता है। इस अवधि में गवरी नृत्य करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते है, व्यसनों से दूर रहते हैं, हरी शाक नहीं खाते हैं तथा जमीन पर सोते हैं। गवरी नृत्य मां 'गोरज्या' (माँ पार्वती देवी या गौरी) की आराधना के लिए किया जाता है। 40 दिनों के बाद 'गलावण' और 'वलावण' की रस्म के साथ गवरी नृत्य को विराम दिया जाता है। यह नृत्य सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है और महिला पात्र भी पुरुष ही बनते है।

12. कालबेलिया नृत्य– राजस्थान में सपेरा जाति का यह एक प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में शरीर की लोच और लय, ताल पर गति का मंत्रमुग्ध कर देने वाला तालमेल देखने को मिलता है। अधिकतर इसमें दो बालाएँ अथवा महिलाएँ बड़े घेरे वाला घाघरा और घुंघरू पहनकर नृत्य प्रस्तुति देती है। नृत्यांगना काले रंग की कशीदाकारी की गई पोशाक पहनती है, जिस पर कांच, मोती, कोड़ियाँ, कपड़े की रंगीन झालर आदि लगे होते हैं। नृत्य में पुरुषों द्वारा पूंगी और चंग बजाई जाती है। दूसरी महिलाएं गीत गाकर संगत देती है। मारवाड़ अंचल में यह नृत्य काफी लोकप्रिय है। हाल ही में इस नृत्य को यूनेस्को (UNESCO) द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।

कालबेलिया नृत्य

इसके अलावा कच्छी घोड़ी नृत्य, कंजर बालाओं का चकरी नृत्य, चरी नृत्य और चिरमी नृत्य भी आकर्षक है।

गतिविधि–

आपके क्षेत्र में किए जाने वाले लोक नृत्य और नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों की सचित्र जानकारी संकलित कीजिए।

इसके साथ ही वर्षभर में लगने वाले मेले, संगीत विधा से जुड़ी पारंपरिक जातियाँ और घराने, लोक नाट्य, ख्याल गायकी, मांडणे, मेहन्दी, सांझी, गोदना, हस्तकला आदि राजस्थानी संस्कृति को और अधिक मोहकता प्रदान करते हैं। इन सबमें राजस्थानी माटी की महक रची–बसी है।

राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, जयपुर कत्थक केन्द्र जयपुर, भारतीय लोक कला मण्डल उदयपुर, रवीन्द्र मंच जयपुर, पश्चिम सांस्कृतिक केन्द्र (शिल्पग्राम) उदयपुर, जवाहर कला केन्द्र जयपुर, राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर और कई संग्रहालय हमारी लोक संस्कृति के वाहक और संरक्षक है।

शब्दावली

ख्यात	–	इतिहास
परिसर	–	क्षेत्र
पर्यटक	–	भ्रमण करते लोग
मांगलिक	–	शुभ
भावज	–	भाई की पत्नी; भाभी

अभ्यास प्रश्न

1. भाग 'अ' को भाग 'ब' से सुमेलित कीजिए–

भाग अ	भाग ब
क. जीण माता	बाँसवाड़ा
ख. कैला देवी	जयपुर
ग. त्रिपुरा सुन्दरी	करौली
घ. जमवाय माता	बीकानेर
ङ करणी माता	सीकर

2. 'तरतई' शब्द का क्या अर्थ है?
3. कैला देवी के मेले में कौनसा विशेष नृत्य किया जाता है?
4. शहनाई वाद्य यंत्र किससे बनाया जाता है?
5. राजस्थान में प्रचलित लोक वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण कीजिए।
6. राजस्थान में लोक संस्कृति के संरक्षक संस्थान कौन–कौन से हैं ?
7. राजस्थान के प्रमुख शक्तिपीठों का वर्णन कीजिए।
8. राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों का वर्णन कीजिए।
9. राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों का वर्णन कीजिए।

गतिविधि–

1. राजस्थान की लोक देवियों के संबंध में प्रचलित आख्यानों, जन मान्यताओं, जनश्रुतियों को सूचीबद्ध कीजिए।
2. राजस्थान के लोक नृत्यों को विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुत करें।
3. राजस्थान के लोक देवताओं के चित्रों का संकलन करें।
4. लोक वाद्यों को देखने के लिए विद्यार्थी अपने अध्यापक के साथ किसी संग्रहालय का भ्रमण करें।